राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५

(समस्त आवश्यक नियमों सहित)

सुरेशचन्द्र एच. माथुर

मूल्य दस रुपये

प्रकाशक :
=: राज पंचायत प्रकाशन :=
धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता,
जयपुर (राज०)

मुद्रक
=: पोद्दार प्रिन्टर्स :=
घी वालों रास्ता, दाई की गली,
ज य पु र (राज०)

गंगाराम चौधरी
उप-राजस्व मन्त्री



जयपुर [राजस्थान]
१६ मार्च, १९६८

शुभकामना

मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि श्री सुरेशचन्द्र एन माथुर द्वारा लिखित राजस्थान टिनेंसी एक्ट का 1968 संस्करण हिन्दी में प्रकाशित हो रहा है।



श्री माथुर को राजस्व, न्याय एवं विधि विभागों मे काम करने का दीर्घ अनुभव है तथा वे हिन्दी एव अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार पूर्वक विधि पुस्तकें लिख चुके हैं जिनकी सम्बन्धित क्षेत्रों मे समुचित प्रशंसा हुई है।

प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान टिनेंसी एक्ट में हुए आदिनांक संशोधनों का समावेश कर लिया गया है और विभिन्न धाराओं के प्रावधानों का स्पष्टीकरण सरल भाषा में करने के साथ साथ विभिन्न हाईकोर्टों एवं राजस्व मडलों के निर्णयों के आधार पर सुबोध टिप्पणी भी दे दी गई है।

प्रशासन कार्य में हिन्दीकरण के लिए राज्य सरकार की नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में ऐसे प्रयत्नों का स्वागत किया जाना चाहिये। विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जाने पर श्री माथुर जसे सुयोग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें पाठ्-पुस्तकों का रूप ले सकती हैं।

श्री माथुर उनके परिश्रम व लगन के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हुआ आशा करता हूं कि यह पुस्तक राजस्व अधिकारियों, वकीलों एवं विधि अध्यापकों व छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी प्रमाणित होगी।

गंगाराम चौधरी
उप राजस्व मन्त्री

राजस्थान टिनेंन्सी एक्ट, १९५५

विषय-सूची

अध्याय ३--क

कतिपय शिकमी आसामियों तथा खुदकाश्त के आसामियों को मुआवजे का भुगतान होने पर अधिकार प्रदान किया जाना

अध्याय ३--ख

अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर प्रतिबन्ध

अध्याय ३-गा.

आसामियों के प्राथमिक अधिकार

अध्याय ४

अवतरण, अन्तरण, विनिमय तथा विभाजन

अध्याय ५

समर्पण, परित्याग तथा अवसान

अध्याय ६

सुधार

अध्याय ७

वृक्ष

अध्याय ८

घोषणात्मक दावे

अध्याय ९

लगान का निर्धारण तथा उसमें परिवर्तन

अध्याय १०

लगान का भुगतान और वसूली

अध्याय ११

बेदखली

अध्याय ११

बेदखली

अध्याय १५

राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी अधिकारिता

अध्याय १६

विविध

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

विषय सूची

टिनेन्सी (सरकार) नियम, १९५५

अध्याय १

प्रारम्भिक

अध्याय २

अध्याय ३

धारा ३१ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय ४

अधिनियम की धारा ३२ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियम

अध्याय ४क

अध्याय ५

अध्याय ५क

धारा ६८, ६६, १०० तथा १०४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

अध्याय ६

निरीक्षण तथा क्षति का अनुमान

अध्याय ७

अधिनियम की धारा १३७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय ८

अधिनियम की धारा १३८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के हेतु नियम

अध्याय ९

अधिनियम की धारा १४८–१४९ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १६० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

टिनैंन्सी (राजस्व मंडल) नियम, १९५५

अध्याय १

प्रारम्भिक

अध्याय १क

धारा ५ के खण्ड (१४) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय २

धारा १६–३० के प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने के लिये नियम

अध्याय ३

अधिनियम की धारा ४८–५२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय ४

धारा ५२–५४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

भूमि क्षेत्रों (होल्डिंग्स) का विभाजन

अध्याय ५

धारा ६० से ६२ तक के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

लगान के भुगतान का प्रबंध

अध्याय ६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

अध्याय ६क

अधिनियम की धारा ८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने लिये नियम

अध्याय ७

धारा ८४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

अध्याय ८

अधिनियम की धारा ११४ तथा ११७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

अध्याय ९

धारा १३९–१४० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १४७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १६६, १७०, १७४ से १७६ तक, १७७ तथा १७८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

अध्याय १२

अधिनियम की धारा १८०-१८२ को क्रियान्वित करने के लिये नियम खुदकाश्त या गैर खातेदार आसामी अथवा शिकमी आसामी की बेदखली

अध्याय १३

अध्याय १४

अधिनियम की धारा २१३ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय १५

अधिनियम की धारा २३६ तथा २४२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अध्याय १६

शपथ-पत्र सम्बन्धी नियम

राजस्थान टिनेंन्सी एक्ट, १९५५

(एक्ट संख्या ३, सन् १९५५)

(राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक १४ मार्च, १९५५ को प्राप्त हुई)

आमुख

कृषि-भूमियों के कृषिकरण से सम्बन्धित कानून को समेकित तथा संशोधित करने और भूमि की उन्नति के कुछेक उपायों व तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के छठे वर्ष में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

टिप्पणी

१. आमुख:— आमुख निरसन्देह अधिनियम का एक भाग होता है परन्तु उसका उपयोग अधिनियमित करने वाले भाग का स्पष्टीकरण करने के लिए किया जाता है न कि उसका नियंत्रण करने के लिए। आमुख का प्रयोजन सामान्य रूप में उस उद्देश्य को बताना होता है जिसके लिए कि अधिनियम पारित किया जाता है, परन्तु उसमें उन सब अभावों का उल्लेख कर दिया जाय जिनकी पूर्ति के लिए वह अधिनियम बनाया गया था।

२. समेकन एवं संशोधन:—समेकन एवं संशोधन करने वाले अधिनियम का अर्थ निकालते समय न्यायालय को पुराने निर्णयों पर विचार करने का भी अधिकार है। यदि अधिनियम के किसी खण्ड का न्यायालय द्वारा कोई अर्थ निकाला जाने के पश्चात् उसी रूप में पुनः अधिनियमित किया जाता है तो यही समझा जायगा कि विधान मंडल ने उस अर्थ को अंगीकार कर लिया है।

३. प्रारंभ की तारीख:—यह अधिनियम १५ अक्टूबर, १९५५ से राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० एफ १ (१०) रे० ११३/५५ ता० १४ अक्टूबर १९५५ द्वारा प्रभावशील किया गया था।

४. विस्तार:—यह अधिनियम अब समस्त राजस्थान राज्य में लागू है जिसमें आबू, अजमेर एवं सुनेल क्षेत्र भी १५ जून १९५८ से सम्मिलित हैं। इस विषय में राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १ (२८१)/रे०/बी/५६ दिनांक २७ मार्च १९५८ राजस्थान राजपत्र भाग ४(ग) ता० ८-५-१९५८ में पृष्ठ २५ पर प्रकाशित हुई थी।

अध्याय १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ कहा जायगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(३) यह उस तारीख से प्रभावशील होगा जो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में राजस्थान राज पत्र + में अधिसूचना के द्वारा नियत करे।

२. विलोपित:—+ +

धारा २ को राजस्थान टिनेन्सी (प्रथम संशोधन) अधिनियम १९५६ द्वारा विलुप्त किया गया जिसके द्वारा केन्द्रीय सामान्य खंड अधिनियम के स्थान पर राजस्थान सामान्य खंड अधिनियम १९५५ लागू किया गया।

३. निरसन—(१) जिस दिन यह अधिनियम प्रभावशील हो जायगा उस दिन को तथा उस दिन से निम्नलिखित निरसित हो जायेंगे :

(क) प्रथम अनुसूची के स्तम्भ २ में बताई गई अधिनियमितियां, अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट सीमा तक;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित अधिनियमितियों के अलावा, कोई तदनुरूप कानून जो संघिप्रान्तर्गत राज्यों में से किसी राज्य में अब तक लागू रहा हो, उस सीमा तक जहां तक वे कानून इस अधिनियम में समाविष्ट होते हैं अथवा जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं, [और

(ग) इस उप-धारा के पूर्ववर्ती खण्डों में उल्लिखित अधिनियमितियों अथवा कानूनों में संशोधन करने वाले कोई कानून।]+ + +

(२) + + + + किसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश, संकल्प, अधिसूचना, अथवा उप-नियम जो एतद्द्वारा अथवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५७ द्वारा निरस्त नहीं हुए हैं, में, अथवा जागीर या जमींदारी, या बिस्वेदारी अधिकार, को स्वीकृति प्रदान करने वाली या स्वीकृति को मान्यता प्रदान करने वाले किसी आदेश अथवा लिखत की शर्तों अथवा प्रतिबंधों में अन्तर्विष्ट कोई बात जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल अथवा असंगत है क्रियाशील नहीं रहेगी अथवा उन उपबंधों पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं रखेगी।

\+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

\+ + देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६

\+ + + उपरोक्त

\+ + + + उपरोक्त

+ (३) कृषि-भूमियों के कृषि-करण सम्बंधी कोई रीति या रिवाज जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, राज्यों के पुनर्गठन से पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य—सिरोंज क्षेत्र को छोड़कर के किसी भाग में, अथवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ के समय, आबू, अजमेर अथवा सुनेल क्षेत्र में, प्रवृत्त हो, तथा विधि का बल रखती हो, यदि उक्त रीति या रिवाज इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध अथवा असंगत हो तो, जहां तक विरुद्ध अथवा असंगत है, उस सीमा तक क्रियाशील नहीं रहेगी।

+ + (४) उक्त प्रारम्भ के समय विद्यमान तथा क्रियाशील कृषिभूमियों के कृषिकरण सम्बन्धी किसी इकरारनामे के उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से विरुद्ध अथवा असंगत हैं, उन व्यावृत्तियों (सेविंग्ज) के अधीन रहते हुए जिनका इस अधिनियम में अन्यत्र अथवा राजस्थान राजस्व विधि (विस्तार) अधिनियम १९५७ में प्रावधान है, शून्य हो जायेंगे और उक्तरूपेण विरुद्ध अथवा असंगत होने की सीमा तक क्रियाशील नहीं रहेंगे।

४. विलोपित—×

टिप्पणी

चालू कार्यवाहियों पर निरसन का प्रभावः—धारा २०९ (१) के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय और किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पड़े हुए सब दावे, मामले, अपीलें, आवेदन पत्र, निर्देश (रेफरेंस) और कार्यवाहियां जो उन बातों से सम्बन्धित हैं जिनका समावेश इस अधिनियम में किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ किए हुए समझे जावेंगे। अतः राजस्थान आसामी संरक्षण अध्यादेश १९४९ (आर पी. टी ओ.) के नीचे राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाहियां अब इस अधिनियम के अनुसार की जावेंगी।

५ परिभाषाएं:—इस अधिनियम में जब तक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(१) "कृषि वर्ष"—से अभिप्राय १ जुलाई से आरम्भ होकर आगामी ३० जून को समाप्त होने वाले वर्ष से होगा।

टिप्पणी

ग्रिगेरियन कलेंडर का वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक का गिना जाता है जब कि कृषि वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक का माना जाता है।

(२) "कृषि"—में उद्यान-कार्य सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

कृषि का मूल अर्थ भूमि जोतने में है और इस अर्थ में कृषि करने से सामान्य अभिप्राय साग सब्जी एवं फल (मनुष्यों के लिए) और पशुओं के लिए चारा उगाने के

+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + उपरोक्त

× देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ३ सन् १९५८

लिए भूमि जोतने से है। इसमें बागवानी और उद्यान कर्म भी सम्मिलित हैं।[1]

(३) "काश्तकार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जो कृषि अथवा पशु पालन से स्वयं अपने आप अथवा नौकरों या आसामियों के द्वारा पूर्णतः अथवा मुख्यतः अपना जीवन निर्वाह करता है;

(४) "सहायक कलक्टर" से अभिप्राय राजस्थान टेरीटोरियल डिवीजन्स आर्डिनेंस १९४९ के अन्तर्गत अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त किए गए सहायक कलक्टर से होगा;

(५) "विस्वेदार" + + से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे राज्य के किसी भाग में कोई गांव अथवा गांव का कोई भाग विस्वेदारी प्रथानुसार दिया जाता है तथा जो अधिकार अभिलेख (मिसल हकीयत) में विस्वेदार अथवा स्वामी के रूप में दर्ज किया जाता है और उसमें अजमेर क्षेत्र का लेखदार सम्मिलित होगा;

(६) "बोर्ड" + से अभिप्राय राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डिनेन्स १९४९ के अन्तर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत राज्य के लिये स्थापित तथा गठित राजस्व मण्डल से होगा;

टिप्पणी

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आर्डिनेंस १९४९ की धारा १९ के नीचे मुकदमे सुनने को जिन अतिरिक्त कमिश्नरों को नामादिष्ट किया गया था वे बोर्ड के अधीनस्थ न्यायालय नहीं माने जा सकते। अतः धारा १९ के नीचे सौंपे गये मामलों का पुनरीक्षण करने की अधिकारिता बोर्ड को नहीं है।[1]

(६–क) "अधिकतम क्षेत्र" + + से, सम्पूर्ण राज्य में कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी हैसियत में धारित भूमि के प्रसंग में, अभिप्राय भूमि के इस अधिकतम क्षेत्र से होगा जो कि उक्त व्यक्ति के प्रसंग में धारा ३०–ग के अन्तर्गत नियत किया जा सके;

(७) "कलक्टर" से अभिप्राय, राजस्थान टेरीटोरियल डिवीजन्स आर्डिनेन्स १९४९ के अन्तर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत नियुक्त किये गये कलक्टर या अतिरिक्त कलक्टर से होगा;

(८) विलोपित। + + +

---

१. डिक्शनेरी ऑफ लॉ—एन्डरसन

१. किशोरसिंह V राजस्व मंडल राजस्थान, 1953 R.L.W. 21

+ + उपरोक्त

+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६०

+ + + देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२

(६) "फसलों" में छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे, तथा बेलें जैसे गुलाब की झाड़ियां, पान की बेलें, मेंहदी की झाड़ियां, केले तथा पपीते सम्मिलित होंगे परन्तु उनमें चारा व प्राकृतिक उपज सम्मिलित नहीं होगी।

टिप्पणी

"फसलों" शीर्षक के नीचे स्वेलाये वाले पौधों की गिनती केवल दृष्टान्त रूप में की गई है न कि सर्वांग रूप में। 'सम्मिलित है' के प्रयोग का अभिप्राय यही है कि परिभाषा अपने सहज रूप में समझी जावे और उसका विषय क्षेत्र थोड़ा विस्तृत करके उसमें ऐसे पौधे ले लिए जावें जो सामान्यतः उसमें सम्मिलित नहीं समझे जाते।[1]

(१०) "भू-सम्पत्ति" से अभिप्राय जागीरदार द्वारा धारित जागीर-भूमि या जागीर-भूमि में हित से होगा और उसमें बिस्वेदार ×[" ""] या जमींदार द्वारा धारित भूमि या भूमि में हित सम्मिलित होगा;

(११) "भू-सम्पत्ति-धारक"—से अभिप्राय तत्समय भू-सम्पत्ति के किसी धारक अर्थात् जागीरदार ×["" "] बिस्वेदार या जमींदार से होगा,

(११-क) "विद्यमान जागीर कानून"—से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में जागीर भूमियों या जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी अधिनियम, अध्यादेश, आनियम, नियम, आदेश, मसरूर, अधिसूचना या उप नियम से होगा और इसमें:—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में उक्त जागीर भूमियों या जागीरदारों के सम्बन्ध में प्रवृत्त तथा विधि-बल रखने वाली कोई रीति या रिवाज, और

(ख) जागीर भूमियों का अनुदान करने वाले अथवा उनके अनुदान को मान्यता प्रदान करने वाले किसी आदेश अथवा लिखत में अन्तर्विष्ट प्रतिबंध तथा शर्तें,

सम्मिलित होंगे।

(११-ख) 'खण्डगट्ठ' + —से अभिप्राय भूमि के ऐसे टुकड़े से होगा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५३ की उप-धारा (१) के प्रयोजनार्थ विहित न्यूनतम से क्षेत्रफल में कम हो;

++(१२) 'अनुदान' से अभिप्राय राज्य के किसी भाग में भूमि धारण करने या भूमि में हित रखने के अनुदान अथवा अधिकार से होगा और वह व्यक्ति जिसे उक्त अधिकार दिया जाय उसका अनुदान-ग्रहीता कहलायेगा;

---

१. बंगाल प्रान्त Vs श्रीमती हिरल कुमारी, AIR 1946 Cal. 217

× देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६

+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६०

++ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

+ + + (१३) "अनुकूल लगान-दर पर अनुदान"—से अभिप्राय [राज्य के किसी भाग में] ऐसे लगान पर किये गये अनुदान से होगा जो स्वीकृत लगान-दर के अनुसार गणित उसके लगान से कम हो तथा जिसमें अनुदान की शर्तों के अनुसार, अध्याय ९ के अन्तर्गत हेर फेर न किया जा सके; और ऐसे अनुदान ग्रहीता को "अनुकूल लगान दर पर अनुदान ग्रहीता" कहा जायगा जिस अभिव्यक्ति में सुनेल क्षेत्र का रियायत ग्रहीता भी सम्मिलित माना जायगा।

(१४) "उपवन धारी"—से अभिप्राय जब तक उपवन अपने स्वत्व में स्थित रहे, खातेदार आसामी अथवा खुद-काश्त धारी से होगा [जो कि अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या इसके किसी भाग पर उपवन रखता हो और विहित रीति से उसे खातेजात में उपवन दर्ज किया हुआ हो;] ×

टिप्पणी

जिस भूमि पर पेड़ लगे हो उस पर काबिज व्यक्ति को जो उपवनधारी होने का दावा करे साबित करना होगा कि उसने उपवन उस भूमि पर लगाया है जो उसे उपवन लगाने को दी गई थी।

(१५) "उपवन-भूमि"—से अभिप्राय (राज्य के किसी भाग में) भूमि के किसी विशिष्ट टुकड़े से होगा जिस पर वृक्ष ऐसी संख्या में लगे हुए हों कि जो उक्त भूमि को अथवा उसके किसी अधिकांश भाग को किसी अन्य कृषि-प्रयोजन के लिये मुख्यतया काम में लाने से रोकते हो अथवा पूर्णतः बढ़ जाने पर रोकेंगे और तत्पश्चात् लगाये गये वृक्ष उपवन के रूप में होंगे;

टिप्पणी

१. विषय—जिस उपवन भूमि के लिए लगान दिया जाना है वह एक विशिष्ट भूमि क्षेत्र है जिस पर पेड़ इतने पास २ लगे होते हैं कि भूमि का उपयोग सिवाय उपवन लगाने के और किसी काम के लिए नहीं किया जा सकता। यदि पेड़ छोटे हो तो मामूली खेती की जा सकती है परन्तु उनके बड़े होने पर खेती में रुकावट होती है। परन्तु जब पेड़ केवल भूमिखण्ड की सीमा पर लगे हो और उसके बड़े भाग पर खेती होने में रुकावट नहीं डालते तो उस भूमि खण्ड को उपवन भूमि नहीं कहा जा सकता।[1]

२. भूमि का विशिष्ट टुकड़ा:—उपवन भूमि के किसी विशिष्ट टुकड़े पर होना चाहिए इसका अर्थ सम्भवतः यह है कि बिखरे हुए पेड़ जैसे कि सड़क के किनारे के पेड़ उपवन का निर्माण नहीं कर सकते।

३. उपवन का नष्ट होना—इस बात का निश्चय करने के लिए कि उपवन के लक्षण मिट गये हैं या नहीं यह देखना आवश्यक है कि क्या उस भूमि के टुकड़े के अधिकांश-भाग का उपयोग किसी अन्य काम के लिए किया जा सकता है। उपवन नष्ट हो जाने पर

१. काशी V अंगूबाई, 18 R. D. 13

+ + + देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ तथा २ सन् १९५८

× देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६

उपवन-धारी खातेदार काश्तकार रह जाता है।[२]

(१६) "उच्च न्यायालय" से अभिप्राय राजस्थान उच्च न्यायालय से होगा;

(१७) "भूमि-क्षेत्र"—से अभिप्राय भूमि के एक या अधिक खण्डों से होगा जो कि एक पट्टे, वचन, या अनुदान के अधीन अथवा ऐसे पट्टे, वचन या अनुदान के न होने की दशा में, एक धारणाधिकार के अधीन धृत हो या हों और उसमें, इजारेदार या ठेकेदार के प्रसंग में इजारे अथवा ठेके का क्षेत्र सम्मिलित होगा;

+ परन्तु, किसी व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में कहीं भी, एक पट्टे, वचन, अनुदान या धारणाधिकार के अधीन धृत भूमि के सभी खण्ड चाहे उन्हें वह स्वयं जोतता हो, या किराये पर या शिकमी-किराये पर देता हो, अध्याय ३-ख के प्रयोजनार्थ, उसका भूमि-क्षेत्र माने जायेंगे और, जहां ऐसी भूमि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सह-आसामियों अथवा सह-भागियों की हैसियत में धृत हो, उन व्यक्तियों में से प्रत्येक का अंश उसका पृथक भूमि-क्षेत्र माना जायगा चाहे उसका वस्तुतः बटवारा हुआ हो या न हुआ हो;

टिप्पणी

यदि भूमि क्षेत्र में बढ़ोतरी शनैः शनैः हो तो वह भूमि क्षेत्र का भाग होती है।[१]
अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को 'भूमि क्षेत्र' नहीं माना जा सकता।[२]

(१८) "इजारा अथवा ठेका" से अभिप्राय लगान की वसूली के लिये दिये गये फार्म या पट्टे से होगा; वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में इजारा अथवा ठेका है "इजारा अथवा ठेका क्षेत्र" कहलायेगा तथा "इजारेदार अथवा ठेकेदार" से अभिप्राय उस व्यक्ति से होगा जिसे इजारा अथवा ठेका दिया जाय;

टिप्पणी

इजारा या ठेका में अध्याय १३ के अनुसार लगान वसूली के पट्टे से अभिप्राय है। इजारा या ठेका एक संविदा को प्रगट करता है। ठेकेदार काश्तकार नहीं होता।[३]

(१९) "सुधार" से अभिप्राय, आसामी के भूमि-क्षेत्र के प्रसंग में, निम्नलिखित से होगा :—

(क) आसामी द्वारा अपने स्वयं के अधिवास के लिये भूमि-क्षेत्र में बनाया गया रहने का मकान या उसके द्वारा अपने भूमि-क्षेत्र में बनाया या स्थापित किया गया पशुओं का बाड़ा, भण्डार-गृह, या कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये कोई अन्य निर्माण;

(ख) ऐसा कोई कार्य जिससे उक्त भूमि-क्षेत्र के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हो और जो उस

२. लक्ष्मीनारायण V कामताप्रसाद A.I.R 1932 Oudh 281
१. मुरारीलाल Vs रामरन, 11 R. D 215
२. राम Vs राजा प्रताप बहादुर, 6 R. D.—272
३. धारा ५ (४३)
+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६०

प्रयोजन से सुसंगत हो जिसके लिए वह भूमि-क्षेत्र किराये पर दिया जाय;

और, इस खण्ड के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसमें—

(१) कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए पानी के संग्रहण, प्रदाय अथवा वितरण के लिये बंधों, तालाबों, कुओं, पानी के नालों तथा अन्य साधनों, का निर्माण,

(२) भूमि से जलोत्सारण के लिये, अथवा बाढ़ों, मिट्टी की कटाई या पानी से होने वाली अन्य प्रकार की किसी क्षति से उसकी रक्षा करने के लिये, साधनों का निर्माण,

(३) भूमि का पुनरुद्धार करना, साफ करना, घेरा बांधना, समतल करना या ऊंचा करना,

(४) भूमि-क्षेत्र के ठीक पास ऐसी भूमि पर जो गांव की आबादी में न हो, भूमि-क्षेत्र के सुविधाप्रद अथवा लाभप्रद उपयोग के लिए अधिवास के लिये अपेक्षित मकान,

(५) उपरोक्त कार्यों में से किसी का नवीनीकरण अथवा पुनर्निर्माण या उनमें ऐसे परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन जो नितान्त मरम्मत के ढंग के न हों, सम्मिलित होंगे;

लेकिन ऐसे अस्थायी कुएं, पानी के नाले, बंध, बाड़ें या अन्य कार्य जो आसामियों द्वारा खेती के साधारण क्रम में बनाये जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे;

टिप्पणी

— उक्त उपधारा में 'सुधार' के अंतर्गत जो बातें गिनाई गई हैं वे दृष्टान्त रूप में हैं न कि पूरी सूची के रूप में। जो भी कार्य किसी खाते के मूल्य में तात्विक परिवर्द्धन करता है और जो उस उद्देश्य से सुसंगत है जिसके लिए कि खाता दिया गया था, 'सुधार' है परन्तु क्षणिक प्रकृति के निर्माण सुधार नहीं कहला सकते। यह आवश्यक नहीं है कि सुधार उसी खाते पर हो जो कि उनसे लाभान्वित हो।[1] यदि कोई काश्तकार बेदखली के पश्चात् पेड़ उगाता है तो उसे 'सुधार' नहीं समझा जा सकता।[2] 'सुधार' कर लेने के पश्चात् भी किसान खाते का पूरा लगान देने का दायी है।[3] साधारणतः किसान किसी भी प्रकार का सुधार कर सकता है परन्तु उसे उस उद्देश्य के असंगत किसी काम के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं है।[4]

उपरोक्त उपधारा के प्रावधान के बाहर निर्माण करना सुधार नहीं है। खातेदार काश्तकार अपने खाते में कोई सुधार कर सकता है—परन्तु उसका यह अधिकार इस उपधारा में परिभाषित 'सुधार' तक ही सीमित है। उसके अन्यथा निर्माण करने पर यह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१(क) के साथ पठित धारा ९१ के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

---

१ बैजनाथ प्रसाद Vs रामनाथ, 13 R. D. 612

२. चरणसिंह Vs मूवा, 1944 R. D. 77

३ धारा ७२

४. बिन्दा प्रसाद Vs बिहारी तिवाड़ी, A. I. R. 1936 Oudh 81[illegible]

(२०) (विलोपित) +

(२१) "जागीरदार" से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से होगा [+ + जो राज्य के किसी भाग में जागीर-भूमि अथवा जागीर-भूमि में कोई हित धारण करता हो और] किसी विद्यमान जागीर-कानून के अन्तर्गत जागीरदार के रूप में मान्यता-प्राप्त हो तथा उसमें जागीरदार से जागीर-भूमि का अनुदान-ग्रहीता सम्मिलित होगा;

× (२२) "जागीर-भूमि" से अभिप्राय राज्य के किसी भाग में ऐसी भूमि से होगा जिसमें अथवा जिसके सम्बन्ध में जागीरदार को भू-राजस्व या किसी अन्य राजस्व के विषय में अधिकार होते हैं और उसमें—

(क) प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य—सीरोंज क्षेत्र को छोड़कर—में द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट धारणाधिकारों में से किसी पर धृत भूमि;

(ख) बम्बई मर्जड टेरीटरीज एण्ड एरियाज (जागीर्स एबोलीशन) एक्ट १९५३ (बम्बई एक्ट ३९ सन १९५४) की धारा २ की उप-धारा (१) के खण्ड (६) में परिभाषित जागीर के रूप में आबू क्षेत्र में धृत भूमि, यदि कोई हो,

(ग) अजमेर एबोलीशन ऑफ इण्टरमीडीयरीज एण्ड लेण्ड रिफार्म्स एक्ट १९५५ (अजमेर एक्ट ३, सन् १९५५) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (५) में परिभाषित भू-सम्पदा (एस्टेट) के रूप में अजमेर क्षेत्र में धृत भूमि, यदि कोई हो, अर्थात् इस्तमरारी भू-सम्पत्ति के रूप में, अथवा जागीर भूमि, मुआफी, या गुजारा के रूप में अथवा किसी अवयस्क इस्तमरारदार या गैर-सनदी इस्तमरार द्वारा धृत भूमि, और

(घ) मध्य भारत एबोलीशन ऑफ जागीर्स एक्ट सम्वत् २००८ (मध्य भारत एक्ट २८, १९५१) की धारा २ की उप-धारा २ के खण्ड (७) में परिभाषित जागीर-भूमि के रूप में सुनेल क्षेत्र में धृत भूमि यदि कोई हो;

× × (ङ) भूमि के स्वामी द्वारा धृत भूमि या भूमि में हित

सम्मिलित होगी;

(२३) "खुदकाश्त" से अभिप्राय राज्य के किसी भाग में किसी भू-सम्पत्ति-धारी द्वारा स्वयं काश्त की गई भूमि से होगा और उसमें:—

[१] ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय बन्दोबस्त कागजात में खुदकाश्त, सीर, हवाला, निजी-जोत घर-खेत के रूप में उस समय जबकि उक्त कागजात तैयार किये गये थे प्रवृत्त कानून के अनुसार दर्ज की गई हो, और

[२] उक्त प्रारम्भ के पश्चात्, राज्य के किसी भाग में, तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के

\+ देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९६६

\+ + देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९६८

× उपरोक्त

× × देखिए राजस्थान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४

अन्तर्गत, खुदकाश्त के रूप में आवंटित भूमि सम्मिलित होगी;

टिप्पणी

इस उपधारा को उपधारा (२५) के साथ पढ़ना चाहिए। खुदकाश्त से अभिप्राय भू-सम्पत्तिधारक द्वारा स्वयं काश्त की गई भूमि से है। परन्तु इस अधिनियम के नीचे इस शब्द की परिभाषा विस्तृत कर दी गई है जिसमें भू-सम्पत्तिधारक के परिवार व नकद पारिश्रमिक पर नौकरों इत्यादि से कराई गई काश्त भी सम्मिलित है। परिभाषा अपने आप में पूर्ण है। खुदकाश्त या अधिकार अहस्तान्तरणीय है सिवा अदला बदली अथवा जागीरदार की भू-सम्पत्ति के विभाजन में अथवा गुजारे के लिए बख्शीश के लिए।[1]

(२४) "भूमि" से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि-कार्यों अथवा तदधीन (Subservient) अन्य कार्यों या उपवन या चरागाह के लिये पट्टे पर दी जाय या धारण की जाय तथा उसमें भूमि क्षेत्र पर स्थित मकानों या बाड़ों की भूमि अथवा उस पानी से ढकी भूमि सम्मिलित होगी जो सिंचाई के लिये अथवा सिंघाड़ा या तत्समान अन्य उपज उगाने के लिये काम में लिया जा सके परन्तु उसमें आबादी-भूमि सम्मिलित नहीं होगी; उसमें भूमि से, जमीन से संलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी तौर पर सबद्ध वस्तुओं से होने वाले लाभ सम्मिलित होंगे;

टिप्पणी

अभिव्यक्ति "कृषिकार्यों" की परिभाषा इस अधिनियम में कहीं नहीं दी गई है। 'कृषि' का अर्थ भूमि जोतने से है जिसमें जमीन तैयार करना, बीज बोना, फसल उगाना व काटना और मवेशी पालना इत्यादि की कला या विज्ञान सम्मिलित है।[2] इस अधिनियम में 'कृषि' में 'उद्यान कार्य' भी आते है।[3] आया कोई भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही है अथवा नहीं यह तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले को परिस्थितियों से सम्बद्ध है। परन्तु कोई भूमि-क्षेत्र केवल इसीलिए 'भूमि' कहलाया जाना बन्द नहीं हो जायगा कि वह वर्ष के कुछ भाग में पानी में डूबा हुआ है और पटवारी के कागजों में उसे तालाब लिख दिया गया है।[4]

उपवन भूमि और चरागाह—उपवन की भूमि तो 'भूमि' है परन्तु 'उपवन धारी' इस परिभाषा में काश्तकार नहीं है। जो भूमि अंशतः चराई के काम आती है परन्तु मुख्यतः ऐसी घास उगाने के जो कि छप्पर पर डाली जाने के लिए अधिक उपयोगी है

१. धारा १०(२)

२. वेबस्टर शब्द कोष

३. धारा ४ (२)

४. सरदार ... द V. रामसरोवे, 1944 R.D. 69

वह चरागाह है।[1] परन्तु बंजड़ आवश्यक रूप से चरागाह नही है यदि उसे इस तरह काम मे नही लिया जाता।[2]

जल मग्न भूमि इसमे प्रयुक्त 'तत्समान अन्य उपज' से स्पष्ट है कि जो वस्तु उगाई जाय वह भूमि मे उत्पन्न हो। मछली पानी में रहती है परन्तु यह भूमि की उपज नही होती। अतः भूमि के जिस भाग मे मछलियां पाली जानी हो वह 'भूमि' नहीं है।[3]

(२५) भूमि जिसमें खुद ने काश्त की हो—से उसके समस्त व्याकरण सम्बन्धी रूपान्तरों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों सहित, अभिप्राय उस भूमि से होगा जो खुद किसी व्यक्ति के निमित्त—

[१] उसके खुद के श्रम से या

[२] उसके कुटुम्ब के सदस्यो के श्रम से, या

+[३] उसकी व्यक्तिगत या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की देखरेख में भाड़े के मजदूरों से अथवा नौकरों से जिन्हे मजूरी नकद में या जिन्स मे दी जानी हो परन्तु फसल के अंश के रूप नही

काश्त की गई हो।

परन्तु ऐसे व्यक्ति की दशा मे जो विधवा हो, या अवयस्क हो, या किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक निर्योग्यता से ग्रस्त हो या भारतीय सेना, नौ सेना, या हवाई सेना का सदस्य हो या जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का विद्यार्थी हो तथा आयु मे पच्चीस वर्ष से कम हो, भूमि, उक्त रूपेण व्यक्तिगत देखरेख के अभाव में भी खुद के निमित्त काश्त की हुई समझी जायेगी।

※ (२५-क) "भू-स्वामी" से अभिप्राय राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड लैण्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स एक्ट, १९६३ (राजस्थान अधिनियम ११ सन् १९६४) की धारा २ के खण्ड (ख) मे यथा परिभाषित भू-सम्पत्ति को, अपनी व्यक्तिगत या निजी सम्पत्तियों के विषय में प्रसंविदा के अनुसार किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित समझौते के अधीन और अनुसार, धारण करने वाले, राजस्थान की प्रसंविदान्तर्गत रियासतों के नरेश से है:

× (२६) "भूमि धारी"—से अभिप्राय, राज्य के किसी भाग मे, उस व्यक्ति से होगा जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो जिसे लगान देय है, या जिसे व्यक्त अथवा गर्भित संविदा के अभाव में, लगान देय होगा और उसमें—

---

१. ललता प्रसाद V. कस्तूरीसिंह 14 R.D. 2:8

२. महादेव VS. सन्तप्रसाद 1948 R.D. 369

३. परमेश्वरसिंह VS. कादेनाथ, ILR. 1950 All. 1215

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रति स्थापित।

※ राजस्थान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट।

× राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६, २ सन् १९५८ एवं ११ सन् १९६४ द्वारा यथा संशोधित।

[१] भू-सम्पत्ति-धारी,

[२] अनुकूल लगान-दर पर अनुदान-ग्रहीता,

[३] उप-पट्टे की दशा में, मुख्य आसामी जिसने भूमि शिकमी-किराये पर उठाई हो अथवा उसका बंधक-ग्रहीता;[∴]

[४] अध्याय ९ तथा १० के प्रयोजनार्थ इजारेदार या ठेकेदार; और

[५] साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति जो श्रेष्ठ धारी (सुपीरियर होल्डर) है, उन व्यक्तियों के प्रसङ्ग में जो भूमि सीधे उससे लेकर या उसके अधीन धारण करते हों;

टिप्पणी

इस परिभाषा की मुख्य बात भूमि को किराये या उप किराये पर देने का अधिकार है।

इसमें अतिक्रामक सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसे दोनों में कोई भी अधिकार नही है।

∴(२६ का) "भूमि विहीन व्यक्ति"—से अभिप्राय एक व्यवसायी कृषक से होगा जो स्वय भूमि में काश्त करता है अथवा जिससे युक्तियुक्त रीति से काश्त करने की आशा की जा सकती है परन्तु जो अपने स्वय के नाम से अथवा अपने संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से भूमि नही धारण करता है अथवा एक अपखण्ड (fragment) रखता है;

÷(२६ खा) "भारत की सेना, नौ-सेना अथवा हवाई सेना सदस्य"— अथवा "यूनियन की सशस्त्र सैन्य बल का सदस्य" में "राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलरी" का सदस्य सम्मिलित होगा;

+(२६ का-का) "मालिक"—से अभिप्राय कोई जमीनदार या बिस्वेदार जो, राजस्थान जमीनदारी एण्ड बिस्वेदारी एबोलीशन एक्ट १९५९ के अन्तर्गत अपनी भू-सम्पत्ति के राज्य सरकार मे निहित हो जाने पर, अपने द्वारा धृत खुद काश्त भूमि का उक्त एक्ट की धारा २९ के अन्तर्गत मालिक हो जाता है;

(२७) "अधिवासित भूमि"—से अभिप्राय ऐसी भूमि से होगा जो किसी आसामी को तत्समय पट्टे पर दी गई हो एव उसके अधिवास मे हो और उसमें खुद-काश्त भूमि सम्मिलित होगी, तथा "अनधिवासित भूमि" से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो अधिवासित नहीं है;

(२८) "गोचर भूमि"—से अभिप्राय ऐसी भूमि से होगा जो गाँव या गावो की मवेशी को चराने के काम में आती हो या जो इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय बन्दोबस्त कागजात मे गोचर भूमि दर्ज हो या तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के अनुसार गोचर-भूमि के रूप मे सुरक्षित रखी गई हो;

टिप्पणी

'गोचर भूमि' का अर्थ क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। इसमें वह भूमि भी सम्मिलित है जो

∴ राजस्थान अधिनियम सख्या ४ सन् १९६० द्वारा निविष्ट

÷ राजस्थान अधिनियम सख्या १२ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट

+ राजस्थान अधिनियम सख्या ३५ सन् १९६० द्वारा निविष्ट

अंशतः चरागाह के काम आती है चाहे उसमें अधिकांशतः ऐसी घास उगती हो जो पशुओं के चारे के काम में आने की अपेक्षा छप्पर बनाने के काम अधिक आती हो।[1]

(२९) "भुगतान" जिसमें उसके व्याकरणीय समस्त रूपान्तर तथा सजातीय अभिव्यक्तियां समाविष्ट हैं, में, जब राजस्व के प्रसंग में प्रयोग किया जाय, "दे देना" जिसमें उसके व्याकरणीय समस्त रूपान्तर तथा सजातीय अभिव्यक्तियां समाविष्ट हैं, सम्मिलित होगा;

(३०) "विहित" से अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के द्वारा विहित से होगा;

(३१) "पंजीयित" से अभिप्राय इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ (सेन्ट्रल एक्ट १६ सन् १९०८) के अन्तर्गत पंजीयित से होगा और उसमें इस अधिनियम की धारा १३ के अन्तर्गत "प्रमाणीकृत" सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा में उन दस्तावेजों की गणना की गई है जिन्हें पंजीकृत कराना अनिवार्य है वरना वे व्यवहार की शहादत के रूप में स्वीकार नहीं हो सकते। इस अधिनियम की धारा १३ में कृषि सम्बन्धी पट्टों का पंजीयन एच्छिक रखा गया है परन्तु उनका 'प्रमाणीकरण' (इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अफसर या व्यक्ति द्वारा) कराया जाना आवश्यक रखा गया है जिसके बिना उन्हें साक्षी में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(३२) "लगान" से अभिप्राय जो भी कुछ भूमि के उपयोग अथवा अधिवास अथवा भूमि में किसी अधिकार के लिये नकद में या जिन्स में अथवा अंशतः नकद और अंशतः जिन्स में देय है, से होगा और जब तक प्रतिकूल आशय प्रकट न हो उसमें 'सायर' सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

लगान वह वस्तु होती है जो लिए या दिए जाने योग्य हो। वह नकदी या जिन्स के रूप में या अंशतः नकदी या जिन्स रूप में दी जा सकती है। भूमि की उपज में अंश की अदायगी अथवा फलों या लकड़ी का अंश देना लगान के उदाहरण हैं।[2] चूंकि सेवायें ली या दी नहीं जा सकती अतः उन्हें किसी प्रकार का लगान नहीं माना जा सकता।[3] 'सायर' लगान होता है जब तक कि अन्यथा नहीं बताया जाय। 'लाग' को लगान नहीं माना जा सकता परन्तु रसूम जमींदारी विशेष रूप से पट्टे में सम्मिलित हो तो 'लगान' होती है।[4] लगान और राजस्व में अन्तर है। लगान सदैव भूमि से सम्बन्धित होता है क्योंकि उसके उपयोग के लिए होता है।[5]

१. महता प्रसाद V.S. कस्तूरी सिंह, 14 R.D. 238
२. बलवीर प्रसाद V.S. भीम सेन, I.R.D. 132
३. मुहम्मद इशाक V.S. मूसा, 1944 R.D 467
४. दुनीचन्द V.S. टल्लू, 1943 R.D. 854
५. राधा मोहनराय का मुकदमा AIR 1941 Calcutta 143

+(३३) × × विलोपित।

(३४) "राजस्व" से अभिप्राय भू-राजस्व से होगा अर्थात् वार्षिक मांग जो भूमि के या भूमि में किसी हित के या भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी लेखे राज्य सरकार को सीधे देय हो और उसमें अभिहस्तांकित भू-राजस्व सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

'राजस्व' की परिभाषा पूर्ण है। उससे तात्पर्य सरकार को सीधी दी जाने वाली वार्षिक मांग है जो भूमि में किसी प्रकार के हित या उपयोग के लिए हो। वह सम्पत्ति पर पहला प्रभार (चार्ज) है।[1]

※(३४-क) "राजस्व अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ (राजस्थान अधिनियम १५, सन् १९५६) की धारा २०-क के अन्तर्गत उक्त प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये अधिकारी से होगा;

(३५) "राजस्व न्यायालय" से अभिप्राय ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से होगा जो कृषि-पट्टेदारियों, लगानों, तथा भूमि सम्बन्धी अन्य मामलों अथवा भूमि में किसी अधिकार या हित, के विषय में ऐसे दावों या अन्य कार्यवाहियों को, जिनमें उक्त न्यायालय या प्राधिकारी से न्यायानुकूल कार्य करना अपेक्षित हो, ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो; उसमें बोर्ड तथा उसका प्रत्येक सदस्य राजस्व अपील प्राधिकारी, कलक्टर, सब डिवीजनल आफिसर, सहायक कलक्टर तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व पदाधिकारी जब कि वह उतरूपेण कार्य कर रहा हो, सम्मिलित होगा;

टिप्पणी

पृथक राजस्व न्यायालय स्थापित करने का उद्देश्य लगान सम्बन्धी मुकदमों की कार्यवाही का संक्षेप रूप बनाए रखना है। जिससे कि लगान वसूली में विलम्ब न हो। यदि तृतीय अनुसूची में वर्णित मुकदमों से राजस्व न्यायालय अपनी अधिकारिता नहीं समझे तो उससे सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती है।[2]

(३६) "राजस्व पदाधिकारी" से अभिप्राय ऐसे पदाधिकारी से होगा जो राजस्व तथा लगान के कार्य में अथवा राजस्व सम्बन्धी रेकार्ड रखने में नियत किया हुआ हो;

टिप्पणी

जागीर कमिश्नर एवं अतिरिक्त जागीर कमिश्नर राजस्व पदाधिकारी नहीं है। (१९६३-आर आर डी. ३१२)।

(३७) "सायर" में वह सब सम्मिलित है जो कुछ पट्टाधारी (लेसी) या अनुज्ञाधारी

१. मन्ना बा V.S. गुलाबसिंह, AIR 1936 All 184

२. सुन्दरलाल VS. करामत हुसैन, 1924 R.D. 529

+ राज० अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

※ राज० अधिनियम संख्या ८ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

(लाइसेंसी) द्वारा, अनधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे— घास, फूस, लकड़ी, ईंधन, फल, लाख, गोंद, लूंग, पाला, पन्नी, सिंघाड़ा या तत्सदृश कोई वस्तु अथवा ऐसा कूड़ा करकट जैसे— भूमि पर बिखरी हुई हड्डियां या गोबर इकट्ठा करने के अधिकार के लिये, अथवा मछली पकड़ने के अधिकार के लिये या वन सम्बन्धी अधिकारों के लिये अथवा कृत्रिम साधनों से सिंचाई के प्रयोजनार्थ पानी का उपयोग के लिये, भुगतान किया जाना हो;

टिप्पणी

१ विषय-सायर की उपरोक्त परिभाषा संपूर्ण न होकर दृष्टांत रूप में है। उपज इकट्ठी करने के लिए दी जाने वाली सायर तथा उपवन-भूमि अथवा चरागाह-भूमि के लिए की जाने वाली अदायगी (भुगतान) का अन्तर समझ लेना चाहिए। परन्तु वर्णी अदायगियां 'लगान' (Rent) होती हैं। पेड़ों की पत्तियां काटने मात्र से ही कृषि-अधिकार स्थापित नहीं हो जाता और आवेदक धारा १८०-बा-का संरक्षण मांग सकता है।[1]

२ सायर और लगान-यदि कोई व्यक्ति उपवन के स्थान पर एक पेड़ इस शर्त पर लगावे कि उसे काटने की सूरत में वह आधी लकड़ी देगा तो वह एक प्रकार का लाइसेंसी होता है और उसका लकड़ी लेने का दावा राजस्व न्यायालय में होगा।[2] उपवन के फल व घास इकट्ठा करने के लिए दी जाने वाली अदायगी (भुगतान) तो सायर होती है परन्तु मकान बनाने के प्रयोजनार्थ दी गई भूमि का लगान सायर नहीं है।[3]

लगान भूमि के उपयोग व अधिवास के लिए किया जाने वाला भुगतान है और सायर अधिवासित भूमि से उपज एकत्रित करने के लिए किया जाने वाला भुगतान है। अतः सायर की परिभाषा का सार यह है कि वह उस भूमि की आय से होने वाला भुगतान है जो उस आय करने वाले व्यक्ति की नहीं है परन्तु भूमि धारी की है।[4] अध्याय १० के प्रयोजनार्थ 'लगान' में सायर सम्मिलित है परन्तु अध्याय ११ के प्रयोजनार्थ नहीं है। लाइसेंसी से सायर वसूली का दावा दीवानी न्यायालय में होगा।[5]

+(३७-क) "अनुसूचित जाति" से अभिप्राय संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश १९५० के भाग १४ के भीतर कोई भी जाति, प्रजाति, या जन जाति से अथवा जातियों या जन जातियों के सदस्यों अथवा तदन्तर्गत समूहों से होगा;

+(३७-ख) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्राय संविधान (अनुसूचित जन-जातियां) आदेश १९५० के भाग १२ के भीतर कोई भी जन-जातियों या जनजाति-समुदायों से अथवा जन-जातियों या जनजाति-समुदायों के भाग से या तदन्तर्गत समूहों से होगा;

1. रिछपाल vs. मोती 1953, R.L.W. (R.S) 3.
2. सबला कुंवर vs. रामसहाय राय, 1935 R.D. 381.
3. अमीर अली vs. सेट्लमेंट बोर्ड बनारस, 1944 R.D. 275.
4. मोइनुद्दीन vs. जगमोहन, 1941 R.D. 585.
5. चकोरी vs. लक्ष्मीदेवी, 1933 R.D. 451.

+ राज० अधि० संख्या २८ सन १९५६ द्वारा निविष्ट।

(३८) "बन्दोबस्त" से अभिप्राय लगान या राजस्व [अथवा दोनों]● के बन्दोबस्त या पुर्नबन्दोबस्त से होगा और उसमें राजस्थान लैण्ड्स् रेवन्यू सेटलमैण्ट एक्ट, १९५३ (राजस्थान एक्ट, १९ सन् १९५३) के अन्तर्गत सरसरी बन्दोबस्त सम्मिलित होगा;

(३९) "राज्य" से अभिप्राय राजस्थान राज्य [जैसा कि स्टेट्स री आर्गेनाइजेशन एक्ट, १९५६ (सेन्ट्रल एक्ट ३७, सन् १९५६) की धारा १० द्वारा गठित है]× से होगा;

(४०) "सब डिवीजनल आफीसर" से अभिप्राय राजस्थान टैरीटोरियल डिवीजन आर्डिनेन्स १९४९ के अथवा तत्समय प्रवृत अन्य किसी कानून के अन्तर्गत एक या अधिक सब-डिवीजनों के प्रभारी सहायक कलक्टर से होगा;

(४१) "शिकमी आसामी" से अभिप्राय [राज्य के किसी भाग में चाहे किसी भी नाम से जाने वाले]× ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि के आसामी से लेकर भूमि धारण करता है और जिसके द्वारा लगान, व्यक्त या गर्भित संविदा के अभाव में, देय है;

टिप्पणी

१. विषय—धारणाधिकार(Tenure)रखने वाले व्यक्ति और उसके अधीनस्थ उप-धारणाधिकार रखने वाले का सम्बन्ध भूमि धारी और आसामी का होता है[1] और ज्योंही प्रकृष्ट हित समाप्त हो जाता है वह सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। एक बार जो व्यक्ति शिकमी आसामी घोषित हो जाता है वह हमेशा वैसा ही बना रहता है। मुख्य आसामी की बेदखली से शिकमी आसामी अपने आप मुख्य आसामी नहीं बन जाता जब तक कि भूमि धारी भूमि का प्रबन्ध उसके साथ न करले।[2]

यदि भूमि धारी अपने आसामी की जोत में से भूमि लेता है तो उसकी स्थिति शिकमी आसामी की हो जाती है परन्तु यदि वह अपने आसामी की सहमति के बिना भूमि पर कब्जा कर लेता है तो वह शिकमी आसामी न होकर प्रतिक्रमी (ट्रेसपासर) हो जाता है।

२. शिकमी आसामी—उप किरायेदारी का तात्पर्य भूमि को किसी शिकमी-आसामी को नियत लगान पर देना है।[3] किसी व्यक्ति को अपना साझीदार बना लेना उप किरायेदारी में नहीं आता।[4]

शब्द 'आसामी' में 'शिकमी आसामी' आता है। अतः एक शिकमी आसामी भी उन सब अधिकारों व देयताओं का हकदार है जिनका कि आसामी स्वयं हकदार होता है। यदि

● राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

× राज० अधि० संख्या २ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

1. प्रफुल्लनाथ vs. सन्तोष कुमार, AIR 1940 P.C. 187.
2. जीवा vs. गजाधरसिंह, 1943 R.D. 428.
3. प्यारेलाल vs. रामसरोहे, 2 R.D. 45०.
4. सूरजशाह vs. दोजी, 1954 R.L.W. (R-S) 7.

किसी शिकमी आसामी को अवैध रूप से बेदखल कर दिया जाता है तो वह भी धारा १८७ अथवा १८७-ख के संरक्षण का हकदार है।

(४२) "तहसीलदार" से अभिप्राय राजस्थान टेरीटोरियल डिवीजन्स आर्डिनेंस १९४९ के अन्तर्गत अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत नियुक्त किये गये तहसीलदार से होगा ;

+(४३) "आसामी" से अभिप्राय उस व्यक्ति से होगा जिसके द्वारा लगान देय है अथवा, किसी व्यक्त या गर्भित संविदा के अभाव में, देय होगा और उसमें, सिवाय उस दशा के जबकि विपरीत आशय प्रकट हो,

(क) आबू क्षेत्र में स्थायी आसामी या संरक्षित आसामी [× × ×]

(ख) अजमेर क्षेत्र में, भूतपूर्व स्थायी आसामी या अधिवासी आसामी या वंश परम्परागत आसामी या अनधिवासी आसामी या भू-स्वामी या काश्तकार,

(ग) सुनेल क्षेत्र में, भूतपूर्व स्वामी आसामी या पक्का आसामी, या साधारण आसामी,

(घ) सह-आसामी,

(ङ) उपवन-धारी,

(च) ग्राम सेवक,

×(च च) किसी भू-स्वामी से धारण करने वाला आसामी,

(छ) खुदकाश्त का आसामी,

(ज) टिनेंसी के अधिकारों का बंधक ग्रहीता, और

(झ) शिकमी आसामी,

सम्मिलित होंगे परन्तु 'अनुकूल लगान-दर पर अनुदान-ग्रहीता' या इजारेदार या ठेकेदार या अतिचारी (trespasser) सम्मिलित नहीं होंगे ;

टिप्पणी

१. विषय—

इसके पूर्व कि कोई व्यक्ति अपने आपको आसामी कहलाने का दावा कर सके उसे यह बात प्रमाणित करनी चाहिए कि वह लगान (Rent) देता है अथवा किसी व्यक्त अथवा अव्यक्त संविदा के अभाव में लगान का भुगतान करेगा।

जहां कोई लगान नहीं दिया जाता वहां आसामी की स्थिति नहीं होती। चूंकि दुटमाई कोई लगान नहीं देता अतएव उसे आसामी नहीं माना जाता।[1] इस परिभाषा में टिनेंसी का बंधकग्राही (Mortgagee of tenancy) सम्मिलित है।

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित एवं ६ सन् १९५८ द्वारा संशोधित

× राजस्थान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट

1. गणेश Vs ईश्वरीसिंह, 1952 R. L. W. (R. S.) 54

जहां किसी व्यक्ति को कभी आसामी की तरह स्वीकार नहीं किया गया, जहां इस विषय में कोई संविदा नहीं हो तो उसे आसामी की भांति दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।[2] कोई व्यक्ति आसामी तभी समझा जा सकता है जब कि उस पर आसामी को लागू होने वाले कानून के सभी प्रावधान बिना किसी अपवाद के लागू होते हों। इसी कारण से एक देव मूर्ति को आसामी नहीं समझा जा सकता।[3] कोई भी कारिन्दा अपने भूमि धारी का आसामी हो सकता है।[4] जो व्यक्ति अपनी सेवाओं के बदले में भूमि धारण करते है वे आसामी होते हैं।[5]

भूमि के उपाधि धारक स्वामियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आसामी बना देने से वे आसामी नहीं माने जा सकते—वह तो एक प्रकार से लगान का अभिहस्तांकन मात्र है।[6]

२. सबूत का भार—

आसामी होने का सबूत देने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि इस बाबत दावा करता है। अधिकार अभिलेख के इन्द्राज आसामी होने की संविदा को साबित करने में बहुत महत्व रखते हैं। परन्तु केवल खसरे के इन्द्राज ही निश्चायक सबूत नहीं माने जा सकते।

संयुक्त परिवार के पक्ष में भी आसामी की हैसियत उत्पन्न की जा सकती है। किसी को आसामी बनाना तो संविदा द्वारा किया जा सकता है और संयुक्त परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा आसामी होने का दावा करने से पूर्व यह साबित होना चाहिए कि भूमि धारी ने सब सदस्यों को भूमि-क्षेत्र में रखने में सहमति दी थी। कोई पुत्र भी परिवार का कर्ता हो सकता है।[7]

TRESPASSER

+(४४) "अतिक्रमी" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि का आधिपत्य, बिना अधिकार प्राप्त किये, ले लेता है या रखता है या भूमि पर अन्य व्यक्ति को जिसे उक्त भूमि यथा विधि पट्टे पर दी गई है, आधिपत्य करने से रोकता है;

+(४५) "ग्राम सेवा अनुदान" से अभिप्राय [राज्य के किसी भाग में चाहे किसी भी नाम से जाने वाले] ऐसे अनुदान से होगा जो ग्राम-समुदाय के लिये या ग्राम प्रशासन के सम्बन्ध में किसी निर्दिष्ट सेवा के बदले में या उसके पारिश्रमिक के रूप में, या तो लगान-मुक्त, या

---

2. गुलाम हुसेन Vs आइनुल हक, 1940 R. D. 158
3. श्री ठाकुरजी महाराज Vs शांति देवी, 1947 R. D. 298
4. जयंती प्रसाद Vs फकीरा, 1949 R. D. 414
5. किशनसिंह Vs पीपला, जोधपुर का मुकदमा फैसला हुआ 24-12-51 को राजस्व बोर्ड से
6. आदित्य नारायणसिंह Vs जगी, 1939 R. D. 3
7. मीरा Vs परता, जयपुर का मुकदमा संवत २००८ का।

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित

अनुकूल लगान दर पर [या अन्य निबंधनों पर] दिया जाय और ऐसे अनुदान का ग्रहीता "ग्राम सेवक" कहलायेगा;

ZAMINDAR

+(४६) "जमींनदार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे, राज्य के किसी भाग में, कोई गांव या किसी गांव का भाग, जमींन्दारी प्रथा के अनुसार बन्दोबस्त में दिया जाय और जो अधिकार अभिलेख (मिसल हकीयत) में जमीनदार के रूप में दर्ज किया जाय और उसमें, सुनेल क्षेत्र के प्रसग में, यदि कोई हो, मध्य भारत जमीनदारी एबोलीशन एक्ट सम्वत २००८ (मध्य भारत एक्ट १३, सन् १९५१) की धारा २ के खण्ड (व) में परिभाषित स्वामी (Proprietor) सम्मिलित होगा;

NALBAT

(४७) "नालबट" से अभिप्राय किसी कुए के स्वामी को, उस कुए की सिंचाई के लिये उपयोग करने के बदले, किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या जिन्स में किये जाने वाले भुगतान से होगा।

६. अधिकार इत्यादि रखने वाले व्यक्तियों में उनके पूर्वाधिकारियों तथा उत्तराधिकारियों का सम्मिलित होना—इस अधिनियम में, उस व्यक्ति के द्योतन हेतु जो भूमि पर कोई अधिकार, स्वत्व या हित रखता है, प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों में, जब तक प्रसग से अन्यथा अपेक्षित न हो, उक्त व्यक्ति के अधिकार, स्वत्व, या हित के विषय में उसके पूर्वाधिकारी तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित समझे जायेंगे;

टिप्पणी

इस धारा ने शब्द 'पूर्वाधिकारियों' और 'उत्तराधिकारियों' के बार बार प्रयोग किए जाने की आवश्यकता नहीं रखी है। अधिकार, स्वत्व या हित भूमि मे सम्बन्धित होने चाहिए। इस धारा में अधिकार, स्वत्व या हित के अभिहस्तांकितो भी सम्मिलित हैं।

७. अधिनियम का राज्य सरकार पर लागू होना—आसामियों द्वारा सीधे राज्य सरकार से लेकर धृत भूमि के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के उपबंध, जब तक कि प्रकटतया अन्यथा विहित न हो, इस भांति लागू होंगे मानो राज्य सरकार तहसीलदार के मार्फत कार्यवाहक भूमिधारी हो।

८. एजेन्ट के मार्फत कार्य करने की शक्ति—(१) सिवाय उसके जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (केन्द्रीय अधिनियम ५, सन् १९०८) में अन्यथा उपबंधित हो, उस संहिता द्वारा शासित कार्यवाहियों के विषय में, कोई बात जो इस अधिनियम के अनुसार भूमिधारी या आसामी द्वारा की जानी अपेक्षित अथवा अनुमत है, विहित रीति से प्राधिकृत उसके एजेन्ट द्वारा की जा सकेगी और विपरीत आशय के साक्ष्य के अभाव में, भूमिधारी तथा आसामी के बीच होने वाले समस्त व्यवहार में, उक्त एजेन्ट अपने स्वामी के प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करते हुए समझा जायेगा।

(२) उक्त एजेन्ट पर तामील की गई आदेशिकाएं तथा उन्हें दिये गये नोटिस समस्त प्रयोजनों के लिये इस भांति प्रभाव युक्त होंगे मानों वे भूमिधारी या आसामी, यथास्थिति, पर

+ राज० अधि० संख्या २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित।

सामील की गई थी या दिये गये थे और किसी एजेन्ट पर आदेशिकाएं सामील किये जाने या उसे नोटिस दिये जाने सम्बन्धी, इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध, उक्त एजेन्ट पर आदेशिकाएं सामील किये जाने या नोटिस दिये जाने के बारे में लागू होंगे।

टिप्पणी

इस धारा में एक भूमि धारी और आसामी को ... अभिकर्ताओं (ऐजेंटों) के द्वारा कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ... अभिकर्ताओं को विहित रीति से नियुक्त किया जाना चाहिए। पिता के जीवन में पुत्र ... बिना समुचित प्राधिकार के आसामी बना लेना अमान्य है। परन्तु संयुक्त परिवार ... कर्ता स्वयं भूमि धारी की स्थिति में होता है न कि केवल भूमि धारी का अभिकर्ता। उसे लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।[1]

अध्याय २

खुदकाश्त

× ६. खुदकाश्त अधिकार—"खुदकाश्त अधिकार" से अभिप्राय उस अधिकार से है जो इस अधिनियम द्वारा तथा [सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा] खुदकाश्त धारियों को प्रदान किया गया है।

टिप्पणी

यह आवश्यक नहीं है कि जमीदार अपने हाथ से ही खेती करे। वह अपने नौकरों अथवा किराये के मजदूरों के द्वारा खेती करवा सकता है; और उसकी भूमि को उसकी खुद काश्त में समझा जायगा। किसी देव मूर्ति का मैनेजर उसका नौकर होता है। अतः एक देव मूर्ति को खुद काश्त के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।[1]

जो व्यक्ति सीधे राज्य से भूमि धारण करता है वह खुदकाश्त का आसामी न होकर "आसामी" की श्रेणी में आता है।[2]

धारा १३ के अनुसार खुदकाश्त करने वाले जागीरदारों की जागीरों का राज्य द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिए जाने पर वे खातेदार आसामी बन जायेंगे।

× १०. उत्तराधिकार और हस्तान्तरण—(१) खुदकाश्त अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो किसी [भू-सम्पत्ति धारी] की भू-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है।

---

1. सुखदेवसिंह Vs मरलू, 1945 R. D. 314

× राज० अधि० २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित एवं परिवर्तित।

1. रामनोनी Vs ठाकुरजी महाराज, 1945 R. D. 405
2. किशनलाल Vs राजस्थान राज्य 1963 R. R. D. 71

(२) खुदकाश्त अधिकार विनिमय या खुदकाश्त के विभाजन अथवा जीवन निर्वाह के प्रयोजनार्थ दान (गिफ्ट, बख़्शीश) में दिये जाने के अतिरिक्त अन्यथा हस्तान्तरणीय नहीं है।

× परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात खुदकाश्त अधिकार के ऐसे हस्तान्तरण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो [आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में] + राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ के पूर्व, इस उप-धारा द्वारा अनुज्ञप्त रीति से अन्यथा विनिमय किया गया हो।

(३) विनिमय की दशा में, प्रत्येक पक्ष को उस भूमि पर जो उसे विनिमय में मिली है वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे उसके द्वारा विनिमय में दी गई भूमि पर प्राप्त थे।

टिप्पणी

अभिव्यक्ति "जो किसी भू-सम्पत्तिधारी की भू-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है" से अभिप्राय उस उत्तराधिकार से है जो कि जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व की जागीर के विषय में था, उदाहरणार्थ भूतपूर्व जोधपुर राज्य में बड़े पुत्र को उत्तराधिकार मिलने के कानून के अनुसार अथवा अन्य रिवाज के अनुसार।

इस अधिनियम की धारा ४० के अनुसार जहां बिना वसीयत मरने वाले दूसरे असामियों के खातेदारी अधिकार उनके व्यक्तिगत कानून के अनुसार मिलते हैं, खुदकाश्त करने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकार इस धारा के अनुसार मिलते हैं। दूसरे शब्दों में खुदकाश्त धारी के मरने पर उसके अधिकारों का अवतरण उन व्यक्ति को होगा जो कि जागीरदार की भूसम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा।

११. खुदकाश्त को किराए पर दिये जाने पर (letting) प्रतिबन्ध—कोई खुदकाश्त सिवाय उसके जैसाकि धारा ४५ व ४६ में उपबन्धित है किराये पर नहीं दी जावेगी।

टिप्पणी

धारा ४५ के अन्तर्गत खुदकाश्तधारी अपनी भूमि को अथवा उसके किसी भाग को एक समय में ५ वर्ष से अधिक अवधि के लिए दूसरों को किराए पर नहीं दे सकता। धारा ४६ के अन्तर्गत खण्ड (क) से (ज) के मामलों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

१२. खुदकाश्त का अवसान—(१) भूमि खुदकाश्त नहीं रहेगी—

[१] भूमिधारी का उत्तराधिकारी न रहने पर, या

[२] धारा १० की उप-धारा (२) का उल्लंघन करते हुए उसका हस्तान्तर किये जाने पर, या

[३] जब कि भूमि धारा ११ का उल्लंघन करते हुए किराये पर दे दी जाय, या

[४] जब कि उसमें खातेदारी अधिकार, खुदकाश्त-धारी ने किन्हीं किसी व्यक्ति को,

---

× राज० अधि० २, सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित एवं परिवर्द्धित

+ राज० अधि० ४६ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत प्रोद्भूत हो जाय, [अथवा]×

×[५] जबकि खुदकाश्त धारी धारा १३ के अन्तर्गत खातेदार आसामी बन जाय।

(२) जब भूमि धारा १० की उप-धारा (२) के उल्लंघन में हस्तान्तरित करदी जाय तो हस्तान्तरिती उस भूमि का खातेदार आसामी बन जायेगा।

टिप्पणी

इस धारा में खुदकाश्त अधिकारों के अवसान का उल्लेख है। जब खुदकाश्त के अधिकारों का अवसान हो जाता है तो भूमि खुदकाश्त भूमि नहीं रह जाती। खुदकाश्त का उत्तराधिकार धारा १० (१) द्वारा शासित है। खुदकाश्त की समाप्ति पर अर्थात् कोई उत्तराधिकारी न रहने पर भूमि सरकार में निहित हो जाती है। एक बार खुदकाश्त के अधिकार समाप्त हो जाने पर वापिस उत्पन्न नहीं हो सकते।

१३. पुनर्ग्रहण अथवा उन्मूलन होने पर खातेदारी अधिकारों का होना—किसी भू-सम्पदा का, सम्पूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण [अथवा उन्मूलन] हो जाने की दशा में, भू-सम्पत्ति-धारी जो खुदकाश्त रखता है, उसका खातेदार आसामी बन जायगा और उन सभी उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा जो इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत खातेदार आसामी पर आरोपित हैं।

ꠂ [परन्तु वह जमींदार अथवा बिस्वेदार जो खुदकाश्त भूमि धारण करता है, राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत उसकी भू-सम्पत्ति का उन्मूलन हो जाने पर, उक्त खुदकाश्त भूमि का मालिक बन जायेगा और इस अधिनियम द्वारा अथवा तदन्तर्गत खातेदार आसामी को प्रदत्त सभी अधिकारों का हकदार एवं आरोपित सभी उत्तरदायित्वों के अधीन, रहेगा।]

टिप्पणी

इस धारा के परन्तुक को परन्तुक का नाम गलत दिया गया है। उसे या तो उप-धारा (२) बनाया जाना चाहिए था अथवा उसके उपबन्धों को मुख्य धारा में ही ठीक तरह से प्रविष्ट करना चाहिए था। यहाँ ध्यान देने की बात केवल यही है कि खुदकाश्त भूमि के पुनर्ग्रहण के पश्चात् खुदकाश्त धारक अपने आप ही खातेदार नहीं बन जाता उसे ऐसा अधिकार मिलने से पूर्व उसे जागीर कमिश्नर को अपनी खुदकाश्त भूमि की सूची देनी होती है और वह यह विकल्प बताना होता है कि वह उसे धारण करने का इरादा रखता है।

बीड़ को चरागाह नहीं मानी जा सकती। जबकि उसे जमाबन्दी में खुदकाश्त के रूप में नहीं दिखाया जावे तो उसे खुदकाश्त भी नहीं माना जा सकता।[1]

× राज॰ अधि॰ २, सन् १९५८ द्वारा यथा परिवर्तित।

ꠂ राज॰ अधि॰ ४६ सन् १९५८ तथा ३५ सन् १९६६ द्वारा यथा संशोधित।

1. स्टेट V. अमरसिंह 1965 RRD 261.

अध्याय ३

आसामियों की श्रेणियाँ +

१४. आसामियों की श्रेणियां—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आसामियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात्—

(क) खातेदार आसामी

÷(कक) मालिक, और

(ख) खुदकाश्त के आसामी और

(ग) गैर खातेदार आसामी

● १५. खातेदार आसामी - (१).˙. धारा १६ तथा धारा १८० की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी (या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ (राजस्थान अधिनियम १५,, सन् १९५६) की धारा १०१ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती] के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट १९५२ (राज० एक्ट ६, सन् १९५२) के, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उप-बन्धों के अनुसरण में भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित करता है, खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [× × ×] इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा ;

परन्तु कोई खातेदारी अधिकार इस धारा के अन्तर्गत ऐसे किसी आसामी को अर्जित नहीं होंगे जिसे गंग कैनाल, भाकरा, चम्बल अथवा जवाई प्रोजेक्ट क्षेत्र या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र में अस्थायी तौर पर भूमि पट्टे पर दी जाय या दे दी गई है।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए, तदन्तर्गत खातेदारी अधिकार ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत नहीं होंगे जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" को अग्रसर करते हुए या किसी विशेष आदेश के अन्तर्गत, या किन्हीं निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, या किन्हीं वैधानिक या गैर वैधानिक नियमों के अनुसरण में,

---

\+ राज० अधि० ४६, सन् १९५८ द्वारा विलुप्त।

÷ राज० अधि० ३५, सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

.˙. राज० अधि० ५, सन् १९५७ द्वारा पुनः संस्थापित।

● धारा १५ में राज० अधि० ६, सन् १९५८, ३३ सन् १९५७, २ सन् १९५८, ५ सन् १९५७ एवं ४६ सन् १९५८ द्वारा संशोधन, परिवर्तन किए गए हैं।

भूमि किराये पर दी गई थी और जिसने, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, उक्त आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति में चूक की हो अथवा उक्त किसी आदेश, शर्त या नियम का भंग किया हो।

(३) उप-धारा (२) में उल्लिखित कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के भीतर, और पश्चात् ऐसा न्यायालय शुल्क भुगतान करने पर, अधिकारिता रखने वाले सहायक कलक्टर को यह घोषणा की जाने की प्रार्थना करते हुए आवेदन कर सकेगा कि उसने अपने द्वारा धारित भूमि में उप-धारा (१) के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये है।

(४) उक्त आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात्:—

(क) कि उसके द्वारा धृत भूमि उसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किराये पर दी गई थी;

(ख) कि उक्त भूमि उसे उप-धारा (२) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के आधार पर नही दी गई थी;

(ग) कि उक्त भूमि जब उसे किराये पर दी गई थी तब वह इन परिस्थितियों से अवगत नहीं कराया गया था;

(घ) कि-उसने, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, कोई चूक या भंग इस प्रकार की जैसी कि उप-धारा (२) में निर्दिष्ट है, नही की थी।

(५) सहायक कलक्टर, उपधारा (३) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाने पर, विहित रीति से जाच करेगा और आवेदक को सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगा तथा, यदि वह आवेदन-पत्र को अस्वीकार नही करता है तो, यह घोषणा करेगा कि आवेदक अपनी भूमि का, उप-धारा (१) के उपबंधो के अनुसरण मे तथा उनके अधीन रहते हुए, खातेदार आसामी हो गया है।

टिप्पणी

धारा १६ व धारा १८० (१) (ख) के साथ पठित इस धारा मे यह बताया गया है कि सिवा उप आसामियों व खुद काश्त के आसामियो के उन सब व्यक्तियो को खातेदारी अधिकार मिल जायेंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को भूमि पर काबिज थे। दूसरे शब्दों मे उपआसामियो एवं खुद काश्त के आसामियों को खातेदारी अधिकार नही मिलेंगे उनको धारा १९ के नीचे आवेदन-पत्र देना पड़ेगा।[1]

'आसामी' शब्द मे केवल वास्तविक आसामी ही सम्मिलित नहीं है, कानूनी रूप से समझे जाने वाले आसामी भी है। ऐसे आसामियों को केवल विधि की समुचित प्रक्रिया द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है। एक खेती न करने वाले आसामी का उपआसामी,

1. मनजीराम V. गंगाराम 1961 R.L.W. (R.S.) 136

आसामी नहीं है और इसलिए उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।[1] जहां यह प्रमाणित हो जाय कि आसामी के अधिकारों का समर्पण कर दिया गया है वहां खातेदारी अधिकार मिलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।[2]

अभिव्यक्ति "जो आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय" की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है परन्तु 'भूमि' 'आसामी' 'लगान' की परिभाषाओं से यह अर्थ निकलता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई भूमि-धारी भूमि लगान पर दे दे और ऐसा करने का प्रयोजन कृषि या उससे सम्बन्धित कार्य हो और इसके लिए वह व्यक्ति भूमि धारी को तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार निर्धारित लगान भूमि को काम में लाने या उस पर काबिज रहने के लिए दे, तो यह कहा जायगा कि उस व्यक्ति को आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया गया है।[3] इसके प्रमाण का भार आसामी पर है। केवल लगान देने से ही आसामी नहीं बन जाता।

खातेदारी अधिकार तभी मिलेंगे जब कि आसामी उस व्यक्ति द्वारा आसामी की हैसियत से स्वीकार किया गया हो जिसे भूमि लगान पर देने का अधिकार हो।[4]

जागीरों के पुनर्ग्रहण से पहले कई जागीरदारों ने अपने सम्बन्धियों को भूमियों के आसामी या मुख्य आसामी बना दिया था परन्तु जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाय कि ऐसे सम्बन्धी स्वयं काश्त करते थे उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। जागीरदारों के प्रार्थंदिती खातेदार नहीं हैं।[5]

❀ १५-क. राजस्थान नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का प्रोद्भूत न होना—(१) इस अधिनियम की [धारा १३ में] या धारा १५ की उप-धारा (१) में या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में, या किसी लीज, पट्टा, या अन्य दस्तावेज में, किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए, राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि, जो चाहे किन्हीं भी निबंन्धनों पर लीज पर दी गई हो, इस अधिनियम की उपरोक्त धारा १५ की उपरोक्त उप-धारा के परन्तुक के अर्थ में अस्थायी रूप से लीज पर दी गई समझी जायेगी और किसी भी उक्त भूमि में, जो उपरोक्त रीति से लीज पर दी गई हो, कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे अथवा कभी प्रोद्भूत हुए नहीं समझे जायेंगे।

परन्तु उप-धारा (१) में कोई बात ऐसे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी अथवा लागू नहीं होगी जिसे खातेदारी अधिकार, राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट १९५४ (राजस्थान एक्ट २७, सन् १९५४) की धारा ७ द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में निर्मित राजस्थान कोलोनाइजेशन

1. रघुवीर V. देवीसिंह, 14 R.S. 77
2. हरनारायण V. राजस्व मंडल, 1966 R.R.D. 31 (c)
3. एम. एम. मनोखान V. राज्य, 1961 R.R.D. 141
4. रामगोपाल V. काशीप्रसाद, 18 R.D. 322
5. रामा v. स्टेट, 1963 R.R.D. 65

❀ राजस्थान अधिनियम २५ सन् १९५८, ४६ सन् १९५८ एवं ७ सन् १९६० द्वारा यथा संशोधित।

(उदयपुर कोलोनी) कमीशन १९५७, या किसी अन्य स्टेट्स ऑफ जागीरात अथवा स्टेट्स ग्रान्टमेन्ट एण्ड सेल आफ गवर्नमेन्ट लैण्ड्स अथवा राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट १९५२ (राजस्थान एक्ट ६, सन् १९५२) के अन्तर्गत, राजस्थान नहर क्षेत्र भूआवंटन के पालन के लिये निर्मित नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रोद्भूत होंगे।

(२) कोई व्यक्ति जो यह दावा करता हो कि वह उप धारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि में खातेदारी अधिकार रखता है तथा उसका उपभोग करता है क्यों कि वह भूमि उसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्थायी रूप से किराये पर दी गई थी, उक्त प्रारम्भ के बाद तीन महीने के भीतर तथा यथोचित तथा पैसा न्यायालय शुल्क अदा करने पर, क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक कलक्टर को, तदनुसार घोषणा की जाने की प्रार्थना करते हुए, आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और इस आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में धारा १५ की उप-धारा (५) के उप-बन्ध लागू होंगे।

+ १५-कक. चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र में खातेदारी अधिकारों का कुछ मामलों में प्रोद्भूत होना —(१) किसी पट्टा, कर-निर्धारण परचा, पट्टा, या अन्य दस्तावेज में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए, चम्बल सिंचाई प्रोजेक्ट क्षेत्र में किसी व्यक्ति को जो कि भूमि धारण करता कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए नहीं समझे जायेंगे।

(२) उप धारा (१) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी अथवा उस पर लागू नहीं होगी जिसे, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहिले से ही, भूतपूर्व कोटा स्टेट, या भूतपूर्व बूंदी स्टेट के किसी (माफवारी) कानूनों के अन्तर्गत वंशानुगत (heritable) तथा हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे अथवा जिसे इस अधिनियम की धारा १३ या धारा १९ के अन्तर्गत, अथवा राजस्थान कोलोनाइजेशन (चम्बल प्रोजेक्ट गवर्नमेंण्ट लैण्ड्स अलॉटमेण्ट एण्ड सेल) रूल्स १९५७ के अन्तर्गत तथा उनके अनुसरण में, अथवा राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट १९५२ (राजस्थान अधिनियम ६, सन् १९५२) या राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम १९५९ (राज० अधिनियम ८, सन् १९५९) के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत तथा तदनुसरण में, खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये हो।

टिप्पणी

इस धारा की उप-धारा (१) में शब्द "खातेदारी अधिकार" के पश्चात् शब्द 'प्रोद्भूत नहीं होंगे' और जोड़ने से ही उसका अभिप्राय स्पष्ट होता है।

मुरतदिल शिकमी आसामी को खातेदार माना गया है।[1]

❀ १५-ख. आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में खातेदार आसामी—प्रत्येक व्यक्ति जो, राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ से पूर्व, आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में शिकमी-आसामी या खुदकाश्त में आसामी को छोड़कर अन्यथा भूमि का आसामी है, उप-धारा (१) के परन्तुक में तथा धारा १५ की उप-धारा (२) से (५)

+ राजस्थान अधिनियम १२ सन् १९६५ द्वारा निविष्ट

1. किशनलाल v. स्टेट, 1953 R. R. D. 72

❀ राज० अधि० २ सन् १९५८ तथा ६ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित।

त्रिक में तथा धारा १५-क में अन्तर्विष्ट उप-बंधों के अधीन रहते हुए, और धारा १६ में तथा धारा १८० की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के भी अधीन रहते हुए, खातेदार आसामी होगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा उस पर आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

परन्तु यदि किसी उक्त व्यक्ति ने, इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त अधिकारों से अधिक कोई मान (स्टेटस) या सम्पत्ति अथवा तदुपरि आरोपित दायित्व से अधिक कोई दायित्व, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, विधिवत् उसे प्रदत्त अधिकार के अनुसरण में, अथवा विधि के अनुसरण में, अर्जित कर लिया हो तो, वह इस अधिनियम में तत्विरुद्ध किसी बात के होते हुए भी, उसरूपेण अर्जित मान (स्टेटस) या सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करता रहेगा और उसरूपेण आरोपित दायित्व के अधीन बना रहेगा।

टिप्पणी

धारा १५-ख. की उप-धारा (१) अधिनियम की धारा १५ के समान है।

+१६. भूमियां जिनमें खातेदार अधिकारी प्रोद्भूत नहीं होंगे—इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में, प्रोद्भूत नहीं होंगे—

[१] गोचर भूमि;

[२] नदी-तल अथवा तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी-कभी कृषि के लिये प्रयुक्त हो;

[३] सिंघाड़ा अथवा तादृश उपज पैदा करने के लिये प्रयुक्त जल-मग्न भूमि;

[४] भूमि जो, बदल बदल कर की जाने वाली कृषि या अस्थायी कृषि के लिये प्रयोग में आती हो;

[५] भूमि जिसमें ऐसे बाग लगे हों जिनका स्वामी सरकार हो तथा जिनकी देखभाल राज्य सरकार द्वारा की जाती हो;

[६] किसी सार्वजनिक अभिप्राय या सार्वजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि;

[७] भूमि जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय या तत्पश्चात किसी समय सैनिक पड़ाव स्थलों के लिये नियत करदी जाय;

[८] किसी छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि;

[९] रेलवे अथवा नहर की सीमा-बंधों के भीतर स्थित भूमि;

[१०] किसी सरकारी वन के सीमा-बंधों के भीतर स्थित भूमि;

+राज० अधि० २ सन् १९५८ तथा २७ सन् १९५७ द्वारा यथा संशोधित।

[११] म्युनिसिपल खाइयों के स्थान,

[१२] शिक्षण संस्थाओं द्वारा कृषि में शिक्षण के लिये तथा खेल के मैदानों के लिये धारित अथवा प्राप्त की गई भूमि,

[१३] सरकार के किसी कृषि फार्म या बाग के फार्म की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि;

[१४] भूमि जो, किसी गांव या आस पास के गांवों के लिये पीने के पानी के जलाशय में या टांके में पानी आने के लिये अलग रखी गई हो या कलक्टर की राय में, तदर्थ आवश्यक है :

परन्तु राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना के द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि ऐसी कोई भूमि जिसमें बदल बदल कर अथवा अस्थायी रूप से कृषि की जाती है उक्त कृषि के लिये उपलब्ध नहीं रहेगी और तदुपरान्त उक्त भूमि खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त उपलब्ध होगी और राज्य सरकार, ऐसी ही अधिसूचना के द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि किसी भूमि में, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय स्थान बदल बदल कर या अस्थायी रूप से कृषि नहीं की जाती थी, उक्त प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय ऐसी तारीख से जो उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, स्थान बदल बदल कर या अस्थायी कृषि के लिये रहेगी तदुपरान्त वह भूमि उक्त कृषि के लिये उपलब्ध होगी।

टिप्पणी

इसकी पिछली धारा और इस अधिनियम की कुछ अन्य धारायें और राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, १९५२ की कुछ धारायें आसामियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करती है। यह धारा एक प्रकार का अपवाद है और इसमें उन भूमियों की सूची दी गई है जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसी भूमि बेची नहीं जा सकती।[1]

+१६. क—खुदकाश्त के आसामी—प्रत्येक व्यक्ति जिसे, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय या तत्पश्चात किसी समय, राज्य के किसी भाग में भू-सम्पत्ति-धारक द्वारा, खुदकाश्त, विधिवत् पट्टे पर दे दी गई हो (letout या दी जाय, उक्त खुदकाश्त का आसामी होगा :—

परन्तु, भू-सम्पत्ति-धारक के अपनी खुदकाश्त का धारा १३ के अधीन खातेदार आसामी बन जाने पर, उक्त खुदकाश्त का आसामी शिकमी-आसामी हो जायेगा जो उक्त खातेदार आसामी के अधीन तथा उससे लेकर भूमि धारण करेगा।

& १७. गैर खातेदार आसामी राज्य के किसी भाग में भूमि का प्रत्येक आसामी, जो

1. काजी समीउल्लाह v. राजस्थान राज्य, 1961 R.L.W. (R.S) 112

+ राज० अधि० २७ सन् १९५६, २ सन् १९५८ व ४६ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित एवं परिवर्द्धित।

& राज० अधि० २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित।

खातेदार आसामी, खुदकाश्त के आसामी या शिकमी आसामी से भिन्न हो, गैर खातेदार आसामी होगा।

× १७-क. मालिक–प्रत्येक जमीनदार या विस्वेदार जिसकी भू-सम्पत्ति राजस्थान जमीनदारी तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित है, उस अधिनियम की धारा २९ के अर्थान्तर्गत, उक्त निहिति (Vesting) की तारीख को उसके अधिवास की खुदकाश्त–भूमि के सम्बन्ध में, मालिक होगा।

+ १८. विलोपित—

अध्याय ३-क ÷

कतिपय शिकमी आसामियों तथा खुदकाश्त के आसामियों को, मुआवजे का भुगतान होने पर, अधिकार प्रदान किया जाना।

१९. कतिपय खुदकाश्त के आसामियों एवं शिकमी आसामियों को अधिकार प्रदान किया जाना—(१) प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय —

(क) तत्समय चालू वार्षिक रजिस्टरों में उपवन-भूमि से भिन्न भूमि के खुदकाश्त के आसामी अथवा शिकमी–आसामी के रूप में दर्ज किया गया था, या

(ख) उक्त रूपेण दर्ज नहीं किया गया था परन्तु उपवन–भूमि से भिन्न भूमि का खुदकाश्त का आसामी या शिकमी आसामी था,

राजस्थान टिनेंसी (संशोधन) अधिनियम १९५९ के प्रारम्भ की तारीख जो कि इस अध्याय मे एतत्पश्चात् नियत तारीख के रूप में उल्लिखित की गई है,से, इस अध्याय मे अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन, उसके द्वारा धृत भूमि के ऐसे भाग का जो कि धारा १८की उप–धारा (१) के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक नहीं है अथवा उक्त धारा की उक्त उप-धारा के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जिस अधिकतम क्षेत्र से बेदखली की जाती है, उससे अधिक है, खातेदार–आसामी हो जायगा और उक्त भूमि के उस भाग में किए हुये सुधारों में भी उसे अधिकार प्रोद्भूत हो जायेंगे;

परन्तु खातेदारी अधिकार अथवा सुधारों में अधिकार उतद्रूपेण प्रोद्भूत नहीं होंगे यदि—

[१] उक्त भूमि का उक्त भाग धारा ४६ में संगणित व्यक्तियों में से किसी से लेकर धारण किया हुआ है, या

× राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट।

+ राज० अधि० २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

÷ राज० अधि० ७ सन् १९५९ द्वारा यह अध्याय निविष्ट किया गया।

[२] उसमे उक्त अधिकार धारा १५ की उपधारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत या धारा १५-क. के अन्तर्गत या धारा १५-ख के अन्तर्गत या धारा १६ के अन्तर्गत, प्रोद्भूत नही होते हों, या

[३] उक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् तथा नियत तारीख से पूर्व, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण मे विधिवत् समर्पण या परित्याग के कारण अथवा उन उपबन्धो के अनुसरण में किसी सक्षम राजस्व न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा या तदन्तर्गत बेदखल कर दिया जाने के कारण, उक्त खुदकाश्त का आसामी या शिकमी-आसामी नही रहा हो।

∴(१-का) उप-धारा (१) के परन्तुक मे अन्तर्विष्ट अपवादों के अधीन रहते हुए, उस उप-धारा मे उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति, राजस्थान टिनेंसी (संशोधन) अधिनियम १९६१ के प्रारम्भ की तारीख, जो इस अध्याय में एतत्पश्चात् 'नियत दिन' के रूप में उल्लिखित है, से, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धो के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धृत भूमि के उस भाग का खातेदार आसामी हो जायगा जिसमे उसने उप-धारा (१) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं किये हैं बशर्ते कि नियत दिन के पहिले, धारा १८० की उप-धारा (१) के खण्ड (क) अथवा खंड (घ) के अन्तर्गत उसे बेदखल किये जाने की कार्यवाही धारा १८३-ग. द्वारा विहित समयावधि के भीतर प्रारम्भ नही की गई हो अथवा कोई उक्त कार्यवाही जो तत्पूर्व प्रारम्भ की गई हो, उस दिन विचाराधीन नही रही हो।

(२) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) मे उल्लिखित प्रत्येक खुदकाश्त-आसामी तथा शिकमी आसामी जो यह दावा करता हो कि उस उप-धारा में वर्णित अधिकार उसे उसके संपूर्ण भूमि-क्षेत्र मे या उसके किसी भाग में "नियत तारीख" को प्रोद्भूत हो चुके थे, उस तारीख से दो वर्ष के भीतर तथा पच्चीस नये पैसे न्यायालय शुल्क भुगतान करने के पश्चात्, उस सहायक कलक्टर को जो अधिकारिता रखता हो, एक आवेदन-पत्र यह घोषणा की जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत करेगा कि उक्त अधिकार उसे ऊपर कहे अनुसार प्रोद्भूत हो गये थे और ऐसे आवेदन-पत्र के विषय मे धारा १५ की उप-धारा (५) के उपबन्ध लागू होंगे तथा उक्त खुदकाश्त-आसामी तथा शिकमी-आसामी तब तक अपनी भूमि या किसी भाग का, जैसी भी सूरत हो, खातेदार आसामी हुआ नहीं माना जायेगा जब तक कि उसने उक्तरूपेण प्रार्थित घोषणा प्राप्त न करली हो।

(३) जिस भूमि में उसे उप-धारा (१) अथवा उप-धारा (१-का) के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भूत हो उसके बारे में—

(क) खुदकाश्त का प्रत्येक आसामी, उस भू-सम्पत्ति-धारक के प्रसङ्ग मे जिसने उक्त खुदकाश्त किराये पर उठाई हो, तथा

(ख) प्रत्येक शिकमी-आसामी—

[१] राज्य सरकार के प्रसग में, यदि उसका मुख्य-आसामी उस भूमि को जो उसने

∴ राज० अधि० १२ सन् १९६१ द्वारा जोड़ा गया।

शिकमी किराये पर उठाई है राज्य सरकार से लेकर धारण करता था, अथवा

(२) भू-सम्पत्ति-धारक के प्रसंग में, यदि उक्त मुख्य-आसामी उक्त भूमि को किसी भू-सम्पत्ति-धारक से लेकर धारण करता था,

"नियत तारीख" से उन सब अधिकारों का हकदार तथा उन समस्त उत्तरदायित्वों के अधीन, होगा जो इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त तथा उस पर आरोपित किये गये है।

(४) प्रत्येक खुदकाश्त-आसामी या शिकमी-आसामी, जिसे उप-धारा (१) अथवा उप-धारा (१-क) के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्‌भूत हो जायें, अपने भूमि-धारी को इस अध्याय के उप-बन्धों के अनुसरण में निश्चित किया गया मुआवजा अदा करने को आबद्ध होगा :

परन्तु, उक्त आसामी या शिकमी-आसामी, 'नियत तारीख' से तीन वर्ष के भीतर, उस सहायक कलक्टर को जो अधिकारिता रखता हो लिखित में यह सूचना दे सकेगा कि वह उक्त मुआवजा अदा करने पर अधिकार अर्जित करना नहीं चाहता है, जिस स्थिति में उसे खातेदारी-अधिकार अर्जित नही होंगे अथवा वह मुआवजा अदा करने के लिए आबद्ध नहीं होगा और यथा पूर्व खुदकाश्त का आसामी या शिकमी-आसामी बना रहेगा।

टिप्पणी

१. उद्देश्य—धारा १६ से ३० उप-आसामियों और खुदकाश्त के आसामियों को खातेदारी अधिकार अर्जित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए रखी गई हैं। इस अधिनियम से पूर्व उनके अधिकार आर. पी. टी. ओ. १९५० द्वारा सुरक्षित थे और उनको किसी भी आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता था। इस धारा के द्वारा उप-आसामियों तथा खुदकाश्त के आसामियों को निहित प्रक्रिया द्वारा खातेदारी अधिकार अथवा मुआवजे में अधिकार का हकदार बनाती है।

२. खुदकाश्त के आसामी अथवा उप आसामी—धारा १६ (क) में खुदकाश्त के आसामी की परिभाषा दी गई है। वैसे धारा ५ (४१) में उप आसामी की परिभाषा भी दी हुई है परन्तु इस धारा में जिस उप आसामी का उल्लेख है उसमे केवल खातेदार आसामी का उप आसामी अभिप्रेत है न कि गैर-खातेदार आसामी का। अतः उनको धारा १६ का लाभ नहीं मिल सकता। खुदकाश्त के दर्ज शुदा उप आसामी को खातेदारी अधिकार केवल धारा १९ के नीचे मिल सकते हैं न कि धारा १५ के नीचे।[1]

३. बंधक महीता (मुर्तहिन)—यह धारा टिनेंसी के बंधक महीता पर लागू नहीं होती। धारा ५ (४३) मे उसे एक आसामी की हैसियत प्रदान की गई है परन्तु ऐसा व्यक्ति कभी खातेदारी अधिकारों का अर्जन नहीं कर सकता—न तो इस धारा के अंतर्गत न धारा १५ के अंतर्गत।

३क. बंधक महीताओं के आसामी—ये दो प्रकार के होते है। पहले तो वे जो मालिकाना हकों के बंधक महीता होते हैं और दूसरे टिनेंसी अधिकारों के। इनमे से

1. उमिया बाई v. चम्पालाल, 1966 R.R.D 109

पहली श्रेणी वालों को धारा १५ के नीचे खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं जब तक कि बंधक की शर्तों में ही इसकी मनाही नहीं हो। दूसरी श्रेणी मे यदि बंधक १५-५-५५ से बाद का है तो खातेदारी अधिकार मिलने का प्रश्न नहीं उठता। प्रथम श्रेणी के बंधक-ग्रहीता स्वयं भी गैर खातेदार कहलाते है अतः उनके आसामी खातेदार नहीं बन सकते।

४. उपधारा १ (i (ii) का उपबंध—इसके अनुसार धारा ४६ मे वर्णित व्यक्तियों की जमीनो मे सुधारों मे खातेदारी अधिकार अर्जित नही होंगे परन्तु यह धारा पूर्वापेक्षी नही है। अतः धारा ४६ मे जिन निर्योग्यताओं का उल्लेख है वे आवेदन पत्र देने को ता रीख को विद्यमान होनी चाहिए।

५. खण्ड (ख) "दर्ज नहीं किया गया"—जब खुदकाश्त के आसामी को या उप-आसामी को वार्षिक रजिस्टरो मे दर्ज नहीं किया जाय तो उसे असिसेंट कलक्टर को प्रार्थना पत्र इस घोषणा के लिए देना चाहिए कि उसे ऐसे अधिकार उत्पन्न हो चुके हैं।

६. मुआवजे का भुगतान—प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान धारा २७ के अनुसार किया जायगा। जब तक यह भुगतान नहीं किया जाता वह खाते पर चार्ज बना रहेगा।

७. खातेदारी अधिकारों का परकीकरण—जिस किसी आसामी या उप-आसामी को खातेदारी अधिकार अथवा सुधारो मे अधिकार प्राप्त होते है वह उन्हें तब तक दूसरों को नहीं दे सकेगा जब तक कि मुआवजे की रकम पूरी नही चुका दी जाय।

८. मुआवजे के लिये दावे—संशोधन के पश्चात् इस धारा की उप-धारा (४) के अनुसार यह आवश्यक है कि खुदकाश्त का आसामी या उप आसामी को इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार मुआवजा देना पड़ेगा। परन्तु ऐसा उप आसामी मुआवजा देकर खातेदारी अधिकार लेने से इनकार भी कर सकता है। उस सूरत मे उसकी अपनी पिछली हैसियत बनी रहेगी।

९. आवेदन कहां दिये जावें—खुदकाश्त के आसामी या उप आसामी खातेदारी अधिकारों या सुधारो में अधिकार अर्जित करने के लिए क्षेत्र के असि० कलेक्टर को आवेदन पत्र देंगे। न्यायालय शुल्क पचीस पैसे लगेगी। अपील रेवेन्यू अपेलेट आथोरिटी को होगी। दूसरी अपील नही होगी परन्तु राजस्व मंडल को पुनरीक्षण (रिवीजन) हो सकेगा।

❀२०. मुआवजे के दावों का पेश किया जाना—❀(१) प्रत्येक व्यक्ति जो अपने द्वारा अपने किसी खुदकाश्त-आसामी या शिकमी-आसामी को उठाई गई भूमि के बारे मे खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने अथवा उक्त भूमि पर विद्यमान सुधारो (कुओं तथा अन्य सिंचाई कार्यों को छोड़कर) मे अधिकार प्रोद्भूत हो जाने के कारण मुआवजे का दावा करता हो, मुआवजे के अपने दावे का एक विस्तृत विवरण सब-डिवीजनल अधिकारी को विहित प्रपत्र मे तथा विहित रीति से प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रत्येक दावा—

❀ राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १९५९ तथा ५ सन् १९६२ द्वारा यथा संशोधित।

[१] जहां ऐसे अधिकार धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रोद्भूत हुए हों, नियत दिन से चार वर्ष के भीतर; तथा

[२] जहां ऐसे अधिकार उस धारा की उप-धारा (२) के अन्तर्गत घोषणा के आधार पर प्रोद्भूत हुए हों, उक्त घोषणा से चार वर्ष के भीतर,

प्रस्तुत किया जावेगा।

(२) तब डिवीजनल अधिकारी, उप-धारा (१) के अन्तर्गत दावे का विवरण प्राप्त होने पर,:—

(क) उसकी एक प्रति सम्बन्धित खुदकाश्त-आसामी अथवा शिकमी-आसामी को देगा और नोटिस के द्वारा उससे दावे के विषय में आपत्ति, यदि कोई हो, नोटिस की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, और

(ख) उसके द्वारा देय मुआवजे की रकम धारा २३, २४, २५ तथा २६ के उपबंधों के अनुसरण में, निश्चित करने की कार्यवाही करेगा।

२१. विलोपित।+

२२. विलोपित।+

×२३. खातेदारी अधिकारों के लिये मुआवजा.—(१) खुदकाश्त-आसामी या शिकमी-आसामी की सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के विषय में धारा १९ के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भूत हो जाने के कारण भूमिधारी को धारा १९ की उप धारा (४) के अन्तर्गत देय मुआवजे की रकम,

(क) उक्त भूमि के या उसके भाग के लिये पिछले बन्दोबस्त में स्वीकृत की गई लगान-दर, जहां कि उस भूमि के सम्बन्ध में लगान निश्चित होगया हो, या

(ख) जहां उक्त भूमि या उसके भाग के सम्बन्ध में लगान निश्चित नहीं हुआ है, पिछले बन्दोबस्त में पास पड़ौस में तत्समान भूमि के लिये निश्चित की गई लगान-दर

की, असिंचित भूमि की दशा में पन्द्रह गुना और सिंचित भूमि की दशा में बीस गुना होगी।

(२) धारा २५ में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस भूमि में जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त भांति से अधिकार प्रोद्भूत हुए हों, स्थित किसी कुएं या अन्य सिंचाई साधन के बारे में अथवा उससे सम्बद्ध अथवा उत्पन्न होने वाली किसी सिंचन-सुविधा के लिए अलग से कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

∴२४. सुधारों में अधिकारों के लिये मुआवजा—(१) जब डिवीजनल अधिकारी किसी सुधार (कुआ या अन्य सिंचाई-साधन को छोड़कर) जो कि भूमिधारी द्वारा अथवा भूमिधारी के खर्चे पर जिसके लिये वह मुआवजे का दावा करता हो, किया गया हो, के मूल्य का निश्चयन

+ राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १९५९ द्वारा विलुप्त।

× उपरोक्त द्वारा संशोधित।

∴ राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १९५९ एवं १२ सन् १९६१ द्वारा यथा संशोधित।

नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखते हुए, करेगा—

(क) उस समय जबकि सुधार किया गया था उस सुधार की लागत,

(ख) उस लाभ की मात्रा जो कि उस भूमि को जिसमें धारा १६ की उप-धारा (१) [या उप-धारा (१-का)] के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए है, आगामी कृषि वर्ष जिसमें कि उक्त निश्चयन किया जाय, से अगले दस वर्ष में पहुँचने की सम्भावना है, और

(ग) ऐसी अन्य बातें जो विहित की जाये।

(२) धारा २५ में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत खुदकाश्त-आसामी या सम्बन्धित शिकमी-आसामी द्वारा भूमि-धारी को, उसके कब्जे की भूमि के उस भाग में अथवा उस भाग से सम्बन्धित जिसमें उसे धारा १९ की उप-धारा (१) [अथवा उप-धारा (१-का)] के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हो, किये गये सुधारों (कुओं अथवा अन्य सिंचाई कामों को छोड़कर) में अधिकारों के लिये देय मुआवजे की रकम, उन सुधारों के मूल्य, जो कि उप-धारा (१) [अथवा उप-धारा (२)] के अन्तर्गत निश्चित किया जाय, का चालीस प्रतिशत होगी।

+२५ नालबट के बदले मुआवजे के अंश की सगणना—(१) जहां ऐसी किसी भूमि में जिसमें खातेदारी अधिकार [धारा १६ के अन्तर्गत] प्रोद्भूत हो चुका हो, और भूमिधारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति उस कुए के सम्बन्ध में नालबट उगाहने का हकदार हो, तब डिवीजनल अधिकारी, भूमिधारी को [उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा २३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत] देय मुआवजे की रकम में से उक्त अन्य व्यक्ति को देय अंश निश्चित करेगा।

(२) उक्त अंश का निश्चयन करने के प्रयोजनार्थ, तब डिवीजनल अधिकारी, नालबट के अधिकार का औसत-मूल्य नीचे लिखी रीति से मालूम करेगा, अर्थात्—

(क) जहां नालबट नगद में वसूल की जा रही है, उसके अधिकार के औसत मूल्य की सगणना उस कृषि वर्ष से जिसमें कि उक्त सगणना की जाय, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान वसूल की गई वार्षिक रकमों की औसत के आधार पर की जायेगी;

(ख) जहां नालबट उपज के अंश के रूप में वसूल की जा रही है; उक्त मूल्य की संगणना उस कृषि-वर्ष से जिसमें कि उक्त सगणना की जाय, ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान तत्सदृश उपज के मूल्यों की औसत के अनुसार उक्त अंश के औसत नकद-मूल्य के आधार पर की जायगी।

(३) नालबट के अधिकार के सम्बन्ध में देय मुआवजा की रकम उपधारा (२) के अन्तर्गत निश्चित की गई उक्त अधिकार के औसत-मूल्य का दस गुना होगी, किन्तु अधिकतम रकम कुए के वर्तमान बाजार-मूल्य का ५० प्रतिशत होगी।

(क) विलोपित +

(ख) विलोपित +

(ग) विलोपित +

+ राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १९५९ द्वारा संशोधित व विलुप्त।

∴(५) धारा २६ के अन्तर्गत देय समस्त मुआवजे की रकम उक्त भूमि तथा उसकी उ पर, तत्सम्बन्धी राजस्व तथा लगान के पश्चात्, प्रभार होगी और खुदकाश्त-आसामी या शिकमी-आसामी जो धारा १६ के अन्तर्गत खुदकाश्त अधिकार या सुधारों में अधिकार प्र करता है, अपनी भूमि या किसी भाग को तब तक अलग नहीं कर सकेगा जब तक कि सम्पू मुआवजे की रकम पूर्णतः चुकाई नहीं दी जाय।

परन्तु उक्त आसामी अथवा शिकमी-आसामी अपनी सम्पूर्ण भूमि को अथवा उसके कि भाग को धारा ४३ के उपबन्धों के अनुसरण में मुख्यतः उक्त मुआवजे के भुगतान के निमित्त, च कोई दूसरा प्रयोजन संयुक्त हो अथवा न हो, परकीकृत कर सकेगा।

२८. विलोपित.∴.

२६. विलोपित.∴.

३०. कुछेक विशिष्ट मामलों में मुआवजे के भुगतान के लिये विशेष उपबन्ध—(१ जहां धारा १९ की उप-धारा (१)÷ या उपधारा (१-क) के अन्तर्गत अधिकारों के प्रोद्‌ होने के पहिले, कोई शिकमी-आसामी उस भूमि को जिसमें उसे उत्तरूपेण अधिकार प्रोद्भूत हो, ऐसे व्यक्ति से लेकर धारण किये हुए था जो—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, धारा १५ के अन्तर्गत, या

(ख) राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १६५७ (राजस्थान अधि नियम २, सन् १६५८) के प्रारम्भ होने पर, धारा १५-ख. के अन्तर्गत खातेदा आसामी बन गया हो, लेकिन जिसे, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, उक्त भूमि का अन्तर करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, मुआवजे की रकम जो धारा २६ के अन्तर्ग निर्धारित की गई हो, उक्त व्यक्ति को तब तक देय नहीं होगी जब तक कि व उसके लिये उप-धारा (२) के अन्तर्गत हकदार न हो जाय।

(२) उप-धारा (१) द्वारा विचारित मामलों में—

(क) भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये मुआवजा उस व्यक्ति को दे होगा जो कि, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व, उस भूमि का अन्तरर करने का अधिकार रखता था, और

(ख) उक्त भूमि से सम्बद्ध सुधारों में अधिकार प्राप्त करने के लिये मुआवजा मुख्यतय उस व्यक्ति को देय होगा जिसने अथवा जिसके खर्चे से वे सुधार किये गये थे।

×[३०-क. बचाव तथा विचाराधीन आवेदन-पत्रों का निपटारा—(१) इस अध्याय की कोई बात, धारा १६ के अन्तर्गत किसी आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में नियत दिन के पूर्व किये गये निर्णय तथा निपटारे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसा प्रत्येक निर्णय इस भांति क्रियाशील

∴. राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १६५९ द्वारा संशोधित व विलुप्त।

÷ राजस्थान अधिनियम संख्या १२ सन् १६६१ द्वारा निविष्ट।

× राजस्थान अधिनियम संख्या ७ सन् १६५९ द्वारा निविष्ट

होगा मानो विधि पूर्ण तथा न्यायानुकूल रीति से किया गया हो।

(२) उक्त तारीख पर विचाराधीन ऐसे समस्त आवेदन-पत्र बिना किसी आज्ञा के अभिलेखागार में भेज दिये जायेंगे।]

अध्याय ३-ख +

अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर प्रतिबन्ध

३०-ख. परिभाषाएँ—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ—

(क) "परिवार" से अभिप्राय एक परिवार से होगा जिसमें पति तथा पत्नि, उनके बच्चे और उन पर आश्रित उनके पौत्र-पौत्रियां और पति की विधवा मां जो उन पर आश्रित हो, और

(ख) "व्यक्ति" मे एक आदमी के प्रसङ्ग मे, उस आदमी का परिवार सम्मिलित होगा।

३०-ग. अधिकतम क्षेत्र का विस्तार—ऐसे परिवार जिसमे पांच या पांच से कम सदस्य हों, का अधिकतम क्षेत्र तीस एकड़ (प्रमाणिक) भूमि होगी :

परन्तु जहां परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक हो, उनके बारे में अधिकतम क्षेत्र प्रत्येक अतिरिक्त (additional) सदस्य के लिये पांच एकड़ (प्रामाणिक) भूमि बढ़ा दिया जायगा, तथापि इस भांति कि अधिकतम-क्षेत्र साठ एकड़ (प्रामाणिक) भूमि से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण—"प्रामाणिक एकड़" से अभिप्राय भूमि के ऐसे क्षेत्र से होगा जो, अपनी उत्पादन-क्षमता, स्थिति, मिट्टी, की किस्म, तथा अन्य विहित विवरणों की दृष्टि से, विहित रीति से ऐसा पाया जाय जिसमें प्रतिवर्ष दस मन गेहूं पैदा होना सम्भव हो, और ऐसी भूमि जिसमें गेहूं पैदा नहीं हो सकता हो, के प्रसङ्ग में, उसकी अन्य सम्भावित उपज, प्रामाणिक एकड़ की संगणना करने के प्रयोजनार्थ, विहित पैमाने के अनुसार निश्चित की जावेगी ताकि वह नकद मूल्य में दस मन गेहूं के बराबर हो सके :

परन्तु प्रामाणिक एकड़ों में अधिकतम-क्षेत्र निश्चित करते समय, बाड़ी भूमि की उपज का नकद-मूल्य उसके बराबर बारानी भूमि की उपज के नकद-मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

३०-घ. धारा ३०-ग. के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्र निश्चित करने के लिये, कतिपय अन्तरणों को न माना जाना—(१) किसी व्यक्ति के प्रसङ्ग में धारा ३०-ग. के अन्तर्गत अधिकतम-क्षेत्र निश्चित करने के प्रयोजनार्थ, उसके द्वारा तारीख २५ फरवरी १९५८ को या तत्पश्चात स्वेच्छा से, अपनी सम्पूर्ण भूमि या किसी भाग का अन्तरण—

[१] विभाजन के रूप में, अथवा

+ यह अध्याय राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६० द्वारा निविष्ट किया गया।

[२] ऐसे व्यक्ति, जो उक्त तारीख के पूर्व भूमि हीन-व्यक्ति था एवं अन्तरण की तारीख तक भूमिहीन-व्यक्ति बना रहा, के पक्ष मे, न होकर अन्यथा हो ऐसा अन्तरण समझा जायेगा जिसका अभिप्राय इस अधिनियम के उपबन्धो को विफल करना हो, और उसको न तो माना जायगा न ध्यान मे रखा जायगा; और यह सिद्ध करने का भार कि कोई अन्तरण खण्ड [१] के अन्तर्गत या खण्ड [२] के अन्तर्गत आता है, अन्तरणकर्त्ता पर होगा .

परन्तु यदि ऐसे किसी अन्तरण के रूप मे जैसा कि खण्ड [२] मे वर्णित है, हस्तान्तरिती के लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि उसे अन्तरित करदी गई है तो उक्त अधिक-भूमि का उत्तरपेण किया गया अन्तरण इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ न तो माना जायगा न ध्यान मे रखा जायगा।

परन्तु यह और है कि ऐसा कोई अन्तरण जैसा कि खण्ड [२] मे वर्णित है यदि तारीख ६ दिसम्बर १९५९ के पश्चात् किया गया है तो उसे न तो माना जायेगा न ध्यान मे रखा जायेगा।

(२) प्रत्येक ऐसा अन्तरण जैसा कि उप-धारा (१) मे वर्णित है, इस अधिनियम मे अथवा तत्समय सम्पूर्ण राज्य मे या उसके किसी भाग मे प्रवृत्त किसी अन्य कानून मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के विरुद्ध, ऐसी किसी भूमि के विषय मे जो उक्त अन्तरण की विषय-वस्तु हो तथा धारा ३०-ड० के अन्तर्गत राज्य सरकार को आती हो, प्रभावशील नही होगा।

(३) उप-धारा (२) मे अन्तर्विष्ट उपबन्ध के होने हुए भी, उसमे उल्लिखित भूमि का हस्तान्तरिती, उक्त भूमि के अन्तरण-कर्ता से वह प्रतिफल-स्वरूप रुपया यदि कोई हो जो उसने उक्त भूमि के निमित्त दिया हो, वापिस लेने का हकदार होगा और उसकी रकम राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा ३०-छ के अन्तर्गत दिये मुआवजे पर प्रभार होगी।

(४) इस धारा की कोई बात, क्रमशः खुदकाश्त-भूमि या आसामी की भूमि अथवा दोनों मे से किसी के भाग के वैध रुप मे किराये पर या शिकमी-किराये पर दिये जाने पर लागू नही होगी।

३०-ञ. अधिकतम-क्षेत्र जो धारण किया जा सकता है तथा भावी अवाप्तियो पर प्रतिबंध—(१) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून मे कोई बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचित तारीख से:—

(क) उसके लिये अनुमत-अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि किसी भी हैसियत से तथा किसी भी धारणाधिकार के अन्तर्गत, चाहे किसी भी प्रकार का हो, धारण किये हुए नही रहेगा अथवा कब्जे मे नही रखेगा, या

(ख) ऐसी भूमि जो उसके लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र मे वृद्धि करे, क्रय, दान (गिफ्ट), बंधक, अभिहस्तांकन, पट्टा (लीज) समर्पण अथवा या अन्यथा या अवतरण (devolution) अथवा वसीयत (beguest) से प्राप्त नही करेगा

परन्तु राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रो के सबंध में इस प्रकार भिन्न भिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेगी।

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त तारीख को, अपने लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि पर कब्जा रखता है या तत्पश्चात् उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत अवाप्ति (acquisition) से किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करता है, उक्त कब्जे या अवाप्ति की यथा स्थिति, राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और उक्त अधिक भूमि को समर्पण करेगा तथा जिस तहसीलदार की स्थानीय सीमाओं में वह भूमि स्थित हो उसको सुपुर्द कर देगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि एक से अधिक तहसीलों में धारण अथवा अवाप्त किये हुए हो तो उसे यह चुनने का विकल्प प्राप्त होगा कि उसके द्वारा भिन्न भिन्न तहसीलों में पृथ कौन कौन भूमिया समर्पित की जानी चाहिए ताकि उसके पास उतनी भूमि तक ही रहे जितनी उसे अनुमत है :

परन्तु यह शर्त और है कि पूर्वोक्त उपबंधो द्वारा अनुमत समर्पण इस परिसीमा के अधीन होगा कि जहां वह व्यक्ति जो इस उप-धारा के अन्तर्गत अधिक भूमि समर्पण करे ऐसी भूमिया धारण किये हुए है जिनमें से कुछ अधिभारित (encumbered) तथा कुछ अनधिभारित (not-encumbered) हैं तो, यथा शक्य, अभारित भूमिया, भारित भूमियो की अपेक्षा, पहिले समर्पण की जायेंगी।

(३) कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर रिपोर्ट करने अथवा समर्पण करने में जैसा कि उप-धारा (२) द्वारा अपेक्षित है, विफल रहता है वह, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा।

(४) ऐसा व्यक्ति जो अपने लिये अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि को अपने कब्जे में बनाये रखता है, बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले और उक्त दोष सिद्धि तथा जुर्माने के साथ, अति क्रमी (trespasser) माना जायगा जिसे धारा १८३ की उप-धारा [१] के खण्ड (क) के अनुसरण में उक्त अधिक भूमि से बेदखल किया जा सकेगा तथा जो शास्ति देने का जिम्मेदार होगा :

परन्तु वे भूमिया जिनसे कोई व्यक्ति उक्त रीत्या बेदखल किया जायगा यथाशक्य अभारित भूमियां होंगी।

(५) ऐसी समस्त भूमियां जो उप-धारा (२) के अन्तर्गत समर्पण के जरिये अथवा उपधारा (४) के अन्तर्गत बेदखली के जरिये राज्य सरकार को मिलें वे राज्य सरकार में पूर्णतः अभारित दशा में निहित होंगी।

३०-चा. धारा ३०-ङ. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों का आवंटनः—धारा ३०-ङ. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली समस्त भूमियां तहसीलदार द्वारा, सब डिवीजनल आफिसर के आदेशाधीन, धारण की जायेंगी तथा, धारा १५ की उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ३०-आ. के उपबंधों के अधीन, भूमिहीन तथा अन्य व्यक्तियों को, चाहे विहित पैमाने पर भुगतान किया जाय अथवा नहीं, राज्य सरकार द्वारा इस बारे में बनाये गये नियमों में बताई गई रीति से और अन्यथा उनके अनुसरण में, किराये पर दी जायेंगी।

३०-छ. धारा ३०-ङ. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों के लिये एवं उनमें किये हुए सुधारों में अधिकारों के लिये मुआवजाः—(१) राज्य सरकार उन सब भूमियों के लिये जो उसमें

धारा ३०-डा. के अन्तर्गत विहित हों, उन्हें समर्पित करने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिये उत्तरदायी होगी।

(२) उक्त प्रत्येक व्यक्ति, उक्त निहिति के समय अथवा तत्पश्चात् किसी समय, सब डिवीजनल आफिसर को मुआवजे के लिये अपने दावे का सविस्तार विवरण-पत्र विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से प्रस्तुत करेगा।

(३) मुआवजे की रकम सब डिवीजनल आफिसर द्वारा, धारा २३, २४, २५ तथा २६ में बताई गई रीति से तथा उसमें वर्णित सिद्धान्तों के अनुसरण में, निश्चित की जायगी।

परन्तु धारा २३ की उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुआवजे की दर नीचे लिखे अनुसार होगा:—

(क) धारा ३०-डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि में से प्रथम २५ एकड़ भूमि के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का तीस गुना,

(ख) उक्त भूमि में से अगली २५ एकड़ भूमि के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का पच्चीस गुना, तथा

(ग) उक्त भूमि के अवशिष्ट भाग के संबंध में स्वीकृत की गई लगान-दर का बीस गुना :

परन्तु जहां ऐसी भूमि के संबंध में लगान निश्चित नहीं किया गया हो, उसके लिये स्वीकृत लगान-दर वह मानी जायगी जो पिछले बन्दोबस्त में निकटस्थ तत्समान भूमि के लिये स्वीकृत की गई हो।

(४) इस प्रकार निश्चित की गई मुआवजे की रकम, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में वर्णित रीति के अनुसार, धारा ३० डा. की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अपनी भूमि समर्पण करने वाले, अथवा उस धारा की उप-धारा (४) के अन्तर्गत अपनी भूमि से बेदखल किये गये व्यक्ति तथा उसके आसामियों, यदि कोई हो, के बीच में विभाजित की जायगी।

(५) अध्याय ३-का. में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अन्तर्गत निश्चित मुआवजे की रकम नकद में, या बॉन्डों के रूप में, या अंशतः नकद तथा अंशतः बॉन्डों में, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाकर निश्चित करे, भुगतान-योग्य होगी और धारा २७ की उप-धारा (१), (२) तथा (४) के एवं धारा ३० के उपबंध मुआवजे के भुगतान के संबंध में लागू होंगे।

३०-जा धारा ३० डा के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर भार (encumbrance) संबंधी उपबंध:—(१) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धृत भूमियों पर कोई भार विद्यमान हो, धारा ३० डा. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली समस्त भूमियों के संबंध में धारा ३०-छा. के अन्तर्गत भुगतान योग्य सम्पूर्ण मुआवजे की रकम नीचे लिखे अनुसार उपयोग में लाई जावेगी, अर्थात्—

प्रथमतः, उन भूमियों के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में बाकी निकल रही समस्त बकायाओं का भुगतान करने में;

द्वितीयतः, धारा ३०-ड. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर विद्यमान समस्त भारों को हटाने में;

तृतीयतः, ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमियों पर, इसके लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र के मद्दे विद्यमान भारों को हटाने में, और

चतुर्थतः, अवशिष्ट रकम, यदि कोई हो, उक्त व्यक्ति को दे दी जायेगी।

(२) यदि, उक्त, व्यक्ति द्वारा अपनी भूमियों पर आरोपित भारों की सम्पूर्ण रकम, उसे धारा ३०-छ. के अन्तर्गत भुगतान-योग्य मुआवजे की रकम से अधिक हो तो,

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा रखी गई भूमियों पर विद्यमान भार उन्हीं भूमियों से सम्बद्ध बने रहेंगे, और

(ख) धारा ३०-ड. के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमियों पर विद्यमान भारों के ऐसे भाग जो मुआवजे की रकम में से न चुकाये जा सकें, भार-हक-धारी (encumbrance holder) द्वारा उक्त व्यक्ति की अन्य सम्पत्ति से वसूल किये जा सकेंगे।

३०-झ. सामान्य प्रकार के अपवाद—(१) धारा ३०-ड. की उप-धारा (१) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति पर,

[१] जो, उपर्युक्त धारा की उपर्युक्त उप-धारा के अधीन अधिसूचित तारीख पर, अपने लिये अनुमत अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि धारण नहीं करता है, या

[२] जो, उक्त तारीख के पश्चात्, उक्त अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि को एक बार राज्य सरकार को समर्पित कर देता है या अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि से राज्य सरकार द्वारा बेदखल कर दिया जाता है और अधिकतम-क्षेत्र की सीमा तक भूमि अपने कब्जे में रखता है, यद्यपि तत्पश्चात् धृत अथवा रखी गई भूमि यथा स्थिति, की उपज-क्षमता भविष्य में उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त तारीख के बाद में किये गये अथवा उसके खर्चे पर किये गये सुधारों के परिणामस्वरूप बढ़ जाती है,

लागू नहीं होगी।

(२) यदि धारा ३०-ड. की उप-धारा (१) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में उसके लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक भूमि एक अपखण्ड (fragment) मात्र रह जाती है तो, सब डिवीजनल आफिसर उस उप खण्ड को धारण करने वाले व्यक्ति को उसे अपने कब्जे में तब तक रखे रहने की अनुमति दे सकेगा जब तक कि उक्त अप खण्ड, किसी ऐसे सहवर्ती भूमि-क्षेत्र के एकीकरण के प्रयोजनार्थ उपयोग में न लाया जा सके जो कि उक्त भूमि क्षेत्र के लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से आकार में छोटा हो।

३०-ञ.—(१) धारा ३०-ड. में अन्तर्विष्ट कोई बात—

(क) उद्यान, जो संहती तथा सघन क्षेत्र बनाते हों,

(ख) गन्ने के फार्म जो शुगर फैक्टरियों द्वारा काम में लिये जाते हैं,

(ग) सहकारी कृषि-फार्म जिनका प्रबन्ध दक्षतापूर्वक किया जा रहा हो, बशर्ते कि ऐसे किसी फार्म या फार्मों में किसी सदस्य का हिस्सा उसके लिये अनुमत अधिकतम-क्षेत्र से अधिक नही होगा,

(घ) दक्षतापूर्वक प्रबन्धित विशिष्टीकृत (Specialized) अन्य फार्म जो विहित रीति से, ढोर-अभिजनन, घोड़ा-अभिजनन, भेड़-अभिजनन, ऊन-उत्पादन, तथा दुग्ध-शालाओं, के लिये रजिस्टर्ड किये हुए हो, +

(ङ) अन्य दक्षतापूर्वक प्रबन्धित फार्म जो यकचके (compact) क्षेत्र हैं तथा जिन्हें विभाजित करने से उपज मे कमी होने की सम्भावना है, + और

+(च) किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा गोशाला द्वारा धारित, उसमें निहित, उससे सम्बद्ध या उसके प्रबधाधीन भूमि या भूमि क्षेत्र,

पर लागू नही होगी।

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे किसी फार्म या उप-वन जो किसी भी प्रकार तारीख १ मई १९५९ को या तत्पश्चात अवाप्त (acquired) किया गया हो, में समाविष्ट किसी भूमि पर लागू नहीं होगी।

परन्तु यह शर्त और है कि किसी उप-वन या फार्म पर इस उप-धारा के लागू होने के विषय में कोई झगड़ा हो जाने की दशा मे, उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ;

परन्तु शर्त यह भी है कि इस उप-धारा के खण्ड (ख) मे अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे गन्ने के फार्म मे समाविष्ट किसी भूमि पर लागू नही होगी जिसमें राजस्थान टिनेंसी (संशोधन) अधिनियम १९६० के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती पाच वर्षों तक लगातार गन्ने की खेती नही की गई हो।

स्पष्टीकरण—पद "दक्षतापूर्वक प्रबन्धित" जो इस उप-धारा मे फार्म के प्रसग मे प्रयुक्त हुआ है, से अभिप्राय विहित रीति से प्रबन्धित उक्त फार्म से होगा।

(२) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र मे अधिसूचना के जरिये, किसी व्यक्ति, भूमि या भूमि-क्षेत्र (holding) को अथवा व्यक्तियो, भूमियो या भूमि क्षेत्रो के किसी वर्ग को धारा ३०-ड़. की क्रियान्विति से छूट दे सकेगी यदि वह यह समझे कि क्रियान्विति की संक्लिष्ट अथवा विशिष्टीकृत प्रकृति की दृष्टि से, या जहा औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी कार्य मिश्रित अभियान के रूप मे हाथ मे लिये जायं अथवा किन्ही अन्य युक्तिसंगत कारणो से, उक्त छूट (exemption) आवश्यक है।

+ राज० अधि० २ सन् १९६८ द्वारा जोड़ा गया।

अध्याय ३-गा.+

आसामियों के प्राथमिक अधिकार

३१. रहने के मकान का अधिकार—(१)⊛आसामी, ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये जाये, उस गांव की आबादी में जिसमें, वह भूमि धारण करता है, बिना किसी मूल्य के अपने रहने के लिये मकान के लिये स्थान का अधिकारी होगा।

परन्तु यदि वह एक से अधिक गांवों में भूमि धारण करता है तो वह उनमें से कोई एक गांव पसन्द कर सकता है जिसमें वह इस रियायत का लाभ उठाना चाहे तथा उसे इस रियायत का लाभ एक से अधिक गांवों में उठाने का हक नहीं होगा :

परन्तु यह शर्त और है कि यदि उसके पास रहने का कोई मकान नहीं है तो वह एक आवेदन-पत्र तहसीलदार को देगा, जिसमें वह रहने के मकान के लिये जगह आवंटन करने की प्रार्थना करेगा।

स्पष्टीकरण—रहने के मकान में, मवेशी के लिये बाड़ा या छप्पर तथा बीज, भूसा (चारा) एवं कृषि के औजार रखने का स्थान और जलाशय या टांका बनाने के लिये भी स्थान, सम्मिलित होगा।

(२) जैसा ऊपर कहा गया है उसके अधीन रहते हुए और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ (राजस्थान अधिनियम १९, १९६१ की धारा ९५, ९६, ९७, ९८ तथा १०२ में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए, भी कोई कृषिक-कर्मकार या दस्तकार, जो किसी गांव की आबादी में दस वर्ष या अधिक से स्थायी तौर पर रह रहा हो, को भी उस गांव की आबादी में रहने के लिये मकान का स्थान, बिना किसी मूल्य के अपने कब्जे में रखने का अधिकार प्राप्त होगा और उपधारा (१) के दूसरे परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—उपधारा (२) के प्रयोजनार्थ—

(क) "कृषिक कर्मकार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होगा जो आसामी नहीं है परन्तु अपने निवास के गांव की सीमाओं में स्थित किसी आसामी के खेत या खेतों में मजदूर के रूप में काम करता है, और

(ख) "दस्तकार" में लुहार, खाती, मोची, कुम्हार, तथा बुनकर सम्मिलित होंगे।

टिप्पणी

(१) विषय—रहने के लिए मकान का अधिकार स्थायी अधिकार है और टिनेंसी के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। धारा १९८ के अंतर्गत आसामी अपने निवास के मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। उस अधिकार को हस्तान्तरित (मुंतकिल) किया जा सकता है और यह उत्तराधिकार के योग्य है।

+ राजस्थान अधिनियम ४ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

⊛ राज० अधि० १२ सन् १९६१ द्वारा पुनः संस्थापित।

(२) प्रक्रिया—आवेदन-पत्र तहसीलदार को दिए जायंगे और अनुसूची ३ के भाग २ के मद ३८ के नीचे होंगे। इस अधिनियम के लागू होने के समय चालू मामले इसी धारा के अनुसार फैसल होंगे।[1] न्याय शुल्क २५ पैसे का लगेगा। मियाद कुछ नहीं है। अपील कलक्टर को होगी। दूसरी अपील नहीं हो सकेगी। अपील में दी गई कलक्टर की आज्ञा का पुनरीक्षण राजस्व मण्डल में होगा।

३२. लिखितपट्टे (लीज) तथा उसकी दूसरी पड़त का अधिकार—(१) प्रत्येक आसामी अपने भूमि-धारी से, इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत, विहित प्रपत्र में तथा विहित विवरण सहित, लिखित पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा।

(२) ऐसा पट्टा जैसा कि उप-धारा (१) में वर्णित है आसामी को दे देने या भेज देने के पश्चात्, भूमिधारी आसामी से पट्टे की दूसरी पड़त प्राप्त करने का हकदार होगा।

(३) यदि पट्टा या दूसरी पड़त उस व्यक्ति को न मिले जो उसे इस धारा के अन्तर्गत प्राप्त करने का हकदार है तो वह ऐसा पट्टा या दूसरी पड़त यथास्थिति की प्राप्ति के लिये दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

(१) विषय—यह धारा पुराने और नये आसामियों पर लागू होती है। अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता को अपने परिवार के हित में अपनी भूमि लीज (पट्टे) पर देने का अधिकार है।[2] भूमि क्षेत्र पर उप आसामी या अतिक्रमणकारी के होते हुए भी उसका पट्टा दिया जा सकता।[3] केवल आसामी ही लिखित लीज के लिए दावा कर सकता है—अन्य कोई नहीं।

(२) प्रक्रिया—उस धारा के नीचे दावे असिस्टेंट कलक्टर के यहां होंगे। ५० पैसे न्यायालय शुल्क के लगेंगे। मियाद कुछ नहीं है। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व मंडल को होगी—पुनरीक्षण नहीं होगा।

३३. पट्टों (लीजों) का, रजिस्ट्रेशन के स्थान पर प्रमाणीकरण—(१) इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ (सेन्ट्रल एक्ट १६, सन् १९०८) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पट्टे के पक्षकार, पट्टे की रजिस्ट्री कराने के स्थान पर उसे ऐसे अधिकारी अथवा व्यक्ति से प्रमाणीकृत करा सकेंगे जो कि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय।

(२) ऐसा अधिकारी या व्यक्ति, ऐसी जांच जैसी कि विहित की जाय, करने के पश्चात्, पट्टे (लीज) के दस्तावेज को विहित रीति से प्रमाणीकृत कर सकेगा—

परन्तु ऐसा कोई विलेख (instrument) प्रमाणीकरण के निमित्त ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि वह निष्पादन से चार महीने के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो :

1. दयालसिंह v. मनफूल, 1918 R.R.D. 73.
2. नाथूराम v. सालिगराम, 1938 A.W.R. 87.
3. कल्लन v. अहू, 1941 R.D. 1187.

परन्तु यह शर्त और है कि इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात राज्य सरकार द्वारा तथी ओर से मजूर किये गये पट्टों (लीजों) के विषय में लागू नही होगी;

(३) उक्तरूपेण प्रमाणीकृत विलेख इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट १९०८ (सेण्ट्रल एक्ट १६, ९०८) के अर्न्तागत रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

टिप्पणी

(१) विषय—इस धारा के अन्तर्गत पट्टों (Lease) को रजिस्ट्री कराना वैकल्पिक ग है परन्तु यदि पट्टे को न तो रजिस्ट्री कराई जाये और न प्रमाणीकरण तो उसे में ग्रहण नहीं किया जा सकता अलबत्ता उन्हें प्रासंगिक प्रयोजनों (Collateral ise) के लिए स्वीकार किया जा सकता है।[1]

(२) रजिस्ट्री नहीं कराने का प्रभाव—न्यायालय में पेश किए गए राजीनामे की ो कराने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि उसका समावेश न्यायालय की आज्ञा में ।[2] यदि राजीनामे के मामले से असम्बन्धित नए अधिकार उत्पन्न हो जाये तो आवश्यक है।[3]

(३) पट्टों (Lease) पर स्टाम्प—राजस्थान स्टाम्प लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट १९५२ ूची २ के मद ३५ द्वारा कृषि सम्बन्धी पट्टों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया

(४) प्रक्रिया—पट्टों के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन-पत्र अनुसूची ३ के भाग २ ८ का. से शासित होंगे और ऐसे अधिकारी के पास पेश होंगे जिसे सरकार नियुक्त याद तकमील की तारीख से ४ महीने की है और न्यायालय शुल्क २५पैसे है। राज- रेंसी (गवर्नमेंट) रूल्स १९५५ के नियम २० के अन्तर्गत राज्य सरकार ने प्रत्येक यायालय एवं जो इन्सपेक्टर लैंड रेकर्ड के नीचे न हो ऐसे राजस्व अधिकारी से ाधिकार में किए गए पट्टों के प्रमाणीकरण के लिए अधिकारी नियुक्त किया है।

४. नजराने अथवा बेगार का प्रतिषेध- कोई भूमि-धारी, इस अधिनियम के किन्हीं ों के अधीन रहते हुए, पट्टा मजूर करने के लिये कोई नजराना नही लेगा अथवा ो कोई सेवा, मजूरी पर अथवा अन्यथा भूमिधारी के प्रति करने के लिये उत्तरदायी ा और ऐसी कोई शर्त तत्विपरीत किसी कानून या प्रथा के होते हुए भी, शून्य

परन्तु, इस धारा की कोई बात, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ (राज. १५, सन् १९५६) की धारा १०० या धारा १०१ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के

---

[1] बगेदार v. सरदार अली, 10 Bom. 1146
[2] विश्वेश्वरी v. गंगासहाय, 20 All. 171
[3] बमलसिंगा v. शिवमंगल, 5 R.D. 339.
[4] राजस्थान अधिनियम संख्या ४६ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

अनुसरण में किसी व्यक्ति को आवंटित की गई भूमि के मूल्य की वसूली करने में + + [अथवा इस अधिनियम की धारा १०-घा. के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अपेक्षित भुगतान की वसूली करने में, बाधक नहीं होगी ।]

३५. लगान से भिन्न भुगतान का प्रतिषेध—किसी विपरीत प्रथा अथवा संविदा के होते हुए भी, कोई भुगतान चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो या विदित हो, भूमि-क्षेत्र (holding) के लगान ×[या विधि द्वारा आरोपित] अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रभार के सिवाय, आसामी पर नहीं लगाया जायगा अथवा उससे वसूल नहीं किया जायगा ।

३६. सामग्री का उपयोग—इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आसामी को अपने भूमि-क्षेत्र अथवा रहने के मकान के सबंध में, अपने भूमि-क्षेत्र पर उसकी सतह के नीचे दबे हुए अथवा सुधार करने [redacted] लिये खुदवाई करते समय पाये हुए, पत्थरों या अन्य सामग्री को ले जाने तथा उपयोग में लाने का अधिकार प्राप्त होगा ।

÷[परन्तु इस अधिकार का आसामियों द्वारा प्रयोग किया जाना, राज्य सरकार द्वारा इस बारे में बनाये गये नियमों के जरिये नियमित किया जा सकेगा ।]

३६-का. नालबट में अधिकार की अवाप्ति-∴. (१) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से अथवा आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ (राजस्थान अधिनियम २, सन् १९५८) के प्रारम्भ के पूर्व से, किसी भूमि जिसमें कुआ संलग्न हो, का खातेदार आसामी रहा हो अथवा उक्त प्रारम्भ के पश्चात् धारा १५ या धारा १५ खा. के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार अवाप्त कर लेता है और उक्त कुए के संबंध में नालबट वसूल करने का अधिकार भूमि-धारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति में निहित हो तो, उक्त प्रथमतः वर्णित व्यक्ति सबडिवीजनल आफिसर को, विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से एक आवेदन-पत्र उक्त अधिकार की अवाप्ति के लिये, राजस्थान टिनेंसी (संशोधन) अधिनियम १९५६ के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु सब डिवीजनल आफिसर इस धारा के अन्तर्गत उक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किये हुए आवेदन-पत्र को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका इस विषय में समाधान हो जाय कि आवेदक के पास एक दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं ।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सब डिवीजनल आफिसर उस व्यक्ति को जिसमें नालबट वसूल करने का अधिकार उक्तरूपेण निहित है एक नोटिस देगा

+ + राजस्थान अधिनियम संख्या ४ सन् १९६० द्वारा निविष्ट ।

× राजस्थान अधिनियम संख्या ४६ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट

÷ राज० अधि० ८ सन् १९६५ द्वारा जोड़ा गया ।

∴ राज० अधि० ७ सन् १९२६ द्वारा जोड़ा गया ।

जिसके जरिये उसे सूचित किया जायेगा कि यदि वह आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करना चाहता है तो नोटिस की प्राप्ति से ३० तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करे।

(३) चाहे आवेदन-पत्र का प्रतिवाद किया जाय या न किया जाय, ऐसे व्यक्ति सब-डिवीजनल आफिसर को एक विस्तृत विवरण-पत्र, विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से नालवट के अधिकार के मद्दे मुआवजे के अपने दावे के बारे में प्रस्तुत करेगा।

(४) यदि भूमिधारी आवेदन-पत्र का प्रतिवाद करता है तो सबडिवीजनल आफिसर, ऐसी जांच जैसी वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात्, उप-धारा (५) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए आवेदन-पत्र को या तो अस्वीकृत करेगा या स्वीकृत करेगा।

(५) यदि सब-डिवीजनल आफिसर आवेदन-पत्र स्वीकृत करता है तो वह उक्त अवाप्ति के लिये देय मुआवजे की रकम, धारा २५ के उपबंधों के अनुसरण में, निश्चित करेगा और धारा २७ तथा धारा ३० के उपबंध उक्त मुआवजे के बारे में लागू होंगे तथा उसके भुगतान को शासित करेंगे।

(६) इस धारा की कोई बात धारा २९ के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र जो राजस्थान टिनेंसी (संशोधन) अधिनियम १९५९ के प्रारम्भ के पहिले प्रस्तुत किया गया हो, के सम्बन्ध में दिये जाने वाले निर्णय पर तथा उसके निपटारे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसा प्रत्येक निर्णय इस प्रकार प्रभावशील होगा मानो विध्यनुकूल तथा वैधरूप में दिया गया हो।

(७) समस्त ऐसे आवेदन-पत्र जो उक्त प्रारम्भ के समय विचाराधीन हों, इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हुए समझे जायेंगे और उनके सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा उन तीसरे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए है जिन्होंने ऐसी भूमि में या उससे संलग्न कुओं में रकम लगा दी है जिसमें कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आसामी खातेदार आसामी हैं अथवा जिसे धारा १५ के नीचे खातेदारी अधिकार अर्जित हो जायें। धारा १९ से २८ के उपबन्ध उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो नालवट लेने के हकदार हैं।

२. प्रक्रिया—नालवट में अधिकार प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर सब डिविजनल आफिसर को आवेदन पत्र देना होगा। उक्त प्रक्रिया धारा २० के अनुसार होगी। भूमि धारी कुओं के कारण मुआवजा लेने का हकदार नहीं है।

१७. न्यायालय की प्रक्रिया से जब्ती, कुर्की तथा विक्रय पर रोक—भूमि-क्षेत्र में आसामी के अधिकार किसी सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से जब्त, कुर्क अथवा विक्रीत नहीं किये जा सकेंगे।

टिप्पणी

१. विषय – जागीरदार की खातेदारी की भूमि की कुर्की नहीं हो सकती। इसमें

कुर्क की जा सकती हैं और उन्हें बेचा भी जा सकता है।[1] जहां सिविल न्यायालय से डिक्री धारा ८९ C.P.C. के नीचे कलक्टर को हस्तान्तरित हो जाय और उसकी इजराय में कलक्टर कृषि सम्पत्ति बेच दे तो वह बेचान राजस्व कार्यवाही के सिलसिले में की गई समझी जायगी न कि सिविल कार्यवाही में।[2] जहां दिवाले की कार्यवाहियों में रिसिवर मुकर्रर हो जाय तो उसे कृषि उपज एवं अन्य लाभों को कुर्क कराने का अधिकार है। केवल टिनेंसी अधिकार ही कुर्की से मुक्त हैं।[3]

अध्याय ४

अवतरण, अन्तरण, विनिमय तथा विभाजन

सामान्य

३८. आसामियों का हित—आसामी का अपने भूमि-क्षेत्र में हित, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में विहित है, दाय-योग्य (विरासतीय) है किन्तु अन्तरणीय नहीं है।

टिप्पणी

आसामी का अपने भूमि क्षेत्र में हित विरासत (उत्तराधिकार) के योग्य तो है परन्तु इस अधिनियम में बताए गए अनुसार के अतिरिक्त अन्तरणीय (मुंतकिल किए जाने योग्य) नहीं है। इस विषय में धारा ४२ व ४३ का प्रावधान ध्यान में रखने योग्य है। धारा ४२ में बेचान और बख्शीश पर रोक का प्रावधान है और धारा ४३ में बंधक (रहन) पर। धारा ४४ व ४५ में जमीन किस्तों पर देने का प्रावधान है।

आसामी-अधिकारों का अवतरण

३९. वसीयत—खातेदार आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में अपने हित को या हिस्सा को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अंतिमेच्छा-पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है।

टिप्पणी

१. विषय—पुरातन हिन्दू धर्म शास्त्र में हिन्दुओं के लिए वसीयत (उत्तरदान) का प्रावधान नहीं था परन्तु अब ऐसा प्रावधान निश्चयात्मक रूप से समाविष्ट हो चुका है।

२. वसीयतनामा कौन कर सकता है—प्रत्येक हिन्दू जिसका मस्तिष्क ठीक हो और जो अ-वयस्क नहीं हो वसीयत कर सकता है। वसीयत किसके पक्ष में की जाय

---

1. रोशनलाल, V. मनोहरसिंह, 1938 R.L.W. 337
2. शंकरलाल V. शंकरलाल, 1960 R.L.W. 456
3. मनतमल V. कन्हैयालाल, 1266 R.D. 162

इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जो उत्तराधिकार के अयोग्य है उसके पक्ष में भी वसीयत हो सकती है।[1]

३. वसीयत का प्रारूप—इसके लिए कोई प्रारूप (फार्म) विहित नहीं है केवल उसमें मृत व्यक्ति की वसीयत विषयक इच्छा प्रकट हो जानी चाहिए।

४. खुदकाश्तधारी—इनको भी वसीयत का उतना ही अधिकार है जितना अन्य खातेदार आसामियों को।

५. रजिस्ट्रेशन—इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, १६०८ की धारा १८ (ह) के अंतर्गत वसीयतनामा की रजिस्ट्री वैकल्पिक है और धारा १७ केवल गैर वसीयती लिखतों पर ही लागू होती है।[2]

६. सबूत का भार—मौखिक वसीयत को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उसे पेश करता है।[3]

४०. आसामियों का उत्तराधिकार—जब आसामी अन्तिमेच्छा-पत्र छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके भूमि-क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होंगे जिसके कि वह अपनी मृत्यु के समय अधीन था।

टिप्पणी

१. धारा का उद्देश्य—इस अधिनियम के पूर्व राजस्थान में विभिन्न रियासतों के कानून उत्तराधिकार के मामलों में आसामियों के व्यक्तिगत कानूनों को रूपान्तरित करते थे। इस धारा के कारण सारे राजस्थान में आसामी की मृत्यु के समय उस पर लागू होने वाला व्यक्तिगत कानून उसकी टिनेंसी के अधिकारों के अवतरण पर लागू हो जायगा। उदाहरणार्थ जयपुर स्टेट टिनेंसी एक्ट १६४५ की धारा १७ व १८ तथा मारवाड़ टिनेंसी एक्ट १६४६ की धारा १४ व १५ में आसामियों के उत्तराधिकार का पुनर्निर्धारित क्रम प्राविहित कर दिया गया था। अब इस अधिनियम की इस धारा से वह क्रम समाप्त हो गया और आसामी पर उसकी मृत्यु के समय जो व्यक्तिगत कानून लागू हो उसी के अनुसार उसके कृषि सम्बन्धी टिनेंसी अधिकारों का अवतरण होगा। इस अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व जो आसामी मर गए उनके अधिकारों का अवतरण सम्बन्धित रियासतों के तद्विषयक कानूनों द्वारा होगा।

२. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १६५६ का प्रभाव—राजस्थान राजस्व बोर्ड के पूरी बेंच के निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां कृषि सम्बंधी टिनेंसी अधिकारों के अवतरण के विषय में कोई स्थानीय कानून नहीं हो वहां हिन्दू आसामियों के उत्तराधिकार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १६५६ लागू

1. कुन्दन नारायण v कृष्णा, 1864 Marshall 357
2. मुरलीदास v. हरिदास, A.I.R. 1921 Nagpur 34
3. मैनदराव v. नामदेव, A.I.R. 1931 P.C. 285

होगा।[1] इसी निर्णय को बाद के एक अन्य निर्णय में स्वीकार किया जाकर यह निर्धारित किया गया कि कृषि सम्बन्धी टिनेंसी के अन्तरण के मामलों में हिन्दू उत्तराधिकार नियम लागू होगा।[2]

आसामी–अधिकारों का अन्तरण

४१. खातेदार के हित की अन्तरणता—धारा ४२ तथा धारा ४३ में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन खातेदार आसामी का हित, उप-पट्टे (सब लीज) से भिन्न अन्य रीति से अन्तरणीय, होगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि धारा ४२ तथा ४३ में बताई गई शर्तों के अधीन खातेदार आसामी का हित अन्तरणीय तो होगा परन्तु वह उप-पट्टे के द्वारा अन्तरित (मुंतकिल) नहीं किया जा सकेगा। यह धारा केवल खातेदार आसामियों तक ही सीमित है।

२. अवैध अन्तरणों का प्रभाव—बिना विधिमान्य अन्तरण सम्पादित किए कोई आसामी अपना हित नहीं खो सकता। यदि अन्तरण (मुंतकिली) अवैध है तो कब्जा अन्तरिती के पास चला जाने पर भी भूमि क्षेत्र में उसका अधिकार बना रहेगा और उसका कब्जा अन्तरिती (मुतकिल इलेह) की ओर से समझा जायगा। अवैध तरीके से मुंतकिल करके वह लगान अदायगी के दायित्व से नहीं बच सकता।[3]

× [४२. बिक्री, दान (गिफ्ट) तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध—खातेदार आसामी द्वारा अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हित की बिक्री, दान (गिफ्ट) या वसीयत, शून्य होगी यदि—

(क) बिक्री, दान या वसीयत सर्वे नम्बर की नहीं है, सिवाय उस दशा के जब कि उक्त रूपेण बेचे गये, दान किये गये, या वसीयत किये गये सर्वे नम्बर का क्षेत्रफल, धारा ५३ की उप-धारा (१) के प्रयोजनार्थ विहित न्यूनतम-क्षेत्र से अधिक हो, किन्तु उस दशा में भी अन-अन्तरित क्षेत्र अपखण्ड (फ्रेगमेण्ट) नहीं होगा :

परन्तु यदि उक्त रूपेण अन्तरित क्षेत्र किसी सस्पर्शी सर्वे नम्बर में विलीनीकृत हो जाता है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा :

परन्तु यह शर्त और है कि यदि बिक्री, दान, या वसीयत, सर्वे नम्बर में आसामी के सम्पूर्ण हित की है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा,

(ख) उक्त बिक्री, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के

---

1. भोरा v/s गणेश, 1966 R. R. D 71
2. भगवान सहाय v/s रामनिवास, 1966 R. R. D. 371
3. इनाम चौधरी v/s शीतलचन्द्र, A.I.R. 1932 Patna 330

× धारा ४२ राज० अधि० १२, सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित की गई।

पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नही हो, अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष मे की गई हो जो अनुसूचित जनजाति का नही हो;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो धारा १५ की उप-धारा (१) के परन्तुक में उल्लिखित प्रोजेक्ट क्षेत्रों में या धारा १५-क मे वर्णित राजस्थान नहर क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहिले ही खातेदारी अधिकारों का उपभोग कर रहा हो और उस व्यक्ति द्वारा बिक्री अथवा दान के जरिये राजस्थान टिनेंसी (संशोधन) १९६० राजस्थान (अध्यादेश २ सन् १९६०) के प्रारम्भ के बाद किया गया कोई अन्तरण शून्य तथा निष्प्रभावी होगा।]

टिप्पणी

1. विषय—कोई खातेदार अपना भूमि क्षेत्र किसी व्यक्ति को बेचान या बख्शीश द्वारा अन्तरित कर सकता है, परन्तु जहां कोई व्यक्ति पहले से ही इतनी भूमि पर कब्जा किए हुए हो जो उस पर लागू होने वाली उच्चतम सीमा (सीलिंग) से अधिक हो तो वह बिना राज्य सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा के बेचान अथवा बख्शीश द्वारा अधिक भूमि नही ले सकता। यह धारा केवल खातेदार आसामियों तक ही सीमित है। शब्द 'भूमि और 'भूमि मे हित' समानार्थी है।[1]

२. अधिनियम लागू होने से पूर्व के बेचान व अन्तरण—राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतों के टिनेंसी कानूनों मे भी खातेदार आसामियों द्वारा जमीन के विक्रय पर प्रतिबंध थे, उदाहरणार्थ मारवाड़ टिनेंसी एक्ट की धारा ११ मे। ऐसे प्रावधानों के विरुद्ध जमीन लेने वालों को इस अधिनियम की धारा १५ व १९ का लाभ नही मिल सकेगा।

३. बिना रजिस्ट्री का विक्रय पत्र—यदि बेचान और सब प्रकार से ठीक है और अंतरिती का कब्जा हो जाय तो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा ५३-क के कारण रजिस्ट्री न कराने से ही विक्रय पत्र अवैध नही हो जायगा। बिना रजिस्ट्री का विक्रय पत्र अन्तरण (इन्तकाल) की किस्म को साबित के लिए साक्ष्य मे ग्रहण करने योग्य है।[2]

४३. बन्धक—(१) खातेदार आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र अथवा उसके भाग मे अपने अधिकारों को भोगबन्धक के रूप मे ऐसी अवधि जो दस वर्ष से अधिक न हो, के लिये अन्तरित कर सकता है :

+ परन्तु कोई खातेदार आसामी, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है, अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र अथवा उसके भाग में अपने अधिकारों को उपरोक्त किसी ऐसे व्यक्ति को अन्तरित नही करेगा जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का सदस्य न हो।

÷ (२) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहिले अथवा उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध

---

1. फतहसिंह vs/ मोती, 1964 R. R. D. 301
2. बरदनमल्ली v/s गिरधारीसिंह 1955 R. L. W. 472

+ राज० अधि० २८ सन् १९५६, व ५ सन् १९५७ द्वारा जोड़ा गया व संशोधित किया गया।
÷ राज० अधि० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

के अनुसरण में किया गया, किसी भूमि का भोगबंधक-बंधक विलेख में वर्णित अवधि की, या उसके निष्पादन की तारीख से बीस वर्ष की दोनों में जो भी कम हो, समाप्ति होने पर, बंधक-कर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किये बिना सम्पूर्ण रूप से भरपाई किया हुआ समझा जायेगा तथा बन्धक-विलेख तदनुसार अवसायित हुआ समझा जायेगा और बन्धक ग्रस्त भूमि मुक्त कर दी जायेगी और उसका कब्जा, समस्त अधिभारों (encumbrances) से मुक्त स्थिति में, बन्धककर्त्ता को दे दिया जायेगा।

× (३) यदि बंधक-ग्रहीता बंधक-ग्रस्त भूमि को उक्तरूपेण वापिस नहीं देता है तो वह अतिक्रमी समझा जायेगा और धारा १८३ की उप-धारा (१) के अनुसरण में बेदखल किया जा सकेगा।

.'.(४) [वह व्यक्तिθ जिसे धारा १९ के अन्तर्गत अधिकार प्रोद्भूत हो गये हैं राज्य सरकार या भूमि बंधक बैंक, सहकारी संस्था, या अन्य कोई संस्था जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिसूचित की गई हो, से, ऋण लेने के प्रयोजनार्थ अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग मे अपने अधिकारों को साधारण बंधक के रूप मे गिरवी रख सकता है।]

卐(५) विलोपित

≐(६) खातेदार आसामी भी अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग मे अपने अधिकारो को, राजस्थान सेन्ट्रल लैण्ड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव लेण्ड मॉर्गेज बैंक या कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९५३ (राजस्थान एक्ट ४, सन् १९५३) के अन्तर्गत तद्रूप में रजिस्टर्ड हो या तद्रूप में रजिस्टर्ड मानी गई हो, से ऋण लेने के प्रयोजनार्थ साधारण बंधक के रूप मे अन्तरित कर सकता है।

(७) उप-धारा (६) के अन्तर्गत किये गये, समस्त बंधक राजस्थान को-ऑपरेटिव लैण्ड मॉर्गेज बैंक एक्ट १९५६ के उपबंधो के द्वारा नियमित तथा शासित किये जायेंगे।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में खातेदार आसामी को अपने पूरे भूमि क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में अपने अधिकारों को भोग बन्धक के रूप में (रहन-बिल-कब्ज) किसी बन्धकग्रहीता (मुर्तहिन) को अधिक से अधिक १० वर्ष की अवधि के लिए अन्तरित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे जो बन्धक इस अधिनियम से पूर्व किए गए थे वे उनके सम्पादन की तारीख से २० वर्षों बाद समाप्त समझे जायेंगे।[१] इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यह अवधि १० वर्ष की कर दी गई है जिसके बाद भूमि-क्षेत्र खातेदार आसामी को बिना किसी अधिभार (encumbrances) के मिल जायगी। यदि

× राज० अधि० सख्या ८ सन् १९६५ द्वारा संशोधित।

.'.राज० अधि० सख्या २७ सन् १९५६ निविष्ट।

θ राज० अधि० सख्या ७ सन् १९५९ प्रतिस्थापित।

卐 उपरोक्त द्वारा विलुप्त।

≐राज० अधिनियम संख्या ३८ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

बन्धकग्रहीता इस अवधि के बाद भी अपना कब्जा बनाये रखे तो वह अतिक्रमी समझा जायगा और धारा १८३ के नीचे उसे बेदखल किया जा सकेगा। यह धारा खुदकाश्त धारकों पर भी लागू है जिनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हों।

२— भोग बन्धक (रहन बिल कब्ज)—इसकी परिभाषा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ की धारा ५८ (घ) में दी गई है। इस प्रकार के बन्धक की मुख्य विशेषता यह है कि बन्धक ग्रहीता अपनी रकम का दावा नहीं कर सकता। वह केवल अपनी रकम व ब्याज की वसूली तक सम्पत्ति पर कब्जा बनाए रख सकता है।[1] इस अधिनियम में ऐसे कब्जे की अवधि १० वर्ष की करदी गई है।

३— बंधक ग्रहीता की हैसियत—बन्धक ग्रहीता की हैसियत धारा ५ (४३) के अर्थान्तर्गत आसामी की है। भोग बन्धक ग्रहीता भी आसामी के सभी अधिकारों का उपभोग करता है। यदि उसे उस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध बेदखल कर दिया जाता है तो धारा १८७ के उपबन्ध लागू होंगे और उसे कब्जा वापिस दिलाया जा सकेगा।[2] बन्धक ग्रहीता को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।[3] उसे कतिपय प्रयोजनों के लिए ही आसामी समझा गया है।

४— बंधक मोचन (फकुल रहन) का दावा—हाईकोर्ट[4] व राजस्व बोर्ड[5] के निर्णयों के अनुसार ऐसे दावे राजस्व न्यायालय (असि० कलक्टर) में होंगे और तृतीय अनुसूची भाग १ के मद ३५ के नीचे पेश होंगे।

+४३-का. अधिनियम के लागू होने से पूर्व किये गये कृषि-भूमि के बन्धकों के सम्बन्ध में उपबन्ध—(१) धारा ४३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी आसामी के भूमि क्षेत्र के बंधक-भोग-बंधक से भिन्न-और ऐसे बंधक के पक्षकारों के अधिकार एवं देयतायें, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके निबंधनों से तथा उक्त प्रारम्भ से प्रचलित तत्सम्बन्धी कानून से शासित होती रहेंगी।

(२) ऐसा कोई अधिकार या देयता (liability), अधिकारिता युक्त सहायक कलक्टर के न्यायालय में नियत अवधि, यदि कोई हो, के भीतर, परिवेदित व्यक्ति द्वारा, विहित न्यायालय-शुल्क देने पर, दायर किये गये वाद के जरिये प्रभावशील कराया जा सकता है।

टिप्पणी

बन्धकों से सम्बन्धित दावे केवल राजस्व न्यायालयों में होंगे चाहे बन्धक उस अधि-

1. सुमेरमल राजमल v. रामचन्द्र, 1965 R.R.D. 258.
1. आत्माचरण v. मरजन, A.I.R. 1928 Lahore 355.
2. बलदेव v. भैरुलाल, 1954 R.L.W. (R.S.) 47.
3. माजीराम v. गंगाराम, 1961 R.L.W. (R.S.) 36.
4. श्रीचन्द v. दौलतराम, 1952 R.L.W. 495.
5. कजोड़ीमल v. अमरा, 1953 R.L.W. (R.S.) 20.

+ राजस्थान अधिनियम संख्या ५ सन् १९५७ द्वारा निविष्ट एवं १२ सन् १९६१ और २ सन् १९५८ द्वारा संशोधित।

नियम से पहले किए गए हों या बाद में। विधान सभा का अभिप्राय सिविल न्यायालयों की अधिकारिता (Jurisdiction) पर रोक लगाना ही था।[1]

४४. काश्त या शिकमी-काश्त(Sub-letting) के लिये देने का अधिकार-खुदकाश्त-धारी काश्त के लिये तथा आसामी शिकमी-काश्त के लिये, अपने सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग को, ऐसे प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जो कि इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित हैं, दे सकता है :

परन्तु उक्त रूपेण शिकमी-काश्त पर देने से आसामी अपने भूमि-धारी के प्रति अपनी देयताओं से किसी भी भांति मुक्त नहीं हो जायगा।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में खुदकाश्त धारको को अपना भूमि-क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग केवल किराये पर (काश्त के लिए) देने का अधिकार दिया गया है क्योंकि जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् जागीरदार केवल खुदकाश्त की जमीन का खातेदार आसामी रह जाता है।

२— उपबन्ध—शिकमी काश्त पर देने के बाद भी आसामी सम्बन्धित भूमि क्षेत्र का लगान भूमि धारक को देने का दायी है। यदि वह कोई ऐसा काम करता है जिसके कारण उसे बेदखल किया जा सके तो उसका भूमि क्षेत्र जब्त किया जा सकता है[2]

४५. काश्त तथा शिकमी काश्त के लिये देने पर प्रतिबन्ध—(१) कोई खुदकाश्त-धारी +[या भू-स्वामी] काश्त पर और कोई खातेदार आसामी अथवा उसका बंधक-ग्रहीता शिकमी-काश्त पर अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र को या उसके किसी भाग को, किसी एक समय पर पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं देगा।

(२) जहां कोई पट्टा (लीज) या शिकमी-पट्टा (सब लीज) किसी भी अवधि के लिये उप-धारा (१) के अन्तर्गत एक बार मंजूर कर दिया गया हो तो, उसी भूमि के सम्बन्ध में, कोई अग्रेतर पट्टा या शिकमी-पट्टा, यथास्थिति, प्रथमतः वर्णित पट्टे या शिकमी-पट्टे की समाप्ति के पश्चात् दो वर्ष के भीतर नहीं दिया जायगा।

(३) कोई गैर-खातेदार आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये शिकमी-काश्त के लिये नहीं देगा।

(४) कोई शिकमी-आसामी या खुदकाश्त का आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को, धारा ४६ में वर्णित परिस्थितियों के सिवाय अन्यथा शिकमी-काश्त पर नहीं देगा।

टिप्पणी

१— विषय—इस धारा में आसामियों द्वारा अपनी भूमि शिकमी-काश्त (Sub-

1. सेमा V. पीथा, 1965 R.R.D. 56.
2. देखिये धारा 177.

+राज० अधि० ११ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट।

letting) पर उठाने और खुदकाश्त धारकों द्वारा अपनी भूमि किसी अन्य को कास्त पर उठाने (Letting) पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

२— भूमि धारक को शिकमी कास्त—कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र को अपने ही भूमि धारक को शिकमी-कास्त पर दे सकता है परन्तु उस पर भी इस धारा द्वारा वर्णित प्रतिबन्ध लागू होंगे।[1]

३— बंधकग्रहीता द्वारा शिकमी कास्त पर देना—किसी टिनेंसी का बन्धक ग्रहीता आसामी की ही हैसियत रखता है अतः उस पर भी आसामी अथवा खुदकाश्त धारक पर लगने वाले प्रतिबन्ध लागू होते हैं।[2]

४— उप-धारा (४)—आसामी के पास अन्तरण के योग्य अधिकार नहीं होते अतः धारा ४६ में बताई गई सूरतों के बह किसी दूसरे को आसामी बना नहीं सकता।[3]

४६. अपवाद स्थिति में भूमि का कास्त पर या शिकमी-कास्त पर दिया जाना—(१) धारा ४५ से, खुदकाश्त-धारी + या भू-स्वामी द्वारा कास्त पर दिये जाने तथा आसामी द्वारा शिकमी-कास्त पर दिये जाने पर अधिरोपित प्रतिबन्ध—

(क) अवयस्क, या
(ख) पागल, या
(ग) मूर्ख, या
(घ) ऐसी स्त्री जो, अविवाहिता है या जिससे विवाह विच्छेद कर दिया गया है या जो पति से पृथक करदी गई है या विधवा है, या
(ङ) ऐसा व्यक्ति जो, नेत्र हीनता या अन्य शारीरिक निर्योग्यता या अशक्ति के कारण अपनी भूमि में कृषि करने से असमर्थ है, या
(च) ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना का सदस्य है, या
(छ) ऐसा व्यक्ति जो कारागृह में अवरुद्ध या बन्दी है, या
(ज) ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु २५ वर्ष से अधिक नहीं है तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी है ;

पर लागू नहीं होंगे ;

परन्तु जहां किसी भूमि को एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से धारण किये हुए हों उस दशा में इस धारा के उपबन्ध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक वे सब व्यक्ति इसमें निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार के न हों।

(२) कोई पट्टा या शिकमी-पट्टा जो उप-धारा (१) के उपबन्धों की अनुपस्थिति में अमान्य होता, पट्टाधारी की मृत्यु हो जाने या उसके तदन्तर्गत निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी के

1. मन्साराम धनी v. अमरसिंह, 7 R,D. 446.
2. अमराम v. देवीप्रसाद, 1942 R.D. 312.
3. शंकरलाल v. श्रीकृष्ण, 1965 R.R.D. 326.
+ राज० अधि० संख्या ११ सन् १६५८ द्वारा निविष्ट

अन्तर्गत न रहने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक अवधि के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा ।

टिप्पणी

१— विषय—पिछली धारा में शिकमी-काश्त पर भूमि देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए है। यह धारा कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को उनसे मुक्त करती है। इसके अनुसार इसमें वर्णित व्यक्तियों द्वारा दी गई शिकमी-काश्त सम्बन्धित आसामी (जिसने शिकमी-काश्त पर जमीन दी है) के मर जाने अथवा जिस निर्योग्यता के कारण शिकमी काश्त पर दी गई उसके हट जाने के बाद दो वर्ष से अधिक जारी नही रहेगी।

२— निर्योग्यता की जांच—जिस निर्योग्यता (अवयस्कता, पागल पन इत्यादि) जिसके कारण आसामी या खुदकाश्त धारक अपनी भूमि दूसरे को काश्त पर देना चाहता है उसकी पूरी जांच तहसीलदार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी निर्योग्यता इस अधिनियम के लागू होने के दिन विद्यमान रहनी चाहिए उसके बाद नही।[1]

+४६-का-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातीयो के सदस्यों द्वारा काश्त या शिकमी-काश्त पर दिये जाने के लिये विशिष्ट उपबंध—धारा ४४,४५, तथा ४६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को काश्त, शिकमी-काश्त के लिये उक्त धाराओ के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य नही है।

४६. शिकमी-पट्टे से उत्तराधिकारी का आबद्ध होना—किसी आसामी जिसने भूमि शिकमी-काश्त पर दी हो, के हित का उत्तराधिकारी, शिकमी-पट्टे के निबंन्धनो से उस सीमा तक जहा तक कि वे इस अधिनियम के उप बधो से असगत न हो, आबद्ध होगा।

टिप्पणी

यदि किसी आसामी ने अपनी भूमि का पट्टा (लीज) अनिश्चित अवधि के लिए कर दिया हो तो वह अपने उपकाश्तकार को बेदखल करने से निषिद्ध है परन्तु उसके हित का उत्तराधिकारी नही है। वह उप आसामी को बेदखल करा सकता है।[2]

÷४७-का. आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में कतिपय अन्तरणों के सम्बन्ध में उपबन्ध—(१) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपबधो मे कृषि-अधिकारो के अन्तरण के विषय मे अन्तर्विष्ट कोई बात, आबू, अजमेर, अथवा सुनेल क्षेत्रो मे राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १६५७ के प्रारम्भ से पूर्व विध्यनुकूल सम्पन्न किये गये भूमि अथवा किसी आसामी के भूमि-क्षेत्र के विक्रय, बधक, पट्टे, शिकमी-पट्टे या अन्य अन्तरण पर लागू नही होगी और ऐसे प्रत्येक

---

1. दीतर v. मु० समनिया, 1964 R R.D. 175.

1. जोरा V/s जारिया, 15 R,D. 136

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २८ सन् १६५६ द्वारा निविष्ट।

÷ राज० अधिनियम संख्या २ सन् १६५८ द्वारा विलुप्त।

अन्तरण के पक्षकारों (पार्टियों) के अधिकार तथा देयताएँ, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, उक्त अन्तरण के निबंधनों (terms) से तथा उक्त प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवर्तनशील तत्सम्बन्धी कानून से शासित होती रहेंगी।

(२) धारा ४३–क की उप–धारा (२) के उपबंध, ऐसे प्रत्येक अधिकार अथवा देयता की क्रियान्विति पर, यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

कृषि–अधिकारों का विनिमय

४८. भूमि का विनिमय—(१) एक ही वर्ग के आसामी, ऐसी भूमियों का जो उन्होंने एक ही भूमिधारी से प्राप्त की हों, उस भूमिधारी की सहमति से विनिमय कर सकते हैं और ऐसी भूमियों का जो उन्होंने भिन्न भिन्न भूमिधारियों से प्राप्त की हों ऐसे समस्त भूमि-धारियों की लिखित सहमति से विनिमय कर सकते है।

(२) भूमिधारी, आसामी की सहमति से, उसके भूमिक्षेत्र में सम्मिलित भूमि के विनिमय में उसे उस भूमि से भिन्न भूमि दे सकता है जो उसे पट्टे पर दी गई है।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में आसामियों द्वारा अपनी जमीनों के विनिमय (अदला-बदली) का प्रावधान है। इस धारा को धारा ४६ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों के नीचे विनिमय होने पर आसामी का बदले में प्राप्त जमीन पर वैसा ही अधिकार हो जायगा जैसा कि बदले मे दी गई जमीन पर था।

२. बंधक ग्रहीता और विनिमय—बंधक ग्रहीता बंधक रखी गई सम्पत्ति का विनिमय बिना बन्धककर्ता की सहमति के नहीं कर सकता।[1]

३. प्रक्रिया—विनिमय पूरा हो जाने पर सहायक कलक्टर को एक आवेदन-पत्र दिया जायगा और उसके पश्चात् ही धारा ५२ के अन्तर्गत अधिकार-अभिलेख (मिसल हकीयत) में इन्द्राज किये जायेंगे।

४६. चकबंदी के लिये विनिमय—(१) कोई खातेदार आसामी जो अपने उस क्षेत्र की चकबंदी कराना चाहता है जिसमे वह कृषि करता है, अपनी भूमि के किसी भाग जिसमें वह कृषि करता है, के विनिमय में किसी अन्य खातेदार आसामी द्वारा कृषि भूमि लेने के लिए सहायक कलक्टर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर, यदि सहायक कलक्टर का विहित रीति से जांच करने के पश्चात समाधान हो जाय कि युक्ति युक्त कारण विद्यमान है तो वह आवेदन-पत्र को पूर्णतः या अंशतः मंजूर कर सकता है तथा दूसरे आसामी को आवेदक द्वारा काश्त की गई ऐसी भूमि आवंटित कर सकता है जो मूल्य मे लगभग उस भूमि के बराबर तथा उसी प्रकार की हो जो कि आवेदक को दिया हो।

1. फौजदारसिंह Vs माधोसिंह, 1945 A. W. R. 133

टिप्पणी

१ विषय – चकबन्दी कराने का अधिकार इस धारा में केवल खातेदार आसामियों को दिया गया है। अतः खुदकाश्त धारक भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस विषय का आवेदन पत्र सहायक कलक्टर को दिया जायगा परन्तु उसका समाधान हो जाने पर भी वह विनिमय कराने के लिए बाध्य नहीं है। इसे इस विषय में स्वविवेक काम में लाने का अधिकार है परन्तु इसका प्रयोग न्यायतः किया जाना चाहिए।

२. चकबन्दी के लिए विनिमय—इस अधिनियम में चकबन्दी (Consolidation) की परिभाषा नहीं है परन्तु राजस्थान होल्डिंग्स (कंसोलीडेशन एण्ड प्रिवेंशन आफ फ्रेगमेंटेशन) एक्ट १९५४ की धारा ३(ख) में की गई परिभाषा से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची, भाग २ के मद नं० ८९ से शासित है। इसके लिए कोई मियाद नहीं है। न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे लगेगा। आवेदन पत्र पर विचार केवल सहायक कलक्टर करेगा।

४. अपील एवं पुनरीक्षण—इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा की केवल एक अपील होती है जो रा० अ० प्रा० को होगी। द्वितीय अपील नहीं होती अतः राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण आवेदन पत्र किया जा सकेगा।

+४९-क. अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों द्वारा विनिमय के लिये विशिष्ट उपबंध—धारा ४८ तथा धारा ४९ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, किसी आसामी को जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है अपने भूमि क्षेत्र का विनिमय, उक्त धाराओं में से किसी के अन्तर्गत, ऐसी भूमि से करने का अधिकार नहीं होगा जो कि ऐसे व्यक्ति की भूमि में सम्मिलित है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति का सदस्य नहीं है और धारा ४९ के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र जो इस धारा के उपबंधों का उल्लङ्घन करता है, ना-मंजूर किया जायगा।

५०. विनिमय हो जाने पर आसामियों के अधिकार—धारा ४८ या धारा ४९ के अन्तर्गत भूमि का विनिमय हो जाने पर आसामी को उस भूमि में जो उसे विनिमय से मिली है वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसे उस भूमि में प्राप्त थे जो उसने विनिमय में दी है।

५१. अन्य भूमियों के विनिमय में आवंटित भूमियों में अधिकार—तत्समय प्रभावशील किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि अन्य भूमि के विनिमय में आवंटित भूमि किसी लीज, बंधक या अन्य अधि-भार से बोझिल है तो, उक्त लीज, बंधक या अधि-भार का अन्तरण कर दिया जायगा और उसे उक्त अन्य भूमि के साथ या उसके ऐसे भाग जिसे सहायक कलक्टर निर्दिष्ट करे, के साथ, संबद्ध कर दिया जायगा और तदुपरान्त पट्टाधारी, (लेसी) बंधक-ग्रहीता या अन्य अधि-भार सृजक (encumbrancer) का उस भूमि में या उसके विरुद्ध कोई अधिकार

+ राज० अधि० संख्या २८ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

ों रहेगा जिसमें उक्त पट्टा, (लीज) बंधक या अन्य-ऋण-भार अन्तरित कर दिया गया हो :

परन्तु इस धारा के अन्तर्गत कोई आदेश सम्बधित, व्यक्तियों को सुनवाई का युक्ति युक्त वसर प्रदान किये बिना, पारित नहीं किया जायगा।

५२. अधिकार अभिलेख में विनिमय की प्रविष्टि—धारा ४८ या धारा ४६ के अन्तर्गत मि का विनिमय हो जाने पर, अधिकार-अभिलेख में तत्सम्बन्धी समुचित प्रविष्टि की जायेगी।

कृषि-अधिकारों का विभाजन

५३. भूमि-क्षेत्र का विभाजन—(१) किसी भी भूमि-क्षेत्र का विभाजन इस भांति नहीं किया जायगा जिससे कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले या जिले के भाग के लिये विहित न्यूनतम क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के भूमि-क्षेत्रों में बट जाय।

(२) किसी भूमि-क्षेत्र का विभाजन निम्न प्रकार किया जायगा—

[१] सह-आसामियों के बीच—

(क) भूमि-क्षेत्र के उक्त विभाजन; और

(ख) उन कई भागों पर जिनमें भूमि-क्षेत्र उपरूपेण विभाजित किया गया हो, लगान के बटवारे, के सम्बन्ध में इकरार नामा द्वारा; अथवा

[२] भूमि-क्षेत्र के विभाजन तथा जिन कई भागों में वह विभाजित किया जाय उन पर उस भूमि-क्षेत्र के लगान के बंटवारे के प्रयोजनार्थ सह-आसामियों में से एक या अधिक सह-आसामियों द्वारा दायर किये गये दावे में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अथवा आदेश के जरिये।

(३) भूमि-क्षेत्र के विभाजन तथा उसके लगान के बंटवारे के प्रयोजनार्थ किये गये किसी करार नामे से भूमिधारी आबद्ध नहीं होगा जब तक कि वह लिखित में उसके लिए अपनी सहमति न दे।

(४) एक या एक से अधिक भूमि-क्षेत्र के बटवारे के निमित्त प्रत्येक दावे में समस्त सह-आसामी तथा भूमिधारी पक्षकार बनाये जायेंगे।+[.......]

(५) एक से अधिक भूमि-क्षेत्रों के बटवारे के लिये एक ही दावा किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें पक्षकार वे ही हों।

टिप्पणी

१—विषय—इस धारा के पीछे उद्देश्य यह है कि भूमि-क्षेत्रों का बंटवारा इस प्रकार नहीं किया जाय कि उनके इतने छोटे २ टुकड़े हो जायें कि वे बेकार हो जायें।

२-भूमि-क्षेत्रों का विभाजन कैसा हो—इस धारा में इसके दो तरीके बताए गए हैं एक इकरार के द्वारा और दूसरे दावे के द्वारा।

+ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

३— भूमि धारक की सहमति—प्राइवेट विभाजन को अवस्था मे भूमि धारक की सहमति आवश्यक है जिससे कि लगान वसूली मे कठिनाई नही हो। वैसे एक-ही भूमि धारक के सह-आसामी भूमि क्षेत्रों का प्राइवेट विभाजन कर सकते हैं परन्तु यदि भूमि धारक की लिखित सहमति नही ली जाती तो लगान वसूली के प्रयोजनार्थ यह संयुक्त भूमि क्षेत्र बना रहेगा।[1]

४— रजिस्ट्री—सह आसामियो के बीच अचल सम्पत्ति का विभाजन का लिखा जाना आवश्यक नही है। यदि कोई लिखत केवल पहले से हो चुके विभाजन की स्वीकृति मात्र है तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक नही है परन्तु यदि कोई विभाजन केवल किसी दस्तावेज के द्वारा किया जाय तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है।[2]

५— सबूत का भार—भूमि-क्षेत्र के विभाजन के दावे मे यह साबित करने का भार वादियों पर है कि विवाद ग्रस्त भूमि-क्षेत्र उनके व प्रतिवादियों के बीच संयुक्त है। दावे की तारीख को भूमि-क्षेत्र का संयुक्त होना साबित हुए बिना दावे में डिक्री नही हो सकती।[3]

५४. कतिपय मामलो मे भूमि-क्षेत्रों की बिक्री—(१) जब कभी एक या अधिक भूमि-क्षेत्रों के बटवारे की लिये किये गये किसी दावे मे न्यायालय को यह मालूम हो कि उक्त बंटवारे के हकदार व्यक्तियो के बीच बटवारे के परिणामस्वरूप ऐसे हिस्से हो जायेंगे जो धारा ५३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत विहित न्यूनतम क्षेत्र से कम हो तो, न्यायालय, भूमि-क्षेत्र या भूमि-क्षेत्रों के बटवारे की कार्यवाही करने के बजाय उसे या उन्हे बेचने तथा बिक्री-मूल्य को उक्त व्यक्तियों के बीच बांटने का निर्देश देगा।

(२) जब किसी भूमि-क्षेत्र को उप-धारा (१) के अन्तर्गत बेचने का आदेश दिया जाय तो न्यायालय उस भूमि-क्षेत्र का मूल्यांकन किये जाने का आदेश देगा और उसे बेचने का प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रमानुसार नीचे लिखे व्यक्तियो के सामने रखेगा—

[क] भूमि-क्षेत्र के सह-आसामी को;

[ख] भूमि-क्षेत्र के शिकमी-आसामी को;

[ग] उस ग्राम-समुदाय के कृषिक या अन्य मजदूर या सेवक को जो गाव मे स्थायी रूप से रहता हो,

[घ] किसी ऐसे व्यक्ति को जो भूमिधारी न हो तथा जो खेती करता हो व उस गाव मे रहता हो;

÷[ङ] भूमि-धारी को।

1. रामदास v शोहरत, 1948 R. D. 62.
2. कस्तूरभाई मणीभाई v बाई महालक्ष्मी, AIR 1923 Bom. 464.
3. मोहन v. कन्हर, 1949 R. D. 286.

÷ राज॰ अधि॰ संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु जहां एक ही वर्ग जो (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट वर्गों में से हो, के दो या दो से अधिक व्यक्ति उक्त हित को लेने का दावा करें तो उस दावेदार को प्राथमिकता दी जायेगी जो उस गांव में अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल वाले भूमि-क्षेत्र में कृषि करता हो; और जहां दो या दो से अधिक दावेदार समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में कृषि करते हों तथा उक्त हित को लेने का दावा करें तो दावे का निर्णय विहित रीति से किया जायगा :

×[परन्तु यह और है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्य के भूमि-क्षेत्र की ऐसी बिक्री के मामले में खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में उल्लिखित वर्गों के प्रतिद्वन्द्वी दावेदारों में प्राथमिकता उस वर्ग विशेष के दावेदारों को दी जायेगी जो कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हों।]

अध्याय ५

समर्पण, परित्याग तथा व्यवसान

ф५५. समर्पण—कोई आसामी जो किसी पट्टे या इकरारनामे द्वारा आगामी वर्ष में अपने भूमि-क्षेत्र पर आधिपत्य बनाये रखने के लिये आबद्ध आसामी नहीं है, एक मई को या पहले, अपने भूमि-क्षेत्र को, चाहे वह शिकमी-काश्त पर दिया हुआ अथवा बन्धक रखा हो या नहीं, कब्जा छोड़ते हुए एक लेख-पत्र जो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन द्वारा प्रमाणीकृत हो—के जरिये समर्पित कर सकता है।

टिप्पणी

इस धारा में समर्पण के दो तरीके बताए गए हैं—पहला तो भूमि-क्षेत्र का कब्जा छोड़ कर और दूसरा लिखत के द्वारा। ऐसा लिखत प्रमाणीकृत होना चाहिए।[1]

५६. भूमिधारी को नोटिस—(१) धारा ५५ के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने के पहिले, वह आसामी जो तदनुरूप समर्पण करे अपने इरादे का कि वह समर्पण करना चाहता है एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक मई से कम से कम तीस दिन पहिले देगा और, जब तक कि नोटिस भेज नहीं दिया जाय, वह आसामी समर्पण की तारीख से आगामी कृषि-वर्ष का लगान अपने भूमि-क्षेत्र के विषय में, अपने भूमिधारी को देने का भागी होगा :

परन्तु आसामी तदनुरूप उस अवधि का लगान देने का भागी नहीं होगा जिसमें भूमि-क्षेत्र किसी अन्य आसामी को पट्टे पर दे दिया गया (let) हो या भूमि-धारी द्वारा स्वयं अपने निजी उपयोग में या कृषि के लिये काम में लिया गया हो।

× राज० अधि० संख्या २८ सन् १९५९ द्वारा जोड़ा गया।

ф राज० अधि० संख्या ४९ सन् १९५८ द्वारा संशोधित।

1. हरनारायण v. राजस्व बोर्ड, 1966 R.R.D. 31.

(२) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसमें कोई आसामी तथा उसका भूमिधारी सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग के समर्पण के लिये सहमत हो जाय।

+[परन्तु शर्त यह है कि उक्त सहमति धारा ५५ मे बताई गई रीति से प्रमाणीकृत की जाय।]

टिप्पणी

१— विषय—धारा ५५ व ५६ को साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए। समर्पण या तो कब्जा छोड़ कर किया जाना चाहिए या बाकायदा प्रमाणीकृत लिखत के द्वारा। जिस आसामी ने निश्चित अवधि के लिए भूमि ली है वह उस अवधि के पूर्व समर्पण नही कर सकता। यदि भूमि धारक की सहमति लेली जाये तो भूमि-क्षेत्र के एक भाग का भी समर्पण किया जा सकता है।[1] उसकी सहमति से निश्चित अवधि से पहले भी समर्पण हो सकता है।[2] समर्पण आसामी की अपनी मरजी से होना चाहिए।

२— वैध समर्पण—कब्जा छोड़ना समर्पण की आवश्यक शर्त है।[3] केवल समर्पण-पत्र की तकमील या नोटिस देने मात्र से समर्पण नही हो जाता।[4-5] यदि कई सह-आसामी हों तो सबकी ओर से समर्पण होना चाहिए।[6]

३— समर्पण भूमि धारक को होना चाहिए—धारा ५५ मे यह नही बताया गया है कि समर्पण किसके पक्ष मे होगा परन्तु यह कमी धारा ५६ में पूरी कर दी गई है कि केवल भूमि धारक के पक्ष में ही समर्पण होना चाहिए। एक मई तारीख निश्चित करने का उद्देश्य यह है कि भूमि बेकार नही पड़ी रहे और भूमि धारक को भी लगान का नुकसान न हो।

५७. लगान-वृद्धि की दशा में समर्पण—धारा ५५ तथा धारा ५६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जब किसी भूमि क्षेत्र के लगान-वृद्धि की डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाय तो, उसका आसामी, डिक्री या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी इच्छा का कि वह लगान-वृद्धि की तारीख से भूमि-क्षेत्र का समर्पण करना चाहता है एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को भेजने के पश्चात्, तदनुसार अपने भूमि-क्षेत्र का समर्पण कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मामले मे आसामी समर्पण के पश्चात्वर्ती समय के लिये अपने भूमि-क्षेत्र के सम्बन्ध में देय लगान का भागी होगा।

+ राज० अधि० सं० ४६ सन् १९५८ द्वारा जोड़ा गया।

1. डूंगरसिंह v. बलजीतसिंह, 1937 R.D, 57.
2. कलयुद्दीन v. सजानसिंह, 1934 R.D. 171.
3. बद्_ v. चूनिया, 1959 R.D. 284.
4. कंधाई v. देवी,1943 R.D. 430.
5. नरसिंह v. बद्री, 1941 R.D. 1092.
6. ईसरीसिंह v. गंगाप्रसाद, 1884 I R.D 14.

५८. समर्पण को रद्द करने हेतु दावा—(१) कोई भूमिधारी जिसे धारा ५६ या धारा ५७ के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया हो, उक्त नोटिस को अमान्य घोषित किये जाने के निमित्त दावा दायर कर सकता है।

(२) यदि ऐसा कोई दावा दायर नहीं किया जाय तो समर्पण के लिये भूमिधारी की स्वीकृति हुई समझली जायगी।

टिप्पणी

१— विषय—यदि कोई भूमि धारक आसामी द्वारा दिए गए समर्पण के नोटिस अथवा उसके समर्पण करने के अधिकार को चुनौती देना चाहता है, तो वह ऐसे नोटिस को अवैध घोषित कराने के लिए दावा ला सकता है। उसके ऐसा न करने पर उसकी सहमति मान ली जायगी।

२— दावे के आधार—इस धारा में बताया गया है कि दावा केवल नोटिस को अवैध घोषित कराने को पेश किया जायगा।

३— प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा सहायक कलक्टर के न्यायालय में होगा और अनुसूची तृतीय भाग प्रथम के मद नं० ४ द्वारा शासित होगा। मियाद दावे की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की है। न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा। इसकी पहली अपील कलक्टर के पास होगी और दूसरी रा० प० प्रा० को। पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा

५९. समर्पित भूमि-क्षेत्र का कब्जा लिया जाना—भूमिधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समर्पित किये गये भूमि-क्षेत्र में प्रवेश करके उसे अपने कब्जे में ले सकता है।

कृषि-अधिकारों का परित्याग

६०. परित्याग—(१)-उपधारा (२) तथा (३) के उप-बंधों के अधीन रहते हुए, कोई आसामी जो कृषि करना बंद कर देता है और पड़ोस भी छोड़ देता है, अपने भूमिक्षेत्र में अपना हित उस दशा में नहीं खोयेगा जब कि वह अपने भूमि क्षेत्र को ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द करता है जो लगान के देयमय होने पर उसके भुगतान का उत्तरदायी हो तथा इस प्रबंध का भूमिधारी को लिखित नोटिस दे देता है।

(२) यदि वह व्यक्ति जिसे उक्त क्षेत्र सुपुर्दगी की गई हो, ऐसा व्यक्ति है।

(क) जिसको, आसामी की मृत्यु होजाने की दशा में आसामी का हित अवतरित होगा, या

(ख) जिसे भूमिक्षेत्र का प्रबंध उस व्यक्ति के साझायें करता है जिसको, आसामी की मृत्यु होजाने की दशा में, आसामी का हित अवतरित होगा,

तो, आसामी, सात वर्ष की अवधि समाप्त होजाने पर, अपने भूमि-क्षेत्र में अपना हित खो बैठेगा जब तक कि वह, उक्त अवधि के भीतर, अपने भूमि-क्षेत्र में पुनः कृषि करना आरम्भ न करदे, और उक्त हित, उस व्यक्ति को अवतरित हो जायेगा जिसे आसामी का हित, आसामी की मृत्यु हो जाने की दशा में अवतरित होता।

(३) यदि वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकार सुपुर्दगी की गई हो उप-धारा (२) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये आसामी शिकमी-काश्त पर दे सकता था, यह अनुमान किया जायगा कि आसामी ने अपना भूमि-क्षेत्र परित्याग कर दिया है जब तक कि वह उक्त अवधि के भीतर अपने भूमि-क्षेत्र में पुनः कृषि करना आरम्भ न करदे।

(४) वह आसामी जो कृषि करना बंद और पड़ोस का त्याग उप-धारा (२) के उपबंधों का अनुसरण न करते हुए अन्य रीति से, करता है, उसके बारे में यह अनुमान किया जायेगा कि उसने अपना भूमि-क्षेत्र परित्याग कर दिया है।

टिप्पणी

१— विषय—यदि कोई आसामी अपना भूमि-क्षेत्र वैध तरीके से नहीं छोड़ सकता है तो उसके अपने कृषि अधिकारों के परित्याग का एक मात्र प्रभावशाली तरीका परित्याग ही है।[1] परन्तु यदि कोई आदमी अपना घर छोड़ दे और नहीं लौटे तो अनुमान यह नहीं लगाया जायगा कि उसका इरादा कभी लौटने का नहीं है। ऐसी अवस्था में परित्याग नहीं माना जायगा।[2] यह धारा ऐसे व्यक्ति के मामले से सम्बन्ध रखती है जो बिना औपचारिक परित्याग किए अपना गांव छोड़ देता है और अपने भूमि-क्षेत्र को किसी को उप-पट्टे (सब लीज) पर भी नहीं दे जाता, परन्तु जिसका नाम अभिलेख में बना रहता है।

२— परित्याग की शर्तें—[१] आसामी ने खेती करना बन्द कर दिया और गांव छोड़कर चला गया है। [२] आसामी अपना भूमि क्षेत्र छोड़कर चला गया हो और किसी ऐसे व्यक्ति को चार्ज में नहीं छोड़ गया जो लगान की अदायगी के लिए जिम्मेदार हो। [३] आसामी बिना भूमि धारी को लिखित नोटिस दिए चला गया हो कि लगान की अदायगी के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है।

उपरोक्त शर्तें उप-धारा (२) व (३) के अधीन हैं।

३— प्रक्रिया—परित्याग की घोषणार्थ आवेदन-पत्र अनुसूची तृतीय भाग द्वितीय के मद नं० ४० से शासित होगी न्यायालय शुल्क ५० पैसे होगा। मियाद कुछ नहीं है। अधिकार समर्पित तहसीलदार को होगा।

६१. परित्यक्त माने गये भूमि क्षेत्र का कब्जा लेने के पहिले की प्रक्रिया—(१) जब आसामी के बारे में यह समझ लिया जाय कि उसने अपने भूमि-क्षेत्र का परित्याग कर दिया गया है तो वह तहसीलदार स्वतः ही या भूमिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, यथास्थिति, एक घोषणा, विहित रीति से, जारी एवं तामील कराने की अथवा प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेगा जिसमें यह व्यक्त होगा कि उक्त आसामी के भूमि-क्षेत्र को परित्यक्त माने जाने, तथा उसमें प्रवेश किये जाने एवं तदनुसार उसे कब्जे में लिये जाने का विचार है जब तक कि तद्विपरीत कारण न बताये जायें।

---

1. खुदाबक्श v. रामचन्द्र, A.I.R. 1941 Nagpur 328.
2. भगवतीराम v गोरखराम, A.I.R. 1954 Patna 93.

(२) तहसीलदार या भूमिधारी, यथास्थिति,, भूमि-क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तथा उसका कब्जा ले सकता है यदि घोषणा के उत्तर में—

[१] घोषणा की तामील या प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर, या तो वह आसामी जिसके बारे में यह माना गया है कि उसने अपना भूमिक्षेत्र परित्याग कर दिया है या उस आसामी की ओर से अथवा स्वयं अपनी ओर से कोई व्यक्ति, उपस्थित नहीं होता है, + [..........] या

[२] ऐसी प्रविष्टि और कब्जे के बारे में उक्त अवधि के भीतर आपत्ति प्रस्तुत की जाय और यह अस्वीकार कर दी जाय।

(३) यदि इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि-क्षेत्र में प्रवेश किया जाय तथा उसे कब्जे में ले लिया जाय तो उसका आसामी, धारा १८६ के अर्थ में, विधि-प्रक्रिया से भिन्न तरीके से अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, बेदखल किया गया समझा जायगा।

(४) जब किसी भूमि-क्षेत्र में उप-धारा (२) के अन्तर्गत प्रवेश एवं उस पर कब्जा किया जाय तो वह भूमि-क्षेत्र धारा ६२ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी अन्य आसामी को काश्त पर उठायी जा सकती है अथवा भूमिधारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसमें काश्त की जा सकती है।

टिप्पणी

1. विषय—इस धारा में वह प्रक्रिया बताई गई है जो भूमिधारी अथवा तहसीलदार द्वारा उस अवस्था में अपनाई जायगी जब कि धारा ६० के अन्तर्गत भूमि को परित्यक्त समझी जा रही हो। यह प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा अपने आप अथवा भूमिधारी के आवेदन पर अपनाई जा सकती है। जहां किसी भूमि को परित्यक्त समझ कर तहसीलदार ने इस धारा के नीचे उद्घोषणा (Proclamation) जारी कर दी परन्तु भूमि के खातेदार ने प्रकट होकर आपत्ति की कि उसने भूमि पर वापिस खेती करली है तो भूमि को परित्यक्त नहीं समझा गया।[1] यह तय किया गया है कि आपत्तिकर्ता चाहे तो नियमित दावा ला सकते हैं।

2. अपील—इस धारा के नीचे दिए गए हुक्म की अपील कलक्टर को होगी। दूसरी अपील नहीं होगी और राजस्व बोर्ड को पुनरीक्षण हो सकेगा।

६२. उन आसामियों के अधिकार जिनके बारे में यह अनुमान कर लिया गया हो कि उन्होंने अपने भूमि-क्षेत्र परित्याग कर दिये गये हैं—(१) किसी व्यापक आपात जैसे अनावृष्टि, अकाल, संक्रामक-रोग या तत्सदृश अन्य आपात तथा किसी अन्य युक्तियुक्त कारण से जो आसामी कृषि करना बन्द करदे तथा पड़ोस छोड़ दे तो धारा ६० तथा ६१ में अन्तर्विष्ट कोई बात उप-धारा (२) में बताई गई रीति, उसमें दिये गये समय तथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,

+ राज० अधि० २७, सन् १९५९ द्वारा विलुप्त।

1. बदरमाल V. गंगल्या, 1964 R.R.D. 16.

अपने भूमि-क्षेत्र का कब्जा पुनः प्राप्त करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(२) धारा ६० की उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई घोषणा की तामील या प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर कोई ऐसा आसामी अपनी बहाली के लिये एवं अपना भूमि-क्षेत्र वापिस दिलाये जाने के लिये एक आवेदन-पत्र विहित रीति से तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह तहसीलदार का इस बात से समाधान कर देता है कि उसने उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी आधार पर या कारण से अपने पड़ौस को छोड़ा था तो उस भूमि-क्षेत्र का कब्जा जिस पर धारा ६१ की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रवेश किया गया हो या कब्जे में ले लिया गया हो, उसे इस रूप में वापिस दिलाया जायगा मानो उसने उसका परित्याग उसका परित्याग किया ही नहीं हो, बशर्ते कि उक्त भूमि-क्षेत्र के मद्धे, वापिस कब्जा दिलाये जाने की तारीख तक-इसमें परित्याग अवधि सम्मिलित है-उससे प्राप्य सम्पूर्ण बकाया-लगान का भुगतान उसके द्वारा कर दिया जाय।

परन्तु यदि भूमि-क्षेत्र या उसका कोई भाग धारा ६१ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत—

[१] किसी अन्य आसामी को काश्त पर दे दिया गया हो तो उक्त अन्य आसामी से प्राप्य लगान की रकम उक्त बकाया-लगान की रकम में से कम की जा सकेगी, या

[२] भूमिधारी द्वारा स्वयं काश्त की गई हो तो उक्त काश्त की अवधि के बारे में कोई लगान देय नहीं होगा।

टिप्पणी

यह धारा पिछली धारा ६० का अपवाद है। जो आसामी अनावृष्टि, अकाल, महामारी इत्यादि आपात स्थितियों के कारण अपना गांव छोड़ देता है, अपने भूमि क्षेत्र की पुनः प्राप्ति या अपनी बहाली के लिए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दे सकता है।

कृषि—अधिकारों का अवसान

६३. कृषि-अधिकार का कब अवसान होगा — + (१) आसामी का उसके भूमि-क्षेत्र या भूमि-क्षेत्र के किसी भाग में, यथा स्थिति, हित उस स्थिति में जबकि—

[१] वह ऐसा उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार हो;

[२] वह उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समर्पित या परित्यक्त कर दे;

[३] उसकी भूमि राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम १९५३ (राजस्थान अधिनियम सं० २४ सन् १९५३) के अन्तर्गत अवाप्त कर ली गई हो;

[४] वह कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और कब्जा वापिस लेने का उसका अधिकार मियाद से बाधित हो गया हो;

[५] वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उससे बेदखल कर दिया गया हो;

+ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा पुनः संख्यांकित।

[६] वह उसमें निहित भूमि-धारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है अथवा भूमि-धारी उसे उत्तराधिकार में या अन्यथा अवाप्त कर लेता है;

[७] वह उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में बेच देता है या दान दे देता है, +अथवा

+[८] यदि वह विधि मान्य पारपत्र प्राप्त किए बिना या विधि पूर्ण प्राधिकार बिना भारत से किसी विदेश को प्रव्रजन करे।

स्पष्टीकरण:—खण्ड (८) के प्रयोजनार्थ जो आसामी इंडियन पासपोर्ट एक्ट, १९२० (केन्द्रीय अधिनियम ३४ सन् १९२०) के अधीन कोई विधि मान्य पारपत्र प्राप्त किए बिना अथवा विधि पूर्ण प्राधिकार बिना किसी भी देश में प्रवेश करेगा वह भारत से विदेश में प्रव्रजित हुआ माना जायगा।

× (२) आसामी के हित का अवसान हो जाने पर उसके अधीन भूमि धारण करने वाले किसी शिकमी-आसामी का हित अवसायित हो जायगा :

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जो उप-धारा (१) के खण्ड [३] में निर्दिष्ट मामला नहीं है, उक्त शिकमी-आसामी, जब तक वह स्वयं भी इस अधिनियम के किसी उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत बेदखल न कर दिया गया हो या बेदखल किये जाने योग्य न हो गया हो या होने को न हो या जब तक कि वह अपने भूमि-क्षेत्र पर विधि-विहित रीति से भिन्न तरीके से अधिकार प्राप्त करने का हकदार न होगा, उक्त भूमि-क्षेत्र में तथा तदन्तर्गत सुधारों में अपने मुख्य आसामी के अधिकारों को अवाप्ति के निमित्त, धारा २३, २४ तथा २५ के अनुसार निश्चित किये जाने वाले मुआवजे का भुगतान करने पर, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।]

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में वे तरीके बताए गए हैं जिनमें कृषि-अधिकारों (tenancies) का अवसान (समाप्ति) होता है। परन्तु जो सात तरीके इस धारा में बताए गए हैं वे ही केवल मात्र तरीके नहीं हैं। विनिमय (अदला बदली) अथवा आसामी के उपवन-धारी की हैसियत प्राप्त करने से भी टिनेंसी का अवसान हो जाता है। अतः यह धारा स्वयं-सम्पूर्ण नहीं है।[1]

२. उप-टिनेंसी का अवसान—मुख्य कृषि अधिकार के अवसान पर उप-कृषि अधिकार भी समाप्त हो जाता है जिसका प्रावधान उप-धारा (२) में है।

३. विक्रय द्वारा अवसान—इस धारा की उप-धारा (१) के खंड (७) द्वारा विक्रय से कृषि अधिकार (टिनेंसी) का अवसान हो जाता है परन्तु जहां विक्रय किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा अन्य जाति वालों के पक्ष में किया जाय तो चूंकि ऐसा अन्तरण स्वयं ही अवैध है अतः विक्रेता की टिनेंसी का अवसान नहीं होगा।[2]

मुख्य आसामी (Tenant-in-chief) के अधिकार अर्जन करने के लिए प्रक्रिया—मुख्य आसामी के अधिकार अर्जन करने के इच्छुक उप-आसामी को मुख्य आसामी के हित अव-

+ राज. अधि. सं. २ सन् १९५८ द्वारा संशोधित कर जोड़ा गया

× राज० अधि० सं० २७ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट।

1. शिवचरण v. सूरजप्रसाद, 1958 R. D. 345

2. जानकीनाथ v. शिवनारायण, 1965 R. R. D. 209

सान होने की तारीख के एक वर्ष में सब-डिवीजनल-आफीसर को आवेदन पत्र देना चाहिए यह अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद ४१-का द्वारा शासित है।

६४. अधिकार का अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना—सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित है, जब किसी आसामी या शिकमी-आसामी का हित अवसायित होजाय, तो वह अपने भूमि-क्षेत्र को खाली कर देगा परन्तु उसे किसी फसल हटाने के सम्बन्ध में वही अधिकार प्राप्त होगा जो कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में बेदखल किये जाने की दशा में होता।

अध्याय ६

सुधार

६५. सुधार करने का सरकार का अधिकार—राज्य सरकार + [अथवा कोई भू-स्वामी] सम्पूर्ण राज्य की किसी भूमि में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकती है।

टिप्पणी

सुधार करने के लिए राज्य सरकार के अधिकार अबाध हैं। राज्य सरकार पर धारा ७१ भी लागू नहीं होगी परन्तु राज्य सरकार वे ही सुधार कर सकती है जो धारा ५ की उप-धारा (१९) में दिए गए हैं। सुधार करने के विषय में अधिकार राज्य सरकार को खातेदार, गैर खातेदार, खुदकाश्त के आसामी एवं उप-आसामियों सभी की भूमियों पर है।

÷ ६६. सुधार करने का खातेदार आसामियों का अधिकार—(१) खातेदार आसामी अपने भूमिक्षेत्र में कोई भी सुधार कर सकता है;

× बशर्ते कि राज्य सरकार, समय समय पर:—

(क) ऐसे सुधार किया जाना जैसे कि धारा ५ के खण्ड (१९) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित हैं, उन क्षेत्रों में जो तदर्थ अधिसूचित किए जाए सार्वजनिक हित में प्रतिबंधित कर सकेगी; तथा

(ख) ऐसे क्षेत्रों में जो किसी उक्त अधिसूचना द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं कोई ऐसे सुधार किये जाने का नियमन करने के लिये नियम बना सकेगी।

टिप्पणी

१. विषय: – धारा ६५ की भांति यह धारा खातेदार आसामियों पर अपने भूमि-क्षेत्र पर सुधार करने के लिए अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान करती है। परन्तु इस विषय में उसके अधिकार धारा ७१ में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं।

+ राज० अधि० संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट।
÷ राज० अधि० संख्या १२ सन् १९६४ द्वारा प्रति-स्थापित।
× राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६५ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. इस अधिनियम से पूर्व किए गए सुधार—यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी खातेदार ने अपने भूमि क्षेत्र पर सुधार कर लिये और यदि सुधार करने के समय प्रभावशील कानून के नीचे उसे अपने सुधार के लिए क्षति पूर्ति (Compensation) पाने का अधिकार प्राप्त था तो वह अधिकार इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् भी अप्रभावित रहेगा।[1] कुआ खोदना सुधार माना गया है।[2] सुधार करने वाला आसामी किसी संविदा की अनुपस्थिति में पूरे लगान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

६७. सुधार करने का भूमिधारियों का अधिकार—राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी❀ [अथवा भू-स्वामी] तहसीलदार की मंजूरी से,❀❀[जिसके लिये विहित रीति से आवेदन किया गया हो तथा जो विहित रीति से प्रदान की गई हो] अपने आसामियों के भूमि-क्षेत्र में अथवा उस पर प्रभाव डालने वाला, सुधार कर सकेगा :

बशर्ते कि यदि ऐसे भूमि-क्षेत्र का आसामी एक गैर-खातेदार आसामी या मुद्दकाश्त का आसामी या शिकमी-आसामी, है अथवा यदि वह सुधार जिसे उक्त भूमिधारी करना चाहता है, एक कुआ है तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

+[परन्तु शर्त और है कि धारा ५ के खण्ड (१६) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित समस्त सुधार अथवा उनमें से कोई सुधार, ऐसे क्षेत्र में—जो भूमि-क्षेत्र के समूचे क्षेत्रफल के १/५० भाग से अधिक नहीं हो—जैसा कि विहित किया जाय, नहीं किये जायेंगे और विहित परिस्थितियों के सिवाय भिन्न परिस्थितियों में मंजूर नहीं किये जायेंगे।]

टिप्पणी

१. विषय—धारा ६७ भूमिधारक को (सिवा राज्य सरकार के) सुधार करने की शक्ति प्रदान करती है, परन्तु उस अधिकार के प्रयोग को तहसीलदार की इजाज़त के अधीन रखा गया है। इस धारा में उल्लिखित सुधार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके द्वारा लाभान्वित भूमि पर ही किया जाय परन्तु यदि संबन्धित भूमि क्षेत्र पर न हो तो उसके बन जाने पर उसका लाभ उस भूमिक्षेत्र को मिलना चाहिए। सुधार करने का इच्छुक भूमिधारी धारा ७१ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है।

२. तहसीलदार का कर्तव्य—सुधार करने की इजाजत तहसीलदार नहीं देगा यदि (१) प्रस्तावित काम धारा ५ (१६) के अर्थ में सुधार नहीं है (२) प्रयोजन के मुकाबिले में काम अधिक खर्चीला है (३) काम ऐसा है जिसे भूमिधारी को करने का अधिकार नहीं है (४) धारा ७१ की रजामन्दी आवश्यक होने पर भी नहीं ली गई है।

३. जब भूमिधारी और आसामी एक ही सुधार करना चाहें—ऐसी अवस्था में आसामी को खातेदार आसामी होना चाहिए। आसामी और भूमिधारी को एक आवेदन पत्र तहसीलदार को देना चाहिए।

---

1. मन्ना v. मुनदास, 1958 R.L.W. (R.S.) 103.
2. धारा 72.

❀ राज० अधि० संख्या २२ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

❀❀ राजस्थान अधिनियम संख्या ११ सन् १९६४ द्वारा निविष्ट।

+ राज० अधि० संख्या २२ सन् १९६० द्वारा जोड़ा गया।

४. प्रक्रिया — इस प्रकार का आवेदन-पत्र तहसीलदार को दिया जायगा जिसके लिए कोई मियाद नही है। न्यायालय शुल्क केवल २५ पैसे का लगेगा। तहसीलदार सुधार कराने के लिए अवधि निश्चित कर सकता है जो एक साल से अधिक नहीं होगी।
५. अपील और पुनरीक्षण — धारा ६७, ६६ व ७७ के नीचे दी गई आज्ञाओं की एक अपील हो सकेगी। द्वितीय अपील नही होगी। अपील में दी गई आज्ञा का पुनरीक्षण हो सकेगा।

६८ अनुमति तहसीलदार द्वारा कब दी जा सकेगी और कब उसके लिये इंकार किया जा सकेगा — तहसीलदार जिसे धारा ६७ के उपबंधों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिया जाय, पक्षकारों की सुनवाई करने और ऐसी और जांच जैसी वह करना उपयुक्त समझे, करने, के पश्चात्, उक्त सुधार करने की अनुमति, ऐसे प्रतिबंधो के अधीन, यदि कोई हो, जैसे वह युक्तियुक्त समझे, दे सकेगा अथवा देने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु तहसीलदार ऐसे सुधार के लिये अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो—

[१] ऐसा सुधार जैसा कि इस अधिनियम में परिभाषित है, नहीं है,

[२] उस प्रयोजन के लिये जिसके निमित्त वह अभिप्रेत है अत्यधिक महगा है,

[३] ऐसा सुधार नही है जिसे करने का आवेदक हकदार है, या

[४] धारा ७० के अन्तर्गत लिखित सहमति की अपेक्षा रखता है, यदि उक्त सहमति पहले प्राप्त नही की गई हो।

६९. भूमिधारी तथा आसामी दोनो की इच्छा एक ही सुधार करने की होने की स्थिति में उपबंध — (१) यदि कोई खातेदार आसामी तथा उसका भूमिधारी — राज्य सरकार न हो, — दोनो एक ही ऐसा सुधार करना चाहे जिसे वे इस अधिनियम के अन्तर्गत करने के हकदार हो तो तहसीलदार, आवेदन-पत्र प्राप्त करने पर, आसामी को निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने की अनुमति देगा और यदि उचित कारण बताये जायं तो वह उक्त अवधि को समय समय पर बढा सकेगा :

परन्तु ऐसी अवधि-वृद्धि का कुल समय एक वर्ष से अधिक नही होगा।

(२) यदि आसामी ऐसी अवधि या बढाई गई अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में असफल रहे तो भूमिधारी को इस सुधार कार्य को पूरा करने का अधिकार होगा।

+७०. अन्य आसामियों का सुधार करने का अधिकार — कोई गैर-खातेदार आसामी या मुद्दतादत का आसामी अथवा शिकमी-आसामी, धारा ६६ की उप-धारा (१) के प्रथम तथा द्वितीय परन्तुकों द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधो के अधीन रहते हुए, कोई भी सुधार कर सकता है परन्तु वह बेदखली होने पर मुआवजे का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने उक्त सुधार करने के निमित्त पहले तहसीलदार की आज्ञा या मुद्दतादत-धारी या खातेदार-आसामी, यथास्थिति, की लिखित अनुमति, प्राप्त न करली हो।

७१. सुधार करने पर प्रतिबंध — इस अध्याय की कोई बात किसी आसामी या भूमिधारी

+ राज० अधि० संख्या १२ सन् १९६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

जो राज्य सरकार न हो X[अथवा भू-स्वामी] की ऐसी भूमि जो उक्त सुधार से लाभान्वित होने वाले भूमि-क्षेत्र में सम्मिलित न हो, में

(क) कोई सुधार, या

(ख) उक्त भूमि को हानिकर कोई सुधार,

करने का हकदार नहीं बनायेगी या हकदार बनाने वाली नहीं मानी जायगी जब तक कि उक्त आसामी या भूमिधारी ने उस भूमि के भूमिधारी, अथवा यथास्थिति, राज्य सरकार की तथा आसामी की भी यदि कोई हो, लिखित सहमति प्राप्त न करली हो।

टिप्पणी

इस धारा द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध सब आसामियों पर और सिवा राज्य सरकार के सब भूमिधारियों पर लागू होते हैं।

७२. सम्पूर्ण लगान का दायित्व—कोई आसामी जो सुधार करे, लिखित विपरीत इकरारनामे के अभाव में, भूमि-क्षेत्र का सम्पूर्ण लगान देने का उत्तरदायी बना रहेगा :

परन्तु जहां लगान जिन्स मे देय हो और सबडिवीजनल आफिसर का इस बात से समाधान हो जाय कि खुदकाश्त के आसामी या शिकमी-आसामी द्वारा धारा ७० के अन्तर्गत किये गए सुधार के परिणाम स्वरूप कृषि-उपज में वृद्धि हुई है तो, सबडिवीजनल आफिसर आसामी या शिकमी आसामी द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर, धारा ११८ व ११६ के उपबंधों के अनुसार लगान को नकद में अन्तरवर्तित कर देगा।

७३. हानि के लिये मुआवजा (Compensation)—(१) कोई भूमिधारी जो किसी आसामी के भूमि-क्षेत्र में या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार, धारा ६७ के अन्तर्गत करता है तो वह आसामी को ऐसी किसी हानि के लिये मुआवजा देने का उत्तरदायी होगा जो वह सुधार करते समय आसामी को पहुँचावे।

(२) यदि किसी उक्त भूमिधारी द्वारा किये गये सुधार के प्रभाव से, किसी ऐसी भूमि की उत्पादन शक्तियों को हानि पहुंचती है जो किसी आसामी ने उक्त भूमिधारी से लेकर धारण की हुई हो तो, उक्त आसामी उप-धारा (१) के अन्तर्गत उसे दिये जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त, अपने लगान में ऐसी कमी का भी हकदार होगा जिसे न्यायालय न्यायोचित समझे।

७४. सुधार के लिये मुआवजा (Compensation)—कोई आसामी जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत सुधार किया हो, निम्नलिखित अवस्थाओं में मुआवजा पाने का हकदार होगा, अर्थात्:—

[१] जब उसकी बेदखली के लिये डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाय, या

[२] जब उसे विधि-विपरीत रीति से कब्जा-विहीन कर दिया गया हो और उसे अपने भूमि-क्षेत्र का कब्जा वापिस नहीं मिला हो, या

X राज० अधि० संख्या ११ सन् १६६४ द्वारा निविष्ट।

[३] जब वह अपने पट्टे (लीज) की अवधि समाप्त होने पर भूमि-क्षेत्र को वापस कर देता है यदि सुधार धारा ७० के उपबंधों के अन्तर्गत किया गया हो :

परन्तु—

(क) आसामी द्वारा अपने स्वयं के अधिवास के निमित्त भूमि-क्षेत्र पर बनाये गये रिहायशी मकान, या उसके द्वारा अपने भूमि-क्षेत्र पर पशुशाला या गोदाम अथवा कृषि-प्रयोजनार्थ बनाये गये या स्थापित किये गये किसी अन्य निर्माण, की अवस्था के सिवाय, किसी ऐसे सुधार के लिये मुआवजा देय नहीं होगा जो उक्त बेदखली के लिये डिक्री या आदेश की तारीख से या उक्त कब्जा-विहीनता अथवा खाली-किये-जाने से तीस वर्ष या अधिक पहले किया गया हो।

(ख) कोई आसामी जो, बेदखली के लिये डिक्री या आदेश के निष्पादन में या बेदखली के नोटिस के अनुसरण में, बेदखल किया गया हो, किसी ऐसे सुधार के निमित्त मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा जो उसने उक्त डिक्री, आदेश या नोटिस की तारीख के पश्चात् प्रारम्भ किया हो, और

(ग) मुआवजा किसी ऐसे सुधार के लिये देय नहीं होगा जो सहायक कलक्टर की राय में, उस तारीख को उपयोगी नहीं रहा हो जिसको कि आसामी तदर्थ मुआवजे का हकदार होता है।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि सुधार करने का हकदार आसामी इसमें दिए गए मामलों में मुआवजे का हकदार होगा। मुआवजा धारा ७५ के प्रावधान के अनुसार तय किया जायगा। बेदखली की तारीख से ३० वर्ष पूर्व बनाए गए सुधार के लिए (सिवा रहने के घर के) कोई मुआवजा नहीं मिलता। ३० साल की अवधि सुधार कार्य के पूरा होने की तारीख से गिनी जायगी। जहां सन् १९०० में कोई कुआ खोदा जा रहा था परन्तु उसके बाद की तारीख तक पूरा नहीं हुआ था तो ऐसी सूरत में १९३० में बेदखली होने पर आसामी को मुआवजे का हकदार नहीं माना गया।[1]

७५. मुआवजे की रकम—(१) किसी सुधार के लिये या उसके कारण इस अधिनियम के किसी उपबंध के अन्तर्गत देय मुआवजे की रकम का निश्चयन करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायगा:—

[१] उस रकम का जिसकी, उस भूमि-क्षेत्र के मूल्य एवं उपज में उक्त सुधार के जरिये या उसके कारण वृद्धि या कमी हुई है;

[२] उक्त सुधार-कार्य की हालत तथा उसके प्रभावों के कायम रहने की अनुमानित अवधि का; और

[३] उक्त सुधार-कार्य के करने में लगाये गये श्रम तथा पूंजी का, जिसमें

1. अब्दुल्लतीफ खान v. महमद हुसेन, 15 R.D. 553.

(क) लगान की किसी कमी या छूट या सुधार-कार्य के प्रतिफल स्वरूप आसामी को दिया गया कोई अन्य फायदा;

(ख) नकद, सामग्री, या श्रम के रूप में आसामी को भूमिधारी द्वारा दी गई कोई सहायता, और

(ग) भूमि का पुनरुद्धार करने या असिंचित से सिंचित भूमि में परिणित करने की दशा में, वह समयावधि जिसके दौरान उस पक्ष ने जो मुआवज़े का दावा करता हो, सुधार का लाभ उठाया हो; और

[४] ऐसी अन्य बातों का जो विहित की जाय।

(२) जब आसामी द्वारा किये गये सुधार में—

(क) उस भूमि को जिसमे, वह बेदखल अथवा कब्ज़ाविहीन किया गया है, और

(ख) अन्य भूमियों को जो उसके कब्ज़े में हों, लाभ पहुंचता हो, मुआवज़े का निश्चयन उस सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जायगा जिस सीमा तक खण्ड (क) में वर्णित भूमि उक्त सुधार से लाभान्वित हुई हो।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में वे सिद्धान्त बताए गए हैं जिनके अनुसार इस अधिनियम के नीचे किसी सुधार कार्य का मुआवजा देते समय उसकी रकम तय की जायगी। अधिकांश में सुधार कार्य के वर्तमान मूल्य का हिसाब लगाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।[1] मुआवजे की रकम केवल इसीलिए कम नहीं की जा सकती कि उससे सस्ती कीमत में वह सुधार कार्य कराया जा सकता था।[2]

२. मुआवजा न लेने या कम लेने के विषयक इकरार – इस तरह के इकरार शून्य होंगे और उनको प्रभावान्वित नहीं किया जा सकता।[3]

३. अपील— मुआवजे की रकम तय करने की आज्ञा की अपील किसी आज्ञा की अपील की तरह हो सकेगी।

७६. अन्य भूमियों को लाभ पहुंचाने वाले सुधार-कार्य—(१) यदि किसी आसामी ने ऐसी भूमि में सुधार किया हो जो लगान की बकाया के लिए डिक्री के निष्पादन में बेची जाय या जिससे उसे बेदखल किया जाय तो खरीददार या भूमिधारी, यथास्थिति, उस सुधार-कार्य का स्वामी बन जायगा परन्तु आसामी अपने पास अवशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में उक्त सुधार-कार्य का लाभ उसी प्रकार तथा उसी सीमा तक उठाने का हकदार होगा जिस प्रकार तथा जिस सीमा तक उस भूमि को उस कार्य से पूर्व लाभ पहुंचता रहा हो।

(२) यदि किसी आसामी ने ऐसी भूमि में सुधार किया हो जो उसके कब्ज़े में उसकी

1. मनोहरहर v. मजरासिंह, 1928,12 R.D. 267.
2. द्वारका v. भगवानप्रसाद सिंह, 45 I.C. 227.
3. नर्मदाबहादुर v. मन्नू, 1927, 6 R.D. 231.

भूमि के किसी भाग में, लगान की बकाया के लिये डिक्री के निष्पादन में बेचे जाने या उसकी भूमि के किसी भाग से उसे बेदखल किये जाने के बाद अवशिष्ट रहती है तो, खरीददार या भूमि धारी, यथास्थिति, उस भूमि के सम्बन्ध में जो आसामी के कब्जे में नहीं रहती है, उस सुधार-कार्य का लाभ उसी सीमा तक तथा उसी प्रकार उठाने का हकदार होगा जिस सीमा तक तथा जिस प्रकार उक्त भूमि को उस सुधार-कार्य से तत्पूर्व लाभ पहुंचता रहा हो।

(३) यदि किसी भूमिधारी ने कोई ऐसा सुधार-कार्य किया हो जिससे आसामी के भूमि-क्षेत्र को लाभ पहुचता हो और उक्त सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग लगान की बकाया के लिये डिक्री के निष्पादन मे बेच दिया जाय तो, खरीददार बेची गई भूमि के सम्बन्ध में उस सुधार-कार्य का उसी सीमा तक तथा उसी प्रकार लाभ उठाने का हकदार होगा जिस सीमा तक तथा जिस प्रकार उस भूमि को उस सुधार-कार्य का लाभ तत्पूर्व पहुंचता रहा हो।

७७. सुधार की लागत का रजिस्ट्रेशन—(१) यदि कोई भूमिधारी जो राज्य सरकार से भिन्न हो, या कोई आसामी यह चाहे कि किसी सुधार पर खर्च की गई रकम का निश्चयन कर दिया जाना चाहिये तो, तहसीलदार तत्प्रयोजनार्थ उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र पर और दूसरे पक्ष की सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अन्य जांच जिसे वह उपयुक्त समझे करने के पश्चात्, लागत की रकम निश्चित करेगा और उसे एक रजिस्टर मे जो विहित प्रपत्र मे रखा गया हो, दर्ज करेगा।

(२) आवेदन-पत्र के पक्षकारों अथवा उनके हित—उत्तराधिकारियों के बीच उक्त सुधार-कार्य की लागत के विषय मे तदनुवर्ती किसी कार्यवाही मे उक्त रजिस्टर में की हुई प्रविष्टि, लागत की रकम का निर्णायक सबूत होगा।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा भविष्य में मुकदमा बाजी बचाने के लिए है।

२. प्रक्रिया—आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया जायगा। न्यायालय शुल्क २५ पैसे लगेगी। यह तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद ४१ द्वारा शासित होगी। मियाद सुधार कार्य पूरा होने के बाद ६ महीने की है।

३. अपील—तहसीलदार की आज्ञा के विरुद्ध अपील कलक्टर को होगी। दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु अपील में दी गई कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

७८. सुधार सम्बन्धी विवाद—यदि कोई प्रश्न—

(क) कोई सुधार करने के अधिकार के सम्बन्ध में, या

(ख) इस विषय में कि आया कोई कार्य विशेष सुधार है, या

(ग) इस विषय में कि आया कोई कार्य धारा ७१ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या

(घ) धारा ७३ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत मुआवजे की रकम के सम्बन्ध में या उप-धारा (२) के अन्तर्गत लगान की कमी के सम्बन्ध में, या

(ङ) इस विषय में कि आया किसी सुधार के लिये मुआवजा देय है, या

(च) उक्त सुधार की रकम के सम्बन्ध में, या

(छ) किसी सुधार से धारा ७६ के अन्तर्गत लाभ उठाने के अधिकार के सम्बंध में, उत्पन्न होता है तो, सहायक कलक्टर उस प्रश्न का निर्णय, आवेदन-पत्र होने पर या अन्यथा, करेगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में गिनाई गई बातों के विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न होने की दशा में पक्षकारों के आवेदन पर अथवा अपने आप सहायक कलक्टर उसे तय करेगा।

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग ४ के मद नं० ४५ द्वारा शासित होगा। आवेदन पत्र सहायक कलक्टर को दिया जायगा। इसकी अवधि नहीं है। न्यायालय शुल्क २५ पैसा होगा।

३. अपील—सहायक कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी। अपील में दी गई आज्ञा का पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड द्वारा होगा।

अध्याय ७

वृक्ष

७९. आसामी का वृक्ष लगाने का अधिकार—(१) कोई आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में वृक्ष लगा सकता है बशर्ते कि उक्त वृक्ष भूमि की उत्पादन-शक्ति को कम न करें और उक्त आसामी भूमि-क्षेत्र का सम्पूर्ण लगान देता रहे।

(२) यदि कोई आसामी वृक्ष ऐसे ढंग से लगाता है या लगाने का विचार करता है कि जिससे ऐसी भूमि, जो उसके भूमि-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, का मूल्य कम हो जाय तो, कोई व्यक्ति जिसके हित को उससे क्षति पहुंचती हो, तहसीलदार को एक आवेदन-पत्र, उक्त भूमि में वृक्ष लगाने का प्रतिषेध करते हुए आदेश पारित करने हेतु अथवा उक्त भूमि में पहिले से लगाये गये वृक्षों को हटाने का आसामी को निर्देश देने हेतु, प्रस्तुत कर सकेगा और तहसीलदार, प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अन्य जांच जैसी कि वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदन-पत्र को ऐसे परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे मंजूर कर सकता है अथवा नामंजूर कर सकता है।

टिप्पणी

१. नियम – इस अधिनियम से पूर्व वृक्ष लगाने सम्बन्धी प्रावधान विभिन्न रियासतों के राजस्व कानूनों में एवं तत्पश्चात् राजस्थान वृक्ष हटाना (नियमन) अध्यादेश में थे जो १९४९ में बनाया गया था। इस धारा में आसामी को वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में व्यापक अधिकार दिए गए हैं जब तक कि उसके ऐसा करने से भूमि की

उत्पादन शक्ति कम न हो और आसामी पूरा लगान देता रहे। वृक्ष लगाने से आसामी की हैसियत में अन्तर नहीं आता।[1]

२. धारा भूतलक्षी नहीं है—इस धारा की उपधारा (२) भूतलक्षी प्रभाव वाली नहीं है। इसके प्रावधान केवल उन्हीं पेड़ों के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् लगाए गए हों। इसका उद्देश्य एक आसामी द्वारा लगाए पेड़ों से उसके पड़ोसी को हो सकने वाले उद्देश्य से बचाना है।[2]

३. प्रक्रिया—तहसीलदार द्वारा दी गई आज्ञा की अपील कलक्टर के यहां होगी। दूसरी अपील नहीं होगी और पुनरीक्षण राजस्व मंडल में होगा। इस उपधारा (२) के नीचे पेश होने वाले आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नं० ४६ से शासित होंगे। ये तहसीलदार के पास पेश होंगे। न्यायालय शुल्क २५ पैसे लगेगा। मियाद कुछ नहीं।

८०. इस अधिनियम के आरम्भ के समय विद्यमान वृक्षों में आसामी का अधिकार—खातेदार आसामी के भूमि-क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, यत्र-तत्र स्थित वृक्ष, इस अधिनियम में किसी बात के अथवा किसी विपरीत प्रथा या संविदा के होते हुए भी, उक्त आसामी में निहित होंगे :

परन्तु जहां ऐसे वृक्ष, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति है तो, आसामी द्वारा, उक्त व्यक्ति को उस बारे में विहित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा उन वृक्षों के लिए है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय विद्यमान थे और उससे पूर्व आसामी, भूमि धारी अथवा तीसरे व्यक्ति द्वारा काटे गए वृक्षों के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करती 'यत्र-तत्र स्थित वृक्षों' से अभिप्राय उन वृक्षों से है जिनके कारण भूमि उपवन-भूमि नहीं बनती। भूमि से पृथक् रूप से वृक्ष नहीं बेचे जा सकते।[3]

२. वृक्षों [illegible] विषय में विवाद—वृक्ष लगाने के अधिकार, उनको लगाने के तरीके, उनके स्वामित्व या उनको हटाने के अधिकार सम्बन्धी समस्त विवाद आवेदन पत्र पेश होने पर या अन्यथा तहसीलदार द्वारा तय किए जायेंगे।

८१. अनधिवासित भूमि में स्थित वृक्ष—(१) कोई व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय अनधिवासित भूमि पर स्थित किसी वृक्ष पर न्यायोचित कब्जा रखता है, उस पर निरन्तर कब्जा रखेगा और जहां उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे (let) पर दे दी जाय तो वृक्ष उस अन्य व्यक्ति में इस शर्त के अधीन निहित होंगे कि ऐसा मुआवजा दे दिया जाय जो धारा ८० के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाय।

---

1. रामनारायण v. हसन, 143 R.D. 315.
2. देवीलाल v. मालीराम, 1965 R.R.D. 61.
3. गोविन्दनारायण v. मदन मोहन, 1960 R.D. 55

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनधिवासित भूमि पर स्थित या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए लगाया गया, कोई वृक्ष भूमिधारी की सम्पत्ति समझा जायगा।

≐८२. वृक्षों का भूमि से पृथकतया अन्तरणीय नहीं होना—इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भूमि पर स्थित समस्त वृक्ष उस भूमि से सलग्न समझे जायेंगे तथा उनमें निहित कोई भी हित, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात्, भूमि से पृथकतया अन्तरणीय नहीं होगा, सिवाय उस स्थिति के जब कि उन वृक्षों की पैदावार को पट्टे पर दिया जाय जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

८३. वृक्षों को उपबन्धित रीति के सिवाय अन्यथा नहीं हटाया जा सकना—किसी कानून, प्रथा या संविदा में कोई विपरीत बात होते हुए भी, अधिवासित भूमि में स्थित कोई भी वृक्ष, धारा ८४ में उपबंधित रीति के सिवाय अन्यथा, उस भूमि से हटाया नहीं जा सकेगा।

८४. वृक्ष कब और किसके द्वारा हटाये जा सकेंगे—

+(१) विलोपित

(२) कोई खातेदार आसामी जिसके पास अधिकतम-क्षेत्र की सीमा से कम भूमि हो, अपने भूमि-क्षेत्र में स्थित वृक्षों को [किसी भी प्रयोजनार्थ]× अपनी इच्छानुसार हटा सकेगा।

÷(३) कोई गैर खातेदार आसामी, अपने भूमि-क्षेत्र में स्थित किन्हीं वृक्षों को तहसीलदार की पूर्व अनुमति से, अपने स्वयं के घरेलू अथवा कृषि सम्बन्धी उपयोगों के लिये हटा सकेगा।

(४) कोई सिकमी-आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में स्थित किन्हीं वृक्षों को, उस व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति से जिससे लेकर वह भूमि धारण करता हो, अपने स्वयं के घरेलू अथवा कृषि संबंधी उपयोगों के लिये हटा सकेगा।

(५) कोई खातेदार आसामी जिसके पास अधिकतम-क्षेत्र की सीमा से अधिक भूमि हो, एवं ऐसे किन्हीं वृक्षों को हटाना चाहे जो उसमें निहित हैं या उसकी सम्पत्ति है या उसके कब्जे में हैं, एक लाइसेंस के अनुसार जो कि सब डिवीजनल आफिसर द्वारा मंजूर किया जायगा, हटा सकेगा।

(६) उप-धारा (५) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, ∴[सब डिवीजनल आफिसर] विहित रीति से ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो तथा विहित मामले को ध्यान में रखते हुए, यथेप्सित लाइसेंस, विहित प्रपत्र में, विहित फीस का भुगतान हो जाने पर, ऐसे निर्बंधनों, शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, मंजूर कर सकेगा।

≐ राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित

\+ राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६५ द्वारा विलुप्त।

× उपरोक्त द्वारा निविष्ट।

÷ उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।

∴ राज० अधि० संख्या ७ सन् १९६० द्वारा प्रतिस्थापित।

(७) इस धारा की कोई बात ※[XXX] राज्य सरकार पर लागू नहीं होगी अथवा राजस्व अभिलेख में राज्य के नाम दर्ज की हुई किसी भूमि में स्थित किसी वृक्ष को किसी भी प्रयोजन के लिये, हटाने, या हटवाये जाने, या हटाये जाने का आदेश देने के राज्य सरकार के अधिकार या शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

[XXX]※

टिप्पणी

१. विषय—खातेदार आसामी अपनी भूमि पर स्थित वृक्ष किसी प्रयोजन के लिए काट सकता है परन्तु उपधारा (२) के नीचे अपवाद का दावा करने से पूर्व उसे साबित करना होगा कि वह विवाद ग्रस्त भूमि का खातेदार आसामी है।[1] गैर खातेदार आसामी को तहसीलदार से इजाजत लेनी पड़ेगी।

२. घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी उपयोग—उपधारा (३) व (४) में प्रयुक्त इन शब्दों का सम्बन्ध वृक्ष से है, न कि भूमि से।[2] यदि वृक्ष सूख चुके हो तो इस अध्याय के प्रावधान उन पर लागू नही होगे।[3] यदि इसके प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप हो तो उसे साबित करना चाहिए।[4]

३. वृक्षों की सुरक्षा—विद्यमान वृक्षों की सुरक्षा आसामियो और अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। वृक्षों सम्बन्धी कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। निचली अदालत द्वारा किए गए जुर्माने मे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा की गई कमी की सराहना नही की जा सकती।[5]

८५. वृक्षों से सम्बन्धित विवाद—यदि कोई विवाद—

(क) कोई वृक्ष लगाने के अधिकार के सम्बन्ध मे, या

(ख) उसे लगाने की रीति के सम्बन्ध मे, या

(ग) उसके स्वामित्व के सम्बन्ध मे, या

(घ) उसे हटाने के अधिकार के सम्बन्ध में,

उत्पन्न हो जाय तो, उक्त विवाद का निर्णय आवेदन-पत्र देने पर या अन्यथा, तहसीलदार द्वारा किया जायगा।

८६. अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियां—जो कोई धारा ८३ या धारा ८४ के समस्त उपबधो का या उनमे से किसी का या तदन्तर्गत मंजूर किये गये लाइसेंस के किसी निर्बंधन

※ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

1. मूरा v. मुरारदान, 1955 R.L.W. (R.S.) 7.
2. बद्री प्रसाद v स्टेट, 1954 R. L. W. (R.S.) 100 : 1954 R.R.D. 25.
3. मामदार ठिकाना निभेड़ा कला v. जगपाल, 1955 R.L.W.(R.S.) 139.
4. कल्याण v स्टेट, 1965 R R D. 235.
5. उपरोक्त

शर्त या प्रतिबन्ध का उल्लंघन करता है, ÷[आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने या रिपोर्ट किये जाने पर, सहायक कलक्टर द्वारा—]

×(क) प्रथम उल्लंघन की दशा में,

[१] जहां वृक्ष हटाया गया हो, ऐसे जुर्माने से जो हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिये एक सौ रुपये तक हो सकेगा; तथा

[२] अन्य मामलों में, ऐसे जुर्माने से जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा; तथा

(ख) द्वितीय अथवा तदनुवर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे जुर्माने से जो खण्ड (क) में अधिरोपित किये जा सकने वाले जुर्माने की रकम के दुगुने जुर्माने तक हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा

÷[और कोई वृक्ष या लकड़ी जिसके विषय में उक्त उल्लंघन किया गया हो, राज्य सरकार के हक में जब्त की जा सकेगी।]

∴८७. विलोपित

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में धारा ८३ व ८४ के उल्लंघन पर दण्ड का विधान है। इस अध्याय में शब्द 'वृक्ष' से तात्पर्य जीवित, हरे वृक्ष से है और उसके सूख जाने पर वह वृक्ष नहीं रह जायेगा।[1]

२. प्रक्रिया—यह धारा अपने आप में सम्पूर्ण है। इसकी कार्य विधि राजस्व प्रकार की है न कि फौजदारी प्रकार की जब तक कि वृक्ष किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन में से नहीं हटाए जावें। इस विषय में अभियोग पर सहायक कलक्टर विचार करेगा जिसे उसका निपटारा न्यायिक तरीके से करना होगा। जब वृक्ष सरकार की भूमि से हटाए जावें तो राज्य की ओर से लम्बरदार को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह बात साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पर है कि काटा गया वृक्ष हरा था। ऐसे आवेदन-पत्र तृतीय अनुसूची के भाग दो के मद ४८ द्वारा शासित होंगे। न्यायालय शुल्क २५ पैसा है। मियाद कुछ नहीं। अपील राजस्व अपील अधिकारी को व पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

३. जुर्माने की मात्रा—जुर्माने की रकम अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। जहां १२० वृक्ष काटने पर केवल २५) रु० जुर्माना किया गया तो इसे बहुत अपर्याप्त समझा गया।[2]

+ राज० अधि० संख्या ७ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

× राज० अधि० संख्या २५ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

÷ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया।

∴ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

1. रामधार तिवारी निम्बेड़ा v. सरकार, 1955 R.L.W. (R.S.) 139.
2. बद्री प्रसाद v. स्टेट, 1954 R.R.D. 21.

अध्याय ८

घोषणात्मक दावे

८८. अधिकार की घोषणा किये जाने हेतु दावे—(१) कोई व्यक्ति जो आसामी या सह-आसामी है इसकी घोषणा करवाने के लिये कि वह आसामी है अथवा उस संयुक्त काश्तकारी में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिये दावा कर सकेगा।

(२) खुदकाश्त का आसामी इस घोषणा के लिये दावा कर सकेगा कि वह खुदकाश्त का आसामी है।

(३) शिकमी-आसामी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लेकर वह भूमि धारण करता है यह घोषणा करवाने के लिये दावा कर सकेगा कि वह शिकमी-आसामी है।

(४) राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी ऐसे व्यक्ति पर जो किसी भूमि-क्षेत्र का आसामी या सह-आसामी, अथवा खुदकाश्त का आसामी या शिकमी-आसामी होने का दावा करता है, उसके अधिकार की घोषणा के लिये दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस अधिनियम में यथा परिभाषित आसामी, सह आसामी, खुदकाश्त का आसामी और शिकमी-आसामी घोषणा के लिए दावा ला सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के अतिरिक्त भूमि-धारी भी इनके विरुद्ध घोषणा के लिए दावा ला सकता है। देव मूर्ति भी एक विधि-व्यक्ति (कानून की दृष्टि से व्यक्ति) होती है और इस धारा के अर्थान्तर्गत वह आसामी हो सकती है।[1] यथोल्लिखित अनुतोष अधिनियम (कानून दादरसी खास) की धारा ४२ के साथ पठित यह धारा राजस्व न्यायालयों पर आसामी होने के दावेदार व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा के लिए विस्तृत शक्तियां प्रदान करती है। घोषणा कारी व्यादेश देना विवेकाधीन है।[2]

३. आनुषंगिक (परिणामी) अनुतोष—दावे में अनुतोष में घोषणा के साथ आनुषंगिक (Consequential Relief) का मांगा जाना आवश्यक है अन्यथा दावा सही नहीं होगा।[3] जैसे यदि कोई वादी घोषणा के लिए तो दावा करदे और प्रतिवादी का कब्जा होते हुए भी वापिस कब्जा पाने का अनुतोष (दादरसी) नहीं चाहे तो दावा चलने योग्य नहीं होगा।

४. सबूत का भार—यह घोषणा चाहने के लिए कि वादी आसामी है, अपनी आसामी की हैसियत साबित करने का भार वादी पर है न कि उसको ना साबित करने का भार प्रतिवादी पर।[4] जहां भूमि संयुक्त कब्जे में दिखाई गई है और वादी सहभागी

1. रघुवरदास v. काशीनाथ राव, 1949 R.D. 1.
2. अब्दुल बारिक v. मालूदा खातून, A. I. R. 1955 Tripura 2.
3. दत्तात्रय राम राव v. शकुन्तला बाई, A.I.R. 1956 Nagpur 95.
4. शिवनन्दन सिंह v. प्रीतम, 1949 R D. 357

के अधिकार घोषणा का दावा लाना है तो विभाजन साबित करने का भार प्रतिवादी पर होगा।[1]

५. दुरुस्ती की कार्यवाही घोषणा के लिए दावों में बाधा नहीं—जहां कोई आसामी बन्दोबस्त में आसामी दर्ज होने से रह जावे और केवल शिकमी दर्ज हो जावे और उसकी दुरुस्ती के लिए आवेदन पत्र खारिज हो जावे तो वह आज्ञा इस धारा के नीचे वाद में घोषणा के लिए लाए जाने वाले वाद में बाधा नहीं होगी।[2]

६. कुआँ बाबत घोषणा—भूमि क्षेत्र में कुआ सम्मिलित है जो चाहे आसामी के भूमि-क्षेत्र से अलग नम्बर पर ही हो। अधिनियम के नीचे के मामलों में या अनुसूची तृतीय में वर्णित घोषणा एवं व्यादेश के दावे राजस्व न्यायालय में एवं केवल सुखाधिकार के दावे सिविल न्यायालय में होंगे।[3]

७. प्रक्रिया—वादी के अधिकार की घोषणा के दावे सहायक कलक्टर के यहां होंगे और अनुसूची तृतीय भाग १ के मद नं० ५ द्वारा दाखिल होंगे। न्यायालय शुल्क ५० पैसा होगा परन्तु प्रत्येक आनुषंगिक अथवा आगे के अनुतोष के लिए अलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

८९. काश्तकारी-वर्ग आदि के लिये दावे—काश्तकारी के दौरान किसी भी समय, आसामी अथवा राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी, निम्नलिखित समस्त मामलों या उनमें से किन्हीं की घोषणा के लिये दावा कर सकेगा—

(क) वर्ग जिसमें आसामी आता है।

(ख) भूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) के क्षेत्र-फल, संस्थापित प्लॉट, अथवा उसकी सीमाएँ।

(ग) भूमि-क्षेत्र के विषय में देय लगान तथा उसे चुकाने की रीति।

(घ) लगान नकद में देय होने की दशा में, वे तारीखें जिनको तथा वे किस्तें जिनमें, लगान का भुगतान किया जाना है।

(ङ) लगान जिन्स में देय होने की दशा में, फसलों के मूल्य-निर्धारण, विभाजन या परिदान (डिलीवरी) का समय, स्थान और रीति।

(च) गैर-दखीलदार आसामी, या पुनर्दान में आसामी या शिकमी-आसामी की दशा में, समयावधि जिसमें काश्तकारी कायम रहती है, और

(छ) कोई भी विशिष्ट शर्तें जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के नीचे दावा मुख्यतः भूमिधारी और उसके आसामी के

---

1. नारायण v. किशनलाल, 1965 R.R.D. 393
2. जोराबर v. बिहारी, 1937 R.D. 82
3. रामसार मीना v. रामनाथ गूजर, 1967 R.R.D. 366

बीच या उससे उलटा होना है और केवल इस धारा में बताये गए मामलों के लिए ही हो सकता है। नकारात्मक घोषणा कि वादी लगान देने का दायी नहीं है इस धारा के नीचे हो सकता है।[1] किसी खेत की सीमा की पत्थर गड़ी के लिए दावा इस धारा के नीचे नहीं हो सकता।[2]

२. वादकारणों का संयोजन (Joinder of Causes of action)—यदि पक्षकार वे ही हों तो कई भूमि-क्षेत्रों के विषय में एक ही दावा पेश किया जा सकता है।[3] यदि पक्षकार एक ही नहीं हो तो वाद कारणों का दुर्संयोजन (misjoinder) हो जायगा और वाद खारिज हो सकेगा।[4]

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची भाग प्रथम के मद नं० ९ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के यहां पेश होगा। नियत न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा और आगे और अनुतोष चाहे जाने पर प्रत्येक अनुतोष के लिए अलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु काश्तकारी के चालू रहने के दौरान दावा होना चाहिए। पहली अपील रा० अ० अ० को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

१०. भूमि के खुदकाश्त होने की घोषणा के लिये दावा—जब किसी ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में आसामी का यह दावा हो कि वह उसकी भूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) है या उसमें वह काश्त करता है, के विषय में भूमिधारी भी यह दावा करे कि वह उसकी खुदकाश्त है तो, उक्त आसामी अथवा भूमिधारी अपनी स्थिति की घोषणा के लिये दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—जब भूमि को भूमिधारी तो अपनी खुदकाश्त बतावे और आसामी उसे अपना भूमि-क्षेत्र बतावे तो उनमें से कोई भी इस धारा के नीचे दावा ला सकता है। यह धारा उस समय लागू होगी जब कि भूमि-धारी प्रतिवादी को भूमि-क्षेत्र का आसामी तो स्वीकार करता हो परन्तु विवाद केवल कृषि-अधिकार की किस्म (Class of tenancy) के विषय में हो।[5]

२. कब्जे का प्रश्न—इस धारा के नीचे किए गए दावे में कब्जे के बारे में एक राय तो यह है कि भूमि-धारी तो अपनी भूमि का प्रलक्षित कब्जा (Constructive possession) रखता है—उसका काश्त द्वारा कब्जा होना आवश्यक नहीं है। उससे तो यही साबित करने की अपेक्षा की जाती है कि भूमि उसकी खुदकाश्त के रूप में है। दूसरी राय यह है कि

1. स्वामीनाथ दुबे v. दुबार केवट, 1947 R.D. 151
2. जमना सरण v. दुर्गाप्रसाद, 1949 R.D. 414
3. धारा ९२
4. महादेवसिंह v. मुहम्मद फारूख, 1952 R.D. 12
5. सत्यदेव दुबे v. कस्तूरी मल, 1954 R.D. 629.

दावे में डिक्री नहीं दी जा सकती यदि यह साबित नहीं हो जाता कि खुदकाश्त के रूप में जिस भूमि पर दावा है उस पर वादी का कब्जा है। यहां हमारा विनम्र निवेदन है कि पहली राय सही है और राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों मे सुसंगत है।

३. वाद कारणों का संयोजन—देखिए धारा ८६ पर टिप्पणी।

४. प्रक्रिया-इस धारा के नीचे दावे तृतीय अनुसूची भाग १ के मद नं० ७ द्वारा शासित हैं। सहायक कलक्टर के यहां वे पेश होंगे परन्तु उनमें स्वामित्व का प्रश्न उठे तो सिविल न्यायालय में भेजे जावेंगे। न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा। यदि आनुषंगिक या आगे का अनुतोष चाहा जावे तो प्रत्येक के लिए अलग शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु कब्जा पाने की मियाद में दावा पेश हो जाना चाहिए। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और स्वामित्व का प्रश्न होने पर सक्षम सिविल न्यायालय में होगी जहां कि स्वामित्व का प्रश्न तय करने वाले अधीनस्थ सिविल न्यायालय की अपील होती है। द्वितीय अपील, यथा स्थिति, राजस्व बोर्ड अथवा उच्च न्यायालय में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

९१. अन्य अधिकारों की घोषणा के लिये दावा—कोई व्यक्ति, निर्दिष्टतया अन्यथा उपबंधित होने की स्थिति के सिवाय, अपने उन समस्त अधिकारों अथवा उनमें से किन्हीं की घोषणा के लिये जो उसे इस अधिनियम, द्वारा प्रदत्त हों, एवं जिनके लिये अन्यथा उपबंध किये हुए नहीं हों, दावा कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में उन मामलों का समावेश किया गया है जिनको पिछली तीन धाराओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के नीचे अधिकार तो प्रदान किए गए हैं परन्तु जिनका मामला पिछली तीन धाराओं में नहीं आता तो वह राजस्व न्यायालयों में दावा ला सकता है। इसलिए इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों के लिए इस धारा के नीचे घोषणा की जा सकती है।

पांचा V. हरगोविन्द (1962 R. L. W (R.S.) 76 : 1962 R. R. D. 169) में राजस्व मंडल ने यह तय किया था कि जहां इस अधिनियम की धारा ५ (२८) के अर्थों में कोई भूमि चरागाह भूमि की भांति काम आ रही हो तो उस भूमि को चरागाह भूमि घोषित करने का दावा धारा ९१ के नीचे राजस्व न्यायालय में चलता नहीं था। परन्तु हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान राजस्व बोर्ड की पूर्ण पीठ (फुल बेंच) के उस निर्णय को उलट दिया है और यह निर्णय दिया है कि जहां ग्राम निवासियों का अधिकार किसी चरागाह भूमि में येवन रिवाज या रूढ़ि (Custom) के कारण हो तो उस बाबत घोषणा का दावा राजस्व न्यायालयों द्वारा विचारणीय नहीं होगा।[1]

1. मानूराम v. राजस्व बोर्ड, 1967 R.R.D. 376.

जितना उसके व भूमि-धारी के बीच तय हो जाय।

टिप्पणी

यह धारा भूतलक्षी नहीं है और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् स्वीकार किए गए आसामियों पर लागू होती है। भूमि क्षेत्र पर प्रविष्ट (स्वीकार) कर लिए जाने के समय आसामी और भूमि धारी के बीच जो लगान तय हो जाय वह दिया जायगा परन्तु यह धारा ९७, ९८, ९९ व १०४ के उपबन्धों के अधीन होगा।[1] यदि तय शुदा लगान इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है तो ऐसा करना उस सीमा तक शून्य होगा।

९५. लगान के सम्बन्ध में अनुमान– आसामी द्वारा देय लगान या लगान-दर वह लगान या लगान-दर मानी जायेगी जो उसके द्वारा धारा ९४ के अन्तर्गत देय हो, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार परिवर्तित न करदी जाय।

टिप्पणी

इस धारा का प्रभाव यह है कि किसी आसामी द्वारा देय लगान ही उसके द्वारा पूर्व में दिया जाने वाला अनुमानित लगान माना जायगा। उसमे धारा १२० के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। चुकाया जाने वाले लगान से अभिप्राय वास्तविक रूप में चुकाये गए लगान से नही है।[2]

लगान की उच्चतम सीमाएं

९६. अधिकतम नकद-लगान जो सरकार वसूल कर सकेगी - किसी विपरीत कानून, नियम, प्रथा, रिवाज या रीति के होते हुए भी, नकद लगान के रूप में ऐसे आसामी से जो सीधे राज्य सरकार से लेकर भूमि धारण करता है वसूल की जा सकने योग्य अधिकतम राशि—

(क) जहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में लगान बन्दोबस्त के दौरान निश्चित किया जा चुका हो, उस भूमि के सम्बन्ध में तत्पूर्व बन्दोबस्त मे स्वीकृत लगान-दर से, तथा

(ख) जहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में लगान, बन्दोबस्त के दौरान निश्चित नहीं किया गया हो, निकटस्थ तत्सदृश भूमि के सम्बन्ध मे तत्पूर्व बन्दोबस्त मे स्वीकृत लगान-दर से अधिक नही होगी।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा तभी लागू होती है जबकि भूमि सीधी सरकार से धारण की गई हो। जब लगान की दरों के विषय मे विवाद हो तो पटवारी स्वीकृत दरों को साबित करने के लिए सक्षम नही है।[3] बन्दोबस्त की दरों को साबित करने का ठीक तरीका यह है कि महालवार कर निर्धारण दफ्तर से सुसंगत उद्धरणों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावे।[4]

1. कजोड़मल v. मूलिया, 1962 R.R.D. 76
2. दुखी v. विजय बहादुरसिंह, 1930, 14 R.D. 91
3. कन्हैयालाल v. साहिब राजा कपूरथला, 1944 R.D. 543.
4. उपरोक्त

न्यायालय को बन्दोबस्त की दर निश्चित करने का अधिकार नहीं है।[1]

९७. अधिकतम नकद-लगान निर्धारित करने वाली सत्ता—किसी विपरीत प्रथा, रिवाज अथवा रीति या तत्समय प्रभावशील किसी विधि, अधिनियमिति, नियम, डिक्री या आज्ञा में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नकद लगानों की वह अधिकतम मात्रा निर्धारित कर सकेगी जो भू-सम्पत्ति-धारक द्वारा आसामी से या आसामी द्वारा शिकमी-आसामी से, धारा ९८, ९९, और १०० के उपबन्धों के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

९८. भू-राजस्व बन्दोबस्त में निश्चित हो जाने की दशा में अधिकतम लगान—ऐसे क्षेत्रों में जहां भू-राजस्व बन्दोबस्त में निश्चित हो गया हो, और लगान आसामियों द्वारा नकद में देय है, राज्य सरकार, वह अधिकतम लगान जो भू-सम्पत्तिधारक वसूल कर सकेगा, भू-राजस्व की रकम तथा कृषि-सम्बन्धी दशाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगा और उक्त भू-राजस्व की रकम के तीन-गुने से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी

जब लगान निश्चित नहीं कर दिया हो तो भूमि धारी उसके व आसामी के बीच तय होने वाली अधिकतम राशि लेने का हकदार है। इस धारा व धारा १०१ के नीचे अधिकतम लगान तभी वसूल किया जा सकता है जबकि इस इलाके का बन्दोबस्त हो चुका हो।[2] परन्तु यदि तय शुदा लगान अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक हो तो वह उस सीमा तक शून्य है।[3]

९९. ऐसे क्षेत्रों में जिनमें लगान बन्दोबस्त में निश्चित किया जा चुका हो, अधिकतम लगान—ऐसे क्षेत्रों में जिनमें लगान बन्दोबस्त द्वारा निश्चित कर दिया हो, और शिकमी-आसामी लगान नकद में देते हों, आसामी द्वारा अपने शिकमी-आसामी से वसूल किया जाने वाला अधिकतम-लगान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ताकि वह उस रकम के दुगने से अधिक न हो जो उक्त आसामी द्वारा देय है।

१००. कतिपय दशाओं में उच्चतर अधिकतम-राशि—धारा ९८ तथा ९९ में निहित किसी बात के होते हुए भी, नगरीय क्षेत्र में किसी भूमि-क्षेत्र के सम्बन्ध में देय, अथवा किसी विधवा, अवयस्क, असमर्थ-व्यक्ति या २५ वर्ष से कम आयु के ऐसे विद्यार्थी जो किसी मान्यता-प्राप्त स्कूल में अध्ययन कर रहा हो, को देय नकद-लगान की राशि, उस रकम की डेढ़-गुनी तक हो सकेगी जो उक्त धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण—'नगरीय क्षेत्र' से, इस धारा के अन्तर्गत, तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें आबादी भूमि तथा कृषि भूमि कम से कम १५००० जन संख्या वाले कस्बे से दो मील की दूरी पर है।

---

1. विजिलचन्द्र v. जगमोहन, 1941 R.D. 955.
2. नारायण v. नाथीराम, 1959 R.R.D. 77.
3. भाकरसिंह v. मानमल, 1958 R.R.D. 146.

※ [१०१. अधिकतम राशि वर्तमान लगान-दर से ऊपर वृद्धि करना हेतु क्रियाशील नहीं होगी—धारा ९८, ९९ तथा १०० के उपबन्धों के अनुसार धारा ९७ के अधीन निर्धारित अधिकतम लगान, किसी ऐसे आसामी या शिकमी-आसामी से वसूल किये जाने वाले लगान में वृद्धि करने का कार्य नहीं करेगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय उस अधिकतम-दर की अपेक्षा कम दर से लगान दे रहा हो जो उक्त रूपेण निर्धारित की जा सके।

१०१-अ. अधिकतम सम्बन्धी उपबन्ध उन भूमियों में लागू नहीं होंगे जिनमें फलदार वृक्ष हों तथा जिनका बन्दोबस्त नहीं हुआ हो—धारा ९८, ९९तथा १०० के उपबंध उन भूमियों पर लागू नहीं होंगे जिनमें फलदार वृक्ष लगे हुए हों तथा जिनके विषय में भू-राजस्व निर्धारित नहीं किया गया हो।]

१०२. वसूली करली गई अतिरिक्त रकम की वसूली—यदि कोई भूमिधारी धारा ९८, ९९ और १०० के साथ पठित धारा ९७ के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम लगान से अतिरिक्त लगान वसूल करता है तो आसामी द्वारा एक आवेदन-पत्र उक्त वसूली से तीन वर्ष × के भीतर तहसीलदार को दिये जाने पर उक्त अतिरिक्त लगान उस भूमिधारी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

÷ [१०३. कतिपय मामलों में जिन्सी लगानों का नकद लगानों में परिवर्तन—ऐसे क्षेत्रों में जिनमें लगान-दरें विकसित (evolved) निश्चित तथा स्वीकृत नहीं की गई हों लेकिन कर-निर्धारण सर्किल बना दिये गये हों तथा सर्किल-दरें निश्चित कर दी गई हों, सहायक कलक्टर, आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर, उक्त सर्किल-दरों के आधार पर आसामी द्वारा देय नकद-लगान निश्चित कर सकेगा और इस प्रकार निश्चित किये गये लगान की घोषणा, विहित रीति से, गांव में कर सकेगा।]

१०४. जिन्सी लगान की उच्चतम दरें—(१) किसी विपरीत अनुबंध, प्रथा, रिवाज या रीति के होते हुए भी, जहां लगान जिन्स में देय हो वहां भूमिधारी आसामी से जो अधिकतम-लगान वसूल कर सकेगा वह प्रत्येक फसल की समग्र-उपज (gross produce) के १/६ भाग से अधिक नहीं होगा।

+[परन्तु राज्य सरकार, इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम जिन्सी-लगान के उपर, शासकीय + राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, ऐसा आधिक्य निश्चित कर सकेगी जो धारा ४६ की उप-धारा १ के खण्ड, (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में वर्णित व्यक्तियों में से किसी को शिकमी-आसामी द्वारा लगान के रूप में देय हो।]

※ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

× राज० अधि० संख्या ७ सन् १९६० द्वारा प्रतिस्थापित।

÷ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया। तथा २ सन् १९५८ द्वारा संशोधित किया गया।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा में पद "समग्र उपज" में पुआल, भूसा, या फसल के सूते डंठल, या घास अथवा पाला, लूंग पत्ती या पपड़ी या ऐसी ही अन्य कोई प्राकृतिक उपज, सम्मिलित नहीं है।

(२) उप-धारा (१) की कोई बात—

(क) धारा ९४ के अन्तर्गत सहमति से तय किये गये अथवा धारा ११५ के अन्तर्गत निश्चित लगान के रूप में, आसामी द्वारा देय रकम अथवा आनुपातिक राशि, जो भी हो, में वृद्धि करने का कार्य नहीं करेगी या

(ख) किसी फसल जैसे कपास, चारा, जीरा, धनियां, तम्बाकू, अलसी तथा ऐसी ही अन्य फसलों के बारे में पूर्वानुकूल दर के अनुसार देय किसी नकद-लगान (जिसे स्थानीय रूप में बीघोड़ी कहते हैं) को प्रभावित नहीं करेगी, या

(ग) राजस्थान माईनर इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज वर्क्स एक्ट १९५३ (राजस्थान एक्ट १२, सन् १९५३) के उपबंधो के अनुसार लगान में, कमी करवाने के आसामी के हक को अथवा वृद्धि करवाने के भूमिधारी के हक को बाधित नहीं करेगी, या

(घ) इस एक्ट से भिन्न तत्समय प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत लगाये गये किसी शुल्क, दर या प्रभार के भुगतान को, प्रभावित नहीं करेगी।

टिप्पणी

१. विषय—उपधारा (१) उन सब मामलों में लागू होती हैं जहां लगान जिस रूप में दिया जाता हो बिना इस विचार के कि उनका निश्चयन कैसे किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह केवल उन्हीं मामलों में लागू नही होती जहां लगान फसल के अनुमान या कूंते पर आधारित होता है अथवा जहां उपज को किसी अनुपात में भूमिधारी तथा आसामी के बीच विभाजित कर लिया जाता है।[1]

२. अधिकतम लगान—उपज पर लगान प्रत्येक फसल पर पैदावार के ⅙ भाग से अधिक नहीं हो सकता। अतः हकदार होने पर भी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् इसके उपबन्धों द्वारा विहित सीमा से अधिक लगान भूमिधारी जिसमें आसामी भी सम्मिलित है, नहीं ले सकता।[2]

१०५. जहां उपज में भूमिधारी योगदान देता हो वहां किसी लगान की दर उच्चतर होगा—जहां भूमिधारियों द्वारा खिदमी-आसामियों अथवा गुदकाश्त के आसामियों के साथ ऐसा अनुबंध किया जाय कि वे (भूमिधारी) फसल में हिस्सा लेंगे और खाद तथा बीज पर हुए व्यय का पचास प्रतिशत भूमिधारी स्वयं देकर उपज में योगदान करे तो, धारा १०४ के अनुसार वसूल किया जाने वाला किसी लगान समग्र-उपज के १/४ तक हो सकेगा :

परन्तु फसल में हिस्सा बंटाने का अनुबंध इस धारा के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय द्वारा

1. बजोरमल v. भूलिया, 1962 R.R.D. 76.
2. रामसहाय v. छोटिया, 1961 R.R.D. 124.

तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उक्त अनुषंग भूमिधारी द्वारा गैरमौरूसी-आसामी या खुदकाश्त के आसामी के साथ पंजीयित लेख-पत्र के जरिये संपादित नहीं किया गया हो।

लगान का हिसाब लगाना

१०६. लगान का हिसाब कैसे लगाया जायगा—किसी भूमिक्षेत्र के लगान का हिसाब साधारणतया उस क्षेत्र के लिये जिसमें उक्त भूमि-क्षेत्र स्थित है, स्वीकृत तथा निश्चित की गई लगान-दरों के अनुसार लगाया जायगा।

टिप्पणी

बन्दोबस्त के दौरान आसामी से वसूल किया जाने वाला प्रारंभिक लगान वही हो सकता है जो उसके और भूमिधारी के बीच तय हो चुका हो।[1] जब आसामी को बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा लगान निश्चित करने के पश्चात् प्रवेश मिले तो वह इस पर निश्चित दर ही दे सकता है न कि तय शुदा लगान यदि वह अधिक हो।[2]

लगान की दरें और लगान-दर भूमिधारी की नियुक्ति

१०७. कतिपय स्थितियों में लगान की दरों का निश्चयन—किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसके लिये लगान की दरें निश्चित नहीं की गई हो या जिसमें बन्दोबस्त की अवधि समाप्त होने के पहिले ही लगान की दरों का पुनरीक्षण आवश्यक समझा जाय, राज्य सरकार❀[शासकीय राजपत्र] में अधिसूचना द्वारा—

(१) यह आदेश दे सकती है कि उक्त क्षेत्र में या किसी जिले या उसके किसी भाग में लगान की दरें पुनरीक्षण द्वारा या अन्यथा निश्चित की जायेंगी, और

(२) किसी भी अधिकारी को जो सहायक कलक्टर से नीचे पद का न हो, जिसे एतत्पश्चात् लगान-दर अधिकारी सम्बोधित किया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लगान की दरें प्रस्तावित करने के लिये नियुक्त कर सकेगी।

टिप्पणी

इस धारा के अन्तर्गत लगानदर-अधिकारी की नियुक्ति की जायगी जिसका दरजा सहायक कलक्टर से नीचे का नहीं होगा।

१०८. लगान-दरों की अवधि—जब किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये लगान-दरें इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत निश्चित कर दी गई हो तो वे उस समय तक पुनर्निश्चित नहीं की जायगी जब तक कि उक्त क्षेत्र या उसके किसी भाग के बन्दोबस्त की अवधि समाप्त न हो जाय :

परन्तु राज्य सरकार अवधि समाप्त होने से पूर्व भी लगान-दरों के पुनर्निश्चयन का

---

1. सेता V. हरदवाराम, 1960 R.R.D. 93
2. उपरोक्त।

❀ राज० अधि० संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

आदेश इस आधार पर दे सकती है कि कृषि-संबंधी उपज या किसी विशेष प्रकार की उपज की दरों में सारभूत वृद्धि या कमी हुई है :

परन्तु यह और है कि राज्य सरकार कृषि-उपज की दरों में कोई सारभूत वृद्धि या कमी न होने की स्थिति में या प्रशासनिक सुविधाओं के कारण, लगान की दरों के पुनर्निश्चयन को ऐसी अवधि के लिये स्थगित कर सकती है जिसे वह उचित समझे।

टिप्पणी

धारा १०७ के नीचे निश्चित दरें पुनः निश्चित तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उस क्षेत्र अथवा भाग के बन्दोबस्त की अवधि समाप्त नहीं हो जाय। फिर भी इस धारा में दिए गए आधारों पर राज्य सरकार लगान दरों को इससे पूर्व भी फिर निश्चित करने की आज्ञा दे सकती है।

१०९. लगान अधिकारी की अतिरिक्त शक्तियां—(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लगान दरों के प्रस्ताव करने के साथ लगान-दर अधिकारी, यदि वह ऐसा करने के लिये सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लगान के निश्चयन, अन्तर्वर्तन, कमी तथा वृद्धि के वादों का भी निर्णय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करेगा।

(२) ऐसे वाद उसके न्यायालय में ऐसी अवधि के भीतर दायर किये जा सकेंगे जिसे वह बोर्ड की स्वीकृति से निश्चय करे और उन वादों में पारित डिक्रियों तथा आदेशों की अपील, पुनरीक्षण तथा पुनरावलोकन उसी प्रकार किया जा सकेगा मानों वे किसी सहायक कलक्टर द्वारा पारित डिक्रियां तथा आदेश हों।

टिप्पणी

इस धारा के नीचे किए जाने वाले दावे तृतीय अनुसूची के भाग १ के मद ६ द्वारा शासित होंगे। ये लगान-दर अधिकारी के न्यायालय में पेश होंगे। इनकी मियाद लगान-दर अधिकारी राजस्व मंडल की स्वीकृति से निश्चित की जायगी जिसके गुजरने के पश्चात् वे उस न्यायालय में दायर किए जायेंगे जिसमें साधारणतः होते हों। न्यायालय शुल्क ५० पैसे होगा। डिक्री की प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी को व दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी। लगान-दर अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील राजस्व अधिकारी को होगी। राजस्व बोर्ड को द्वितीय अपील नहीं होगी अतः राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण होगा।

लगान-दरों के निश्चयन की प्रणाली

११०. सर्किलों (हल्कों) का निर्माण तथा मृदा (मिट्टी) वर्गीकरण—(१) लगान-दर अधिकारी, यदि वह क्षेत्र जिसके लिये लगान-दरें निश्चित की जानी हैं, पहिले से ही कर-निर्धारण हल्कों में विभाजित हो, प्रत्येक हल्के के लिये तथा उसकी मिट्टी की हर एक पृथक किस्म के लिये, पृथक पृथक दरें प्रस्तावित करेगा।

(२) यदि वह क्षेत्र जिसके लिये लगान की दरें निश्चित की जानी हैं कर-निर्धारण हल्कों

मे विभाजित नहीं किया गया हो या उसकी मृदा का वर्गीकरण नहीं किया गया हो अथवा उसका पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित हो तो लगान-दर अधिकारी, राजस्थान लैण्ड्स समरी सैटिलमेण्ट एक्ट १९५३ (राजस्थान एक्ट १९, सन् १९५३) मे निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार मृदा का वर्गीकरण करेगा तथा हल्कों का निर्माण करेगा और प्रत्येक हल्के की हर किस्म की मृदा के लिये लगान-दरें प्रस्तावित करेगा।

टिप्पणी

इस धारा मे बताया गया है कि लगान-दरे निश्चित करने के लिए मृदा (मिट्टी) का वर्गीकरण (चक तराशी) करना होता है और प्रत्येक प्रकार के चक के लिए इसकी मिट्टी की किस्म (काली, चिकनी, बालू इत्यादि) के अनुसार लगान की दर निश्चित की जायेगी।

१११. दरों के आधार – लगान दर अधिकारी ऐसी लगान-दरों का प्रस्ताव करेगा जो उसे न्याय-संगत प्रतीत हों और ऐसा करने में निम्नलिखित बातो का ध्यान रखेगा तथा उनसे तुलना करेगा—

(१) जिन आसामियो ने सारभूत क्षेत्रो मे निरन्तर कई वर्षों तक खेती की और उनमे उनकी प्रविष्टि समय समय पर स्वीकृत की गई, उनके द्वारा भुगतान किये गये लगान की दरो के स्तर,

(२) ऐसे समय पर समीपस्थ मुख्य मंडियों मे कृषि-उपज की प्रचलित कीमतें,

(३) उगाई गई फसलो और उपज की मात्रा मे हेरफेर

(४) उपज का मूल्य, यह देखने के लिये कि प्रस्तावित दरों के अनुसार भूमि-क्षेत्र का मूल्य उपज के मूल्य के १/६ भाग से अधिक तो नही है,

(५) फसलो का हेरफेर (rotation) तथा वे अवकाश-काल जो साधारणतया आसामियो द्वारा भूमि को दिये जाते है;

(६) उन स्थानीय-क्षेत्रो मे जिनके लिये दरें प्रस्तावित की गई हैं तथा राज्य के अन्य भागो मे, फसल की कटाई के प्रयोगो के परिणाम;

(७) कृषि-व्यय, तथा कृषक के अपने व अपने परिवार के निर्वाह का व्यय, और

(८) ऐसी अन्य बातें जिनका आसामियों द्वारा दिये जाने वाले लगानो पर साधारणतया प्रभाव पड़ता है।

११२. प्रस्तावित दरों को, उनमे संशोधन करते हुए या बिना संशोधन के, व्यवहार में लाया जाना—लगान-दर अधिकारी प्रत्येक गाव के सबध मे यह भी लिखेगा कि जो दरे उसने प्रस्तावित की है बिना संशोधन व्यवहार मे लाई जानी हैं या उनमें किसी सीमा तक कोई संशोधन, सम्पूर्ण गाव, या उसके किसी निर्दिष्ट भाग या मृदा के प्रसग में किया जाना है और उन्हे उक्त गाव, भाग या मृदा मे व्यवहार करने मे यह समझा जायगा कि उनमे तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

११३. विशिष्ट मामलों मे दरों की व्यवस्था—लगान-दर अधिकारी—

[१] जिन क्षेत्रों में, कृषि अस्थिर तथा परिवर्तनशील हो, उन क्षेत्रों के लिये संशोधित लगान दरें, और

[२] गांव के लगान के अधिकांश का भुगतान जिन्स में किया जाने के साथ में उक्त लगानों के अन्तर्वर्तन (commutation) की दरें ;

भी प्रस्तावित करेगा।

११४. लगान-दरों के प्रकाशन तथा उनकी स्वीकृति की प्रणाली—(१) लगान-दर अधिकारी अपने द्वारा पूर्व धाराओं के अन्तर्गत किये गये प्रस्तावों तथा अभिलेखों को ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो निर्धारित की जाय और उन प्रस्तावों तथा अभिलेखों के संबंध में पेश की जाने वाली आपत्तियों को प्राप्त करके उन पर विचार करेगा।

(२) जब ऐसी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, निर्धारित रीति से विचार करने के बाद निर्णय कर दिया जाय तो लगान-दर अधिकारी अपने द्वारा किये गये प्रस्तावों और अभिलेखों को ऐसे संशोधनों के बाद, यदि कोई हों, बोर्ड को भेजेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(३) उप-धारा (२) के अन्तर्गत लगान-दर अधिकारी द्वारा भेजे गये प्रस्तावों तथा अभिलेखों की प्राप्ति पर, बोर्ड उन प्रस्तावों को ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे, अनुमोदित या परिवर्तित कर सकेगा और तत्पश्चात उन्हें मंजूरी के लिये राज्य सरकार को संप्रेषित करेगा।

(४) राज्य सरकार उन प्रस्तावों को, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, मंजूर कर सकती है या उनको बोर्ड के पास पुनः विचारार्थ वापिस लौटा सकती है।

(५) राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत लगान-दरें, सम्बन्धित क्षेत्र के लिये उस समय तक लगान की दरें होंगी जब तक कानून के अनुसार परिवर्तित अथवा संशोधित न कर दी जायं।

लगान का निश्चयन

११५. लगान का निश्चयन—(१) जब कोई लगान तय नहीं किया गया हो और किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे आसामी रखने या अनुज्ञा देने का अधिकार हो, के द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि पर अधिवास इस आशय से दे दिया गया हो, कि ऐसा करने से भूमिधारिता (टिनेंसी) की संविदा स्थापित हो जाय तो वह व्यक्ति, जिसे भूमि पर इस प्रकार अधिवास दिया गया है या उसे इस प्रकार आसामी रखने या अनुज्ञा देने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि का लगान नियत करवाने तथा ऐसे लगान को बकाया के लिये डिक्री हासिल करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत वाद में पारित की गई डिक्री उस तारीख से प्रभावी होगी जितनी कि न्यायालय निर्देश करे।

टिप्पणी

१—विषय:—यह धारा तब तक लागू होती है जब कि लगान को कोई तय नहीं

हुआ हो और किसी व्यक्ति को भूमि पर प्रवेश ऐसे आदमी द्वारा दे दिया गया हो जिसे आसामी रखने या उसके लिए अनुज्ञा (Permit) देने का अधिकार हो और ऐसा करने का अभिप्राय उसे आसामी बनाना हो। यदि लगान तय हो चुका हो तो यह धारा लागू नहीं होगी और दावा धारा १५० अथवा १२४ के नीचे पेश होगा जैसा भी सूरत हो। यदि भूमिधारी इस धारा के नीचे दावा करे तो उसे भूमि धारिता (टिनेंसी) चालू रहने के दौरान करना चाहिए या उसकी समाप्ति के तीन महीनों के भीतर, वरना दावा मियाद बाहर हो जायगा हालांकि लगान तय कराने के दावे के लिए मियाद नहीं है।

२—प्रक्रिया:—इस धारा के नीचे किया जाने वाला दावा तृतीय अनुसूची भाग प्रथम के मद १० द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। न्यायालय शुल्क ५० पैसे लगेगा यदि दावा केवल लगान तय करने के लिए ही हो। यदि बकाया लगान का अतिरिक्त अनुतोष (दादरसी) मांगा जाय तो उस पर मूल्यानुसार (एड वेलोरम) शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु लगान की बकाया का दावा तीन साल में होना चाहिए। इसमें डिक्री की अपील राजस्व अपील अधिकारी को होगी-दूसरी अपील राजस्व मंडल में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

११६. आंशिक बेदखली या समर्पण की दशा में लगान का निश्चयन:—जब कोई आसामी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अधीन अपनी भूमि के केवल एक भाग से बेदखल किया जाय या वैध रीति से उस भाग का समर्पण कर दे तो वह या राज्य सरकार से भिन्न भूमिधारी किसी भी समय जिस न्यायालय में बेदखली का वाद दायर किया जा सके, उस न्यायालय में शेष भूमि का लगान निश्चित किये जाने के निमित्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

(१) विषय:—इस धारा में यह बताया गया है कि यदि कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र के किसी भाग से ही किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के द्वारा बेदखल कर दिया जाय या वैध रूप से ऐसे भाग का समर्पण कर दे तो शेष भाग का लगान निश्चित करवाने के लिए उस न्यायालय में दावा किया जा सकता है जिसमें कि बेदखली का दावा किया जाता हो। अपने भाग का समर्पण अध्याय ५ के उपबंधों के अनुसार होना चाहिये। जब कोई स्थायी आसामी स्थायी काश्तकारी (भूमिधारिता, टिनेन्सी) की शर्तों से असंगत शर्तों वाला लगान पत्र लिख दे तो इसे उसकी स्थायी काश्तकारी का समर्पण समझा जावेगा।[1]

(२) प्रक्रिया:—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद नम्बर ' १ से शासित होगा। वह सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा और उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा। इसके लिये मियाद कुछ नहीं है। इसकी अपील रा०अ०प्रा० के यहां होगी। दूसरी अपील नहीं होगी इसलिए पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

११७. कतिपय मामलों में लगान के सम्बन्ध में विवाद:—(१) जब किसी भूमि

1. गुरबमान v. हाफिज अबुलखलील, A. I. R. 1944 Lahore 1.

क्षेत्र के सम्बन्ध में दिया जाने वाला लगान फसल के साथ बदलता रहे और ऐसी किसी फसल के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो, तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, फसल की हालत का अभिनिश्चयन करने तथा यदि फसल में कुछ हानि हुई हो तो यह मालूम करने के लिये कि हानि किस हद तक हुई है भूमि क्षेत्र का निरीक्षण करेगा। उस दशा में जब कि फसल उठाली गई हो, तहसीलदार आवश्यक जांच करने के पश्चात उभय पक्षों के आचरण से ऐसा निष्कर्ष निकाल सकेगा जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो।

(२) जब किसी भूमि-क्षेत्र के लगान के भुगतान हेतु तत्समय प्रचलित रीति के सम्बन्ध में विवाद हो, तहसीलदार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर तथा निर्धारित रीति से सरसरी जांच करने के पश्चात, उक्त विवाद के बारे में फैसला देगा और इस प्रकार दिये गये फैसले के अनुसार लगान का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक उक्त फैसला उपधारा (३) के अनुसार निरस्त या उपान्तरित नहीं कर दिया जाय।

(३) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिये गये फैसले से व्यथित हो, किसी भी आधार पर उक्त फैसले को संशोधित करवाने अथवा निरस्त करवाने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(४) जहां लगान-भुगतान के तरीके के बारे में विवाद हो अर्थात् इस बात पर विवाद हो कि आया ऐसा लगान नकद में दिया जाता है या जिन्स में अथवा अनुमानित फसल पर या फसल के अनुमानित मूल्य पर आधारित है या कोई गई फसल या उपज या उपज के मूल्यों के अनुसार परिवर्तनशील दरों पर आधारित है या कुछ अंशों में इनमें से किसी एक तरीके के और कुछ अंशों में इनमें से दूसरे तरीके या तरीकों के अनुसार परिवर्तनशील दरों पर आधारित है, भूमिधारी या आसामी इस प्रकार भुगतान के तरीके की घोषणा करवाने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१—विषय :—यह धारा विशेषकर ऐसे मामलों के लिए बनाई गई है जहां लगान जिन्स में देय हो। धारा १४८-१४९ में वह तरीका बताया गया है जो कि लगान पैदावार के विभाजन द्वारा देय हो और कोई पक्षकार उस समय उपस्थित न हो। जहां लगान उपज के साथ-साथ बदलता हो और ऐसी पैदावार के सम्बन्ध में विवाद हो तो दोनों में से कोई पक्षकार उसे तय करने के लिए तहसीलदार को आवेदन पत्र दे सकता है।

२—तहसीलदार के फैसले को हटाने के लिए बाधा :—उपधारा (३) में तहसीलदार द्वारा उपधारा (२) के अन्तर्गत दिए गए फैसले (अवार्ड) को अशान्त (रद्द करने) अथवा उपान्तरित (फेर-बदल) करने के लिए दावे का प्रावधान है। इस प्रकार का दावा अनुसूची तृतीय के भाग प्रथम के मद नम्बर ११ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में किया जावेगा। इसके लिए कोई मियाद नहीं है और केवल ५० पैसे न्यायालय शुल्क लगेगा।

३—उपधारा (४)—इस उपधारा के नीचे किया जाने वाला दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नम्बर १२ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय

में पेश किया जायेगा। इसके लिए कोई मियाद नहीं है और न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे लगेगा।

४—उपधारा (१) (२)—के नीचे आवेदन पत्र :—ऐसे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची के भाग दो के मद नम्बर ५२ द्वारा शासित होंगें, और तहसीलदार के न्यायालय में पेश किये जावेंगें। इनके लिए कोई मियाद नहीं है, और न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसा लगेगा।

५—उपधारा (१) (२) की अपील और पुनरीक्षण :—उपधारा (२) के नीचे तहसील द्वारा दी गई आज्ञा की अपील कलक्टर के यहां होगी। उपधारा (१) के अन्तर्गत सहायक कलक्टर द्वारा दी गई, आज्ञा की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। दोनों अवस्थाओं में पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

६—उपधारा (३) (४) में अपील और पुनरीक्षण :—पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और दूसरी राजस्व बोर्ड में । अतः कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

११८. लगान का अन्तर्वर्तन (Commutation)-(१) जब लगान जिन्स में दिया जाता रहा हो या फसल के अनुमान या फसल के अनुमानित मूल्य पर आधारित हो या बोई गई फसल या उपज या उपज-मूल्य के अनुसार परिवर्तनशील दरों पर आधारित हो या कुछ अंशों में इनमें से किसी एक तरीके के और कुछ अंशों में इनमें से दूसरे तरीके या तरीकों के अनुसार परिवर्तन-शील दरों पर आधारित है, तो, भूमिधारी जो राज्य सरकार न हो, या आसामी, ऐसे लगान को निश्चित नकद लगान में अन्तर्वर्तित कराने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय इस सम्बन्ध में ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसे वह उचित समझे; किन्तु ऐसे वाद में जिसमें भूमिधारी वादी हो और आसामी यह दलील पेश करे कि जंगली जानवरों, बाढ़, तथा ऐसे ही अन्य कारणों, से भूमि-क्षेत्र के मुख्य भाग अथवा भूमि-क्षेत्र की उपज में असाधारण घटत-बढ़त होती रहती है और यदि न्यायालय यह समझे कि अन्तर्वर्तन अवांछनीय है तो वह दावे को खारिज कर सकता है।

(२) किसी वाद में उपधारा (१) के अन्तर्गत पारित डिक्री, जिस वर्ष में वह डिक्री दी गई हो, उसके पश्चात आने वाले कृषि-वर्ष के प्रारम्भ में आवेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से जो लिखे जायेंगे, यह निदेश न करदे, कि वह डिक्री, अपेक्षाकृत किसी पहिले की तारीख या किसी वाद की तारीख, जो निर्दिष्ट की जाय से प्रभाव में आवेगी।

(३) ऐसी भूमि की दशा में जो आसामी द्वारा सीधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई हो, लगान के अन्तर्वर्तन हेतु किसी भी वाद की आवश्यकता नहीं होगी और आसामी ऐसे अन्तर्वर्तन के लिये सहायक कलक्टर को प्रार्थनापत्र दे सकेगा और उस दशा में इस धारा के अन्य 'उपबंध' इस प्रार्थना-पत्र पर लागू होंगे।

टिप्पणी

१—विषय—यह धारा भूमिधारी अथवा आसामी को लगान के अन्तर्वर्तन (Commutation) के लिए दावा पेश करने का अधिकार प्रदान करती है। यहां अन्तर्वर्तन

का अभिप्राय यह है कि जहां लगान जिन्स रूप में दिया जाना हो या पैदा होने वाली फसल या उपज के साथ बदलता रहना हो तो उसके स्थान पर नकदी लगान एक बार ही तय कर दिया जाय। न्यायालय के लिए यह जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की प्रार्थना स्वीकार कर ले। भूमि नौतोड़ होने के कारण ही आसामी का अधिकार लगान अन्तर्वर्तन कराने का समाप्त नहीं हो जाता जब तक कि इसके विरुद्ध कोई साफ करार न हो।[1] जब राज्य भूमिधारी हो तो दावे की भी आवश्यकता नहीं है केवल आवेदन पत्र से काम चल जावेगा। उपधारा (१) व (२) के अन्तर्गत दी हुई आज्ञा-आज्ञा में अगली फसल से प्रभाव में आवेगी।

२—प्रक्रिया—लगान के अन्तर्वर्तन के लिए दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नम्बर १३ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। उपधारा (२) के नीचे आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद नम्बर ५३-(का) द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। मियाद कुछ नहीं है और ऐसे दावों और आवेदन पत्रों पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा। सहायक कलक्टर की डिक्री के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और दूसरी अपील राजस्व बोर्ड को। सहायक कलक्टर की आज्ञा की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी परन्तु दूसरी अपील नहीं होगी और पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

११९. लगान चालू रहने की अवधि—जब किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा ११५ के अन्तर्गत लगान निश्चित कर दिया गया हो या धारा ११८ के अन्तर्गत अन्तर्वर्तित कर दिया गया हो तो, लगान उस समय तक संशोधनीय नहीं होगा जब तक कि उस क्षेत्र के बन्दोबस्त की अवधि समाप्त न हो जाय जिसमें उक्त भूमि स्थित है या जब तक उक्त लगान इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित न कर दिया जाय।

लगान का उपान्तरण (Modification)

१२०. लगान में फेरफार की प्रणाली—इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए आसामी (जिसमें गुजारादार के आसामी तथा शिकमी-आसामी सम्मिलित है) का लगान केवल

(क) रजिस्ट्रीकृत इकरारनामे के जरिये, या

+[(ख) किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के किसी वाद में पारित डिक्री या आदेश द्वारा या राज्य सरकार से लेकर सीधी भूमि धारण करने की दशा में, आसामी द्वारा आवेदन या रिपोर्ट करने पर तहसीलदार द्वारा,]

[X·X]※

ही घटाया-बढ़ाया जा सकेगा।

1. महेश्वरसिंह व. शाह मुहम्मद खान, 1940 R. D. 521

+ रा० प० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रति स्थापित।

※ रा० प० २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त

टिप्पणी

१—विषयः—धारा ११८, १२१ और १२४ क्रमश लगान के अन्तर्वर्तन, वृद्धि और कमी से सम्बन्ध रखती है। इस धारा के नीचे लगान में कोई परिवर्तन उपरोक्त धाराओं के अधीन ही किया जा सकता है। इस धारा का लाभ सिकमी आसामियों और गुदावन धारकों द्वारा भी उठाया जा सकता है।

२—सक्षम राजस्व न्यायालय की डिक्री या आज्ञा:—एक सक्षम राजस्व न्यायालय लगान में परिवर्तन की डिक्री या आज्ञा निम्नलिखित मामलों में दे सकता है—

(१) लगान की घोषणा के लिए दावा (धारा ८९ के खण्ड ग, घ, ङ) ;

(२) लगान की दरों के विनिश्चयन के लिए दावा (धारा १०७)

(३) लगान तय करने के लिए दावा (धारा ११५) ;

(४) लगान के अन्तर्वर्तन के लिए दावा (धारा ११८) ;

(५) लगान की वृद्धि के लिए दावा (धारा ११५, १२१) ;

(६) लगान में कमी के लिए दावा (धारा ११५, १२५) ; और

(७) आपतकालीन स्थिति में लगान की दरों का संशोधन (धारा १२६) ;

३—परन्तुकः—जहां भूमि सीधी सरकार से लेकर धारण की जाय तो इस धारा के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। सम्बन्धित राजस्व अधिकारी की आज्ञा ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त होगी।

१२१. लगान में वृद्धि किये जाने के आधार—किसी आसामी का लगान इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात्

(१) यह कि आसामी द्वारा देय लगान उसके सम्बन्ध में समुपयुक्त स्वीकृत लगान-दरों के हिसाब से होने वाले लगान से सारतः कम है, या

(२) यह कि आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि की उपज-शक्तियों में नदी की क्रिया से वृद्धि हो गई है, या

(३) यह कि आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि की उपज शक्तियां भूमिधारी द्वारा या भूमिधारी के व्यय पर किये गये सुधार के फलस्वरूप बढ़ गई है, या

(४) यह कि आसामी की भूमि का क्षेत्रफल कछार (बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी) के कारण अथवा अन्यथा बढ़ गया है ;

किन्तु लगान किसी भी दशा में इतना नहीं बढ़ाया जायगा जिससे कि वह इस अध्याय में निर्धारित किये गये अधिकतम लगान से अधिक न हो जाय।

१२२. वृद्धि की सीमाएँ—किसी आसामी का लगान उसके वर्तमान लगान के एक चौथाई भाग से अधिक नहीं बढ़ाया जायगा जो इस शर्त के अधीन होगा कि निश्चित किया

गया लगान किसी भी दशा में समुपयुक्त स्वीकृत लगान की दरों से फलाये गये लगान के तीन चौथाई से कम नहीं होगा :

परन्तु

(१) यह धारा क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण लगान में होने वाली वृद्धि विषय.. मामले में लागू नहीं होगी, और

(२) यदि वृद्धि वर्तमान लगान के एक-चौथाई भाग से कम नहीं हो तो, वृद्धि को कई वर्षों में,—तीन से अधिक नहीं हो, वितरित वार्षिक किश्तों द्वारा प्रभाव में लाने की आज्ञा दी जायेगी।

+[१२३. वृद्धि के लिये वाद या प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आसामी की दलील—यदि आसामी जिससे लगान-वृद्धि करवाने का दावा किया गया हो,यह सिद्ध करे कि जितनी लगान-वृद्धि का दावा किया गया है वह सम्पूर्ण या उसका कोई अंश उस सुधार के आधार पर है जो उसने विगत बीस वर्षों में किया है तथा जिसे करने का उसे अधिकार था तो, न्यायालय केवल उतनी वृद्धि, यदि कोई हो, के लिये ही डिक्री या आदेश पारित करेगा जितनी के लिये वह उस दशा में पारित करता जब कि आसामी ने कोई सुधार नहीं किया होता।]

१२४. लगान में घटोतरी करने के लिये आधार—किसी आसामी का लगान इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक आधारों पर घटाया जा सकेगा, अर्थात्

(१) यह कि आसामी द्वारा देय लगान उसके सम्बन्ध में समुपयुक्त स्वीकृत लगान-दरों से होने वाले लगान से सारतः अधिक है, या

(२) यह कि आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि की उपज-शक्तियां वर्तमान लगान की अवधि में भूमिधारी द्वारा किये किसी सुधार के कारण अथवा आसामी के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से कम हो गई हैं, या

(३) यह कि उसकी भूमि का क्षेत्रफल, बाढ़ द्वारा मिट्टी बह जाने या अनधिकृत प्रवेश या सार्वजनिक अभिप्राय या सार्वजनिक उपयोगी कार्य के लिये, भूमि को ले लिये जाने, के कारण कम हो गया है, या

(४) यह कि उसके द्वारा देय लगान किसी पट्टे, करार, डिक्री या आदेश, जिसके अन्तर्गत वह भूमि धारण हो, में निर्देशित किन्हीं कारणों से घटाया जाने योग्य है, या

(५) यह कि ऐसा लगान इस अध्याय में निर्धारित उच्चतम मात्रा से अधिक है।

१२५. वृद्धि अथवा कमी कब से लागू होगी—लगान में वृद्धि या कमी को ×[या आदेश] जिस वर्ष में वह डिक्री या आदेश पारित किया गया हो, के पश्चात् आने वाले कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से प्रभाव में आवेगा, जब तक न्यायालय विशेष अभिलिखित कारणों से

+ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा प्रतिस्थापित।
× राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

यह आदेश न दे दे कि उक्त डिक्री या आदेश अपेक्षाकृत पहिले या बाद में आने वाली तारीख को निर्दिष्ट की जाय, से प्रभाव में आयेगा।

१२६. कृषि सम्बन्धी आपत्तियों के समय लगान की छूट या स्थगन—किसी भी क्षेत्र में अकाल या कमी होने पर या किसी क्षेत्र की फसलों को प्रभावित करने वाली कृषि सम्बन्धी किसी आपत्ति के उपस्थित होने पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस विषय में सशक्त अन्य सत्ता, इस विषय में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्र में असामियों द्वारा देय सम्पूर्ण लगान या उसके अंश को, किसी समय के लिये छूट दे सकेगी या उसे स्थगित कर सकेगी।

१२७. परिसीमन-अवधि की गणना करने में स्थगन-काल छोड़ दिया जायगा—जब धारा १२६ के उपबंधों के अनुसार किसी रकम के भुगतान का स्थगन कर दिया गया हो तो, वैसी रकम की वसूली के निमित्त वाद या प्रार्थना-पत्र के लिये निर्धारित परिसीमन-अवधि की गणना करने में, वह समय जिसमें स्थगन रहा हो, सम्मिलित नहीं किया जायगा।

१२८. छूट दिये गये या स्थगित किये गये लगान की वसूली नहीं की जायेगी—कोई भी भूमिधारी ऐसे लगान को, जिसके भुगतान की धारा १२६ के अन्तर्गत छूट दे दी गई हो अथवा स्थगन-काल में किसी लगान को, जिसके भुगतान का उक्त धारा के अन्तर्गत स्थगन कर दिया गया हो, वसूल नहीं करेगा और न उसकी वसूली के लिये कोई वाद या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जायगा।

असाधारण तथा संकटकालीन उपबन्ध

१२९. संकटकाल में लगान का पुनरीक्षण—(१) इस अधिनियम में या तत्समय प्रभावशील किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाय कि किसी असाधारण कारणवश कृषि-उपज की कीमतों में अकस्मात् सारभूत घटा-बढ़ी हुई है या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है तो, वह शासकीय राजपत्र + में अधिसूचना के जरिये एक पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो पद में कलक्टर से नीचे दर्जे का नहीं हो तथा उसे निम्नलिखित समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रदान कर सकेगी—

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत लगान-दर पदाधिकारी की शक्तियाँ,

(ख) स्वीकृत लगान-दरों के अनुसार लगान में घटा-बढ़ी करने की शक्ति,

(ग) संकट-काल में ऐसी लगान-दरों के अनुसार न चलकर अन्य रीति से, लगान में सरसरी तौर से कमी करने की शक्ति।

(२) इस धारा के अन्तर्गत लगान में घटा-बढ़ी का प्रत्येक आदेश ऐसी तारीखों से प्रभाव में आयेगा जिसका निर्देश आदेश देने वाला पदाधिकारी करे तथा जो, आदेश के वर्ष के पश्चात् आने वाले कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से पूर्ववर्ती न हो।

+ राज० अधि० संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

(३) इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त किये गये पदाधिकारी की लगान में घटा-बढ़ी करने के आदेश के विरुद्ध अपील [राजस्व अपील प्राधिकारी]+ के पास की जायेगी।

(४) अपील में [राजस्व अपील प्राधिकारी]+ द्वारा दिये गये आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उस मामले में बोर्ड ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उपयुक्त समझे।

अध्याय १०

लगान का भुगतान और वसूली

१३०. लगान के भुगतान के मद्दे पैदावार को बंधक रखना—किसी भूमि-क्षेत्र की पैदावार, उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले लगान के मद्दे बंधक रखी गई समझी जायगी और जब तक उक्त लगान की माग पूरी न हो जाय वह पैदावार किसी अन्य दावे के अधीन सिविल या राजस्व न्यायालय की डिक्री के संपादन में या अन्यथा बेची नहीं जायगी।

टिप्पणी

१—पैदावार की पहली वसूली राजस्व की होगी—इस धारा में सिविल या राजस्व डिक्री की इजराय में पैदावार की कुर्की पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। यदि साहूकार की डिक्री की इजराय में कुर्की पहले हो जाय तो भी उसको भूमिधारी के मुकाबिले में प्राथमिकता नहीं मिलेगी और उसे लगान की वसूली के पश्चात् जो बच जाय इसी में संतोष करना होगा।

२—बकाया लगान का चार्ज—पैदावार चालू लगान[1] और पिछले वर्षों के बकाया लगान[2] के पेटे बन्धक रखी होती है परन्तु आयंदा के लगान के पेटे नहीं जो कि कभी बकाया हुआ ही नहीं।[3]

१३१. आसामी द्वारा भुगतान के विषय में अनुमान—किसी आसामी द्वारा जिसमे लगान प्राप्य हो किसी भूमिधारी को जो लगान लेने का हकदार हो, किया गया कोई भी भुगतान, आसामी की प्रतिकूल इच्छा के प्रमाण के अभाव में, लगान का ही भुगतान समझा जायगा।

टिप्पणी

इस धारा के प्रयोजनार्थ लगान में सायर भी सम्मिलित है।[4] यह अनुमान उन

+ राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

1. भगवान v. मीराराम 15 All. 375
2. दिनमोद v. कलक्टर इटावा, 1879-3 All. 433
3. माधवराम v. मुरलीसिंह 1885-5 A. W. N. 262
4. धारा ५(१२)

मामलो मे सहायक है जहां कि भूमि धारी ही साहूकार हो और लगान के अतिरिक्त रकम भी बकाया हो।

१३२. लगान के भुगतान का उपयोग—(१) किसी आसामी द्वारा अपने भूमिधारी को किया हुआ कोई भुगतान, चाहे वह किसी डिक्री के भुगतान में किया गया हो या अन्यथा, किसी ऐसी बकाया को निःक्षेप करने मे समायोजित नही किया जायगा जिसकी वसूली वादों तथा प्रार्थना-पत्रों की मियाद सम्बन्धी तत्समय प्रभावशील किसी विधि द्वारा बाधित हो गई हो।

(२) उप-धारा (१) मे अन्तर्विष्ट उप-बन्धो के अधीन रहते हुए, जब कोई आसामी अपने भूमिधारी को लगान के निमित्त कोई भुगतान इस स्पष्ट सूचना के साथ करे कि वह उस भुगतान को किसी अमुक वर्ष, किस्त या भूमि के खाते में जमा कराना चाहता है तो वह भुगतान, यदि ले लिया जाय, तदनुसार जमा किया जायगा और यदि आसामी ऐसी कोई सूचना न दे तो भूमिधारी उस भुगतान को उत्तरवर्ती बकाया की अपेक्षा पूर्ववर्ती बकाया के मद्धे जमा करेगा और जहा एक से अधिक बकाया एक ही तारीख की हों उस दशा मे अधिक-रकम की अपेक्षा कम-रकम की बकाया मे जमा करेगा।

टिप्पणी

इस धारा के उपबन्ध पालनीय हैं जिनमें यह बताया गया है कि आसामियों द्वारा किए गए भुगतान किस तरीके से जमा किए जायंगे। धारा १३१ के अंतर्गत आसामी द्वारा किए गए समस्त भुगतान केवल लगान के पेटे ही जमा होगे। इस धारा में किसी भी भुगतान की रकम को किसी मियाद बाहर लगान पेटे जमा करने की मनाही है चाहे उसकी डिक्री हो चुकी हो अथवा नही।

१३३. लगान का भुगतान किस भाति होगा—नकद-लगान का भुगतान आसामी द्वारा भूमिधारी को या तो सीधे या डाक के मनी-आर्डर के जरिये या धारा १३६ के उपबंधो के अनुसरण मे जमा कराया जाकर, किया जा सकता है।

[× × ×]+

परन्तु डाक के मनी-आर्डर के जरिये या न्यायालय मे जमा कराई जाकर अदा की गई किसी रकम की भूमिधारी द्वारा प्राप्ति मात्र या मनी-आर्डर कूपन पर कुछ लिखावट के सामर्थ्य से, किसी वर्ष, किस्त या भूमि विशेष के कारण भुगतान-योग्य या दातव्य लगान की रकम की उसके द्वारा अभिस्वीकृति या अदा करने वाले को आसामी मानने की अभिस्वीकृति नही समझी जायगी।

१३४ मनी-आर्डर को रसीद के विषय में अनुमान—जब लगान डाक के मनी-आर्डर द्वारा भेजा गया हो, तो स्वीकृति की दशा मे पाने वाले की रसीद और अस्वीकृति की दशा मे मनी-आर्डर पर डाकघर द्वारा ऐसी अस्वीकृति की नियमित रूप से मुहर लगाते हुए की गई पृष्ठाङ्कना, बिना किसी औपचारिक प्रमाण के साक्ष्य मे ग्राह्य होगी और जब तक उसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति का औपचारिक सही रेकार्ड समझी जायगी।

+ रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त

१३५. आसामी का रसीद पाने का अधिकार—(१) प्रत्येक व्यक्ति जो लगान या सायर का भुगतान सीधे करे, भूमिधारी या भूमिधारी के नियमतः अधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित रसीद, उसके द्वारा भुगतान की गई रकम के लिये, लिखित में पाने का अधिकारी होगा।

(२) भूमिधारी, धारा १३७ के उपबंधों के अन्तर्गत मुद्रित पुस्तक में लगान या सायर के खाते में प्राप्त हुई प्रत्येक रकम की एक पृथक रसीद देगा और अपने द्वारा दी गई प्रत्येक रसीद की एक प्रतिपरत तैयार करेगा जिसे अपने पास रखेगा।

(३) यदि भूमिधारी और आसामी के बीच किसी वाद या कार्यवाही में, जिसमें विवादास्पद बिन्दु लगान का भुगतान हो, भूमिधारी ऐसी रसीदों की पुस्तक पेश नहीं करे या न्यायालय द्वारा उसे पेश करने के लिए आज्ञा देने पर पेश करने में असफल रहे तो; न्यायालय भूमिधारी के विरुद्ध कोई भी अनुमान लगा सकता है जिसे वह युक्तिसंगत समझे।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि आसामी को लगान का भुगतान करने पर रसीद मिलनी चाहिए और रसीद बुकें दोहरी परतों में छपी हुई रखी जानी चाहिए। यदि कभी अदालत को पता चले कि किसी भूमिधारी ने आसामी को लगान की रसीद नहीं दी तो लगान की दुगुनी रकम तक भूमिधारी से आसामी को हरजाने के रूप में मिल सकती है।[1] यदि कोई भूमिधारी आदतन इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उस पर फौजदारी अदालत से २००) रु० तक जुर्माना किया जा सकता है।[2]

१३६. रसीद का विवरण—(१) रसीद और प्रतिपरत में निम्नलिखित विवरण होंगे:—अर्थात्

(क) देने वाले का तथा उसके पिता का नाम और पाने वाले का नाम।

(ख) गांव का नाम।

(ग) रकम जिसका भुगतान किया गया हो।

(घ) क्या भुगतान लगान मद्दे है या सायर के मद्दे।

(ङ) जहां एक से अधिक भूमि-क्षेत्र हो उस दशा में भूमि-क्षेत्र का उल्लेख जिसके लगान मद्दे, भुगतान की रकम जमा की गई हो।

(च) भुगतान की रकम जिस वर्ष तथा किश्त के मद्दे जमा की गई हो उसका उल्लेख।

(छ) क्या भुगतान सम्पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है या आंशिक भुगतान के रूप में।

(ज) तारीख जिसको भुगतान किया गया हो, और

(झ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जावें।

(२) यदि रसीद में मुख्यतः इस धारा द्वारा अपेक्षित विवरण नहीं दिये हों या धारा

1. धारा २५३ (१)
2. धारा १६६ (२)

१३५ के उल्लघन में लगान तथा सायर की एक संयुक्त रसीद दी गई हो तो जब तक विपरीत सिद्ध न किया जाय यह अनुमान किया जायगा कि उक्त रसीद उस तारीख तक की लगान तथा सायर की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति-स्वरूप दी गई है जिस तारीख को कि रसीद दी गई है।

टिप्पणी

इस धारा मे साफ तौर से बताया गया है कि आसामी को दी जाने वाली रसीद में क्या २ विवरण होना चाहिए और किस विवरण के अभाव मे क्या अनुमान लगाया जाना चाहिए। रसीद मे अस्पष्टता का लाभ आसामी को मिलेगा।[1]

१३७. रसीद-बही छपाने और प्रदाय करने का दायित्व सरकार का होना — राज्य सरकार रसीद बहियां प्रति-परत सहित, विहित प्रपत्र में छपायेगी और उन्हें लागत-मूल्य पर बिक्री के लिये समस्त तहसीलों मे रखवायेगी :

परन्तु यदि किसी तारीख विशेष को छपी हुई रसीद बही तहसील मे उपलब्ध न हो तो भूमिधारी तहसीलदार से इस तथ्य का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और तब भूमिधारी, आसामी को एक अस्थायी रसीद देगा जिसमें धारा १३६ में बताये गये सब विवरण दिये हुए हों।

१३८ लेखा-विवरण प्राप्त करने का आसामी का अधिकार :—आसामी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसरण मे, भूमिधारी को चार आने शुल्क देकर उससे कृषि-वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन महीने के भीतर लेखा-विवरण प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये हुए होगे जो या तो सामान्यतया या किसी स्थानीय क्षेत्र या मामलों के वर्ग विशेष के लिये विहित किये जाय।

१३९. लगान को तहसीलदार के न्यायालय में जमा कराया जाना—(१) आसामी तहसीलदार के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र, लगान की किश्त या किश्तों अथवा किश्त या किश्तों की प्रदत्त रकम को जो उक्त प्रार्थना-पत्र की तारीख पर बाकी हों, जमा कराने की अनुमति के लिये दे सकेगा और यदि प्रार्थना-पत्र उप-धारा (२) के उपबंधो के पर्याप्त-रूप से अनुकूल हो तो तहसीलदार उक्त रकम को जमा कराने के निमित्त से लेगा जिसकी एक रसीद देगा जो जमा कराई गई रकम के लिये रसीद-पावती के रूप मे होगी मानों कि उक्त रकम उस व्यक्ति ने प्राप्त कर ली हो जो उसे पाने का हकदार है।

(२) ऐसे प्रार्थना-पत्र मे उस व्यक्ति का नाम दिया जायगा जिसको कि जमा कराई गई रकम लगान की बकाया के रूप मे देय हो अथवा जहां ऐसी रकम को कई व्यक्ति संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करने के हकदार हो वहा ऐसे व्यक्तियो में से प्रत्येक का नाम दिया जायगा अथवा जब आसामी को वास्तव में यह सन्देह हो कि ऐसी रकम को पाने का हकदार कौन है तो उस व्यक्ति का नाम दिया जायगा जिसको कि लगान पिछली अंतिम बार दिया हो और जो अब माग कर रहा हो।

१४०. जमा कराई हुई रकम का तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन :—(१) यदि

1. रामतादत्त v. दल्ला, 1939 R. D. 123

तहसीलदार जमा करने के लिये रकम को ग्रहण कर लेता है तो वह प्रार्थना-पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों पर अथवा किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके सम्बन्ध में वह सकारण ऐसा विश्वास करता हो कि उक्त अन्य व्यक्ति जमा की हुई रकम को पाने का हकदार है निःशुल्क एक नोटिस जमा की रकम के बारे में तामील करायेगा।

(२) तहसीलदार जमा कराई हुई रकम किसी भी व्यक्ति को जिसे वह उसे पाने का हकदार समझे, दे सकेगा या यदि उसकी राय में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसको कि जमा की रकम दी जानी चाहिये, कोई सदेह हो तो वह उस रकम को उस समय तक रोक सकेगा जब तक कि सक्षम-अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय के आदेश से सदेह दूर न हो जाय।

(३) यदि तहसीलदार ऐसा निदेश करे तो भुगतान डाक के मनी-आर्डर द्वारा किया जा सकेगा।

(४) जमा कराने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई भुगतान न किया जाय तो जमा कराई गई रकम, सक्षम न्यायालय के किसी विपरीत आदेश के अभाव में, जमा कराने वाले को, उसके प्रार्थना-पत्र पर, तथा धारा १३९ के उपबन्धों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा दी गई रसीद दाखिल किये जाने पर अथवा उसके द्वारा, बात की कि रकम उसी ने जमा कराई थी ऐसी अन्य साक्ष्य पेश किये जाने पर वापिस दी जा सकेगी जिसे सक्षम न्यायालय पर्याप्त समझे।

टिप्पणी

१—उपधारा (४) के नीचे आवेदन-पत्र :—जब धारा १३६ के नीचे जमा कराए गये, लगान की व्यवस्था उप-धारा (१), (२) अथवा (३) के अनुसार न हो तो उसे आसामी को, आवेदन-पत्र पर, लौटा दिया जायगा। यह आवेदन-पत्र उप धारा (४) के नीचे होगा जो तहसीलदार को दिया जायगा और तृतीय अनुसूची के भाग द्वितीय के मद नं० ५५ द्वारा शासित होगा। मियाद कुछ नहीं परन्तु रकम जमा होने की तारीख से तीन महीनों में वापिस उठाली जानी चाहिए। न्यायालय शुल्क २५ पैसे का लगेगा। तहसीलदार द्वारा उप-धारा (२) के नीचे अथवा उपधारा (४) के नीचे दी गई दर्खास्त पर की गई आज्ञा की अपील कलक्टर के यहां होगी। दूसरी अपील नहीं होगी अतः राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण होगा।

१४१. वाद के विचाराधीन-काल में लगान का न्यायालय में जमा कराया जाना :—कोई आसामी जिस या किसी भूमि-क्षेत्र के लगान के भेद के लिये धारा २११ की [उपधारा (३) के उपबन्धों के अन्तर्गत] × दावा किया गया हो, उक्त भूमि-क्षेत्र का सम्पूर्ण लगान उस न्यायालय में जमा करा सकेगा जिसमें कि वाद विचाराधीन हो और इस प्रकार जमा की हुई रकम का निस्तारण उक्त न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, डिग्री में शामिल किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए किया जायगा।

टिप्पणी

यह धारा २११ (३) के अन्तर्गत होने वाले मामलों के लिए बनाई गई है जिसमे

× राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

कि यदि कोई आसामी विभिन्न सहभागियों द्वारा विभिन्न समयों पर किए गए दावों की परेशानी से बचना चाहे अथवा स्वयं साक्ष्य नहीं देना चाहे कि किस सह भागीदार का कितना हिस्सा है तो वह सारा लगान एक साथ जमा करा सकता है।

१४२. दावों पर रोक—इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं के उपबन्धों के अन्तर्गत जमा की गई किसी रकम के बारे में राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी कार्यवाही के विषय में उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही दायर नहीं की जावेगी परन्तु उक्त रुपेए जमा की गई रकम को वसूल करने का अपने को हकदार समझने वाला कोई भी व्यक्ति उस रकम को ऐसे व्यक्ति से वसूल करने के लिये दावा कर सकेगा जिसे वह दे दी गई हो।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के द्वारा राज्य सरकार और उसके कर्मचारियों को जमा की हुई रकम गलत व्यक्ति को देने की अवस्था मे मुकदमा बाजी मे छूट दी गई है परन्तु अपने को सही हकदार समझने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति पर दावा कर सकता है जिसे गलती से रकम दे दी गई है।

२. प्रक्रिया—१००) रु० तक की मालियत के दावे तहसीलदार के न्यायालय मे और उससे अधिक के सहायक कलक्टर के यहां पेश होंगे और तृतीय अनुसूची भाग प्रथम के मद न० १६ द्वारा शासित होंगे। न्यायालय शुल्क मूल्यानुसार लगेगा। मियाद गलत आदमी को भुगतान देने की तारीख से तीन वर्ष की है। तहसीलदार को अपील कलक्टर को और दूसरी राजस्व बोर्ड मे होगी। सहायक कलक्टर की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी।

१४३. स्थिति जिसमे धाराएँ १३९ से १४२ तक लागू नही होती—धारा १३९ से १४२ तक की कोई भी बात ऐसी स्थिति मे लागू नही होगी जब भूमि आसामी ने सीधे उस राज्य सरकार से लेकर ग्रहण की हो जिसे, भूमिधारी की हैसियत से, उस भूमि का लगान चुकाया जाता हो।

१४४. पैदावार के सम्बन्ध मे अधिकार और दायित्व—(१) जब लगान खड़ी फसल के अनुमान या कूते पर आधारित हो तो फसल को पूर्णतया लेने का हकदार आसामी होगा।

+ (२) जब लगान फसल के काटे जाने अथवा उपज रूप मे तैयार किये जाने के पश्चात् उसके अनुमान या कूते (appraisement) पर आधारित हो या उपज के बंटवारे के अनुसार दिया जाना हो तो, आसामी फसल को पूर्णतया लेने का हकदार होगा, लेकिन खलिहान मे उपज के किसी भी अन्न को ऐसे समय या ऐसी रीति से हटाने का हकदार नहीं होगा जिससे कि समय या फसल के अनुमान, कूते या बटवारे मे रुकावट पैदा हो।

(३) दोनों ही दशाओ मे आसामी अपने कृषि कार्य के दौरान पैदावार को काटने तथा

+ राजस्थान अधिनियम सख्या २७ सन् १९५६ द्वारा यथा सशोधित।

तथा उपज रूप में तैयार करने का, भूमिधारी द्वारा बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के, हकदार होगा।

(४) यदि आसामी उप-धारा (२) के उपबन्ध के विपरीत फसल या उपज के किसी अंश को हटा ले तो धारा १४६ के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्णय करने के प्रयोजनार्थ, फसल या उपज, पड़ोस, में वैसी ही भूमि में, उसी फसल में पैदा हुई तत्सदृश श्रेष्ठतम फसल के समान हुई समझी जा सकेगी।

(५) यदि राज्य सरकार के अतिरिक्त कोई भूमिधारी आसामी को फसल की चौकसी बटाई, इकट्ठे या निश्चित करने से रोके या कृषि-कार्यों में हस्तक्षेप करे तो वह, आसामी की शिकायत पर उसको ऐसी रकम जो सौ रुपये से अधिक नहीं हो और उसको मुआवजा के रूप में देनी तय की जाय, देने का जिम्मेदार होगा और ऐसी रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायगी तथा आसामी को दे दी जायगी।

टिप्पणी

इस धारा में बताया गया है कि कूंते या बटाई-लटाई द्वारा लगान लिए जाने वाले मामलों में आसामी को पूरी फसल का कब्जा बनाये रखने का अधिकार है परन्तु वह न तो कूंते या बटाई के काम में रुकावट डाल सकता है और न उठाकर ले जाने का हकदार है। भूमि धारी को भी अधिकार नहीं है कि वह आसामी द्वारा फसल तैयार करने या इकट्ठी करने में रुकावट डाले। दोनों पक्षकारों द्वारा इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही उपधारा (४) व (५) में बताई गई है।

१४५. जिन्सी लगान उपज के वास्तविक विभाजन के जरिये काबिल वसूली होना—जब लगान उपज के हिस्से के तौर पर जिन्स में देय हो तो वह साधारणतया उपज के वास्तविक विभाजन के जरिये काबिल वसूली होगा :

परन्तु यदि आसामी और भूमिधारी सहमत हों अथवा जहां ऐसी प्रथा हो, उपज की वह मात्रा जो लगान-स्वरूप देय हो, खड़ी हुई फसल या खलिहान में रखी हुई उपज के कूते (appraisement) के द्वारा निश्चित की जा सकेगी।

१४६. कोई गाड़ी-भाड़ा न दिया जाना—जब लगान जिन्स में दिया जाय तो भूमिधारी उपज के अपने हिस्से का अपने मकान या किसी मंडी तक ले जाने के लिये गाड़ी-भाड़े के रूप में उपज की अतिरिक्त मात्रा भी या उसकी कीमत के बराबर रकम को मांग नहीं करेगा या नहीं पावेगा।

की कृषि-उपज का मूल्य निश्चित कर दिया हो तो उक्त निर्धारण के लिये वही मूल्य स्वीकार किया जायगा।

१४८. विभाजन, अनुमान, या कूंते करने के लिये अधिकारी की नियुक्ति के निमित्त प्रार्थना-पत्र—(१) जब लगान उपज के विभाजन से देय हो या फसल के अनुमान या कूते (appraisement) पर आधारित हो, और

(क) यदि भूमिधारी, जो राज्य सरकार न हो, या आसामी उचित समय पर उपस्थित होने मे लापरवाही करता हो, या

(ख) यदि उपज के विभाजन, मात्रा या मूल्य के सम्बन्ध [redacted] कोई विवाद हो,

तो विभाजन, अनुमान या कूंता करने के लिये एक अधिकारी नियुक्त करने की प्रार्थना करते हुए किसी पक्ष द्वारा एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(२) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी ऐसा शुल्क जमा करायेगा जो राज्य सरकार, इस सम्बन्ध मे निर्मित नियमो के अन्तर्गत विहित करे।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनार्थ पद 'उचित समय' से तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र मे प्रथा या व्यवहार के अनुसार फसल के विभाजन, अनुमान या कूते के लिये अन्तिम तारीख समझी जाने वाली तारीख या निम्नलिखित तारीख, दोनो मे अपेक्षाकृत जो पहिले आवे, [redacted] है, अर्थात्

(क) फसल खरीफ के सम्बन्ध मे

[१] अनुमान या कूंते के लिये—५ नवम्बर या मार्गशीर्ष बदी ३० और

[२] विभाजन के लिये—५ फरवरी या माघ बदी ३०,

(ख) फसल रबी के सम्बन्ध में

[१] अनुमान या कूंते के लिये—३० मार्च या चैत्र बदी ३० और

[२] विभाजन के लिये—३० मई या जेठ सुदी १५।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि कूंते आदि के लिए आसामी या भूमिधारी किसी के उचित समय पर हाजिर न होने पर अथवा विभाजन के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न होने की अवस्था में दूसरा पक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा आवेदन पत्र नही चल सकेगा यदि कोई पैदावार हो नही हुई हो और उपरोक्त शर्तें पूरी नही हुई हो।[1] उचित समय क्या होगा यह स्पष्टीकरण मे बता दिया गया है।

२. प्रक्रिया—आवेदन पत्र तहसीलदार को दिया जायगा और तृतीय अनुसूची भाग दो के मद ५७ द्वारा शासित होगा। न्यायालय शुल्क ५० पैसे लगेगा।

मियाद कुछ नही है परन्तु ऐसा आवेदन पत्र कूंते के लिए हो तो फसल कटने से

1. रामेश्वर दयाल v घासिया, 1944 R.D. 63.

पूर्व और बंटवारे के लिए हो तो खलिहान से हटाने से पूर्व किया जायगा। अपील कलक्टर के यहां होगी। डिक्री होने की सूरत में (धारा १४९ (७) के नीचे) तो वही प्रक्रिया काम में लाई जायगी। वैसे दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु डिक्री वाली सूरत में दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। दोनों सूरतों मे पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

१४९. ऐसे प्रार्थना-पत्र के विषय में कार्य-प्रणाली—(१) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, तहसीलदार विरोधी-पक्ष को इस बात के लिये सूचना जारी करेगा कि वह ऐसी तारीख को जो प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति से एक सप्ताह से आगे की नहीं होगी, ऐसे समय तथा स्थान पर उपस्थित हो जो सूचना में निर्दिष्ट हो और एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा जो विभाजन, अनुमान या कूंता करेगा।

(२) यदि विरोधी पक्ष आपत्ति करे कि लगान उपज के विभाजन के जरिये या फसल के अनुमान या कूते के जरिये देय नहीं है अथवा कोई भी रकम देय नहीं है तो उक्त अधिकारी आपत्ति का अभिलेखन करेगा लेकिन ऐसी कार्यवाही करने को अग्रसर होगा जैसी आगे बताई गई है।

(३) ऐसा अधिकारी प्रत्येक पक्ष से पड़ौस के किसी निवासी को उपज के विभाजन, या फसल के अनुमान या कूते में सहायता करने के लिये उसे-नियुक्त करने को कहेगा और स्वयं भी एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करेगा।

(४) यदि कोई भी पक्ष उपस्थित होने में विफल रहे या असेसर नियुक्त करने से इन्कार करे तो ऐसा अधिकारी उसकी ओर से एक असेसर स्वयं मनोनीत करेगा।

(५) ऐसा अधिकारी असेसरों की सम्मतियों को लिख लेगा और निर्णय देते समय उन्हें ध्यान में रखेगा।

+ (६) उपज के विभाजन की स्थिति में यदि दोनों पक्ष उक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित विभाजन की रीति से सहमत हो जायें तो विभाजन तदनुसार कर दिया जायगा। यदि विभाजन की रीति से दोनों पक्ष सहमत न हों और यह दावा किया जाय कि कोई लगान देय नहीं है तो ऐसा अधिकारी उपज या फसल के मूल्य का अनुमान लगायेगा और अपना निर्णय देगा जिसे वह अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को प्रेषित करेगा।

(७) पक्षों को यह सूचना जारी की जावेगी कि निर्णय दे दिया गया है और वे ऐसी सूचना मिलने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर निर्णय के विरुद्ध आपत्तियां पेश करने के हकदार होंगे और तहसीलदार ऐसी आपत्तियों को सुनने तथा ऐसी जांच पड़ताल करने के पश्चात् जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, उस निर्णय को, सिवाय उस दशा के जब कि स्थिति उप-धारा (८) में विहित स्थिति के अनुरूप हो, पुष्ट, रूपान्तरित या अपास्त कर देगा और यदि कोई रकम देय पाई जाय तो उस रकम एवं खर्चा यदि कोई हो, के भुगतान की आज्ञा देगा और उस आज्ञा का प्रभाव लगान की बकाया के लिये दी गई डिक्री के प्रभाव के समान होगा।

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा यथा संशोधित।

(८) उस मामले में जब कोई पक्ष यह आपत्ति करे कि लगान फसल के अनुमान या कूत +[या उपज के विभाजन पर] आधारित नहीं है या कि कोई रकम देय नहीं है या कि भूमिधारी द्वारा लगान के रूप में अभ्यर्थित (claimed) उपज का अनुपात वस्तुतः देय अनुपात से अधिक है तो तहसीलदार ऐसी आपत्ति का निर्णय नहीं करेगा अपितु पक्षों को यह निर्देश देगा कि वे अपने अधिकारों का निर्णय सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा करवायें और ऐसे मामलों में तहसीलदार भूमिधारी के प्रार्थना-पत्र पर, आसामी को निर्देश दे सकेगा कि वह उस वाद के अन्तिम निर्णय के अनुसार एक महीने के भीतर लगान भुगतान करने के लिये एक बन्धपत्र, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित, प्रस्तुत करे।

(९) यदि आसामी बंध-पत्र प्रस्तुत करने से, जैसाकि उप-धारा (८) में उल्लिखित है, इन्कार करे तो तहसीलदार फसल को अथवा उसकी उपज को ऐसी मात्रा में कुर्क कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

टिप्पणी

इस धारा में धारा १४८ के नीचे प्राप्त आवेदन पत्र के निपटारे का तरीका बताया गया है। इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का प्रभाव लगान की बकाया के लिए दी गई डिक्री की तरह होगा। इस धारा के उपबन्ध बाध्यकर (mandatory) है।

उपधारा (७) के नीचे दी गई आज्ञा की अपील या पुनरीक्षण उसी प्रकार होगा जैसे कि तहसीलदार द्वारा बकाया लगान की डिक्री का। धारा १४८ के नीचे दिए गए आवेदन पत्र की खारिजी डिक्री नहीं मानी जायगी और इसकी अपील नहीं होगी।[1]

१५०. उपज के रूप में लगान की बकाया के लिये वाद—यदि लगान, जो फसल के अनुमान या कूते पर आधारित हो या जो उपज के विभाजन द्वारा देय हो, बकाया हो और लगान की बकाया के निमित्त डिक्री के समान प्रभाव रखने वाली कोई आज्ञा धारा १४९ की उपधारा (७) के अन्तर्गत नहीं दी गई हो तो भूमिधारी ऐसी बकाया की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत कर सकेगा।

१५१. किश्तों का नियत किया जाना—आसामी का लगान निम्नलिखित किश्तों में तथा निम्नलिखित तारीखों पर देय होगा—

(क) यदि कृषि से सम्बन्धित पक्षों द्वारा किश्तें और तारीखें पारस्परिक समझौते से तय करली गई हो तो इस प्रकार तय की गई किश्तों में और तारीखों पर,

(ख) ऐसे किसी समझौते के अभाव में यदि किश्तें और तारीखें बन्दोबस्त के समय में निश्चित तथा अभिलिखित करदी गई हों तो इस प्रकार निश्चित एवं अभिलिखित किश्तों तथा तारीखों पर,

(ग) अन्य दशाओं में एक या अधिक किश्तों में और ऐसी तारीख या तारीखों पर जो

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट

1. धासी v. अमरसिंह, 1956 R.R.D 268.

प्रचलित पृथा या व्यवहार के अनुसार हों।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के नीचे भूमि धारी उपज रूप में वसूल किए जाने वाले लगान की बकाया के लिए दावा कर सकता है। उपज के विभाजन, कूंता या अनुमान के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर भी इस धारा के नीचे बकाया लगान की वसूली के लिए दावा चल सकता है[1] इस धारा के नीचे सायर की वसूली के लिए भी दावा चल सकता है।[2]

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची के भाग १ के मद सं० १७ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। न्यायालय मूल्यानुसार (advalorem) लगेगा।

मियाद जिस तारीख को लगान देय हो उससे तीन साल की है। पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड को होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

टिप्पणी

जब लगान की कोई किश्त देय हो तो जिस दिन वह देय हो उसके दूसरे दिन से ही बकाया में शुमार हो जाती है। आसामी बकाया रकम पर ६.२५ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देने का उत्तरदायी होगा। केवल लगान की बकाया की वसूली का दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य होगा।[3]

१५२. लगान का कब बकाया होना—लगान की कोई भी किश्त उस दिन के पहिले न चुकाई जाय जिस दिन देय हो तो उस दिन जिसको कि वह देय हुई, के ठीक अनुवर्ती दिन से बकाया हो जाती है और ऐसा होने पर आसामी बकाया पर एक आना प्रति रुपया प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देने का भागी होगा।

१५३. बकाया के कारण गिरफ्तारी या निरोध का निषेध—लगान की बकाया के कारण दी गई किसी डिग्री का निष्पादन आसामी को गिरफ्तार करके या निरोध में रख कर नहीं किया जायगा।

१५४. बकाया वसूल करने का तरीका:—इस अधिनियम द्वारा अन्यथा विहित व्यवस्था को छोड़ कर, लगान की बकाया वाद के जरिये या धारा १६९ के उपबंधों के अनुसार नोटिस के जरिये वसूल की जा सकेगी।

टिप्पणी

१—विषय:—लगान की बकाया की वसूली के तरीके इस धारा में बतलाए हैं

---

1. मगन v. दुर्गा, 1937 R.D. 287.
2. गधमा कुंवर v. रामसकल राय, 1935 R.D. 381.
3. जगन्नाथ प्रसाद v. मुराद, 1920-4 R.D. 28.

अर्थात् दावे के द्वारा और तहसीलदार की मार्फत नोटिस देकर धारा ११६ के अनुसार। इसके अतिरिक्त लगान धारा १५९, १६०, १४८, १५० और १४० (२) के अंतर्गत भी वसूल किया जा सकता है। लगान वसूली के दावे में हमेशा नया वाद-कारण (विनाय दावा) रहता है और यदि गत वर्ष में अदा किया गया लगान कानूनी तरीके से वसूल नहीं किया जा सकता था तो उससे वाद में यह कहने की मनाही नहीं हो जाती कि कम दर पर लगान देय था।[1] इस धारा के नीचे वह व्यक्ति भी बकाया लगान की वसूली का दावा ला सकता है जिसका वह मालिकाना अथवा अन्य हित समाप्त हो चुका हो जिसके कारण कि लगान उसको देय हुआ था।[2]

२ सिविल न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction):—यदि लगान की रकम का रूपान्तरण नई संविदा (बोंड इत्यादि) में हो गया हो तो उसके बाद दावा सिविल न्यायालय में भी पेश हो सकता है।[3]

३—(मुजरा Set off):—राजस्व न्यायालय में भी सैट ऑफ की आपत्ति उठाई जा सकती है परन्तु उसके लिए ऑर्डर ८ नियम ६ सि० प्र० सं० का पालन होना चाहिए।

४—प्रक्रिया:—बकाया लगान के दावे तृतीय अनुसूची भाग एक के मद नं० १८ द्वारा शासित होंगे और राज्य सरकार के पक्षकार न होने की सूरत में ३००) रु० तक के दावे तहसीलदार के पास पेश होंगे। अन्यथा सहायक कलक्टर के यहां पेश होंगे चाहे मालियत कुछ भी हो।

मियाद धारा १५२ के नीचे बकाया देय हो जाने की तारीख से ३ साल की है।

न्यायालय शुल्क राजस्थान न्याय शुल्क अधिनियम १९६१ के अनुसार मूल्यांकन के अनुसार देनी होगी।

तहसीलदार की पहली अपील कलक्टर के यहां होगी और दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को।

यदि डिक्री सहायक कलक्टर ने दी हो तो पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी।

पहली सूरत में पुनरीक्षण राजस्व मंडल में होगा परन्तु दूसरी सूरत में नहीं।

१५५. सह आसामी के विरुद्ध वाद:—कोई सह आसामी जिसने दूसरे सह आसामी के खाते में लगान दे दिया हो या जिससे ऐसा लगान वसूल कर लिया गया हो इस प्रकार दी गई रकम के लिये उस सह आसामी पर दावा कर सकता है।

---

1. तुंगल v. चन्द्रभान, A. I. R. 1928 All. 214
2. ज्वालासिंह v उमराव, 1943 R. D. 162
3. जयराम v. शिव सम्पत, S. N. W. 84
4. धारा २१७ (२)

टिप्पणी

१—विषय :—इस धारा के प्रावधान के अनुसार यदि किसी आसामी से उसके किसी सह आसामी के हिस्से का लगान वसूल कर लिया गया हो तो वह आसामी अपने उस सहआसामी पर उसके हिस्से का लगान वापिस वसूल करने का दावा कर सकता है।[1] इसी प्रकार भूमि का एक स्वामी भी अपने सह स्वामी (Co-Proprietor) पर उसके अपने हिस्से ही लगान वसूली का दावा कर सकता है और वह राजस्व न्यायालय में होगा।[2]

२—प्रक्रिया :—ऐसे दावे तृतीय अनुसूची भाग १ के मद नं० १६ द्वारा शासित होंगे और धारा २१७ के अनुसार तहसीलदार या सहायक कलक्टर द्वारा विचारणीय होंगे।

इनके लिए मियाद लगान वसूली की तारीख से तीन साल की होगी।

न्यायालय शुल्क दावे के मूल्यांकन के अनुसार होगी।

तहसीलदार द्वारा दी गई डिक्री की अपील पहले कलक्टर को, दूसरी राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी व पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा।

सहायक कलक्टर द्वारा दी गई डिक्री की पहली अपील राजस्व अपील अधिकारी को होगी व दूसरी राजस्व बोर्ड को।

१५६. बकायाओं का संयोजन :—(१) वादी, एक ही आसामी के विरुद्ध लगान की बकाया के कई दावों को, एक ही वाद में संयोजित कर सकता है बशर्ते कि ये दावे उसी गांव में स्थित भूमि-क्षेत्रों से सम्बन्धित हों।

(२) उक्त वाद की डिक्री में, कई भूमि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में देय पाई गई रकमें, यदि कोई हों, अलग अलग बताई जायेंगी।

१५७. बकाया के दावे में डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा विपत्ति के कारण छूट :—(१) यदि लगान की बकाया के लिये किये गये दावे में डिक्री देने वाले न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि जिस कालावधि के सम्बन्ध में बकाया का दावा किया गया है उसमें दौरान भूमि-क्षेत्र के क्षेत्र-फल में बाढ़ से, या अन्यथा ऐसी कमी हो गई है या उसकी उपज में, अनावृष्टि, ओले, टिड्डी, पाला के अभाव, या इन्हीं के सदृश किसी अन्य विपत्ति के कारण ऐसी क्षति पहुंची है या कमी हुई है कि आसामी द्वारा उस अवधि के लिये देय लगान की पूरी रकम की डिक्री न्यायानुसार नहीं दी जा सकती है तो न्यायालय आसामी द्वारा उस अवधि के लिये देय लगान में ऐसी छूट मंजूर कर सकेगा जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो।

(२) इस धारा के अन्तर्गत मंजूर की गई कोई छूट आसामी द्वारा देय लगान में, सिवाय उस अवधि के जिसके सम्बन्ध में वह छूट दी गई हो, अन्यथा परिवर्तन करने वाली नहीं समझी जायेगी।

---

1. गुरबख्शसिंह v. हरबंससिंह, 1947 R. D. 354
2. मजूर मरहम v. फैयाज हसन, A. I. R. 1944 अवध 312

टिप्पणी

विषय:—यह धारा तभी लागू होगी जब कि कोई आसामी किसी विपत्ति के कारण अपने भूमि क्षेत्र के किसी भाग से अस्थायी रूप से वंचित हो गया हो। यदि वह स्थायी रूप से वंचित हो जाता है तो लगान को बकाया के लिए दावा करने से पूर्व भूमिधारी को लगान को फिर से विनिश्चित कराने के लिए दावा करना होगा।[1]

१५८. सिंचाई की बकाया के लिये दावा—कोई भी व्यक्ति जिसे सिंचाई या नाबदा के कारण कोई रकम देय हो, ऐसी रकम की वसूली के लिये दावा कर सकेगा।

१५९. कतिपय बकायाओं को वसूली भू० राजस्व के रूप में किया जाना:—सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई भूमि के सम्बन्ध में लगान की बकाया या राज्य सरकार को देय अन्य राशि की बकाया या ऐसी भू-सम्पत्ति जो तत्समय प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत कुर्क कर ली गई हो या जो राजस्थान कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट १९५१ (राजस्थान एक्ट सं० २८ सन् १९५१) [अथवा राज्य के उन क्षेत्रों में, जिनमें वह अधिनियम विस्तृत या लागू न हो, प्रवर्तनशील किसी अन्य समानवर्ती कानून]+ के उपबन्धों के अनुसार कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीक्षण में रख दी गई हो, के सम्बन्ध में बकाया भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

परन्तु इस धारा में निहित कोई बात भू-सम्पत्तियों की उन बकायाओं की वसूली करने का अधिकार देने वाली नहीं समझी जायेगी जो कानून मियाद के अन्तर्गत काल-तिरोहित हो गई हो।

१६०. भुगतान से सामान्य इन्कारी की दशा में बकाया की वसूली—(१) किसी स्थानीय क्षेत्र में लगान वसूल करने के हकदार व्यक्तियों को लगान देने की सामान्य इन्कारी की दशा में, राज्य सरकार [राजकीय राजपत्र]× में अधिसूचना के जरिये घोषणा कर सकती है कि लगान भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

++ (२) किसी स्थानीय क्षेत्र में, जिस पर उप-धारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना लागू होती हो, भूमिधारी या कोई भी व्यक्ति जिसको कि लगान की बकाया देय हो, इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशील किसी अन्य कानून में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, बकाया की वसूली के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत दावा करने के बजाय, उसकी वसूली हेतु लिखित में एक प्रार्थना-पत्र कलक्टर को दे सकेगा, जो अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट कर लेने के पश्चात् कि मांगी गई रकम वाजिब है, राज्य सरकार द्वारा नियमों के अधीन, ब्याज सहित उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

---

1. मुस्लिम विश्वविद्यालय, व. मोहनलाल, 1948 R. D. 19.

+ राज० अधि० संख्या २ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट

× रा. अ. २ सन् १९६८ द्वारा प्रतिस्थापित।

++ उपरोक्त द्वारा यथा संशोधित।

(३) किसी रकम जिसकी वसूली के लिए इस धारा के अन्तर्गत आज्ञा दे दी गई हो, के सम्बन्ध में किसी वाद में कलक्टर को प्रतिवादी नहीं बनाया जायगा।

(४) इसमें निहित कोई बात और इस धारा के अन्तर्गत दी गई कोई भी आज्ञा—

(क) भूमिधारी को उसके द्वारा प्राप्य किसी रकम को जो इस धारा के अन्तर्गत वसूल नहीं की गई हो, दावे या प्रार्थना-पत्र के जरिये वसूल करने से वंचित नहीं करेगी, या

(ख) उस व्यक्ति को जिससे वाजिब रकम से अधिक रकम इस धारा के अन्तर्गत वसूल करली गई हो, भूमिधारी या अन्य व्यक्ति जिसके कि प्रार्थना-पत्र पर बकाया वसूली की गई थी, के विरुद्ध वाद दायर करके ऐसी अतिरिक्त रकम को वसूल करने से वंचित नहीं करेगी।

+ [(५) कलक्टर उप-धारा (२) के अधीन वसूली के व्यय के रूप में वसूल की गई वास्तविक रकम की, ७½ प्रतिशत के बराबर काट कर राज्य सरकार के खाते में डाल देगा और वसूली के ऐसे व्ययों का भार आसामी पर होगा।

परन्तु यदि कलक्टर का यह मत हो कि एक ओर आसामी तथा दूसरी ओर भूमिधारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसको लगान की बकाया देय थी, के बीच देय लगान का उचित विवाद था, तो वह दोनों पक्षों के बीच वसूली के व्ययों का भार ऐसे अनुपात में बांट देगा जिसे वह उचित समझे।]

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के लागू किए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि (१) आसामियों की ओर से लगान अदायगी के लिए आम इनकारी (सामान्य इनकारी, general refusal) कर दी गई है और (२) ऐसी आम इनकारी के पश्चात् सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है कि लगान या मांगों की बकाया को भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल की जायगी। 'सामान्य इनकारी' (आम इनकारी) से तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र में लगान अदा नहीं करने के लिए व्यापक अभियान से है। केवल कुछ आसामियों द्वारा लगान देने से इनकार करने पर या नहरी भूमि संबंधी कुछ मांगों की रकम (Canal dues) देने से इनकारी राज्य सरकार के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जायगी।

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ मद नं० ५८ द्वारा शासित होंगे और कलक्टर को दिए जायेंगे।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे होगा।

चूंकि ऐसे आवेदन-पत्रों पर आज्ञा इन्तजामी तरीके (executive nature) की होगी अतः अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां नहीं होगी न राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण होगा।

+ रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट

उपधारा (२) के नीचे मामलों में अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहां होगी। दूसरी अपील नहीं होगी तथा पुनरीक्षण राज्य सरकार में होगा।[1]

३. उपधारा ४ (ख) के नीचे वाले—ऐसे दावे तृतीय अनुसूची के भाग १ के मद नं० २१ द्वारा शासित होंगे और तहसीलदार द्वारा विचारणीय होंगे या धारा २१७ के उपबंधों के अन्तर्गत सहायक कलक्टर के यहां होंगे।

उन पर न्यायालय शुल्क मूल्यांकन के अनुसार (advalorem) लगेगा।

मियाद अधिक लगान वसूली की तारीख से तीन साल होगी।

यदि डिक्री तहसीलदार द्वारा दी गई है तो पहली अपील कलक्टर को होगी व दूसरी राजस्व अपील प्राधिकारी को। यदि डिक्री सहायक कलक्टर ने दी है तो पहला अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को व दूसरी राजस्व मंडल में होगी। ऐसी सूरत में कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

अध्याय ११ —बेदखली

सामान्य

१६१. बेदखली अधिनियम के अनुसार होना—कोई भी आसामी अपने भूमि-क्षेत्र से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करने की प्रणाली के अलावा अन्य किसी प्रकार बेदखल नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि किसी आसामी को बेदखल करने के लिए इस अधिनियम में बताया गया तरीका ही काम में लाया जायगा। उसे और किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जा सकता। जैसे कि लगान न देने की सूरत में भूमिधारी सीधे खेत पर जाकर आसामी को बाहर नहीं निकाल सकता। उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगा।[2] अन्यथा आसामी को इस अन्याय के अनुसार राहत (remedy) दी जा सकेगी। यदि किसी मुख्य आसामी की मृत्यु के पश्चात् भूमिधारी उसके शिकमी को आसामी बनाले तो फिर उस नए आसामी को किसी तीसरे व्यक्ति को स्थायी आसामी बनाने के लिए बेदखल नहीं किया जा सकता।[3] यदि राजस्व न्यायालय किसी व्यक्ति को शिकमी के रूप में बेदखल करने का दावा खारिज कर दे तो उसके बाद सिविल न्यायालय इसे अतिक्रमी के रूप में बेदखल करने के लिए पेश किए गए दावे को नहीं सुन सकता।[4]

---

1. गुरचरन लाल V. अमरकृष्ण नारायन 1945 R.D. 71.
2. दीनदयाल V. राजकुमारी, 1949 R.D. 100
3. ब्रजवासी V. गोदावरि, 12 R.D. 701
4. नारायणसिंह V. गोविन्दराम, 33 All. 523

२. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बेदखली—धारा १८३ के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी को, धारा १७४ के अन्तर्गत लगान की बकाया की डिक्री की इजराय में, धारा १७५ के अन्तर्गत शिकमी को अवैध अन्तरण के कारण, धारा १७७ के अन्तर्गत हानिकारक कार्य के कारण और धारा १८० के नीचे मुदकाश्त काश्तकारों अथवा गैर खातेदार आसामी या शिकमी को बेदखल किया जा सकता है। इस अधिनियम के नीचे जो अधिकार आसामियों को मिले हैं उनसे वंचित करने वाला कोई करार शून्य होगा।

३. बेदखली की डिक्री का प्रभाव—इस अधिनियम के नीचे दी गई बेदखली की डिक्री मे आसामी के काश्तकारी अधिकार (tenancy rights) समाप्त हो जाते हैं परन्तु केवल डिक्री दे देने से ही काम नहीं चल सकता। उसकी इजराय होकर औपचारिक "दखल-दिहानी" होना जरूरी है चाहे वास्तव में कब्जा नहीं दिलाया जाय। तभी अधिकार समाप्ति होगी।[1]

१९२. बेदखली होने पर बकाया की मांग की पूर्ति होना—धारा १६४, १६५, और १६६ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब कोई खातेदार आसामी, लगान भुगतान न करने के कारण, बेदखली की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में अपनी सम्पूर्ण भूमि मे या उसके कुछ हिस्से से बेदखल कर दिया जाय तो आसामी द्वारा ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ने की तारीख को उस भूमि के सम्बन्ध में देय सभी बकाया लगान, चुका दिया गया समझा जायेगा।

टिप्पणी

१. विषय—यदि कोई आसामी अपने भूमि-क्षेत्र से अथवा उसके किसी भाग से लगान की बकाया के कारण बेदखल कर दिया जाय तो लगान बकाया की डिक्री की तकमील समझी जायगी। यह धारा दावे में डिक्रीत लगान की बकाया पर ही लागू होगी परन्तु डिक्री में सम्मिलित दावे के खर्चे पर नहीं।[2] ऐसे खरचे डिक्री की इजराय के द्वारा वसूल किए जा सकेंगे।

२. यह धारा भूतलक्षी नहीं है—इस धारा का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है और इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व होने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।[3] परन्तु ऐसे आसामी पर लागू होती है जिसको बेदखल करने की डिक्री नए अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व हो चुकी थी परन्तु वास्तविक बेदखली नए अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् हुई हो।[4]

+१९३. विलोपित—

1. बीरबल V. गिलोना, 1959 R.L.W. (R.S.) 80
2. महेश्वरदयाल सेठ V. मंगूलाल, 1944 R.D. 111.
3. जदुनाथ प्रसाद V. राम उमरनाथ बख्शसिंह, AIR 1944 Oudh 86.
4. राजेन्द्र बहादुर V. त्रिलोकी शरण, 1944 R.D. 428.

+रा. प. २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

१६४. बेदखली होने की दशा में सुधार-कार्य के लिये प्रतिकर (मुआवजा)-यदि आसामी अपने द्वारा किये गये किसी सुधार के मुआवजे के लिये दावा करे और उसका दावा स्वीकार्य हो तो आसामी को उसकी भूमि से या उसके किसी भाग से बेदखली का आदेश देने वाला न्यायालय उस सुधार-कार्य के लिये आसामी को देय मुआवजे की रकम निश्चित करेगा।

१६५. प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान (१) यदि पूर्वगामी धारा के अन्तर्गत निश्चित किया गया मुआवजा, आसामी से उसकी भूमि के लिये वसूल किये जाने वाले बकाया लगान की रकम तथा खर्चे, यदि कोई हो, से अधिक हो तो बेदखली के लिये डिक्री या आज्ञा, आसामी को देय अवशिष्ट रकम को ऐसे समय के भीतर जिसका न्यायालय निर्देश करे, भुगतान कर देने की शर्त पर, दी जायेगी।

(२) अगर मुआवजा, आसामी से काबिल वसूल रकम से अधिक न हो, जैसा कि उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किया गया है, तो आसामी द्वारा मुआवजे के लिये किया गया कोई भी दावा उसे बेदखल किये जाने पर, सन्तुष्ट हुआ समझा जायेगा।

टिप्पणी

धारा १६४ व १६५ साथ साथ पढ़ी जानी चाहिए। यदि बेदखली के दावे या कार्यवाही मे मुआवजा (प्रति कर) की आपत्ति उठाई जावे तो बेदखली की आज्ञा देने वाले न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रश्न की जांच करे और मुआवजे की रकम निश्चित करे। मुआवजे का अंतिम रूप से फैसला होने तक बेदखली का निर्णय नही दिया जाना चाहिए।[1] यदि मुआवजा नही दिया जाता है तो बेदखली नही होनी चाहिए।[2] मुआवजे का दावा बेदखली के विरुद्ध आपत्ति (उजरदारी) है और अन्तिम आज्ञा से पूर्व उसका फैसला होना चाहिए।[3]

१६६. बेदखली होने पर फसलों तथा वृक्षों संबंधी अधिकार--(१) यदि किसी आसामी की बेदखली की डिक्री या आज्ञा के अनुसरण मे कब्जा सौंपने की तारीख को भूमि-क्षेत्र मे ऐसी असंग्रहीत फसलें या वृक्ष हों जो आसामी मे निहित हैं तो डिक्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय उन फसलो तथा वृक्षो का मूल्य निश्चित करेगा और निम्नलिखित प्रकार कार्यवाही करेगा—

(क) यदि धारा १६४ के अन्तर्गत निश्चित मुआवजे, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात आसामी द्वारा देय रकम उक्त फसलों या वृक्षों के मूल्य के बराबर या अधिक हो तो न्यायालय भूमिधारी को भूमि का कब्जा दे देगा और उक्त फसलो अथवा वृक्षो पर आसामी के समस्त अधिकार भूमिधारी को प्राप्त हो जायेंगे;

---

1. शिवधर V. मंगला, 1935 R.D. 14
2. भगवानसहाय V. शिवबरणसिंह, 4 R.D. 15
3. ट्रेन V. किसना, 1 R.D. R.E. 69

(ख) यदि धारा १६४ के अन्तर्गत निश्चित मुआवजे, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात आसामी द्वारा देय रकम, उक्त फसलों तथा वृक्षों के मूल्य से कम हो, और

[१] भूमिधारी उक्त रकम तथा उक्त मूल्य के अन्तर की रकम आसामी को देदे तो न्यायालय भूमि का कब्जा भूमिधारी को सौंप देगा और उक्त फसलों तथा वृक्षों पर आसामी के समस्त अधिकार भूमिधारी को प्राप्त हो जायेंगे, या

+[[२] यदि भूमिधारी उक्त अन्तर की रकम नहीं दे—

(क) जहां मूल्य आसामी में निहित वृक्षों अथवा उन वृक्षों या असंग्रहीत फसलों से ही सम्बद्ध हो, आसामी बेदखली का भागी नहीं होगा जब तक कि उक्त मूल्य सबंधी दावे की संतुष्टि न कर दी गई हो, और

(ख) जहां मूल्य उक्त असंग्रहीत फसलों से ही सम्बद्ध हो, न्यायालय भूमिधारी को भूमि का कब्जा दे देगा परन्तु आसामी को उक्त फसलों की रक्षा करने, संग्रह करने तथा हटाने का अधिकार होगा और वह भूमि के उपयोग तथा अधिवास के लिये ऐसा मुआवजा देगा जो न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाय।]

× [+ + +]

+ +[(.–क) आसामी या भूमिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, बेदखली की डिक्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय फसलों अथवा वृक्षों का मूल्य तथा उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अधीन आसामी द्वारा दिये जाने वाला मुआवजा निश्चित कर सकेगा।]

(२) इस धारा की कोई बात, धारा १८३ के उपबंधों के अन्तर्गत भूमि से बेदखल किये गये अतिक्रमी पर लागू नहीं होगी और कब्जा सौंपने के समय उक्त भूमि में स्थित कोई वृक्ष या फसलें धारा ÷[१८३] की उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन भूमिधारी में निहित हो जायेंगी—

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के लागू किए जाने से पूर्व यह निश्चित किया जाना चाहिए कि फसल या वृक्ष आसामी में निहित हैं या नहीं। यदि वे किसी अन्य आसामी की सम्पत्ति हैं और आसामी को केवल उनमें हिस्सा पाने का अधिकार है तो आसामी इस धारा का लाभ पाने का हकदार नहीं है।[1]

+रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

× रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त

+ +रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट

÷रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित

1. बलदेव प्रसाद V. वहाउद्दीन अहमद, 1948 R.D. 418

२. विवाद—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र देने के लिए कोई विवाद नो नहीं है परन्तु उपधारा (१) का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि कब्जा दिलाने से पूर्व मुआवजे के दावों का फैसला किया जायगा।[1]

यह धारा अनिकमी पर लागू नहीं होती है।[2]

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद नं० ६० द्वारा दाखिल होंगे और उपधारा (२) के नीचे बेदखली की डिक्री या आज्ञा देने वाले न्यायालय के समक्ष पेश होंगे।

न्यायालय शुल्क ५० नैसे का होगा। तहसीलदार द्वारा आज्ञा दी जाने पर पहली अपील कलक्टर को और सहायक कलक्टर, कलक्टर या एस. डी. ओ. द्वारा आज्ञा दी जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी। अपील में दी गई आज्ञा की दूसरी अपील नहीं होगी। पुनरीक्षण हो सकेगा।

१६७. नोटिस की अन्तर्वस्तु तथा तामील—(१) इस अध्याय के अन्तर्गत आसामी को जारी किये जाने वाले प्रत्येक नोटिस में निम्नलिखित बातें होंगी:—

(क) भूमिधारी का नाम, विवरण और निवास-स्थान

(ख) आसामी का नाम, विवरण और निवास-स्थान

(ग) गांव या अन्य स्थानीय-क्षेत्र जिसमें वह भूमि-क्षेत्र स्थित है, का उल्लेख करते हुए, भूमि-क्षेत्र का विवरण, और

(घ) भूमि-क्षेत्र के रेकार्ड में दर्ज नम्बर, लगान की प्रत्येक किश्त की रकम जिसका कोई भाग बकाया हो और उन बकायाओं की रकम।

(२) न्यायालय द्वारा सम्मनों की तामील करने की रीति ही आसामी पर ऐसे नोटिस तामील करने की रीति होगी।

+[विलोपित]

किन्तु ऐसे नोटिस की तामील आसामी पर रजिस्टर्ड पोस्ट मय रसीद के जरिये भी कराई जायेगी।

किन्तु यह और है कि यदि आसामी मिलता नहीं है या नोटिस लेने से या रसीद पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो नोटिस की तामील उस स्थान के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में, जो नोटिस पर ऐसी तामील या प्रमाणीकरण करने के लिये हस्ताक्षर करेंगे, नोटिस को उसके सामान्य निवास-स्थान पर चिपकाकर की जायेगी और वह तामील आसामी पर उचित तामील समझी जायेगी।

टिप्पणी

१. नोटिस की अन्तर्वस्तु - हालांकि नोटिस में क्या बातें होनी चाहिए वे इस

1. मुहम्मद अमीर खान V. बरू, 1945 R D. 527
2. उपधारा (३)

+रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

धारा में दी गई हैं और उन्हें नोटिस में लिखा जाना ही चाहिए परन्तु लिपिकीय भूलों की दुरुस्ती की जा सकती है।[1] नोटिस सारे भूमि-क्षेत्र के बाबत होना चाहिए।[2] दो बिल्कुल ही अलग भूमि-क्षेत्र के लिए सम्मिलित नोटिस गलत है।[3] गरज यह है कि आसामी को साफ पता चल जाना चाहिए कि नोटिस किस भूमि-क्षेत्र के विषय में है। यदि किसी खेत का कोई दर्जशुदा नम्बर नहीं है तो खेत का नम्बर न देना कोई त्रुटि नहीं होगी।

२. नोटिस की तामील—उपधारा (२) में बताया गया है कि नोटिस की तामील न्यायालय के सम्मन की तरह कराई जायगी। दंड प्रक्रिया संहिता के आर्डर ५ में सम्मनों की तामील का तरीका बताया गया है जिसका पालन ठीक तरीके से होना चाहिए अन्यथा कार्यवाही रद्द हो सकती है।

३. स्थानापन्न तामील—उपधारा (२) के दूसरे परन्तुक में बताया गया है कि यदि आसामी नहीं मिले अथवा तामील से इंकार कर दे तो नोटिस की तामील उसके सामान्य निवास स्थान पर चिपकाया जाकर की जायगी जिसकी तसदीक (प्रमाणी करण attestation) उस स्थान के दो व्यक्तियों से कराली जायगी। इस उपधारा में तामील नोटिस का प्रकाशन कराके अथवा आसामी के परिवार के बालिग सदस्य की तामील कराके नहीं कराई जा सकती। इस प्रकार आर्डर ५ नियम २० C.P.C में और इस उपधारा के उपबंधों में अन्तर है। सह आसामी को नोटिस देना इस उपधारा के नीचे पर्याप्त तामील नहीं है।

४. मियाद—धारा १८२ (२) में "ऐसी आज्ञा की तारीख से" शब्द स्पष्ट है और उनका अर्थ "आज्ञा का पता चलने की तारीख से" नहीं लिया जा सकता।[4]

१६८. रिहायशी मकानों से बेदखली नहीं होना—कोई भी आसामी गांव में स्थित रहने के मकान से, जो धारा ६६ के उपबंधों के अन्तर्गत सुधार के रूप में निर्मित मकान से भिन्न हो, केवल इस कारण से ही बेदखल नहीं किया जा सकेगा कि वह गांव में अपने भूमि-क्षेत्र से बेदखल कर दिया गया है।

लगान की बकाया के कारण बेदखली

१६९. बकाया के भुगतान के लिये और भुगतान न करने पर बेदखली के लिये नोटिस जारी करना—(१) जब कभी भी आसामी द्वारा देय लगान दो वर्ष या अधिक समय से बकाया हो तो तहसीलदार, आसामी के सीधे राज्य सरकार से प्राप्त भूमिधारण करने की दशा में अपने आप, तथा अन्य दशाओं में भूमिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर, आसामी को, नोटिस तामील होने के तीन दिन के अन्दर बकाया का भुगतान करने या उपस्थित होकर उसे स्वीकार करने या उसका

1. रघुनन्दन V. प्रतापसिंह, 6 R.D. 526.
2. गनेशी V. मैनेजर कोर्ट ऑफ वार्ड्स, 4 R.D. 99
3. शालिगराम V. बैजाराम, 1938 R.D. 392.
4. मनिमंगु V. मुखिया 1960 R.L.W. (R.S.) 134,

मुल्क देय नहीं होगा, +[XXX] और

[२] तहसीलदार उस वाद पर वैधिक विचार करने में सक्षम होने की दशा में, कागजात उस राजस्व न्यायालय को भेज दिये जायेंगे जो अधिकार-क्षेत्र रखता हो।

(३) यदि ऐसे वाद में उक्त न्यायालय यह पाये कि आसामी द्वारा कोई रकम देय है तो न्यायालय उस आसामी को उक्त रकम न्यायालय में चुकाने का निदेश देते हुए एक डिक्री देगा।

टिप्पणी

१. विषय— इस धारा में बताया गया है कि धारा १६६ के नीचे जारी किए गए नोटिस की तामील के पश्चात् आसामी के उपस्थित होने अथवा नहीं होने की अवस्था में क्या कार्यवाही की जायगी। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आसामी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाय तो उसे कैसे व किस आधार पर अपास्त कराया जा सकता है।

२. मियाद—एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त कराने के लिए आवेदन-पत्र आज्ञा की तारीख से एक महीने के भीतर करदी जानी चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद नं० ६२ द्वारा शासित होता है।

१७१. धारा १७० के अन्तर्गत दी गई आज्ञा का परिणाम व लण्डन—(१) यदि आसामी धारा १७० की उप-धारा (१) के उपबंधों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा आदेशित बकाया रकम को या उस धारा की उप-धारा (३) के उपबंधों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा बकाया लगान की बाबत दी गई डिक्री की रकम को, उस पर ब्याज, एवं प्रार्थना-पत्र के खर्चे या डिक्री द्वारा निर्णीत खर्चे, यदि कोई हो, सहित ऐसी आज्ञा जारी होने के एक साल के पश्चात् आने वाली ३१ मई तक या जब तक वह डिक्री अंतिम न हो जाय तब तक भुगतान न करे तो तहसीलदार या डिक्री देने वाला न्यायालय उसे, उसको सम्पूर्ण भूमि से या भूमि के कुछ हिस्से से बेदखल करने की आज्ञा देगा और वह तदनुसार तत्काल बेदखल कर दिया जायगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी, कोई आसामी धारा [१२६]× के उपबंधों के अन्तर्गत स्थगित या छूट दिये गये लगान के किसी हिस्से का भुगतान न करने के कारण बेदखल नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के उपबंध बाध्यकर (Mandatory) हैं और यदि इस धारा में दी गई अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो तहसीलदार आसामी को भूमि-क्षेत्र से बेदखल करने की आज्ञा तुरंत देगा। आसामी को और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।[1] तहसीलदार को मियाद में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है।[2]

+ रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त

× रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

1. कमलाप्रसाद v. पिसमान, 1944 R. D. 214

2. घोंदे v. राम आसरे, 1947 R. D. 116

प्रतिवाद करने का आदेश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा :

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत उस बकाया के भुगतान के लिये जो उसके बारे में प्रार्थनापत्र देने की तारीख पर तीन साल से अधिक समय से बकाया निरन्तर रहा हो कोई नोटिस जारी नहीं किया जायगा ।

(२) इस धारा के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में यह उल्लिखित होगा कि बकाया लगान के भुगतान में त्रुटि करने की दशा में आसामी भूमि-क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा को धारा १७० व १७१ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसके नीचे केवल तहसीलदार को ही आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। इसमें बताई गई शर्तें पूरी होने पर ही नोटिस जारी किया जायगा। इस धारा के नीचे समस्त आसामियों के विरुद्ध नोटिस जारी होना चाहिए अन्यथा वह निष्प्रभावी होगा।[1] यह धारा सिर्फ लगान के मामलों में ही लागू होगी।

२. नोटिस कब जारी नहीं होगा—यदि लगान की वसूली के लिए धारा १५० अथवा १५४ के नीचे नियमित दावा कर दिया गया है तो इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग दो के मद नं० ११ द्वारा शासित होगा और तहसीलदार के समक्ष पेश किया जायगा।

न्याय शुल्क २५ पैसे का लगेगा।

मियाद कुछ नहीं है परन्तु तीन साल से अधिक पुरानी बकाया के लिए इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा।

१७०. नोटिस जारी होने के पश्चात कार्य-प्रणाली—(१) यदि आसामी उपस्थित नहीं हो, यदि उपस्थित हो और अधियाचित बकाया को स्वीकार करले तो तहसीलदार उसको ऐसी बकाया भुगतान करने का निदेश करते हुए एक आज्ञा पारित करेगा :

किन्तु यदि ऐसी आज्ञा एक-पक्षीय दी गई हो तो आसामी उसे अपास्त (Set aside) किये जाने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि वह तहसीलदार को सन्तुष्ट करदे कि या तो उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई या नियत तारीख पर उपस्थित न होने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण हैं तो तहसीलदार उस आज्ञा को अपास्त कर देगा और मामले की सुनवाई एतत्पश्चात बताई गई रीति से करने को अग्रसर होगा।

(२) यदि आसामी उपस्थित होता है और बकाया के अधियाचन का विरोध करता है तो यथोचित न्यायालय-शुल्क देने पर, नोटिस को लगान की बकाया का एक वाद समझा जायेगा, किन्तु

[1] ऐसा नोटिस स्वयं तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने की दशा में कोई न्यायालय-

---

1. कोर्ट ऑफ वार्ड्स v. मंत दुला, 1944 R. D. 418

मुक्त देय नहीं होगा, +[XXX] और

(२) तहसीलदार इस वाद पर वैधिक विचार करने में सक्षम होने की दशा में, कागजात उस राजस्व न्यायालय को भेज दिये जायेंगे जो अधिकार-क्षेत्र रखता हो।

(३) यदि ऐसे वाद में उक्त न्यायालय यह पाये कि आसामी द्वारा कोई रकम देय है तो न्यायालय उस आसामी को उक्त रकम न्यायालय में चुकाने का निदेश देते हुए एक डिक्री देगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में बताया गया है कि धारा १६६ के नीचे जारी किए गए नोटिस की तामील के पश्चात् आसामी के उपस्थित होने अथवा नहीं होने की अवस्था में क्या कार्यवाही की जायगी। इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आसामी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाय तो उसे कैसे व किस आधार पर अपास्त कराया जा सकता है।

२. मियाद—एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त कराने के लिए आवेदन-पत्र आज्ञा की तारीख से एक महीने के भीतर करदी जानी चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद नं० ६२ द्वारा शासित होना है।

१७१. धारा १७० के अन्तर्गत दी गई आज्ञा का परिणाम व खण्डन—(१) यदि आसामी धारा १७० की उप-धारा (१) के उपबंधों के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा आदेशित बकाया रकम को या उस धारा की उप-धारा (३) के उपबंधों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा बकाया लगान की बाबत दी गई डिक्री की रकम को, उस पर ब्याज, एवं प्रार्थना-पत्र के खर्चे या डिक्री द्वारा निर्णीत खर्चे, यदि कोई हो, सहित ऐसी आज्ञा जारी होने के एक साल के पश्चात् आने वाली ३१ मई तक या जब तक यह डिक्री अंतिम न हो जाय तब तक भुगतान न करे तो तहसीलदार या डिक्री देने वाला न्यायालय उसे, उसकी सम्पूर्ण भूमि से या भूमि के कुछ हिस्से से बेदखल करने की आज्ञा देगा और वह तदनुसार तत्काल बेदखल कर दिया जायगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी, कोई आसामी धारा [१२६]× के उपबंधों के अन्तर्गत स्थगित या छूट किये गये लगान के किसी हिस्से का भुगतान न करने के कारण बेदखल नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के उपबंध बाध्यकर (Mandatory) हैं और यदि इस धारा में दी गई अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो तहसीलदार आसामी को भूमि-क्षेत्र से बेदखल करने की आज्ञा तुरंत देगा। आसामी को और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।[1] तहसीलदार को मियाद में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है।[2]

+ रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त

× रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

1. कमलाप्रसाद व० चिमनान, 1944 R. D. 214

2. मोते व० राम आसरे, 1947 R. D. 116

प्रतिवाद करने का आदेश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा :

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत उस बकाया के भुगतान के लिये जो उसके बारे में प्रार्थनापत्र देने की तारीख पर तीन साल से अधिक समय से बकाया निकल रहा हो कोई नोटिस जारी नहीं किया जायगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में यह उल्लिखित होगा कि बकाया लगान के भुगतान में त्रुटि करने की दशा में आसामी भूमि-खंड से बेदखल किया जा सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा को धारा १७० व १७१ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसके नीचे केवल तहसीलदार को ही आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए। इसमें बनाई गई शर्तें पूरी होने पर ही नोटिस जारी किया जायगा। इस धारा के नीचे समस्त आसामियों के विरुद्ध नोटिस जारी होना चाहिए अन्यथा यह निष्प्रभावी होगा।[1] यह धारा किसी लगान के मामलों में ही लागू होगी।

२. नोटिस कब जारी नहीं होगा—यदि लगान की वसूली के लिए धारा १५० अथवा १५४ के नीचे नियमित दावा कर दिया गया है तो इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग दो के मद नं० ६१ द्वारा शासित होगा और तहसीलदार के समक्ष पेश किया जायगा।

न्याय शुल्क २५ पैसे का लगेगा।

मियाद कुछ नहीं है परन्तु तीन साल से अधिक पुरानी बकाया के लिए इस धारा के नीचे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा।

१७०. नोटिस जारी होने के पश्चात कार्य-प्रणाली—(१) यदि आसामी उपस्थित नहीं हो, यदि उपस्थित हो और अधियाचित बकाया को स्वीकार करले तो तहसीलदार उसको ऐसी बकाया भुगतान करने का निदेश करते हुए एक आज्ञा पारित करेगा :

किन्तु यदि ऐसी आज्ञा एक-पक्षीय दी गई हो तो आसामी उसे अपास्त (Set aside) किये जाने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि वह तहसीलदार को सन्तुष्ट करदे कि या तो उस पर नोटिस की तामील नहीं हुई या नियत तारीख पर उपस्थित न होने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण हैं तो तहसीलदार उस आज्ञा को अपास्त कर देगा और मामले की सुनवाई एतत्पश्चात बताई गई रीति से करने को अग्रसर होगा।

(२) यदि आसामी उपस्थित होता है और बकाया के अधियाचन का विरोध करता है तो यथोचित न्यायालय-शुल्क देने पर, नोटिस को लगान की बकाया का एक वाद समझा जायेगा, किन्तु

[१] ऐसा नोटिस स्वयं तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने की दशा में कोई न्यायालय-

1. कोर्ट ऑफ वार्ड्स v. मैन दुखा, 1944 R. D. 418

और (२) नोटिस के द्वारा। यह धारा इस बात का स्पष्टीकरण करती है कि कोई भूमिधारी लगान वसूली के दोनों तरीकों को एक साथ काम में नहीं ला सकता। उपज के हिस्से से लगान वसूली के लिए दावा धारा १५० के अन्तर्गत पेश किया जाता है और नगदी लगान की वसूली के लिए धारा १५४ के अन्तर्गत। जहां इन दोनों में से किसी एक के नीचे दावा पेश कर दिया जाता है तो धारा १५३ के अन्तर्गत आसामी को कोई नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। उपधारा (२) इस प्रकार के नोटिस पर रोक लगाती है।

१७४. लगान की बकाया की डिक्री को निष्पादित करने में बेदखल किया जाना— (१) [अध्याय दसवें] + के अन्तर्गत वाद में लगान की बकाया के लिये दी गई डिक्री का निष्पादन, कानून के अन्तर्गत निष्पादन के लिये अनुमत किसी अन्य तरीके के अलावा, आसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखली के रूप में किया जा सकेगा :

किन्तु कोई आसामी उस समय तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा जब तक कि निष्पादन के अन्य समस्त तरीकों का प्रयोग न कर लिया गया हो और ऐसी डिक्री की तारीख से दो वर्ष के अन्दर ऐसे किसी तरीके से उस डिक्री की पूरी पूरी संतुष्टि नहीं हुई हो।

(२) उप-धारा (१) के परन्तुक के अधीन भूमिधारी, उक्त डिक्री के अनुसार वाजिब रकम के भुगतान के निमित्त तथा भुगतान न करने की दशा में बेदखली के लिए आसामी को नोटिस जारी किये जाने हेतु उस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा जिसने डिक्री पारित की हो।

(३) उप-धारा (२) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय डिक्री के अन्तर्गत देय रकम का उल्लेख करते हुए आसामी को एक नोटिस देगा जिसमें आसामी से उस रकम को नोटिस की तामील से दो महीने के अन्दर न्यायालय में देने की अपेक्षा की जायेगी तथा रकम न दिये जाने की दशा में इस बात का कारण बताने का आदेश होगा कि उसे उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाय और यदि बेदखली की आज्ञा दे दी जाय तो क्या उसके द्वारा किये गये किन्हीं सुधारों के लिये कोई मुआवजा उसके हक में वाजिब होता है।

(४) यदि रकम इस प्रकार दाखिल कर दी जाय तो न्यायालय डिक्री पर भरपाई अंकित करेगा तथा उसकी एक रसीद देगा, जो जमा की गई रकम के सम्बन्ध में उन्मुक्ति-पत्र का काम करेगी, मानो वह रकम डिक्री धारी द्वारा प्राप्त करली गई हो और उस रकम का भुगतान डिक्री धारी को करेगा।

(५) न्यायालय आसामी के प्रार्थना-पत्र पर,

[१] डिक्री के अन्तर्गत देय रकम के भुगतान की अवधि को समय समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई अवधि किसी भी अवस्था में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, या

[२] उसका भुगतान ऐसी किस्तों में करने की अनुमति दे सकेगा जो वह निश्चित करे।

(६) यदि आसामी उपस्थित होता है और हक के तौर पर आवेदन करता है कि डिक्री का निष्पादन किसी अन्य तरीके, जिसे आसामी स्पष्टतः बतायेगा, से निष्पादित किया जाय तो

२. अदायगी न्यायालय में की जायगी—धारा १७० (१) में दिया गया है कि अदायगी न्यायालय में की जायगी अतः यदि न्यायालय से बाहर की गई अदायगी को भूमिधारी इनकार करे तो इसकी कोई जांच नहीं की जा सकती और बेदखली कर दी जानी चाहिए।

३. इजराय के लिए मियाद—अनुसूची में धारा १७० में दी गई आज्ञा की इजराय की मियाद नहीं दी गई है अतः कानून मियाद के प्रावधान लागू होंगे और तीन साल की अवधि मानी जायगी।

१७२. उपस्थित होने पर, मुआवजे (प्रतिकर) के लिये आसामी का दावा-धारा १६४ तथा १६५ में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, जब आसामी धारा १६६ के अन्तर्गत, उस पर तामील किये गये नोटिस के जवाब में उपस्थित हो तो उससे यह पूछा जायगा कि यदि उसके विरुद्ध बेदखली की कोई आज्ञा दी जाय तो क्या वह सुधार के लिये मुआवजे का दावा करता है और यदि वह ऐसा दावा करता है तो तहसीलदार उस मामले को निर्णय के लिये सब-डिवीजनल आफिसर के पास भेज देगा।

टिप्पणी

१. विषय—धारा १६९ की नोटिस की तामील में आसामी के न आने पर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही धारा १७० (१) के नीचे की जा सकती है, परन्तु यदि वह उपस्थित हो जाय तो तहसीलदार के लिए यह पूछना लाज़िमी है कि क्या वह सुधार के लिए मुआवजे (प्रतिकर) का दावा करता है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछने पर धारा १७० के नीचे दी गई आगे की आज्ञा अवैध हो जायगी।[1]

२. इस धारा का पालन न करने का प्रभाव—यदि इस धारा के उपबंधों का पालन किए बिना कोई आसामी बेदखल कर दिया जाता है तो वह धारा १८७ अथवा १८७ का के नीचे वापिस कब्जा पाने का हकदार है। ऐसे मामले में (Res Judicata) का प्रश्न नहीं उठेगा।[2]

१७३. कुछ दशाओं में वादों और प्रार्थना-पत्रों पर रोक (१) धारा १७० की उप-धारा (२) में जैसी व्यवस्था की गई है उसके अलावा धारा १६६ के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट बकाया के सम्बन्ध में लगान की बकाया के निमित्त कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(२) किसी ऐसी बकाया के सम्बन्ध में जिसकी वसूली के लिये धारा १५० अथवा धारा १५४ के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया हो, धारा १६६ के उपबंधों के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी नहीं किया जायगा।

टिप्पणी

धारा १५४ के अन्तर्गत लगान वसूली के दो तरीके बताये गये हैं (१) दावे के द्वारा

1. पी० सुन्दरसिंह v हरिलाल, 1945 R. D 351
2. गोविन्द बक्ससिंह v मातादीन, 1948 R. D. 98

(इजराय) का तरीका बताती है। यह धारा १६६ के अन्तर्गत वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती।[1] यह धारा किसी पूर्व निर्णय के होते हुए भी आसामी के लाभ के लिए लागू की जाती है।[2] उपधारा (११) इस अभिप्राय को बहुत स्पष्ट कर देती है। यह धारा केवल लगान की बकाया की डिक्रियों पर लागू होती है न कि बेदखली की डिक्रियों पर।[3] यदि आज्ञा दिए जाने के एक महीने के भीतर आसामी डिक्री की रकम न्यायालय में जमा करा दे तो बेदखली की आज्ञा रद्द कर दी जाएगी सिवाय उस सूरत में जबकि भूमिधारी को कब्जा सौंप दिया गया हो। इस धारा के उपबंध तभी काम में लिये जावेंगे जब कि लगान की बकाया की डिक्री दो वर्ष तक बिना तकमील के पड़ी रहे और सभी तरीके काम में ले लिये जावें। यदि बकाया लगान की डिक्री की इजराय में भूमि क्षेत्र बेच दिया जाय तो बेदखली की आज्ञा का प्रश्न नहीं उठता। यदि डिक्री की रकम आंशिक रूप में वसूल हो जाय जैसे कि आसामी की सम्पत्ति की कुर्की व बेचान के द्वारा, तो शेष रकम के लिए इजराय इस धारा के नीचे जारी की जा सकती है।[4]

२. इस धारा के विपरीत बेदखली—जहां बकाया लगान की वसूली की डिक्री की इजराय में आसामी को बेदखल किए जाने की आज्ञा दे दी गई और यह भी इस धारा के खिलाफ परन्तु आसामी ने धारा १८७ अथवा १८७ का के अन्तर्गत वापिस कब्जा पाने की प्रार्थना कर दी तो यह निर्णय दिया गया कि हालांकि सहायक कलक्टर ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में गलती करदी परन्तु वह आज्ञा उसके अधिकार से बाहर न थी और एक बार उसके अंतिम हो जाने के पश्चात् उस पर इन धाराओं के नीचे आपत्ति नहीं की जा सकती।[5]

३. नोटिस जारी किये जाने की प्रक्रिया—उपधारा (२) के नीचे नोटिस जारी करने के लिए आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६४ द्वारा शासित होगा और उस न्यायालय में पेश किया जायगा जिसने कि डिक्री दी थी।

नोटिस जारी करने के लिये आवेदन पत्र डिक्री की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पेश किया जाना चाहिये।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का लगेगा।

अपील केवल एक होगी। यदि आज्ञा तहसीलदार ने दी हो तो अपील कलक्टर को होगी और सहायक कलक्टर ने दी हो तो राजस्व अपील प्राधिकारी को।

हर सूरत में राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण हो सकेगा।

इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी, Review) किया

1. अमरसिंह v. बिरेश्वरी, 1941 R. D. 249
2. नियादरमल v. रतिराम, A. I. R. 1945—All. 374
3. गिरजा दयाल v. जगनाथ, 1943 A. W. R. 300
4. रामसेवक सिंह v. मोतीराम 1945 R. D. 506
5. शारदा प्रसाद v. रामधर, 1950 R. D. 79

न्यायालय इस सम्बन्ध में अन्य प्रार्थना-पत्र की अपेक्षा किये बिना, ऐसे अन्य तरीके से डिक्री को इजराय करने की यथाविधि कार्यवाही करेगा।

(७) यदि आसामी उपस्थित होता है और हक के तौर पर आवेदन करता (Claims) है कि वह किसी अन्य आधार पर बेदखल किये जाने योग्य नहीं है तो न्यायालय उस का निर्णय करेगा।

(८) यदि आसामी उप-धारा (२) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं होता है या वह उपस्थित होता है लेकिन डिक्री की रकम का भुगतान नहीं करता है या उप-धारा (५) के अन्तर्गत अवधि बढ़ाने के लिये अथवा किश्तों में भुगतान करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है या इस प्रकार आवेदन करने पर डिक्री की रकम का बढ़ाई गई अवधि में अथवा नियत किश्तों मे, भुगतान नहीं करता है या उप-धारा (६) अथवा (७) मे अन्तर्गत बेदखल किये जाने का भागी न होने का दावा नहीं करता है या उप-धारा (६) मे अन्तर्गत आसामी द्वारा निष्पादन का निर्दिष्ट तरीका निष्फल सिद्ध हुआ है या उपधारा (७) में अन्तर्गत उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया है तो न्यायालय यह आज्ञा पारित करेगा कि उसे उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल कर दिया जाय :

किन्तु इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाहियों में रत न्यायालय यदि श्रेणी मे सहायक कलक्टर के न्यायालय से नीची श्रेणी का है तो वह ऐसी बेदखली के लिये आज्ञा पारित नहीं करेगा लेकिन मामले को आदेश-हेतु सहायक कलक्टर को प्रेषित करेगा जो उसका अध्ययन करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाच व ऐसी और कार्यवाही जिसे वह उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक और उचित समझे, करने के पश्चात् या तो उस आसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल किये जाने के लिये आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा या आसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल किये जाने की आज्ञा पारित करेगा।

(९) जब उप-धारा (८) के अन्तर्गत आसामी को उसके भूमि-क्षेत्र से बेदखल किये जाने की आज्ञा पारित कर दी जाय तो उससे, यदि वह उपस्थित है, यह प्रकट करने के लिये कहा जायेगा कि क्या उसके द्वारा किये गये किन्हीं सुधारो के निमित्त उसके हक में मुआवजा वाजिब होता है और यदि वह ऐसा कोई हक प्रकट करता है या उप-धारा (२) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के उत्तर मे उसने अपने उक्त हक का पहिले कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है तो न्यायालय ऐसे मुआवजे की रकम का निश्चय करने की कार्यवाही करेगा और उसका भुगतान धारा ६५ के उपबंधो द्वारा नियमित किया जायगा।

(१०) उप धारा (८) के अन्तर्गत पारित आज्ञा के अनुसरण में आसामी की बेदखली धारा १६६ तथा धारा १६८ मे अन्तर्विष्ट उपबंधो के अधीन होगी।

(११) यदि आसामी बेदखली की आज्ञा दिये जाने के पश्चात् एक महीने के अन्दर न्यायालय में डिक्री की रकम को जमा करा दे तो बेदखली की आज्ञा उस दशा मे जबकि उसके अनुसरण मे कब्जा भूमिधारी को सौंप न दिया गया हो, रद्द कर दी जायगी।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा अध्याय १० के अन्तर्गत दी गई डिक्रियों के निष्पादन

(इजराय) का तरीका बताती है। यह धारा १६६ के अन्तर्गत वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होती।[1] यह धारा किसी पूर्व निर्णय के होते हुए भी आसामी के लाभ के लिए लागू की जाती है।[2] उपधारा (११) इस अभिप्राय को बहुत स्पष्ट कर देती है। यह धारा केवल लगान की बकाया की डिक्रियों पर लागू होती है न कि बेदखली की डिक्रियों पर।[3] यदि आज्ञा दिए जाने के एक महीने के भीतर आसामी डिक्री की रकम न्यायालय में जमा करा दे तो बेदखली की आज्ञा रद्द कर दी जायगी सिवाय उस सूरत मे जबकि भूमिधारी को कब्जा सौंप दिया गया हो। इस धारा के उपबंध तभी काम में लिये जावेंगे जब कि लगान की बकाया की डिक्री दो वर्ष तक बिना तकमील के पड़ी रहे और सभी तरीके काम में ले लिये जावें। यदि बकाया लगान की डिक्री की इजराय में भूमि क्षेत्र बेच दिया जाय तो बेदखली की आज्ञा का प्रश्न नहीं उठता। यदि डिक्री की रकम आंशिक रूप में वसूल हो जाय जैसे कि आसामी की सम्पत्ति को कुर्की व बेचान के द्वारा, तो शेष रकम के लिए इजराय इस धारा के नीचे जारी की जा सकती है।[4]

२. इस धारा के विपरीत बेदखली—जहां बकाया लगान की वसूली की डिक्री की इजराय मे आसामी को बेदखल किए जाने की आज्ञा दे दी गई और वह भी इस धारा के खिलाफ परन्तु आसामी ने धारा १८७ अथवा १८७ सा के अन्तर्गत वापिस कब्जा पाने की प्रार्थना कर दी तो यह निर्णय दिया गया कि हालांकि सहायक कलक्टर ने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में गलती करदी परन्तु वह आज्ञा उसके अधिकार से बाहर न थी और एक बार उसके अंतिम हो जाने के पश्चात् उस पर इन धाराओं के नीचे आपत्ति नही की जा सकती[5]

३. नोटिस जारी किये जाने की प्रक्रिया—उपधारा (२) के नीचे नोटिस जारी करने के लिए आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६४ द्वारा शासित होगा और उस न्यायालय में पेश किया जायगा जिसने कि डिक्री दी थी।

नोटिस जारी करने के लिये आवेदन पत्र डिक्री की तारीख से तीन वर्ष के भीतर पेश किया जाना चाहिये।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का लगेगा।

अपील केवल एक होगी। यदि आज्ञा तहसीलदार ने दी हो तो अपील कलक्टर को होगी और सहायक कलक्टर ने दी हो तो राजस्व अपील अधिकारी को।

हर सूरत में राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण हो सकेगा।

इस धारा के नीचे दी गई आज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी, Review) किया

1. अमरसिंह v. बिन्देश्वरी, 1941 R. D. 249
2. निसारहसन v. रतिराम, A. I. R. 1945—All. 374
3. गिरजा दयाल v. जगन्नाथ, 1943 A. W. R. 300
4. रामेश्वर सिंह v. सोनाराम 1945 R. D. 506
5. शारदा प्रसाद v. रामधर, 1950 R. D. 79

जा सकेगा और जब एक पक्षीय[1] आज्ञा दी गई हो अथवा जब मृत आसामी के विधिक प्रतिनिधियों को बिना सूचना बेदखल किया जाने की आज्ञा दी गई हो[2] अथवा जहां अनियमितता से तामीलें कराई गई हों तो पुनरावलोकन के आवेदन पत्रों पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।[3]

१७५. अवैध अन्तरण (Transfer) या शिकमी-पट्टे पर देने के कारण बेदखली—(१) यदि कोई आसामी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य न करते हुए अन्य प्रकार से अन्तरण करदे या उसे शिकमी-पट्टे पर दे दे और ऐसे अन्तरण या शिकमी-पट्टे के अनुसरण मे उक्त अन्तरिती या शिकमी-पट्टाधारी उक्त भूमि-क्षेत्र या उक्त हिस्से मे प्रवेश कर ले या उस पर कब्जा करले तो दोनों उक्त आसामी एवं वह व्यक्ति जिसने इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र को या उसके किसी हिस्से को प्राप्त कर लिया हो अथवा उक्त सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा जिसके कब्जे मे हो, भूमिधारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस क्षेत्र से बेदखल किये जा सकेंगे जो उक्तरूपेण अन्तरित या शिकमी-पट्टे पर दिया गया है।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में अन्तरिती या शिकमी-आसामी, यथास्थिति, पक्षकार बनाया जायगा।

(३) इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमे उसे ऐसी अवधि, जो नोटिस मे व्यक्त की जाय के भीतर उपस्थित होने तथा कारण प्रकट करने का आदेश होगा कि उसको उस क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाय जो इस प्रकार अन्तरित या शिकमी- पट्टे पर दिया गया है।

(४) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर विपक्षी उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क दिये जाने पर, उस आवेदन-पत्र को एक वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि किसी वाद मे :

किन्तु सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।

(५) यदि विपक्षी उक्तरूपेण उपस्थित नही होता है या यदि वह उपस्थित होता है परन्तु बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध नही करता तो न्यायालय आवेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

टिप्पणी

१-विषय—कोई आसामी अपने भूमि क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को केवल धार

1. टीकासिंह v. कुशालसिंह, 1941 R. D. 472
2. सुमारसिंह v. रावतराजकुमार सिंह, 1928 R. D. 699

सह v. सुन्दरलाल, 1927 R. D. 527

४१ से ४७ के अनुसार ही अन्तरित कर सकता है अथवा उप-पट्टे (शिकमी-पट्टे) पर दे सकता है। इन उपबन्धों के विरुद्ध किया गया अन्तरण अवैध होता है और अन्तरण कर्ता तथा जिसको कब्जा दिया जाय वह व्यक्ति इस धारा में बनाई गई शास्तियों के भागी हैं। यदि दावे की तारीख को अन्तरिती अथवा उप आसामी का कब्जा न हो तो इस धारा के नीचे कार्यवाही नहीं चल सकती।[1] इसी प्रकार जब तक इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में किसी का कब्जा भूमि-क्षेत्र पर नहीं हो जाता तो बेदखली का दावा नहीं किया जा सकता।[2] यदि इस धारा में बताई गई बातें पूरी हों जावें तो बेदखली की आज्ञा दी जानी चाहिए।[3]

२-प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दिया जाने वाला आवेदन-पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६६ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश किया जायगा। यदि आवेदन-पत्र का विरोध किया जाय तो उसे दावे की तरह मान लिया जावेगा।

ऐसे आवेदन-पत्र पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा।

ऐसे आवेदन-पत्र के लिए अवधि अन्तरण अथवा शिकमी पट्टे पर दिये जाने की तारीख से तीन साल की है परन्तु यदि मुख्य आसामी द्वारा दावा पेश होने से पहिले कब्जा वापिस ले लिया जाय तो दावे का कारण नहीं रहेगा और दावा असफल हो जावेगा।[4]

सहायक कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध एक ही अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में होगी। परन्तु यदि डिक्री दी जानी है तो दूसरी अपील राजस्व बोर्ड को होगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी की अपील में दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकेगा परन्तु जहां राजस्व बोर्ड में दूसरी अपील होनी हो वहां पुनरीक्षण नहीं होगा।[5]

१७६. धारा १७५ के अन्तर्गत डिक्री अथवा आज्ञा—(१) धारा १७५ के अन्तर्गत किसी डिक्री या आज्ञा में किसी आसामी को तथा उसके अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी को उस भूमि-क्षेत्र से बेदखल किये जाने का निदेश दिया जा सकेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य न करते हुए अन्यथा अन्तरित किया गया हो या शिकमी-पट्टे पर दिया गया हो।

(२) ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निदेश किया जा सकेगा कि उक्त डिक्री या आज्ञा

1. सीताराम v. मु० कोशल्या, (अपील नम्बर 11-1942-43.)
2. रघुवीरसिंह v. बाबूराम, 1944 R.D. 245.
3. शिवनारायण v. नारायणसिंह, 1943 R.D. 406.
4. देवपालसिंह v. मानसिंह, 1944 R.D. 159.
5. हरला v. स्टेट, 1966 R.R.D. 6.

खर्चे के अतिरिक्त किसी के हेतु निष्पादन नहीं की जायगी यदि उस डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के अन्दर या ऐसी अपेक्षा अवधि के अन्दर जिसकी न्यायालय, कारणों का उल्लेख करते हुए, अनुमति दे, वह मुआवजा दे दिया जाय जिसे न्यायालय डिक्री या आज्ञा में निर्दिष्ट करे।

१७७. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली—(१) आसामी भूमिधारी के आवेदन-पत्र पर नीचे लिखे आधारों पर अपने भूमि-क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा—

(क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की भूल के आधार पर जो उस भूमि-क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो जिसके लिए उस भूमि-क्षेत्र पट्टे पर दिया गया हो, या

(ख) इस आधार पर या कि उसने या उससे लेकर धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत नहीं है :

किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वृक्ष लगाना या कोई सुधार करना, इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आधार नहीं होगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र में आसामी के मार्फत स्वत्व का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहां वाद का मूल कारण पूर्णतः या अंशतः आसामी के अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्य, या भूल या शर्त-भंग पर आधारित हो वहां उक्त अन्तरिती या शिकमी पट्टा धारी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जायगा।

(३) इस धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि-क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाय, कारण बताने का आदेश होगा।

(४) यदि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क भुगतान किये जाने पर, उस आवेदन-पत्र को वाद-पत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद में :

किन्तु सीधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में, तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिया जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।

(५) यदि वह इस प्रकार उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है लेकिन बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध नहीं करता है तो न्यायालय आवेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

टिप्पणी

१. विषय—धारा १७५ में आसामी के अवैध रूप से अन्तरण अथवा शिकमी

पट्टा कर देने पर उसे बेदखल किये जाने का भागी बनाया गया था। इस धारा में उसको भूमि क्षेत्र पर हानिप्रद कार्य करने अथवा शर्त भंग करने वाला कोई कार्य करने पर बेदखली का भागी बनाया गया है।[1] परन्तु यदि कोई हानिप्रद कार्य अस्थायी किस्म का हो तो आसामी बेदखली का भागी नहीं होगा।[2] वृक्ष लगाना अथवा इस अधिनियम के अनुसार कोई सुधार का कार्य करना हानिप्रद कार्य नहीं कहलाया जा सकता। इस धारा के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही का तरीका वैसा ही है जैसा धारा १७५ के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर। यदि भूमि पर गड्ढे खोदने और ईंटें बनाने के कार्यों को रोकने का व्यादेश (injunction) जारी हो जाय और उसकी तामील नहीं होने पर आर्डर ३६ नियम २ (३) सी.पी.सी. के नीचे नोटिस जारी हो तो यह नोटिस इस अधिनियम की धारा २१२ और १७७ से असंगत नहीं है।[3]

२. प्रक्रिया—हानिप्रद कार्य करने अथवा शर्त भंग के आधार पर बेदखली का आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६७ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। जब इसे दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वही न्यायालय उस पर विचार करेगा।

ऐसे आवेदन पत्र की मियाद हानिप्रद कार्य अथवा शर्त भंग की तारीख से तीन साल की है। उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा परन्तु जब उसे दावे के रूप में मान लिया जाय तो अतिरिक्त न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध केवल एक अपील हो सकेगी जो राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। जब आवेदन पत्र को दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और डिक्री दे दी जाय तो सहायक कलक्टर द्वारा दी गई डिक्री की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा परन्तु जब राजस्व बोर्ड में दूसरी अपील होती हो तो पुनरीक्षण नहीं होगा।

१७८. धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्री या आज्ञा—(१) धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्री या आज्ञा में किसी आसामी को या तो सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र से अथवा उसके किसी हिस्से से जिसका न्यायालय उस मामले की तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे, बेदखल किये जाने का निर्देश हो सकेगा।

(२) ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अधिकतर अवधि के भीतर जिसके लिये न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट-फूट की मरम्मत करवादे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे जो

1. दयालप्रसाद v. स्टेट, 1955 R.R D. 41.
2. रामप्यारी v. शिवशंकर, 1942 R.D. 819.
3. नरेंद्रप्रसाद v. स्टेट, 1964 R.R.D. 25.

गये के अतिरिक्त किसी के हेतु निष्पादित नहीं की जायगी यदि उस डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के अन्दर या ऐसी अपेक्षा अवधि के अन्दर जिसकी न्यायालय, कारणों का उल्लेख करते हुए, अनुमति दे, वह मुआवजा दे दिया जाय जिसे न्यायालय डिक्री या आज्ञा में निर्दिष्ट करे।

१७७. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली—(१) आसामी भूमिधारी के आवेदन-पत्र पर नीचे लिखे आधारों पर अपने भूमि-क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा—

(क) किसी ऐसे कार्य के करने या न करने की भूल के आधार पर जो उस भूमि-क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो जिसके लिए उक्त भूमि-क्षेत्र पट्टे पर दिया गया हो, या

(ख) इस आधार पर था कि उसने या उससे लेकर धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत नहीं है :

किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बृक्ष लगाना या कोई सुधार करना, इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आधार नहीं होगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र में आसामी के मार्फत स्वत्व का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकेगा और जहां वाद का मूल कारण पूर्णतः या अंशतः आसामी के अन्तरिती या शिकमी पट्टाधारी द्वारा किये गये किसी कार्य, या भूल या शर्त-भंग पर आधारित हो वहां उक्त अन्तरिती या शिकमी पट्टा धारी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जायगा।

(३) इस धारा के अन्तर्गत आवेदन-पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि-क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाय कारण बताने का आदेश होगा।

(४) यदि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क भुगतान किये जाने पर, उस आवेदन-पत्र को वाद-पत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद में :

किन्तु सीधी राज्य सरकार से लेकर धारण की गई भूमि की दशा में, तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र दिया जाने पर, कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।

(५) यदि वह इस प्रकार उपस्थित नहीं होता है या यदि उपस्थित होता है लेकिन बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध नहीं करता है तो न्यायालय आवेदन-पत्र पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा जिसे वह उचित समझे।

टिप्पणी

१. विषय—धारा १७५ में आसामी के अवैध रूप से अन्तरण अथवा शिकमी

पट्टा कर देने पर उसे बेदखल किये जाने का भागी बनाया गया था। इस धारा में उसको भूमि क्षेत्र पर हानिप्रद कार्य करने अथवा शर्त भंग करने वाला कोई कार्य करने पर बेदखली का भागी बनाया गया है।[1] परन्तु यदि कोई हानिप्रद कार्य अस्थायी किस्म का हो तो आसामी बेदखली का भागी नहीं होगा।[2] वृक्ष लगाना अथवा इस अधिनियम के अनुसार कोई सुधार का कार्य करना हानिप्रद कार्य नहीं कहलाया जा सकता। इस धारा के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही का तरीका वैसा ही है जैसा धारा १७५ के अन्तर्गत दिए गए आवेदन-पत्रों पर। यदि भूमि पर खड्डे खोदने और ईंटें बनाने के कार्यों को रोकने का व्यादेश (injunction) जारी हो जाय और उसकी तामील नहीं होने पर आर्डर ३९ नियम २ (३) सी.पी.सी. के नीचे नोटिस जारी हो तो यह नोटिस इस अधिनियम की धारा २१२ और १७७ से असंगत नहीं है।[3]

२. प्रक्रिया—हानिप्रद कार्य करने अथवा शर्त भंग के आधार पर बेदखली का आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची भाग २ के मद नम्बर ६७ द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा। जब इसे दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वही न्यायालय उस पर विचार करेगा।

ऐसे आवेदन पत्र की मियाद हानिप्रद कार्य अथवा शर्त भंग की तारीख से तीन साल की है। उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा परन्तु जब उसे दावे के रूप में मान लिया जाय तो अतिरिक्त न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध केवल एक अपील हो सकेगी जो राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। जब आवेदन पत्र को दावे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और डिक्री दे दी जाय तो सहायक कलक्टर द्वारा दी गई डिक्री की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां और दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड में होगा परन्तु जब राजस्व बोर्ड में दूसरी अपील होती हो तो पुनरीक्षण नहीं होगा।

१७८. धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्री या आज्ञा—(१) धारा १७७ के अन्तर्गत डिक्री या आज्ञा में किसी आसामी को या तो सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र से अथवा उसके किसी हिस्से से जिसका न्यायालय उस मामले की तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे, बेदखल किये जाने का निर्देश हो सकेगा।

(२) ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिये न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट-फूट की मरम्मत करवादे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे जो

1. दयाप्रसाद v. स्टेट, 1955 R.R.D. 41.
2. रामप्यारी v. शिवनाथ, 1942 R.D. 819.
3. सर्वेशप्रसाद v. स्टेट, 1964 R.R.D. 25.

न्यायालय उचित समझे तो डिग्री या आज्ञा का सानन के अलावा अन्य डिग्री के लिये निष्पादन नहीं किया जायगा।

१७९. मुआवजे (प्रतिकर, Compensation) आदि के लिये वाद—धारा १७७ में किसी बात के होते हुए भी भूमि-धारी बेदखली का नोटिस जारी करने या बेदखली के नोटिस हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बजाय—

(क) मुआवजे के लिये, या

(ख) मुआवजे सहित या बिना मुआवजे के निषेधाज्ञा के लिये, या

(ग) मुआवजे सहित या बिना मुआवजे के टूट-फूट या अपव्यय की मरम्मत के लिये दावा कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा में भूमि धारी को बेदखली के स्थान में इसमें बताए गए तीन अनुतोषों (दादरसी, Relief) में से किसी के लिए दावा करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार इस धारा के अनुबन्धों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कि बेदखली नही चाही जावे। इस प्रकार इस धारा के नीचे वृक्षों को काटने पर हरजाने का दावा नही लाया जा सकता जब कि वादी वृक्षों मे अपना मालिकाना हक बताता हो।[1] धारा १८८ में व्यादेश (Injunction) का दावा इस धारा के नीचे किए गए दावे से भिन्न है। भूमि धारी धारा १८८ के नीचे दावा नही कर सकता। जब तक दावा १७७ के उपबन्धों मे नही आता वह इस धारा के नीचे पेश नही किया जा सकता। ऐसा दावा केवल आसामी के विरुद्ध ही किया जा सकता है—किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध नही।[2]

२. प्रक्रिया—मुआवजे, अपव्यय इत्यादि के लिए दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नं० २२ द्वारा शासित होता है और सहायक कलक्टर के न्यायालय मे पेश किया जायगा।

इसकी मियाद हानि, अपव्यय या शर्त भंग की तारीख से एक साल की है।

दावे पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा।

सहायक कलक्टर की आज्ञा की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहा होगी। दूसरी अपील राजस्व बोर्ड मे होगी।

चू कि दूसरी अपील होगी अतः पुनरीक्षण नही होगा।

+१८०. खुदकाश्त के आसामियों या गैर खातेदार आसामियों या शिकमी आसामियों की बेदखली के लिये अतिरिक्त उपबंध—कोई खुदकाश्त का आसामी या गैर-खातेदार आसामी या

---

1 देसा v. धूमसिंह, A.I.R. 1935 All. 453.

2. मु० महाराजी v. नाथा, 1958 R.R.D. 161.

+ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित।

शिकमी आसामी, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर बेदखल किया जा सकेगा, अर्थात्

(क) ऐसे आसामी या शिकमी-आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि का क्षेत्रफल राज्य सरकार द्वारा उस जिले या जिले के उस भाग जिसमें वह भूमि स्थित है, के लिये निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिक है और उस अधिक क्षेत्रफल से बेदखली भूमिधारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत कृषि के प्रयोजनार्थ चाही गई है :

किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे आसामी या शिकमी आसामी की शुद्ध वार्षिक आय, उसके तथा उसके कुटुम्ब द्वारा किये गये परिश्रम के मूल्य के अतिरिक्त १२०० रुपये हो जाय भिन्न-भिन्न जिलों या जिले के भिन्न-भिन्न भागों के लिये भिन्न-भिन्न सीमाए निर्धारित की जा सकेंगी।

+ (ख) वह वर्ष प्रति वर्ष भूमिधारण करने वाला आसामी या शिकमी-आसामी है :

परन्तु कोई आसामी या शिकमी आसामी जो आबू क्षेत्र में भूमि वर्ष-प्रति वर्ष धारण करता है, इस खण्ड के अन्तर्गत बेदखल नहीं किया जा सकेगा :

स्पष्टीकरण—खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ किसी आसामी या शिकमी-आसामी में जो वर्ष-प्रति वर्ष भूमिधारण करता है, ऐसा आसामी या शिकमी-आसामी सम्मिलित होगा जो पट्टे या उप-पट्टे के समापन (determination) के पश्चात भूमि पर कब्जा रखे और पट्टा-दाता या उसका वैध प्रतिनिधि आसामी या शिकमी-आसामी से लगान ले लेता है या अन्यथा उसके द्वारा कब्जा बनाये रखने के प्रति सहमति प्रकट करता है।

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात धारा ४५ के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये पट्टे या शिकमी पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है या वर्तमान कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जायगी और भूमिधारी उस भूमि को व्यक्तिगत कृषि के लिये लेने की अपेक्षा करता है।

(घ) वह भूमि सन् १९४८–४९ के कृषि वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती लगातार पांच वर्ष तक भूमिधारी की व्यक्तिगत कृषि के अन्तर्गत थी तथा उस वर्ष के दौरान में या उसके पश्चात एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे या शिकमी पट्टे पर दे दी गई थी और यदि राजस्थान (प्रोटेक्शन आफ टिनेंट्स) आर्डिनेंस १९४९ (राज. आर्डिनेंस ६ अंक १९४९) के उपबन्धों के प्रभाव में उक्त पट्टा या शिकमी-पट्टा समाप्त हो गया होता तथा आसामी या शिकमी आसामी उस भूमि का कब्जा अपने भूमिधारी को लौटा देने का भागी हो जाता यदि उसी दौरान में, उस आसामी या शिकमी-आसामी ने किसी कानून के अन्तर्गत उस पट्टे या शिकमी पट्टे की अवधि में गरमेदारी अधिकार प्राप्त न कर लिये हों :

किन्तु भूमिधारी, खण्ड (घ) के अन्तर्गत बेदखली का आदेश पाने का अधिकारी नहीं होगा जब तक वह उस भूमि को अपनी व्यक्तिगत कृषि के लिये न चाहता हो जिससे बेदखली का आदेश चाहा जाता है और जब तक कि उक्त भूमि खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए विहित न्यूनतम भू-क्षेत्र से अधिक न हो।

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ [किन्तु यह और है कि ऐसा भूमिधारी जिसके पास व्यक्तिगत कृषि में उसके लिये अनुमत अधिकतम भूमि के बराबर है, भी किसी आसामी को खण्ड (घ) के अन्तर्गत बेदखल किये जाने की आज्ञा पाने का हकदार नहीं होगा और ऐसा भूमिधारी जो कम भूमिधारण करता हो, केवल उस क्षेत्र से बेदखल किये जाने की आज्ञा प्राप्त करने का हकदार होगा जो, उस भूमि से मिलने पर जो उसके पास पहिले से है, उसके लिये अनुमत अधिकतम भूमि-क्षेत्र से अधिक नहीं हो।]

+ + [(१—क) कोई आसामी जो राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ के प्रारम्भ से पहिले, आबू क्षेत्र में भूमि धारण करता हो, उप-धारा (१) में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर, मियाद समाप्त हो जाने के कारण अथवा यदि वह, उक्त प्रारम्भ के पूर्व, बम्बई टिनेंसी एण्ड एग्रीकल्चरल लैण्डस् एक्ट १९५८ की धारा ३२ के अर्थान्तर्गत अपनी भूमि का क्रेता मान लिया गया था, बेदखली का भागी नहीं होगा।]

(२) राज्य सरकार उन मामलों में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली निर्धारित करेगी जिनमें आसामियों अथवा शिकमी-आसामियों की संख्या एक से अधिक है या जिनमें आसामी या शिकमी-आसामी द्वारा धारण की हुई भूमि का क्षेत्रफल उस भूमि के क्षेत्रफल से अधिक है जिससे बेदखल किये जाने की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आज्ञा चाही जा सकती है।

टिप्पणी

विषय :—इस धारा में खुदकाश्त के आसामी, गैर खातेदार आसामी, अथवा उप-आसामी (शिकमी) की बेदखली के लिए अतिरिक्त प्रावधान दिए गए है। धारा १८१ व १८२ में वह प्रक्रिया दी गई है जो इस धारा के अंतर्गत दिए गए आवेदन-पत्र के निपटारे के लिए अपनाई जायेगी। इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र ऐसे सह भागीदार (Co-Sharer) के विरुद्ध नही दिया जा सकेगा जो कि अपने हिस्से से अधिक भाग पर कब्जा किए हुए है।[1]

इस धारा के नीचे बेदखली तभी हो सकेगी जब कि इसकी उप-धाराओ मे से किसी के नीचे आवेदन-पत्र दिया गया हो और बेदखल किए गए आसामी को राहत अपील या पुनरीक्षण के द्वारा ही मिल सकती है न कि धारा १८७, १८७ का, १८७ खा के नीचे दावे के द्वारा। यह धारा उपवन धारियो पर लागू नही होगी। यह धारा तब भी लागू नही होगी जब कि आसामी अथवा शिकमी आसामी की संविदा (मुवाहिदा) स्थापित नही होती। इस धारा के नीचे कार्यवाही मे सबूत का भार वादी पर होगा।[2] खण्ड (क) और (घ) के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब

+ रा० अ० १२ सन् १९६१ द्वारा प्रतिस्थापित।

+ + रा० अ० २ सन् १९५८ द्वारा निविष्ट।

1. इन्दरलाल v. दाऊजी, 1908, 4 A. L. J. I.

2. जगनदन v. मीरा, 1959 R. D. 277

तक कि राज्य सरकार ने किसी जिले या उसके किसी भाग में भूमि की औसत कीमतें अधिसूचित नहीं कर दी हों।

इस धारा के नीचे बेदखली चाहने वाले आसामी के लिए आवश्यक है कि वह अपना मामला इस धारा के किसी खण्ड के अंतर्गत होना साबित करे।[1] यदि उस बीच में सिकमी आसामी अथवा आसामी को इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के नीचे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो इस धारा के नीचे बेदखली की आज्ञा नहीं दी जा सकती।[2]

मियाद :—खण्ड (क) और (घ) के नीचे आवेदन-पत्र इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर पेश होना चाहिए। उसके पश्चात् धारा १८२ (क) के कारण आवेदन-पत्र वर्जित हो जायगा। खण्ड (ख) और (ग) के नीचे आवेदन-पत्र देने की मियाद एक वर्ष है—वाद कारण की तारीख से।

प्रक्रिया :—इस धारा के नीचे आवेदन-पत्र सहायक कलक्टर के यहां पेश होगा। और तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद संख्या ६८ (१) (२) से शासित होगा।

न्यायालय शुल्क २५ पैसे का लगेगा। अब उसका विरोध किया जाए तो उसे दावे की भांति समझा जायगा और उसी के अनुसार उस पर फीस लगेगी।

अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। दूसरी अपील नहीं होगी। डिक्री की सूरत में पहली अपील रा० अ० प्रा० को व दूसरी राजस्व बोर्ड में होगी। जहां दूसरी अपील हो वहां पुनरीक्षण नहीं होगा।

१८१—आवेदन-पत्र और नोटिस :—(१) धारा १८० के अन्तर्गत बेदखली के लिये आवेदन-पत्र १ जुलाई और ३० सितम्बर के बीच में दिया जायगा और उसके अलावा अन्य समय में नहीं।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र में वह आधार बताया जायगा जिस पर बेदखली के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(३) पूर्वगामी उप-धाराओं के अनुसार आवेदन-पत्र दिये जाने पर एक नोटिस, निश्चित शुल्क देने पर, आसामी या सिकमी-आसामी पर निर्धारित रीति से, तामील किया जायगा जिसमें उसे यह सूचना दी जायेगी कि यदि वह बेदखली का विरोध करना चाहे तो, उसे चाहिये कि उस पर नोटिस तामील किये जाने की तारीख से ३० दिन के अन्दर नोटिस के विरोध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करे।

टिप्पणी

१ जुलाई से ३० सितम्बर के बीच में आवेदन-पत्र पेश करने का प्रावधान आज्ञापक (?) ...

---

1. रामधा v. राजस्व मंडल, 1961 R. L. W. 479
2. रामसिंह v. हाबुसिंह, 1958 R. R. D. 17; लक्ष्मणसिंह v. देवसिंह, 1965 R. R. D. 397

नही है और दावे के लिए घातक नही है विशेषकर तब जब कि आपत्ति नहीं उठाई गई हो। धारा १८१ व १८४ के प्रावधान आसामी और शिकमी आसामी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं। इस प्रकार धारा १८१ के उपबन्ध आसामी द्वारा अभित्यजित किए जा सकते हैं और उनका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कि वे अभित्यजित नहीं कर दिए गए हों।[1]

१८२. नोटिस जारी किये जाने के पश्चात की कार्यवाही :—(१) यदि कोई आसामी या शिकमी-आसामी जिस पर धारा १८१ के अन्तर्गत नोटिस तामील किया जाय, उपस्थित होकर बेदखली के दायित्व को स्वीकार कर ले तो न्यायालय उसकी बेदखली के लिये आज्ञा पारित करेगा लेकिन वह किसी खर्चे के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(२) यदि आसामी या शिकमी-आसामी ऐसे नोटिस मे निर्धारित की गई अवधि मे उपस्थित नही होता है तो न्यायालय उसकी बेदखली के लिये आज्ञा पारित करेगा।

किन्तु ऐसा आसामी या शिकमी आसामी ऐसी आज्ञा की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आज्ञा को निरस्त किये जाने हेतु, आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह न्यायालय को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि या तो उस पर नोटिस तामील नही किया गया था या नोटिस मे निर्दिष्ट अवधि मे उपस्थित न हो सकने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण थे तो न्यायालय उस आज्ञा को निरस्त कर देगा और उस आवेदन-पत्र की एतत्पश्चात निर्धारित तरीके से सुनवाई करेगा।

(३) यदि आसामी या शिकमी-आसामी निर्धारित अवधि मे उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय-शुल्क का भुगतान करने पर, उस आवेदन-पत्र को वाद समझेगा और उस मामले मे उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद मे।

किन्तु सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई भूमि के सम्बन्ध मे तहसीलदार द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा मे, कोई न्यायालय-शुल्क देय नही होगा।

(४) इस धारा के अन्तर्गत पारित की गई डिक्री या आज्ञा पर धारा १७८ की उप-धारा (१) के उपबन्ध लागू होंगे।

+[(५) जहां कोई भू-सम्पत्तिधारक जो संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य रहा हो, अपने खुदकाश्त-आसामी या गैर-खातेदार आसामी की बेदखली चाहता हो अथवा जहां कोई खातेदार आसामी ऐसा सदस्य होने की दशा मे, अपने शिकमी-आसामी की बेदखली, धारा १८० की उपधारा (१) के खण्ड (क) अथवा (घ) के अन्तर्गत चाहता हो, तो उन खण्डों के परन्तुकों मे या धारा १९ मे किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी न्यायालय उक्त डिक्री के जरिये यह निदेश दे सकेगा कि खुदकाश्त-आसामी या गैर-खातेदार आसामी अथवा यथास्थिति शिकमी-आसामी, अपनी सम्पूर्ण भूमि से अथवा यथास्थिति, उसके किसी हिस्से से, बेदखल

---

1. करणसिंह v. राजस्व बोर्ड, 1962 R. L. W. 178

+ राजस्थान अधिनियम संख्या २२ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

किया जायेगा यदि उसका भूमि-क्षेत्र उक्त भू-सम्पत्तिधारक या उक्त खातेदार-आसामी के लिये अनुमत अधिकतम भूमि क्षेत्र से अधिक नहीं है।]

÷ १८२-क. धारा १८० के अन्तर्गत दिये जाने वाले कतिपय प्रार्थना-पत्रों के लिये समय की अवधि—धारा १८० के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अन्तर्गत बेदखली का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं लिया जायगा यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से [तीन] + वर्ष बीतने के पश्चात दिया जाता है।

× [परन्तु जहां भूमि किसी गैर खातेदार आसामी या खुदकाश्त-आसामी या किसी शिकमी आसामी द्वारा, धारा ४६ में बताये हुए व्यक्तियों में से किसी से लेकर धारण की हुई हो, बेदखली के निमित्त उक्त आवेदन-पत्र, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अथवा उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर जिसको उस धारा के अन्तर्गत विचारित निर्योग्यता दूर हो जाय, दोनों तारीखों में जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।]

∴ १८२-ख. व्यक्तिगत काश्त के अन्तर्गत नहीं लाई जाने वाली भूमि को लौटाना—(१) यदि भूमि धारी, जिसके अनुरोध पर या जिसके प्रार्थना पत्र पर धारा १८० के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी भूमि से बेदखल किया जाने का आदेश दिया जाय, ऐसी भूमि को, वास्तविक बेदखली की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक स्वयं काश्त करने में विफल रहता है, बेदखल किये गये व्यक्ति को—

(१) भूमि, जिससे वह बेदखल किया गया था, लौटाने के लिये,

[२] ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकारों तथा सुधारों में अधिकारों की अवाप्ति के लिये, या

[३] दोनों, लौटाने या अर्जन, के लिये आवेदन करने का अधिकारी होगा।

(२) उप-धारा (१) के अन्तर्गत किसी भूमि में खातेदारी अधिकारों तथा सुधारों में अधिकारों की अवधि के लिये दिये प्रार्थना-पत्र पर धारा २० से धारा ३० तक में उपबन्ध लागू होंगे मानों वह धारा १९ के अन्तर्गत दिया हुआ प्रार्थना-पत्र हो।

∴ १८३. कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली—(१) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कोई विपरीत बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के बाद पर जो उसे आसामी के रूप में स्वीकार करने के हकदार हैं, उप-धारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग

÷ राज० अधिनियम संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

+ राज० अधि० संख्या १४ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

× राज० अधि० संख्या १२ सन् १९६१ द्वारा निविष्ट।

∴ राज० अधिनियम संख्या २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

∴ राजस्थान अधिनियम संख्या २२ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिये शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देने का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुने तक हो सकती है।

(२) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है, तहसीलदार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राज० एक्ट १५ सन् १९५६) की धारा ९१ के उपबन्धों के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

टिप्पणी

प्रारम्भिक—इस धारा में अतिक्रमियों की बेदखली के सम्बन्ध में किए गए उपबन्ध दोष पूर्ण है। इस अधिनियम में अतिक्रमी की हैसियत और अधिकारों का कोई उल्लेख नही है यदि उसे मियाद की अवधि में भूमि से बेदखल नहीं किया जाता इस प्रकार यदि बेदखली की डिक्री होने पर उसे मियाद के अन्दर बेदखल नहीं किया जाता तो अतिक्रमी को उस व्यक्ति के अधिकार मिल जायेंगे जिसकी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। परिणामतः जो व्यक्ति अतिक्रमी को आसामी की तरह स्वीकार कर सकता था उसके अधिकार समाप्त हो जावेंगे। भारतीय परिसीमा अधिनियम में यह अवधि बारह साल की है और यदि इस अवधि में बेदखली नही कराई जाती तो अतिक्रमी को मूल व्यक्ति के अधिकार मिल जायेंगे। दूसरे शब्दों में सही व्यक्ति के अधिकारों के अवसान पर गलत काम करने वाले व्यक्ति को सही हक प्राप्त हो जावेंगे।[1] राजस्व बोर्ड राजस्थान ने भी यही मत प्रगट किया है।[2]

१. यू० पी० टिनेन्सी एक्ट १९३९ की धारा १८० में इससे मिलता जुलता प्रावधान है परन्तु उसमें मियाद की अवधि पूरी होने पर अतिक्रमी के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से बता दिए गए है।

इस धारा में भूमिधारियों और राज्य सरकार की भूमि में कोई अन्तर नही रखा गया है इसलिये सरकारी भूमि की सूरत में भी उपरोक्त परिणाम निकलेंगे।

२. विषय—पूर्ववर्ती धारा उन आसामियों, शिकमी आसामियों अथवा खुदकाश्त के आसामियों बेदखली से सम्बन्धित है जो कानून के अनुसार भूमिधारण कर रहे हैं। यह धारा उन अतिक्रमियों की बेदखली से सम्बन्धित है जो भूमिधारी की सहमति के बिना भूमिधारण करते है। जो व्यक्ति किसी प्रकार का अधिकार धारण करने का बहाना करते है वे भी इसके नीचे बेदखल किए जा सकते हैं। इस धारा के नीचे उपाधि (Title, हक) की जाच की जानी चाहिये और यदि यह पाया जाय कि प्रतिवादी को कोई हक (Title) नही है तो उसके विरुद्ध दावे की डिक्री होनी चाहिये।[3] इस धारा में न केवल उन

1. हेमचन्द्र v प्यारेलाल, 1942 P.C 64.

2. छुगराज v. स्टेट, 1955 R.L.W. (R.S.) 34.

3. रघुनाथ प्रसाद v मोहम्मद नोह, 1942 R.D. 636.

व्यक्तियों की बेदखली के लिए प्रावधान है जिनका कब्जा प्रारम्भ से ही अवैध है परन्तु उनकी बेदखली के लिए भी है जो जो भूमिधारी द्वारा बाहर निकलने लिए कहे जाने पर भी अपना कब्जा बनाए रखते हैं।[1] इस धारा के नीचे नुकसानी (Demages) मात्र के लिए दावा नहीं चल सकता यदि भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा नहीं है।[2] अतिक्रमी की परिभाषा धारा ५ (४४) में दी हुई है।

जहां पर न तो वादी ने कोई प्रार्थना सजा के लिए की और न नीचे की अदालत ने कोई सजा (Penalty) तजवीज की तो वहां राजस्व बोर्ड के लिए कोई सजा तजवीज करना उचित नहीं था।[3] इस धारा के नीचे अतिक्रमी को बेदखली कराने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि उसे वादग्रस्त भूमि पर दूसरे व्यक्ति को आसामी की तरह स्वीकार करने का हक प्राप्त था।[4]

३. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा सहायक कलक्टर के न्यायालय में किया जावेगा और वह तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नं० २३ द्वारा शासित होगा।

दावे पर न्यायालय शुल्क ५० पैसे का लगेगा।

इसकी मियाद वाद का कारण उत्पन्न होने की तारीख से बारह साल की है।

सहायक कलक्टर की डिक्री के विरुद्ध पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी और यदि स्वामित्व के हक का कोई प्रश्न नहीं हो तो दूसरी अपील राजस्व बोर्ड में होगी वरना पहली अपील सक्षम सिविल अपील न्यायालय में होगी जिसे कि स्वामित्व के हक का निर्णय करने वाले न्यायालय की अपीलें सुनने का अधिकार है। यदि पहला अपील न्यायालय जिला न्यायालय हो तो दूसरी अपील उच्च न्यायालय में होगी।

चूंकि अपील राजस्व बोर्ड में अथवा हाईकोर्ट में होगी अतः कोई पुनरीक्षण नहीं होगा।

बेदखली का प्रवर्तन

१८४. प्रवर्तन का समय—(१) बेदखली की आज्ञा या डिक्री के निष्पादन में कब्जा किसी भी वर्ष में पन्द्रह अप्रेल के पहिले अथवा तीस जून के बाद, नहीं दिया जावेगा।

(२) पूर्ववर्ती पन्द्रह मार्च के पहिले निष्पादन के निमित्त दिये गये प्रार्थना-पत्र के संबंध में पारित कब्जा दिये जाने की आज्ञा पर अथवा धारा १७१ या धारा १८३ के उपबंधों के अधीन पारित बेदखली की आज्ञा पर, इस धारा की कोई बात लागू नहीं होगी।

टिप्पणी

इस धारा के उपबंध निरस्त अधिनियमों के नीचे दी गई डिक्रियों पर जो लागू

1. नारायनदास v. किशनकुमार, 1944 A.W.R. 212.
2. शेरसिंह v. उम्मेदसिंह, 1966 R.R.D. 236.
3. हरनारायण v. राजस्व मंडल, 1966 R.R.D. 31.
4. पूरणचन्द v. किशनलाल, 1966 R.R.D. 328.

होगे अगर उनकी इजराय इस अधिनियम के नीचे कराई जाय।[1] यदि बेदखली की कार्यवाही निरस्त अधिनियमों के नीचे प्रारम्भ हो चुकी हो तो वे उन्हीं अधिनियमों के नीचे चालू रखे जावेंगे।[2]

१८५ डिक्री या आज्ञा के निष्पादन का तरीका—(१) सिवाय उसके जैसी कि धारा १८४ मे अन्यथा व्यवस्था की हुई हो, बेदखली की प्रत्येक डिक्री या आज्ञा का प्रवर्तन सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (सेण्ट्रल अधिनियम ५, १९०८) में अचल सम्पत्ति के कब्जे के निष्पादन संबंधी उपबंधो के अनुसरण मे किया जायगा।

(२) प्रत्येक शिकमी पट्टाधारी या हस्तान्तरिती जिसका हित उसके भूमिधारी या हस्तान्तरकर्ता की बेदखली होने पर अवसायित हो जाय, बेदखली की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन हेतु निर्णीत-ऋणी समझा जायगा परन्तु जब तक कब्जा देने में अवरोध या बाधा नहीं पहुंचावे, खर्चे का भागी नहीं होगा।

१८६. + विलुप्त—

+ [१८७. अवैध बेदखली का प्रतिकार—(१) कोई आसामी जो तत्समय प्रभावशील कानून के अनुसरण करने की रीति से भिन्न रीति से अपने भूमि-क्षेत्र या उसके किसी हिस्से से बेदखल किया गया हो या उस पर कब्जा करने से रोका गया हो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उसे बेदखल किया हो या कब्जा करने से रोका हो नीचे लिखी राहतों मे से किसी के लिये दावा दायर कर सकता है, अर्थात्—

[१] भूमि-क्षेत्र के कब्जे के लिये,

[२] अवैध बेदखली या कब्जा-विहीन किये जाने के लिये मुआवजा,

[३] किसी सुधार के लिये मुआवजा जो उसने किया हो।

• परन्तु जहां वादी डिक्री के समय चालू कृषि-वर्ष में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण मे बेदखल किये जाने का भागी है, उस दशा मे कब्जे के लिये कोई डिक्री पारित नहीं की जावेगी।

(२) यदि कब्जे के लिये डिक्री पारित की गई हो तो, किसी सुधार के लिये मुआवजा नहीं लाया जायगा और उक्त डिक्री भी इस शर्त के अधीन होगी कि वादी प्रतिवादी को ऐसी रकम जो प्रतिवादी ने बेदखली या कब्जा-विहीन किये जाने के समय मुआवजे के रूप में वादी को दी हो, ऐसी अवधि के भीतर प्रतिवादी को वापिस लौटा देगा जिसे न्यायालय मंजूर करे।

(३) जहां इस धारा के अन्तर्गत कब्जे के निमित्त वाद मे अथवा उक्त वाद मे पारित डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध अपील मे कब्जे के लिये डिक्री उपधारा (१) में वर्णित कारण से पारित नहीं की जा सकती हो, उस दशा मे डिक्री केवल खर्चे के लिये होगी।

1. ...सिंह V. कुंवरप्रसाद, 1931 R D. 555

2. महादेवी V. सुजरवली, 1941 R.D. 1071

+ रा. अ. २२ सन् १९६० द्वारा विलुप्त।

(४) जहां डिक्री प्रवैध बेदखली या कब्जा विहीनता के लिये मुआवजे के हेतु पारित की जाय और कब्जे के लिये नहीं उस दशा में, मुआवजा उस सम्पूर्ण अवधि के लिये होगा जिसमें, बेदखल किया गया या कब्जा विहीन किया गया आसामी कब्जा बनाये रखने का हकदार था।

(५) कोई आसामी जिसने केवल कब्जे के लिये दावा किया हो, उसी वाद-हेतु के संबंध में प्रवैध बेदखली के लिये अथवा किसी सुधार के लिये मुआवजे के वास्ते अलग दावा दायर करने का हकदार नहीं होगा।

(६) इस धारा के अन्तर्गत कब्जे के लिये दावे में प्रत्येक व्यक्ति जिसने वादी को बेदखल किया हो या कब्जा लेने में रोका हो गया वह व्यक्ति भी जिसे उक्त बेदखली के बाद, सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का कब्जा उस व्यक्ति ने दिया हो जिसने वादी को बेदखल किया था, प्रतिवादी के तौर पर सम्मिलित किये जायेंगे और कब्जे के लिये डिक्री पारित करने में न्यायालय आदेश देगा कि जो व्यक्ति उत्तरर्पेण कब्जा किये हुए हैं उसे बेदखल किया जायगा।

परन्तु न्यायालय, उक्त व्यक्ति को बेदखल किये जाने का आदेश देने के बजाय, उस दशा में जब कि उक्त व्यक्ति ने, वाद के लिये नियत प्रथम सुनवाई के सम्मन की तामील अपने पर होने के पहले, भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से में काश्त की दी हो, उसे वादी का उस भूमि-क्षेत्र या हिस्से के लिये केवल उसी फसल के संबंध में शिकमी-आसामी घोषित कर सकता है।

(७) इस धारा के अन्तर्गत कब्जे के लिये पारित डिक्री, यथा सम्भव उसी भांति प्रवर्तित की जायेगी मानो वह बेदखली की डिक्री हो लेकिन यदि उक्त डिक्री के प्रवर्तन के लिये समयावधि, यदि कोई हो, निश्चित की गई हो तो उसका कोई ध्यान नहीं रखा जायेगा।]

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के अधिनियमित किये जाने से पूर्व धारा १८६ में (जो अब निरस्त कर दी गई है) उन आसामियों का वापिस कब्जा कराने का प्रावधान था जिन्हें उस धारा के उपबंधों के खिलाफ बेदखल या कब्जा विहीन कर दिया गया था। यह धारा लगभग उक्त धारा १८६ के अनुरूप ही है। इस धारा में बताए गए प्रतिकार(remedy)का लाभ उठाने से पूर्व किसी आसामी के लिए इन शर्तों का होना आवश्यक है कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध बेदखल कर दिया गया है अथवा उसे उसके भूमि-क्षेत्र का कब्जा प्राप्त करने से रोका जा रहा है। उपधारा (१) में उसके लिए तीन प्रकार के प्रतिकार (remedy) बता दिए गए हैं वर्तमान धारा १८३ में जिसने कि पहले की धारा १८६ का स्थान लिया है भूमिधारियों द्वारा आसामी की प्रवैध बेदखली के विरुद्ध प्रतिकार बताए गए हैं परन्तु धारा १८३ के कारण भूमिधारी के विरुद्ध अतिक्रमण का दावा नहीं चल सकता।[1] भूमिधारी द्वारा प्रवैध रूप से कब्जा विहीन किये जाने पर वापिस कब्जा पाने से पूर्व भूमिधारिता (Tenancy) को साबित करना आवश्यक है।[2] इस धारा की उपधारा (५)

1. निरंजन V. धोमजी मवर कवर, 1965 R.R.D. 242

2. उपरोक्त

में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस आसामी ने केवल कब्जे के लिए दावा किया है वह बाद में अवैध बेदखली के लिए मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा। यदि मुआवजा पाने का दावा असफल हो जाय तो वादी को उसके लिए नया दावा लाना मना है।[1]

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची के भाग एक के मद नम्बर २३ दा. द्वारा शासित होगा और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश किया जायेगा।

उस पर ५० पैसे का न्यायालय शुल्क लगेगा।

दावे के लिए मियाद टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) एक्ट १९६० के प्रारम्भ की तारीख से तीन साल है या उस तारीख से जब कि आसामी को अवैध रूप से बेदखल या कब्जा विहीन कर दिया गया हो।

यह साबित करने का भार आसामी पर है कि उसे वैध रूप से कब्जा दिया गया था।

सहायक कलक्टर के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को पेश होगी और दूसरी अपील धारा २२४ (२) के आधार पर राजस्व बोर्ड में होगी। पुनरीक्षण नहीं होगा।

+१८७. क. धारा १८७ के उपबंधों का कतिपय परिवेदित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध होना—धारा १८७ के उपबन्ध ऐसे किसी आसामी को जिसका उल्लेख इस धारा की उप-धारा (१) में किया गया है लागू तथा उपलब्ध होंगे जिसने, १५ अक्टूबर १९५५ को तथा तत्पश्चात किन्तु राजस्थान टिनेंसी (तृतीय संशोधन) अधिनियम १९६० के प्रारम्भ के पूर्व, धारा १८६ जैसा कि वह उक्त प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, में प्रावहित प्रतिकार (remedy) का फायदा नहीं उठाया हो अथवा उक्त राहत के निमित्त जिसका आवेदन-पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उस धारा में प्रावहित मियाद के बाहर हो गया था, और उक्त आसामी धारा १८७ के उपबंधों के अन्तर्गत तथा उसके तदनुसार दावा भी प्रस्तुत कर सकेगा, चाहे धारा १८६ में अथवा तृतीय अनुसूची के मद संख्या ६६ जैसी कि वह राजस्थान टिनेंसी (तृतीय संशोधन) अधिनियम १९६० के पूर्व विद्यमान थी, में कुछ भी अन्तर्विष्ट हो।

+१८७. ख. कब्जे पर आधारित पुनर्स्थापन हेतु सरसरी वाद—(१) धारा १८७ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई आसामी जो, अपने भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से से वैध रीति से भिन्न अन्यथा, अपनी इच्छा के विरुद्ध, बेदखल या कब्जाविहीन कर दिया जाय, अपने भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से पर पुनर्स्थापित किये जाने हेतु प्रार्थना करते हुए वाद प्रस्तुत कर सकता है और किसी अन्य स्वत्व जो उस वाद में स्थापित कर दिया जाय के होते हुए भी, कब्जा वापिस ले सकता है।

(२) इस धारा की कोई बात किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि-क्षेत्र या उसके हिस्से पर

---

1. शेरसिंह V. उम्मेदसिंह, 1966 R.R D 236.

+रा. अ. २२ सन् १९६० द्वारा निविष्ट।

अपना स्वत्व स्थापित करने हेतु तथा उसका कब्जा वापिस लेने हेतु वाद प्रस्तुत करने से बाधित नहीं करेगी।

(३) इस धारा के अन्तर्गत कोई वाद केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकेगा।

(४) इस धारा के अन्तर्गत किसी वाद में पारित किसी डिक्री या आज्ञा की कोई अपील नहीं होगी और न ऐसी डिक्री या आज्ञा के पुनर्विलोकन के लिये अनुमति दी जायेगी।

(५) धारा १८४ के उपबंध ऐसी किसी डिक्री या आज्ञा पर लागू नहीं होंगे जो इस धारा के अन्तर्गत पारित की गई हो।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा पिछली धारा १८६ के स्थान पर रखी गई है और इसमें कब्जा प्राप्ति के लिए सरसरी प्रक्रिया बताई गई है। परन्तु इसका प्रभाव अधिक व्यापक है। इस धारा के अंतर्गत वाद धारा १८७ के अधीन नहीं है परन्तु जहां आसामी डिक्री देते समय इस अधिनियम के उपबन्धों के नीचे बेदखली के लायक है (चालू कृषि वर्ष में) तो इस धारा के नीचे डिक्री नहीं दी जा सकती।[1] इस धारा के उपबन्ध यथोल्लिखित अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) की धारा ६ से मिलते जुलते हैं।

इस धारा का उद्देश्य व्यक्तियों को कानून अपने हाथ में लेने से निरुत्साहित करना है चाहे उनका स्वत्व (हक, Title) कितना ही सही क्यों न हो।[2] इस धारा के अंतर्गत वादों में हक का प्रश्न असंगत है क्योंकि इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरसरी कार्यवाही बताना है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर कब्जे वालों को कब्जा विहीन कर दिया है।[3]

२. प्रक्रिया—इस धारा के नीचे वाद तृतीय अनुसूची भाग १ के मद २३ द्वारा शासित होता है और सहायक कलक्टर के यहां पेश होगा।

न्यायालय शुल्क २५ पैसे का लगेगा।

बेदखली की तारीख से ६ महीने की मियाद है।

इस धारा के नीचे डिक्री या आज्ञा की अपील नहीं होती। धारा २२३ व २२५ लागू नहीं है। असफल पक्षकार राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण कर सकता है अथवा हक का दावा (Title Suit) कर सकता है।

धारा १८८. अवैध बेदखली के विरुद्ध व्यादेश—(१) कोई आसामी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि-क्षेत्र के हिस्से पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण की धमकी दी जाती है, निरस्थायी व्यादेश की मंजूरी के निमित्त वाद प्रस्तुत कर सकता है।

---

1. बालमुकुन्द v. मोतीलाल, 1961 R. R. D. 258
2. रुस्तम v. नरसिंहराव, 29 Bom. 213
3. सोहनसिंह v. मायोसिंह, 1939 M. L. R. 221

(२) न्यायालय आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित दशाओं में चिरस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है अर्थात्—

(क) यदि आक्रमण से हुई वास्तविक हानि या होने वाली सम्भावित क्षति के निश्चयन के लिये कोई प्रमाण नहीं है;

(ख) यदि आक्रमण ऐसा है जिसके लिये आर्थिक मुआवजा पर्याप्त परितोष नहीं है,

(ग) जहां बहुत सम्भावना यह हो कि आक्रमण के लिये आर्थिक मुआवजा प्राप्त नहीं हो सकता है;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिये व्यादेश आवश्यक हो।

टिप्पणी

१. विषय— इस धारा मे यथोल्लिखित अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) की धारा ५४ के उपबन्ध ले लिए गए हैं। इस धारा में उपबन्धित प्रतिकार (remedy) केवल आसामियों के लिए ही है। चिरस्थायी व्यादेश(निषेधाज्ञा)के लिए भूमिधारियों द्वारा किए जाने वाले दावे राजस्व न्यायालयों द्वारा प्रसंज्ञेय (Cognizable) नहीं है हालांकि खुदकाश्त धारकों द्वारा किए जाने वाले दावे धारा ९२-क की सीमा में आ जाते हैं।

व्यादेश एक अल्प वयस्क व्यक्ति के विरुद्ध भी दिया जा सकता है।[1] व्यादेश चाहने वाले व्यक्ति के लिए हक को साबित करना आवश्यक नही है।[2] यह साबित करना ही काफी है कि वह भूमि क्षेत्र पर कानूनी तौर से काबिज था और उसके कब्जे पर ऐसा आक्रमण हुआ अथवा आक्रमण की संभावना थी जिसका कोई हक नही था।[3]

२. प्रक्रिया— इस धारा के नीचे दावा तृतीय अनुसूची के भाग प्रथम के मद नं० २३-का द्वारा शासित है और सहायक कलक्टर के न्यायालय में पेश होगा।

मियाद वाद कारण उत्पन्न होने से ३ वर्ष की है।

न्यायालय शुल्क ५० पैसे का होगा।

पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। यदि मालिकाना हक का प्रश्न अंतर्वलित हो तो पहली अपील सम्बन्धित सिविल न्यायालय में होगी। द्वितीय अपील राजस्व बोर्ड में होगी अथवा मालिकाना हक के प्रश्न की सूरत मे हाई कोर्ट मे होगी।

चूंकि दूसरी अपील राजस्व बोर्ड मे या उच्च न्यायालय में होगी अतएव पुनरीक्षण नही होगा।

---

1. रामचंद्र बलवत v. नरसिंह चिन्तामणि, A. I. R. 1931 Bom. 466
2. उपरोक्त
3. उपरोक्त

अध्याय १२

भूमि का अनुदान

अनुकूल लगान-दर पर अनुदान

१८९. अनुकूल लगान-दर पर अनुदानों का वृद्धि के लिये भागी होना—(१) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में या कानून का बल रखने वाली किसी प्रथा या रिवाज में या किसी आज्ञा या विलेख की शर्तों व प्रतिबंधों में किसी विपरीत बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, अनुकूल लगान-दर पर अनुदान, जो ग्राम-सेवा विषयक अनुदान नहीं हो, अध्याय ६ के उपबंधों की संगति में, [स्वीकृत लगान-दरों के]+ अनुसार [आवेदन पर]+ लगान-वृद्धि का भागी होगा।

(२) [उक्त रूपेण लगान-वृद्धि होने पर] + अनुकूल लगान-दर पर अनुदान-ग्रहीता खातेदार आसामी समझा जायेगा।

✲१८९-क. अनुकूल-दरों पर अनुदान ग्रहीताओं के हित तथा अन्य अधिकारों का अवतरण तथा हस्तान्तरण—(१) अनुकूल लगान दर पर किसी अनुदान-ग्रहीता का हित दाय-योग्य है और उसका अवतरण उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार होगा।

(२) ऐसा हित, उसी रीति से तथा उसी हद तक जैसे किसी खातेदार आसामी का अपने भूमि-क्षेत्र में होता है, हस्तान्तरणीय होगा।

(३) अनुकूल लगान-दर पर अनुदान-ग्रहीता के अपने अनुदान के विषय में सुधारों तथा वृक्षों के संबंध में वही अधिकार होंगे जैसे खातेदार आसामी के अपने भूमि-क्षेत्र के विषय में होते हैं तथा अध्याय ६ व ७ के उपबंध लागू होंगे।

(४) अध्याय ८, १०, १५ तथा १६ के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त अनुदान-ग्रहीता खातेदार आसामी हो।

÷ १८९-ख. अनुकूल दरों पर अनुदान ग्रहीताओं के हितों का अवसान—अनुकूल दरों पर अनुदान ग्रहीता के हित समाप्त हो जायेंगे:—

(क) धारा ६३ में वर्णित बातों में से किसी बात के होने पर, या

(ख) जब उसके अनुदान के सम्बन्ध में लगान धारा १८९ के उपबंधों के अनुसरण में बढ़ा दिया जाय।

ग्राम-सेवा हेतु अनुदान

१९०. ग्राम सेवक के अधिकार व दायित्व—(१) ग्राम सेवक का हित, एक बार में

+ रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट व प्रतिस्थापित।

✲ रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट

÷ रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

ऐसी अवधि जो एक वर्ष से अधिक न हो, के लिये, शिकमी-पट्टे पर देने के सिवाय अन्यथा दाय-योग्य या हस्तान्तर योग्य नहीं होगा और न ही ऐसा हित किसी आज्ञा या डिक्री के निष्पादन में कुर्की के योग्य होगा।

(२) उप-धारा (१) के उपबंध के अधीन ग्राम सेवक गैर खातेदार आसामी समझा जायेगा।

१६१. ग्राम सेवक की बेदखली—(१) + ग्राम-सेवक भू-सम्पत्ति-धारक के दावे में डिक्री पर या यदि ऐसा अनुदान सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण किया हुआ हो तो तहसीलदार द्वारा नोटिस दिये जाने पर निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर अपने ग्राम-सेवा अनुदान की भूमि से बेदखल किया जा सकेगा, अर्थात्

[१] उसने अपने अनुदान को धारा १६० के या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में अन्तरित या अन्यथा व्ययनित (disposed) कर दिया है;

[२] उसने वह सेवा करना बंद कर दिया है जिसे करने के लिये वह बाध्य है अथवा उचित रूप से उसे करने में विफल रहा है;

[३] उसने अपनी अनुदान-वस्तु को अ-कृषिक प्रयोजनों के लिये लगा दिया है;

[४] उसने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है या वह उससे बर्खास्त कर दिया गया है।

(२) अध्याय ११ के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि गैर-खातेदार आसामियों की दशा में लागू होते हैं।

१६२. ग्राम-सेवक या उसके उत्तराधिकारी को भूमि का कब्जा सौंपे जाने की शक्ति—(१) यदि कोई ग्राम-सेवक अपनी अनुदान-भूमि से बेदखल कर दिया जाय या मर जाय तो तहसीलदार उसके पदीय उत्तराधिकारी को, उसके आवेदन-पत्र पर, अनुदान-भूमि का कब्जा दिला देगा।

(२) यदि कोई ग्राम-सेवक इस अधिनियम के उपबन्धो के प्रतिकूल अन्य किसी प्रकार से अपनी अनुदान-भूमि का कब्जा खो बैठता है तो, तहसीलदार, उसके आवेदन-पत्र पर, उसे पुनः उक्त अनुदान-भूमि का कब्जा दिला सकेगा और किसी भी व्यक्ति को जो उस समय अनुदान-भूमि पर कब्जा किये हुए हो, बेदखल कर सकेगा।

१६३. भूमि का उस दशा में व्ययन जब कि सेवाओं की आवश्यकता न रहे—यदि कलक्टर यह घोषित कर दे कि उन सेवाओं की जो ग्राम-सेवक करता है, आगे आवश्यकता नहीं है तो उक्त ग्राम-सेवक अपनी अनुदान-भूमि का खातेदार आसामी हो जायगा और तदनुसार लगान भुगतान करने का भागी होगा।

+ रा० अ० २७ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित।

अध्याय १३

उपवन-धारी

१९४. उपवन धारियों के अधिकार व देयतायें—(१) अध्याय ७ में किसी बात के होते हुए भी उपवन-धारी वृक्षों को काट सकेगा तथा बेच सकेगा और वृक्षों के काटे जाने या मर जाने पर उनके स्थान पर वृक्ष पुनः लगा सकेगा।

(२) धारा ६३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जो कि यथा सम्भव, उपवन धारी पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी आसामी पर लागू होते हैं, उपवन-धारी के अधिकार तब तक कायम रहेंगे जब तक उपवन-भूमि उपवन के रूप में अपना स्वरूप कायम रखेगी और उपवन-भूमि न रहने पर उपवन-धारी उस भूमि का खातेदार-आसामी हो जायेगा।

(३) उपवन-भूमि, धारा ५३ के उपबन्धों के अनुसार, जो कि यथाशक्य, उपवनधारी पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आसामी पर लागू हैं, विभाजित की जा सकेगी।

(४) जब कोई व्यक्ति उस भूमि का जिसका कि वह आसामी हो, उपवनधारी हो जाय, तो वह उस भूमि से सम्बन्धित तत्समय प्रवर्तित समस्त अधिकारों तथा देयताओं जिस सीमा तक वे उससे असंगत हों, के अतिक्रमण में उस भूमि को उपवन-धारी के रूप में धारण करेगा।

१९५. सुधार करने का अधिकार—उपवनधारी वे सब सुधार कर सकेगा जिन्हें खातेदार आसामी कर सकता है और अध्याय ६ के उपबंध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह खातेदार आसामी हो।

१९६. हित का अवतरण व हस्तान्तरण—(१) उपवनधारी का हित उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवतरित होगा जो उस पर लागू होता है।

(२) उपवनधारी को अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र या उसके किसी भाग को बिक्री, दान (गिफ्ट) या बंधक के जरिये अंतरित करने का अधिकार होगा और ऐसा अन्तरण खातेदार आसामी द्वारा किये जाने की दशा में जो प्रतिबंध लागू हैं वे उपवनधारी पर लागू नहीं होंगे :

परन्तु बंधक से अंतरण करने की दशा में ऐसा अन्तरण भोग-बंधक (usufruauary mortgage) के रूप में होगा जिसकी अवधि बीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और उस पर धारा ४३ की उप-धारा (२) व (३) के उपबंध लागू होंगे।

(३) उपवनधारी अपने सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र को या उसके किसी भाग को शिकमी पट्टे पर दे सकेगा और शिकमी-पट्टे पर धारा ४४ के अन्तर्गत लगाये हुए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे :

परन्तु उपवनधारी के शिकमी आसामी को इस अध्याय के उपबंधों के अन्तर्गत उसे दिये गये अधिकारों से भिन्न उन अधिकारों में से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो इस अधिनियम द्वारा शिकमी-आसामियों को प्रदान किये गये हैं।

(४) उपवनधारी लिखित इकरारनामे के जरिये अपने उपवन की उपज को संग्रहीत करने अथवा बेचने के लिये अनुबंध अथवा पट्टा भी मंजूर कर सकेगा किन्तु ऐसे ठेके अथवा पट्टे को

अवधि एक बार में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसे ठेकेदार अथवा पट्टेदार के अधिकार एवं देयताएँ सक्षम अधिकारिता रखने वाले राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त इकरारनामे की शर्तों के अनुसार शासित एवं प्रवर्तनीय होंगे।

१९७. लगान संबंधी उपबंध—(१) उपधारा (२) में निहित उपबंधों के अधीन, खुदकाश्त-धारी से भिन्न उपवनधारी द्वारा उपवन-भूमि के बारे में देय लगान नकद में होगा और ऐसा होगा जो आपस में समझौते के जरिये तय किया जाय अथवा उक्त समझौते के अभाव में, ऐसा होगा, जो सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाय और लगान के निर्धारण तथा सम्परिवर्तन सम्बन्धी अध्याय ६ के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों वह उपवन-धारी खातेदार आसामी हो।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी उपवन-भूमि के सम्बन्ध में उस उपवन-धारी द्वारा कोई लगान देय नहीं होगा जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अपने भूमिक्षेत्र को उपवन के प्रयोजनों के लिये लगान के बदले प्रीमियम का भुगतान करके स्थायी रूप से लगान-मुक्त प्राप्त किया हो :

किन्तु

[१] उसके द्वारा दिया गया प्रीमियम, तत्समय उस भूमिक्षेत्र के लगान के दस गुने से अधिक हो तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अथवा ऐसी प्राप्ति से ३० वर्ष की अवधि समाप्त होने, दोनों में जो बाद में हो, पर, या

[२] उसके द्वारा दिया गया प्रीमियम, ऐसे वार्षिक लगान के दस गुने से अधिक नहीं हो, तो, उक्त प्रारम्भ अथवा उक्त प्राप्ति से १५ वर्ष की अवधि के समाप्त होने, दोनों में से जो बाद में हो, पर, ऐसे उपवन-धारी द्वारा लगान उपधारा (१) के अनुसार देय होगा।

(३) उपवन-भूमि के संबंध में शिकमी आसामी द्वारा उपवन-धारी को देय लगान नकद में दिया जायगा और ऐसा होगा जो उपवनधारी तथा उसके शिकमी-आसामी के बीच परस्पर समझौते द्वारा तय हो जाय अथवा ऐसे किसी समझौते के अभाव में ऐसा होगा जो सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाय।

किन्तु इस उप-धारा के अन्तर्गत किये गये समझौते में उपज का कोई निर्दिष्ट हिस्सा ऐसे लगान के आंशिक भुगतान में उपवन-धारी को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिये देने की कोई शर्त मान्य समझी जावेगी।

(४) अध्याय १० के उपबंध उपवनधारियों पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे खातेदार आसामियों पर लागू होते हैं।

१९८. बेदखली—(१) जब तक उपवन-भूमि बनी रहे, उपवनधारी केवल धारा १७७ में उल्लिखित आधारों में से ही किसी आधार पर बेदखल किया जा सकेगा और धारा १६१, १६२, १६४, १६५, १६६, १६७, १६९, १७८, १७९, १८४, १८५, १८६, १८७ तथा १८८ के उपबंध उस पर ऐसे लागू होंगे मानो वह आसामी हो।

(२) उपवनधारी जो अतिक्रमी (trespasser) हो, धारा १८३ के उपबंधों के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा।

उपवनधारी का शिकमी आसामी धारा १७५, १७७, १८० और १८३ में उल्लिखित आधारों में से किसी भी आधार पर बेदखल किया जा सकेगा और अध्याय ११ के उपबंध यथा सम्भव लागू होंगे।

(४) उपवन-धारी का ठेकेदार या पट्टाधारी वाद प्रस्तुत होने पर ठेके की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने की शर्त के आधार पर बेदखल किये जाने का भागी होगा।

+१९८. क. अध्याय ८, १५ तथा १६ का लागू होना—अध्याय ८, १५, तथा १६ के उपबंध उपवन-भूमि पर इस भांति लागू होंगे मानो उपवन-धारी खातेदार आसामी हो।

अध्याय १४

इजारेदार अथवा ठेकेदार

१९९. इजारेदार अथवा ठेकेदार द्वारा प्रयोज्य अधिकार—(१) कोई इजारेदार अथवा ठेकेदार, अपने इजारे या ठेके की शर्तों में प्रतिकूल प्रावधान होने की स्थिति के अतिरिक्त अपने इजारे या ठेके की अवधि में तथा उसकी सीमा तक, इस अधिनियम के अन्तर्गत पट्टा-दाता के समग्र अधिकारों को निम्नलिखित के अतिरिक्त प्रयोग कर सकेगा:—

[१] लगान की वृद्धि या किसी आसामी की बेदखली के लिये वाद प्रस्तुत करने का अधिकार;

[२] कोई सुधार करने या कोई सुधार किये जाने की अनुमति देने का अधिकार;

[३] वृक्ष काटने का अधिकार;

[४] अनुकूल-लगान दर पर अनुदान-ग्रहीता के विरुद्ध अध्याय १२ के उपबंधों के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार।

(२) जिन अधिकारों को इजारेदार या ठेकेदार पूर्वोक्त उपधारा के अन्तर्गत प्रयोग कर सकेगा उन्हें इजारे या ठेके की अवधि में पट्टा-दाता प्रयोग नहीं कर सकेगा।

टिप्पणी

इस धारा के द्वारा इजारेदार को भूमिधारी की समस्त शक्तियाँ प्रयोग करने के लिए सक्षम किया गया है सिवा उनके जो उपधारा (१) में बताई गई है। ठेकेदार को

+रा. अ. २७ सन् १९५९ द्वारा निविष्ट।

आसामी स्वीकार[1] करने की और उसे बेदखल कराने का अधिकार है।[2] और ठेके की अवधि में भूमिधारी को आसामी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है।[3]

२००. इजारे या ठेके के अन्तरण अथवा उत्तराधिकार पर रोक—(१) इजारेदार या ठेकेदार का हित—

[१] किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के निष्पादन में अन्तरित नहीं किया जा सकेगा; या

[२] इजारे या ठेके की शर्तों में व्यवस्थित प्रकार के अतिरिक्त अन्यथा अन्तरण-योग्य या दाय-योग्य नहीं होगा।

(२) जब किसी इजारेदार या ठेकेदार का हित दाय-योग्य हो तो उसके हित का अवतरण उस पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अनुसार होगा।

टिप्पणी

इजारेदार या ठेकेदार का हित किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा की इजराय में अन्तरण के योग्य नहीं होगा। इस अधिनियम के अर्थों में ठेकेदार एक आसामी नही है और उसके अन्तरण करने पर रोक नही है। परन्तु उसका यह अधिकार पट्टे की शर्तों के अधीन है।

२०१. बेदखली के आधार—इजारेदार अथवा ठेकेदार निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा, अर्थात्

(१) यह कि उससे देय लगान का पूर्णतः भुगतान नहीं किया गया है,

(२) यह कि उसके द्वारा पट्टा-दाता के अधिकारों के प्रति हानिकारक अथवा इजारे या ठेके के अभिप्राय से असंगत कोई कार्य किया गया है या भूल की गई है,

(३) यह कि उसने या उसके अधीन किसी उप-इजारेदार या उप ठेकेदार ने ऐसी शर्त को भंग किया है जिसके भंग करने पर वह इजारे या ठेके की शर्तों के अनुसार बेदखल किया जाने का भागी है,

(४) यह कि इजारे या ठेके की अवधि चालू कृषि वर्ष के अन्त पर या तत्पूर्व समाप्त हो गई है,

(५) यह कि आसामियों या गांव के अन्य निवासियों के प्रति उसका व्यवहार दमनकारी रहा है।

टिप्पणी

इस धारा मे वे आधार बताए गए है जिन पर किसी भी ठेकेदार को बेदखल किया जा सकता है। जब किसी ठेकेदार के कब्जे मे उसके पट्टे मे बताई गई से अधिक भूमि थी

1. लक्ष्मन प्रसाद V. रामसहाय, 1935 R.D. 203
2. खुदाई लाल V. जगतनारायण, 1919 R.D. 350
3. चेतराम V. काशी प्रसाद, 1922 R.D. 44

और वह ठेके की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उसमें काश्त करता रहे तो उसे अतिक्रमी की भांति बेदखल किया जा सकता है।[1] इस धारा के नीचे दावा केवल ठेकेदार के विरुद्ध ही किया जा सकता है। यदि उसका लड़का उस पर काश्त के कारण काबिज है तो उसे बेदखली के इसी दावे में मिलाया नहीं जा सकता। उसके विरुद्ध बेदखली की अलग कार्यवाही करनी पड़ेगी।[2]

२०२. बेदखली के लिये कार्यवाही किस प्रकार की जाय—जब राज्य सरकार से भिन्न कोई पट्टा-दाता किसी इजारेदार या ठेकेदार को किसी आधार पर बेदखल करना चाहे तो वह वाद प्रस्तुत करेगा।

२०३ अवैध बेदखली के लिये प्रतिकार (remedy)—कोई इजारेदार या ठेकेदार, जिसको इजारे या ठेके की सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग से अवैध रीति से बेदखल किया गया हो अथवा जिसे पट्टा-दाता या उसके स्वत्वाधीन अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति या उसके अभिकर्त्ता-द्वारा, इजारेदार या ठेकेदार की हैसियत से अपने अधिकारों का प्रयोग करने से अवैध रीति से रोका गया हो, ऐसी अनुचित बेदखली या अवैध हस्तक्षेप के कारण मुआवजे के लिये वाद प्रस्तुत कर सकेगा।

टिप्पणी

१. विषय—यदि ठेकेदार गलत रूप से बेदखल कर दिया गया हो अथवा पट्टा-दाता या उसके अभिकर्त्ता (एजेंट) द्वारा ठेकेदार के अधिकारों के प्रयोग से मुक्त कर दिया गया हो, तो उसके लिए एक ही उपाय यहां बताया गया है। जिस ठेकेदार को पूरी ठेका भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया हो वह इस धारा के नीचे राजस्व न्यायालय में दावा पेश कर सकता है।[3]

२. प्रक्रिया—ऐसे दावे तृतीय अनुसूची के भाग १ के मद नम्बर ३० द्वारा शासित होंगे और मालियत दावा ३०) रु० तक होने और राज्य सरकार के पक्षकार न होने की सूरत में तहसीलदार के यहां पेश होंगे वरना सहायक कलक्टर के यहां।

मियाद बाद कारण (विनाय दावा) उत्पन्न होने की तारीख से एक साल है।

न्यायालय शुल्क ठेका की भूमि के लिए की रकम के मूल्यानुसार होगी।

तहसीलदार की पहली अपील कलक्टर को और सहायक कलक्टर की राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी। दूसरी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी या राजस्व बोर्ड में यथास्थिति होगी। पहली स्थिति में पुनरीक्षण भी हो सकेगा।

२०४. समर्पण—कोई इजारेदार या ठेकेदार पट्टा-दाता की सहमति से किसी भी समय इजारे या ठेके से सम्बद्ध क्षेत्र में निहित अपने हित को समर्पित कर सकेगा।

---

1. कमलेश V. मथुनाथ, 17 R.D. 332
2. आनंद बिहारीलाल V. राधाराम, 1954 R.D. 125
3. शरीफ हुसैन खान v. जे. आर. के मेसेस, 1944 All. 200

२०५. भूमि को अवधि के उपरान्त धारण करने की व्यवस्था—यदि कोई इजारेदार या ठेकेदार, अपने इजारे या ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उस पर अपना कब्जा बनाये रखे और पट्टा-दाता उससे लगान लेता रहे अथवा उसका कब्जा बने रहने को अन्य प्रकार से स्वीकृति देदे तो वह इजारा या ठेका, किसी प्रतिकूल करार की अनुपस्थिति में, वर्ष प्रति वर्ष, पुनः स्वीकृत किया हुआ समझा जायेगा।

अध्याय १५

राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी अधिकारिता

सामान्य

+२०६. विचाराधीन मामलों आदि के लिये व्यवस्था—(१) अधिनियम के प्रभावशील होने पर, राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से सम्बद्ध समस्त वाद, मामले, अपीलें, प्रार्थना-पत्र, निर्देश तथा कार्यवाहियां इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई समझी जायेंगी और उन पर इस अधिनियम द्वारा या तदन्तर्गत निर्धारित रीति से विचार, सुनवाई एवं निर्णय किया जायेगा।

(२) ऐसे किसी वाद, मामले, अपीलें, प्रार्थना-पत्र, निर्देश या कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उस राजस्व न्यायालय में नहीं होने चाहिए या उसके द्वारा विचारणीय नहीं हैं जिसके समक्ष वे जैसा ऊपर कहा गया है, विचाराधीन हैं, उस राजस्व न्यायालय को अन्तरित करदी जायगी तथा उसके द्वारा ही कानून के अनुसार उनकी सुनवाई एवं निर्णय किया जायेगा जिसमें वे होनी चाहिये अथवा जिसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वे विचारणीय हैं।

(३) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कोई ऐसा वाद, प्रार्थना-पत्र, मामला या कार्यवाही जो धारा २०७ के अनुसार एक मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय घोषित की गई है उस सिविल न्यायालय से कार्यवाही तथा निर्णय हेतु धारा २१७ के अन्तर्गत सक्षम राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर दी जायेगी।

(४) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय धारा २०७ में निर्दिष्ट वादों, प्रार्थना-पत्रों, मामलों या कार्यवाहियों, के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कोई वाद, प्रार्थना-पत्र मामला या कार्यवाही उस राजस्व न्यायालय से ऐसे सिविल न्यायालय को अन्तरित कर दी जायेगी जो उन पर विचार तथा सुनवाई एवं निर्णय करने की अधिकारिता रखता हो।

टिप्पणी

इस धारा में इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सिविल या राजस्व न्यायालयों

+रा. अ. २ सन् १९५८ द्वारा यथा संशोधित।

में विचाराधीन मुकदमों के लिए प्रक्रिया बताई गई है। इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन मामले इस अधिनियम के नीचे प्रारम्भ हुए समझे जावेंगे और इस धारा में दिए गए प्रकार से सही न्यायालय में भेज दिए जावेंगे। जहां तहसीलदार को अधिकारिता (Jurisdiction) नहीं है तो तहसीलदार को शहादत लेकर अपनी सिफारिश सहायक कलक्टर को भेजने के स्थान पर मुकदमा उसी के पास मुंतकिल कर देना चाहिए।[1]

२०७. केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्रार्थना-पत्र—(१) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त वाद तथा प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जायगा।

(२) राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या प्रार्थना-पत्र की अथवा किसी वाद के उक्त कारण जिसके संबंध में उक्त किसी वाद या प्रार्थना-पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो, पर आधारित किसी वाद या प्रार्थना-पत्र की सुनवाई नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—यदि वाद का कारण ऐसा हो जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती थी तो यह महत्वहीन है कि सिविल न्यायालय से मांगी गई सहायता उस सहायता से अधिक या तदतिरिक्त है अथवा तद्रूप नहीं है जो राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती थी।

टिप्पणी

राजस्व न्यायालय से तात्पर्य उस न्यायालय से है जिसे किसी स्थानीय विधि के अंतर्गत लगान, राजस्व, कृषि के लिए काम में लिए जाने वाली भूमि के लाभों से सम्बंधित दावे या कार्यवाही दर्ज करने व निर्णय करने का अधिकार है। ऐसे विषयों से सम्बन्धित मामलों के लिए इस अधिनियम में राजस्व न्यायालयों को अनन्य (exclusive) अधिकारिता दे दी गई है। ऐसा करने का कारण यह है कि राजस्व अधिकारियों को ऐसे मामलों की अच्छी जानकारी होती है और सिविल न्यायालयों के मुकाबले में राजस्व न्यायालयों में अधिक सस्ती और सरसरी कार्यवाहियों की आवश्यकता भी है।[2] जिन मामलों में राजस्व न्यायालयों को अनन्य अधिकारिता है उनमें दी गई डिक्री को अपास्त (Set aside) करने की क्षमता सिविल न्यायालय की नहीं है।[3] परन्तु जो मामले तृतीय अनुसूची में उल्लिखित नहीं है उदाहरणार्थ कपट, अनियमितता,[4] मानिकाना अधिकारों के प्रश्न इत्यादि।[5] कृषि भूमि के रहन छुड़ाने की (फकुन रहन)

1. विमला v. हेमा, 1955 R.L.W. 180
2. 17 C. W. N. 1201
3. राम आसरे v. बैजनाथ, AIR 1943 Oudh 106
4. मु० देवकीबाई v. पंढरीनाथ, 1948 Nag. 299
5. ग्यानीनाथ दोरस्वर v. अमन मुहम्मद रावस्थर, 1947 Madras 276

की डिक्री की इजराय सब राजस्व न्यायालय के समाधान की है ।[1]

२०८. सिविल प्रोसीजर कोड का लागू होना—सिविल प्रोसीजर कोड १९०८ (केन्द्रीय एक्ट ५, सन् १९०८) के उपबंध सिवाय उनके जो,—

(क) इस अधिनियम की किसी भी बात से असंगत है ,असंगति की सीमा तक,

(ख) केवल उन विशिष्ट वादों या कार्यवाहियों पर लागू होते हैं जो इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर हैं, और

(ग) चतुर्थ अनुसूची की प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट हैं,

चतुर्थ अनुसूची की द्वितीय सूची में बनाये गये परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त वादों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे ।

टिप्पणी

राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस् (प्रोसीजर एण्ड जुरिसडिक्शन) एक्ट १९५१ में जाब्ता दीवानी को स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया था। राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया उक्त अधिनियम द्वारा शासित होती थी और उसकी धारा ८ के नीचे तद्विषयक नियम भी बनाए गए थे। वे नियम भी सर्वांगपूर्ण (exhaustive) नहीं थे और जाब्ता दीवानी के सिद्धान्त राजस्व न्यायालयों पर लागू किए गए थे।

आर्डर १६ नियम १ व २ उस अधिनियम की धारा २१२ के प्रावधानों से असगत नहीं हैं अतः इनके लिए यह समझा जाना चाहिए कि वे धारा २०८ के नीचे लागू हैं ।[2]

२०९. वादी को कोई ऐसी सहायता देना जिसे पाने का वह हकदार हो—किसी भी वाद या कार्यवाही में न्यायालय वादी के प्रार्थना-पत्र पर, आवश्यक वाद-पद बनाने के पश्चात्, इस बात के होते हुए भी कि उक्त सहायता वाद-पत्र या प्रार्थना-पत्र में नहीं मांगी गई है, कोई भी ऐसी सहायता प्रदान कर सकता है जिसे प्रदान करने के लिये वह सक्षम हो तथा जिसे प्राप्त करने का वादी को वह हकदार ठहराये :

किन्तु वाद-पद बनाने के पश्चात, न्यायालय किसी भी पक्षकार की प्रार्थना पर, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये उचित समय दे सकता है ।

टिप्पणी

यह धारा मुकदमेबाजी में वृद्धि (multiplicity of case) से बचने और वादों को इस आधार पर खारिज होने से रोकने के लिए कि दावा किसी गलत धारा के नीचे पेश किया गया था अथवा कोई विशेष सहायता (Relief) दावे में नहीं मांगी गई अथवा दावा पेश करते समय उपलब्ध नहीं थी, बनाई गई है । इस धारा में दावा पेश होने के पश्चात् होने वाली घटनाएं भी सम्मिलित हैं और इसका अधिकार अपील न्यायालय भी काम में ला सकते हैं ।[3]

1. ओंकार v. माना, 1965 R.R.D. 112.
2. श्री नर्मदाप्रसाद v. स्टेट, 1964 R.R.D. 25
3. पुरंदर v. कुंजी 1943 R.D. 172

इस धारा को बनाने में विधान मंडल का उद्देश्य किसानों को लम्बी मुकदमेबाजी और कठिनाइयों से बचाना था। इसमें वाद को संशोधित करने के उपबंध नहीं है परन्तु प्रार्थना पत्र पेश होने पर स्वयं न्यायालय को आवश्यक वाद पद बना कर आवश्यक शहादत लेकर उचित सहायता दे देनी चाहिए।[1]

२१०. सद्भावना से किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया जाने की दलील पेश करने की दशा में कार्य-प्रणाली—जब किसी आसामी के विरुद्ध लगान की बकाया के लिये, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये किसी वाद या कार्यवाही में, आसामी यह दलील पेश करे कि उसने उस भूमि का उस समय का लगान जिसके विषय में वाद या कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, किसी तीसरे व्यक्ति को सद्भावना से यह समझते हुए भुगतान कर दिया है कि उक्त तीसरा व्यक्ति उक्त लगान को प्राप्त करने का हक रखता था तो न्यायालय उक्त आसामी के खर्च पर, उक्त तीसरे व्यक्ति को वाद या कार्यवाही का एक पक्षकार बनायेगा और उक्त प्रश्न के विषय में जांच करके उसका निर्णय करेगा।

टिप्पणी

यह धारा केवल तभी लागू होगी जब कि आसामी ने संबन्धित विवाद ग्रस्त अवधि का लगान वास्तव में किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया हो और उस तीसरे व्यक्ति को उसने लगान का वास्तविक हकदार होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास कर लिया हो। इस प्रकार यह धारा उस वक्त लागू नही होगी जब कि तहसीलदार ने धारा १७० (१) के नीचे आज्ञा दे दी हो और तीसरे व्यक्ति को लगान उसके बाद दिया गया हो। इसी प्रकार यदि मदयून डिक्रीदार को न्यायालय के बाहर अदायगी कर दे और आर्डर २२ नियम २ (२) C.P.C. के नीचे प्रमाणित नहीं करावे तो इस धारा का लाभ उसे नहीं मिल सकता।

२११. सह भागियों द्वारा वाद इत्यादि—(१) उपधारा (३) में अन्यथा उपबंधित होने के अतिरिक्त, जब किसी अधिकार, हक या हित में दो या अधिक सहभागी हों तो अपेक्षित या अनुमत वे सभी कार्य जो उस पर आधिपत्य रखने वाले द्वारा किये जाने हैं उन सब के द्वारा संयुक्त रूप से किये जायेंगे जब तक कि उन्होंने अपने सब की ओर से काम करने के लिये कोई एजेंट नियुक्त न कर दिया हो।

(२) उप-धारा (१) की कोई भी बात किसी ऐसे स्थानीय रिवाज या विशिष्ट संविदा पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके अनुसार कोई सहभागी आसामी द्वारा देय सम्पूर्ण लगान को अथवा अपने हिस्से को पृथकतया पाने का हकदार हो।

+(३) जब दो या अधिक सहभागियों में से कोई एक सहभागी अकेले वाद प्रस्तुत करने या कार्यवाही करने का हक नहीं रखता हो और शेष सहभागी, उन सब द्वारा मिलकर वसूल करने योग्य रकम के लिये कार्यवाही या वाद में सम्मिलित होने से इन्कार करते हों तो, उक्त

1. रामप्यारेबी v. घोरमा, 1961 R.R.D. 226

+रा. प. २७ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित

सहभागी अपने हिस्से के लिये, अवशिष्ट सहभागियों को पक्षकार बनाते हुए, ऐसा वाद या कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है, और

(४) जब किसी भूमिक्षेत्र का आसामी या उसका प्रबंध अन्तरिती उस भूमि के स्वामित्व में सहयोगी हो तो इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत, उसके विरुद्ध, उस आसामी या प्रबंध अन्तरिती की हैसियत से, लाये गये या दायर किये गये किसी वाद या प्रार्थना-पत्र में, इस धारा की कोई भी बात, उसके सहभागी या सहस्वामी बनाये जाने की अपेक्षा नहीं करेगी।

टिप्पणी

किसी भूमिक्षेत्र के आसामी को अथवा ऐसे भूमिक्षेत्र के अन्तरिती को उसके विरुद्ध किसी दावे अथवा आवेदन-पत्र में वादी नहीं बनाया जायगा।[1] यह धारा अपीलों पर लागू नहीं होगी[2] और न उसको नामों की प्रतिस्थापना (Substitution) के लिए काम में लाई जा सकती है।

२१२. व्यादेश (injunction) तथा रिसीवर की नियुक्ति का उपबंध—(१) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथ-पत्र पर या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाय कि—

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही तत्सम्बद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (alienation) के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल न होने देने के अभिप्राय से उस सम्पत्ति को हटाने या उसका व्ययन (disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो एक रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।

(२) कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अन्तर्गत जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया हो या जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वाद या कार्यवाही का निर्णय उसके खिलाफ हो जाने की दशा में, विरोधी पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिये ऐसी रकम जो न्यायालय तय करे, को नकद जमानत दे सकेगा और जमानत की रकम जमा कराने पर न्यायालय व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति की आज्ञा, यथास्थिति, को वापिस ले सकेगा।

---

1. उपधारा (४)
2. गंगाधर v. ज्वालाप्रसाद, 1955 R.D. 366

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा के बनने से पहले अस्थायी व्यादेश (व्यादेश, T. I.) राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के अन्तर्गत[1] एवं राजस्व बोर्ड द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अन्तर्गत दी जाती थी।[2] इस धारा में आर्डर ३६ व ४० C.P.C के उपबंध डाल दिए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत दी गई आज्ञा न्यायालय की अगली आज्ञा तक अथवा मामले के निर्णय तक जारी रहेगी।

अस्थायी व्यादेश स्थायी व्यादेश से इस दृष्टि से भिन्न होता है कि वह मुकदमे के गुणदोष सुनने से पहिले दे दिया जाता है और गुणदोष पर निर्भर भी नहीं होता। स्थायी निषेधाज्ञा (व्यादेश) मुकदमे के गुणदोष का अंतिम विचारण होने के पश्चात् जारी की जाती है।

जहां प्रतिवादी को जमीन नष्ट करने से रोक दिया जाय तो रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक नहीं है।[3]

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना लाजिमी नहीं है, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।[4] वादी के पक्ष में प्रत्यक्षतः मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन देखकर ही अस्थायी निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए।[5] अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्देश्य दावे की विषय वस्तु को सुरक्षित बनाए रखना है।[6]

२. अपील—इस धारा के नीचे दी गई अंतरिम आज्ञा अन्य आज्ञा की भांति अपील योग्य है और केवल एक ही अपील होगी। अपील में दी गई आज्ञा का पुनरीक्षण हो सकेगा।

२१३. लगान की बकाया की डिक्री के निष्पादन में खातेदार आसामी के हित का बेचा जाना—(१) धारा ४२ के उपबंध के अधीन खातेदार आसामी का अपने भूमिक्षेत्र या उसके किसी हिस्से में निहित हित उक्त भूमिक्षेत्र के लगान की बकाया की डिक्री के निष्पादन में बेचा जा सकता है और उक्त हित जब तक कि भूमि-धारक द्वारा ही खरीद न लिया जाय, खरीददार को, उप-धारा (३) के अधीन रहते हुए, उक्त भूमि-क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में वही हित प्राप्त होगा तथा उसके संबंध में उसके वे ही दायित्व होंगे जो कि उक्त आसामी के थे।

(२) डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय उपधारा (१) के अनुसार खातेदार आसामी के भूमि-क्षेत्र के केवल किसी हिस्से में निहित उसके हित को बेचने के पहिले बोर्ड द्वारा

---

1. राजेन्द्रसिंह v. रतन, 1952 R.L.W. (R.S.) 79
2. दा० सूरजसिंह v. राजिया, 1954 R L.W. (R.S.) 68
3. सुरेन्द्र सिंह v. मंगला, 1964 R.R.D. 240
4. पन्ना v. तेज, 1964 R.R.O. 315
5. मदनलालधरमदास v. केसरी, 1965 R.R.D. 69
6. बन्सीमल v. महताब, 1965 R.R.D. 120

बनाये गये नियमों के अनुसार उस भूमि-क्षेत्र के लगान को उक्त हिस्से तथा अवशिष्ट हिस्से पर वितरित कर देगा।

(३) जब उक्त हित बेचा जाय तो:—

(क) कोई शिकमी-आसामी, या

(ख) कोई कृषि-जीवी या अन्य श्रम-जीवी अथवा ग्राम-सेवक जो उस गांव में रहता हो, या

(ग) कोई कृषक जो उस गांव में रहता हो, या

(घ) राज्य सरकार या भू-सम्पत्ति धारक के अलावा कोई भूमि-धारी या

(ड) भू-सम्पत्ति धारक,

उपरोक्त प्राथमिकता के अनुसार बिक्री की तारीख से १५ दिन के भीतर सबसे ऊंची बोली लगा कर, उक्त हित को प्राप्त करने का दावा कर सकता है।

किन्तु यदि खण्ड (क) या (ग) में बताये गये वर्गों में से एक एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति उक्त हित को प्राप्त करने का दावा करें तो अधिमान्यता उस दावेदार को दी जायगी जो उस गांव में सबसे कम क्षेत्रफल वाली जमीन मे कृषि करता हो और जब वे बराबर भूमि पर काश्त करते हो तो दावे का निर्णय निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार किया जायेगा :

+किन्तु यह और है कि यदि खण्ड (ख) में बताये गये वर्ग में से एक ही वर्ग के दो या अधिक व्यक्ति उक्त हित को प्राप्त करने का दावा करें तो दावे का निर्णय निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार किया जायगा।

++[(४) उप-धारा (३) में किसी बात के होते हुए भी, यदि खातेदार आसामी जिसका हित इस धारा के अन्तर्गत बेचा गया हो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो तो, खण्ड (क), (ख) तथा (ग) मे बताये गये किन्हीं वर्गों के प्रतिद्वन्द्वी दावेदारों में से उस वर्ग विशेष के दावेदार को अधिमान्यता दी जायगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो।]

टिप्पणी

किसी भूमिक्षेत्र को उसके लगान की बकाया के लिए ही बेचा जा सकता है।[1] भूमिक्षेत्र को किसी सिविल न्यायालय की डिक्री अथवा किसी राजस्व न्यायालय की अन्य डिक्री की इजराय मे नही बेचा जा सकता। इस धारा मे यह अपेक्षित नही है कि भूमिक्षेत्र को बेचने से पूर्व उसे कुर्क किया जावे।

२१४. इस अधिनियम के अन्तर्गत दावों की परिसीमा (मियाद, limitation)-(१) तृतीय अनुसूची मे निर्दिष्ट वाद तथा प्रार्थना-पत्र उनके लिये उसमे निश्चित समय के भीतर दायर या प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसा प्रत्येक वाद या प्रार्थना-पत्र जो इस प्रकार विहित की गई अवधि की

+रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा यथा संशोधित।

++रा. अ. २८ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट

1. चेता v. राजेन्द्रनाथ, 1943 R.D. 363.

समाप्ति के बाद दायर या प्रस्तुत किया जाय खारिज कर दिया जायगा :

किन्तु यदि कोई वाद या प्रार्थना-पत्र जिसके लिये उक्त अनुसूची द्वारा निर्धारित समय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रभावशील किसी विधि द्वारा निर्धारित समय की अपेक्षा कम हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद आगामी छः महीने के भीतर या उक्त विधि द्वारा विहित परिसीमा के भीतर, जो भी पहिले समाप्त होती हो, दायर या प्रस्तुत किया जा सकेगा :

किन्तु यह और है कि ऐसा कोई वाद या प्रार्थना-पत्र जिसके लिये उक्त अनुसूची द्वारा परिसीमा विहित की गई हो जिसके लिये उक्त विधि द्वारा कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से गिनते हुए उक्त अनुसूची द्वारा विहित अवधि के भीतर दायर या प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(२) यदि कृषि संबंधी किसी आपत्ति (calamity) के कारण सक्षम सत्ता की आज्ञा के अन्तर्गत लगान का भुगतान स्थगित कर दिया गया हो तो ऐसे लगान की वसूली के निमित्त वाद के लिये विहित की गई परिसीमा-अवधि की गणना करने में स्थगन-समय छोड़ दिया जायगा ।

(३) उप-धारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए इंडियन लिमिटेशन एक्ट १९०८ (केन्द्रीय अधिनियम सं० ६ सन् १९०८) के उपबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत या तदनुसरण में होने वाले वादों, अपीलों प्रार्थना-पत्रों तथा कार्यवाहियों पर लागू होंगे ।

टिप्पणी

इस धारा में वे मियादें बताई गई हैं जिनके बाद कोई दावा अथवा अन्य कार्यवाही दायर नहीं की जा सकती । विभिन्न प्रकार के दावों का वर्णन और उस बात का उल्लेख जिसके होने पर मियाद शुरु हो जाती है, यह अर्थ नहीं रखता कि इन वर्णनों वाला कोई दावा उस वाद-कारण के उत्पन्न होने पर आवश्यक है जिसे कि कानून में मान्यता दी गई है ।[1] कोई न्यायालय सुनीति (equity) के आधार पर मियाद से छूट नहीं दे सकता चाहे उससे किसी पक्षकार के प्रति कठोरता क्यों न होती हो ।[2] फिर भी समुचित मामलों में कानून मियाद (भारतीय परिसीमा अधिनियम) के नीचे विलम्ब को माफ किया जा सकता है ।

शब्द 'पर्याप्त कारण' की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है । इस विषयक प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार तय किए जाने चाहिए ।[3] इससे तात्पर्य है ऐसा कारण जो सम्बन्धित पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हो ।[4]

२१५. देय न्यायालय शुल्क—इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों में या प्रार्थना-पत्रों पर

---

1. हरिनाथ v. मोथुरमोहन, 21 Calcutta 8 P.C.
2. म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ v. बालकृष्ण, A.I.R. 1944 अवध 135.
3. भैरोप्रसाद v. रामावतार, A.I.R. 1921, Allahabad 23.
4. देविदास बलभिदास v. रामचन्द्र तोतुराम, A.I.R. 1938 Bombay 408

देय न्यायालय शुल्क वह होगा जो तृतीय अनुसूची के छठे स्तम्भ में निर्दिष्ट किया गया है :

+[किन्तु राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये या दायर किये गये किसी वाद या प्रार्थना-पत्र पर कोई न्यायालय-शुल्क देय नहीं होगा।]

टिप्पणी

यह धारा न्यायालय शुल्क अधिनियम को आसामियों के पक्ष में रूपान्तरित करने के लिए बनाई गई है। जहां पर यह अधिनियम मौन है वहां न्यायालय शुल्क अधिनियम लागू होगा।

न्यायालय की शक्तियां

२१६. राजस्व न्यायालय के बैठक का स्थान—(१) कोई दावे के निर्णय के लिये ++[राज्य] में किसी भी स्थान पर बैठ सकता है।

(२) +++[राजस्व अपील प्राधिकारी अपने डिवीजन के भीतर किसी भी स्थान पर अपने न्यायालय की बैठक कर सकता है।]

(३) कलक्टर, सब-डिवीजनल आफिसर या सहायक कलक्टर, उस जिले, सब-डिवीजन या अन्य स्थानीय क्षेत्र जिसमें उसकी नियुक्ति हुई हो, के भीतर किसी भी स्थान पर अपने न्यायालय की बैठक कर सकता है।

(४) तहसीलदार अपने न्यायालय की बैठक तहसील के भीतर किसी भी स्थान पर कर सकता है।

२१७. विभिन्न श्रेणियों के राजस्व न्यायालयों की साधारण शक्तियां—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों या प्रार्थना-पत्रों का निर्णय करने के लिये सक्षम राजस्व न्यायालयों की विभिन्न श्रेणियां वे होंगी जो तृतीय अनुसूची के सातवें स्तम्भ में निर्दिष्ट की गई है।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी तहसीलदार को तदनुसार केवल उन्हीं वादों या प्रार्थना-पत्रों का निर्णय करने की शक्ति होगी जिनमें राज्य सरकार पक्षकार न हो तथा जिनमें विषय-वस्तु की रकम या मूल्य तीन सौ रुपये से अथवा अन्य ऐसी उच्चतम-सीमा जो १०० रुपये से कम न हो, जिसका राज्य सरकार समय समय पर शासकीय राजपत्र※में अधिसूचना निकाल कर निर्देश करे, से अधिक न हो और जब कोई वाद या प्रार्थना-पत्र जो तृतीय अनुसूची में तहसीलदार की सक्षमता में होना निर्दिष्ट किया गया हो उक्त मूल्य या रकम से अधिक का हो या जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के खिलाफ दायर या प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी सुनवाई व निर्णय, सहायक कलक्टर करेगा।

+रा. अ. २७ सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया।
++रा. अ. २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।
+++रा. अ. ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।
※ रा. अ. २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

२१८. राजस्व न्यायालयों की स्वाभाविक शक्तियां—पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त—

(१) +[राजस्व अपील प्राधिकारी] को, कलक्टर, सबडिवीजनल आफिसर, सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(२) कलक्टर को सबडिवीजनल आफिसर, सहायक कलक्टर तथा तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(३) सबडिवीजनल आफिसर को सहायक कलक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(४) सहायक कलक्टर को तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

२१९. राजस्व न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियां—(१) राज्य सरकार—

(क) किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति

(ख) किसी तहसीलदार को सहायक कलक्टर की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति,

(ग) किसी सहायक कलक्टर को सबडिवीजनल आफिसर या कलक्टर की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति, प्रदान कर सकती है।

(२) इस धारा के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान करने में राज्य सरकार व्यक्तियों को, उनके नाम से या पदाधिकारियों के वर्गों को सामान्यतः उनके सरकारी पदों के नाम से, प्रदान कर सकती है।

(३) जब किसी तहसील, सबडिवीजन, जिले या अन्य क्षेत्र में नियुक्त किसी पदाधिकारी, जिसके नाम से इस धारा के अन्तर्गत कोई शक्तियां प्रदान की गई हों, का तबादला दूसरी तहसील, सबडिवीजन, जिले या क्षेत्र में, समान प्रकार के समान पद पर होता है, तो वह, जब तक सरकार अन्यथा आदेश न दे, वैसी दूसरी तहसील, सबडिवीजन, जिले या क्षेत्र में, इस धारा के अन्तर्गत उन्हीं शक्तियों से विनिहित हुआ माना जायेगा।

२२०. न्यायालय जिनमें कार्यवाही दायर की जायेगी—तृतीय अनुसूची में समस्त वाद और प्रार्थना-पत्र धारा २१७ के उपबन्धों के अनुसार उनका फैसला करने के लिये सक्षम निम्नतम श्रेणी के राजस्व न्यायालय में दायर या प्रस्तुत किये जायेंगे :

× [किन्तु यदि किसी क्षेत्र में कोई सहायक कलक्टर या सब डिवीजनल आफिसर न हो तो उनमें से किसी के द्वारा श्रवणीय वाद या प्रार्थना-पत्र, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले कलक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे या दायर किये जायेंगे।]

टिप्पणी

इस धारा की शब्द योजना धारा १५ C.P.C. से ली गई है और इसमें दावा दायरी

+ रा. अ. ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

× राज॰ अधि॰ संख्या २० सन् १९५६ द्वारा जोड़ा गया।

के स्थान का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक दावा और प्रार्थना-पत्र धारा २१७ के अनुसार निम्नतम राजस्व न्यायालय में पेश किया जावेगा। धारा २०० में बताया गया है कि तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त दावे और प्रार्थना-पत्र राजस्व न्यायालयों द्वारा सुने और फैसल किये जावेंगे।

२२१. राजस्व न्यायालयों की अधीनस्थता—समस्त राजस्व न्यायालयों के ऊपर सामान्य अधीक्षण व नियन्त्रण बोर्ड में निहित होगा तथा उक्त समस्त न्यायालय उक्त बोर्ड के अधीन होंगे और उक्त अधीक्षण, नियन्त्रण का एवं अधीनस्थता के अधीन—

× (क) × × ×

(ख) किसी जिले के समस्त अतिरिक्त कलक्टर, सब डिवीजनल आफिसर, सहायक कलक्टर और तहसीलदार उस जिले के कलक्टर के अधीन होंगे,

(ग) किसी सब डिवीजन के समस्त सहायक कलक्टर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उस सबडिवीजन के सबडिवीजनल अफसर के अधीन होंगे,

(घ) किसी तहसील के समस्त अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार उस तहसील के तहसीलदार के अधीन होंगे।

अपीलें

२२२. जब तक इस अधिनियम द्वारा अनुमत न हो अपील नहीं होगी—किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आज्ञा की अपील इस अधिनियम में की गई व्यवस्था से अन्यथा नहीं होगी।

२२३. मूल डिक्रियों की अपीलें—किसी मूल डिक्री की अपील—

(१) यदि उक्त कोई डिक्री तहसीलदार द्वारा दी गई हो तो कलक्टर को, और

(२) यदि उक्त डिक्री किसी सहायक कलक्टर, सब डिवीजनल आफिसर या कलक्टर द्वारा दी गई हो तो, ❀ [राजस्व अपील प्राधिकारी] को।

होगी।

टिप्पणी

तहसीलदार, सहायक कलक्टर, सब डिवीजनल ऑफिसर अथवा कलक्टर द्वारा दी गई समस्त मूल डिक्रियों की अपीलें हो सकती है। इस धारा के नीचे अपील सिर्फ डिक्री की ही हो सकती है। किसी निर्णय में दिये गये किसी निष्कर्ष की अपील नहीं होगी।[1] अपील न्यायालय कोई ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता जो शहादत के विरुद्ध हो चाहे अपील की सुनवाई एक पक्षीय रूप में ही क्यों न की गई हो।[2]

× राजस्थान अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा विलुप्त।

❀ राज० अधि० संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

1. करीम मियां v. जफराली, 1942 Bombay 279.

2. भूरा v. लादू, 1961 R.L.W. (R.S.) 106.

[३] यदि उक्त आज्ञा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो बोर्ड को होगी।

(२) इस धारा के अन्तर्गत अपील में पारित किसी आज्ञा की कोई अपील नहीं होगी।

टिप्पणी

पुराने अधिनियम मे सब आज्ञाओं की चाहे वे मूल आज्ञाएं हों अथवा अपील में दी गई हों—अपील हो सकती थी।[1] वर्तमान धारा का प्रभाव सीमित है और अब अपील मे दी गई आज्ञा की और अपील नहीं हो सकती। इस धारा मे किसी आज्ञा की केवल एक अपील दी गई है। अपील का यह अधिकार केवल अन्तिम आज्ञा तक ही सीमित नहीं है और अन्तरिम आज्ञा की भी अपील हो सकती है।[2] इस प्रकार समस्त मूल वादों, प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों तथा धारा २२३ एवं २२४ के अन्तर्गत डिक्रियों के विरुद्ध अपील में दी गई आज्ञाओं की अपीलें हो सकती है। किसी आज्ञा की दूसरी अपील नहीं हो सकती।[3]

२२६. किसी अपील को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने की बोर्ड की शक्ति—बोर्ड किसी अपील को या तो स्वीकार कर सकेगा या सरसरी तौर पर अस्वीकार कर सकेगा।

टिप्पणी

सरसरी तौर पर अपील को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की शक्ति केवल बोर्ड को है किसी अधीनस्थ राजस्व अपील न्यायालय को नहीं। अतः अधीनस्थ अपील न्यायालय किसी अपील को मियाद बाहर होने पर भी सरसरी तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकते।[4]

इस धारा के नीचे सरसरी तौर पर अस्वीकृति की आज्ञा न्यायिक आज्ञा है और धारा २२९ के नीचे उसका पुनरावलोकन (नजरसानी) किया जा सकता है।[5]

२२७. अनियमितता के कारण किसी डिक्री या आज्ञा को पलटा या उपान्तरित न किया जाना—किसी कार्यवाही मे पक्षों या वाद-हेतुओं के ऐसे दुसयोजन (Misjoinder) या त्रुटि या अनियमितता के कारण जिसका मुकदमे के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो कोई डिक्री या आज्ञा अपील में न तो पलटी जायगी न सारभूत रूप मे परिवर्तित की जायेगी और न पुनः अन्वेषण के लिये लौटाई (रिमाण्ड) जायेगी।

टिप्पणी

१. विषयः—इस धारा का उद्देश्य अपील न्यायालय को मुकदमों की कार्यवाहियों

1. रामदास v. सीदास, 1952 R.L.W. (R.S.) 67.
2. मुल्पापू v. ओंकारमल, 1952 R.L.W. (R.S.) 35.
3. उपधारा (2)।
4. संस्कृत पाठशाला vs. सदालू, 1942 A.W.R. 202.
5. धूरन vs. शिवहरख, 1948 R.D. 28.

में अनियमितता के सम्बन्ध में अधिक विवेक प्रयोग की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार यदि कोई निर्णय गुण दोष की दृष्टि से ठीक हो और न्यायालय की अधिकारिता में दिया गया हो तो प्राविधिक (टेकनीकल) अनियमितता के कारण उसे नहीं पलटा जाना चाहिए।[1]

२. धारा का प्रभाव भूतलक्षी है—इस धारा का प्रभाव भूतलक्षी है अतः समस्त विचाराधीन अपीलों का नियमन इसके अनुसार होगा।[2]

३. पुनः अन्वेषण (रिमाण्ड)—इस धारा के द्वारा किसी अपील प्राधिकारी द्वारा अनियमित रूप से दी गई रिमाण्ड की आज्ञा के दोष का परिहार हो जाता है जब तक कि यह नहीं बता दिया जाय कि ऐसी आज्ञा का मामले के गुण दोष पर प्रभाव नहीं है।[3] जहां कोई मामला किसी प्रारम्भिक आधार (प्रीलिमिनेरी पाइन्ट) पर फैसल नहीं किया गया हो वहां रिमाण्ड की आज्ञा न केवल अनियमित अपितु अवैध है और रिमांड के बाद की सब कार्यवाहियां शून्य होंगी।[4]

२२८. अपीलों के निमित्त परिसीमा—(१) जिस डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध आपत्ति हो उसकी तारीख से तीस दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसकी कोई अपील कलक्टर को नहीं होगी।

(२) जिस डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध शिकायत (complaint) हो उसकी तारीख से ६० दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसकी कोई अपील ∴ [राजस्व अपील प्राधिकारी] को नहीं होगी।

(३) जिस डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध शिकायत हो, उसकी तारीख से ९० दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात्, उसकी कोई अपील बोर्ड में नहीं होगी।

टिप्पणी

परिसीमा (मियाद) के प्रश्न पर न्यायालय को स्वयं विचार कर लेना चाहिए चाहे उसे पक्षकारों द्वारा नहीं उठाया गया हो।[5]

इस धारा में परिसीमा अधिनियम १९०८ की धारा ५ के समान उपबन्ध नहीं है अतः उसमें विहित अवधि के पश्चात् पेश की गई अपील खारिज होने योग्य है।[6]

जहां २७-१-६३ को नायब तहसीलदार ने एक तर्फा आज्ञा दी जिसका ज्ञान पक्ष-

1. 1842-1896 अल्लाहाबाद वीकली नोट्स 282.
2. रूपनारायण vs. गोपालदेवी, 36 Cal. 780.
3. देवेन्द्रनाथ vs. बसन्त कुमार, 5 R.L.J. 328.
4. पाविनी चेटी vs. रंगीदास नायडू, 32 Mad. 83.

∴. राजस्थान अधिनियम संख्या ८ सन् १९६२ द्वारा प्रतिस्थापित।

5. अलताफ खां vs. कुरबान खांन, A.I.R. 1948 Nag. 41.
6. बालमुकन्द vs. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 1954 R.R.D. 338.

अपील नही की जा सकती हो, के रेकार्ड को मंगवा सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय द्वारा

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो विधि के अनुसार उसमें निहित नही है, या

(ख) उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग नही किया गया है या

(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने में अवैध रीति से अथवा सारवान अनियमितता से कार्य किया गया है,

तो बोर्ड उस मामले में ऐसी आज्ञा दे सकेगा जैसी वह उचित समझे ।

टिप्पणी

सिवा उन तीन प्रकार के मामलों में जिनका उल्लेख इस धारा में किया गया है बोर्ड को पुनरीक्षण के द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।[1] जहां वैकल्पिक-प्रतिकार (Remedy) उपलब्ध होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठाया जाय तो पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।[2] पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग बोर्ड करे, इसके लिए आवेदन-पत्र देना भी आवश्यक नहीं है।[3] जहां अपील हो सकती हो पुनरीक्षण नही होगा।[4] भारत रक्षा अधिनियम के नीचे कलक्टर द्वारा दी गई आज्ञा राजस्व न्यायालय की आज्ञा नहीं होने से राजस्व बोर्ड द्वारा उसका पुनरीक्षण बोर्ड की अधिकारिता के बाहर है।[5]

जहां दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष एक से हों तो पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जब तक कि सारवान अनियमितता नहीं हुई हो। जो बात अधीनस्थ न्यायालय के विवेकाधीन हो उसमें बोर्ड को शहादत का अपनी ओर से अर्थ लगा कर मुकदमे के गुण दोष पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित नही करना चाहिए।[6]

२३१. हाई कोर्ट को वादों को मगवा भेजने की शक्ति :—हाई कोर्ट ऐसे किसी वाद या प्रार्थना-पत्र जिसका निर्णय किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया हो, तथा जिसकी अपील धारा २३६ के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय में हो सकती हो परन्तु जिसकी अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकती हो, के रेकार्ड को मगवा सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि सिविल या राजस्व न्यायालय ने :—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

1. सुखलाल v. स्टेट, 1959 R L. W. (R. S.) 8
2. मगनलाल v. स्टेट, 1955 R. L. W. (R. S.) 39
3. रामचन्द्र v. पन्नालाल, 1955 R. L. W. 138
4. लक्ष्मण v. भूरा, 1966 R. R. D. 100
5. यूनियन ऑफ इंडिया v. अजमेर बनव, 1966 R. R. D. 159
6 सुरेन्द्रसिंह v. मंगला, 1964 R. R. D. 240

(ख) उसमें ऐसे निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) अपनी अधिकारिता के प्रयोग करने में अवैध रीति से अथवा सारवान अनियमितता से कार्य किया है,

तो हाई कोर्ट उसमें ऐसी आज्ञा दे सकेगा जैसी वह उचित समझे।

टिप्पणी

यह धारा लगभग धारा ११५ C. P. C. की पुनरावृत्ति है हालांकि अनुसूची चतुर्थ की सूची प्रथम में उसे राजस्व न्यायालयों पर लागू होना विशेष रूप से दिया है। अतः उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की पुनरीक्षण अधिकारिता इस धारा की परिधि के भीतर ही है।[1] अलबत्ता हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह आवेदक के सामने दूसरा प्रतिकार (Remedy) होते हुए भी पुनरीक्षण में हस्तक्षेप कर सकता है बशर्ते कि ऐसा करने से मुकदमाबाजी कम हो और विलम्ब एवं अनावश्यक खर्च से बचा जा सके।[2]

निर्देश

२३२. रेकार्ड मंगवाने तथा बोर्ड को निर्देश (रेफर) करने की शक्ति :— कलक्टर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के रेकार्ड को, दी गई आज्ञा की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में, स्वयं को संतुष्ट करने के अभिप्राय से मंगवा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा और यदि उसकी राय यह हो कि उस न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा या की गई कार्यवाही परिवर्तित, खण्डित या पलट दी जाने योग्य है तो वह उस मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड को निर्देशित कर देगा और तदुपरान्त बोर्ड उस पर ऐसी आज्ञा दे देगा जो वह उचित समझे :—

किन्तु इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, धारा २३९ के अन्तर्गत आने वाले वादों अथवा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में नहीं किया जावेगा।

टिप्पणी

विषय :—इस धारा में बोर्ड को निर्देशित (Referred) किए जाने वाले मामलों का उल्लेख किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ११३ और आर्डर ४६ इस अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते।[3] निर्देश (रेफरेंस) केवल रा० अ० प्रा० अथवा कलक्टर के द्वारा ही किए जा सकते हैं।[4]

1. कोनजीलाल v. चिरंजीलाल, A. I. R. 1932 All 589
2. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहराइच v. रामेन्द्रप्रसाद सिंह 1944 O. W. N. 174
3. चतुर्थ अनुसूची, सूची 9
4. लूणकरण v. सेतम, 1955 R. L. W. (R. S.) 75

हाई कोर्ट में रेफरेंस करने की प्रक्रिया धारा २४३ (१) में बताई गई है। जहां कोई न्यायालय स्वयं किसी बात का निर्णय कर सकता है तो निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जाना चाहिए।[1] बिना पक्षकारों को सुने और अपना दिमाग लगाए निर्देश कर देना उचित नहीं है।[2]

२. अपील और निर्देश :—जहां कलक्टर के समक्ष अपील विचाराधीन हो तो निर्देश नहीं किया जा सकता।[3] यदि सम्बन्धित आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण बोर्ड में हो सकता हो तो भी निर्देश किया जा सकता है परन्तु निर्देश करने से पूर्व कलक्टर से यह आशा की जाती है कि वह पक्षकारों को सुने।[4]

मामलों का अन्तरण

२३३. रेवेन्यू बोर्ड द्वारा मामलों का अन्तरण :—बोर्ड, पर्याप्त कारण बतलाये जाने पर, किसी वाद, कार्यवाही, प्रार्थना-पत्र अथवा अपील को या किसी प्रकार के वादों, कार्यवाहियों प्रार्थना-पत्रों अथवा अपीलों के किसी वर्ग को एक राजस्व न्यायालय से किसी अन्य राजस्व न्यायालय को जो उसकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा।

\+ २३४ × × ×

२३५. कलक्टर अथवा सब डिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण तथा उन्हें वापिस लिया जाना :—कलक्टर या सब डिवीजनल आफिसर अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय से किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को वापिस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वर्ग पर स्वयं विचार कर सकता है अथवा उसे किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में, जो उसकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकता है।

\+ २३६ × × ×

२३७. कलक्टर या सब डिवीजनल आफिसर द्वारा मामलों का अन्तरण :—कलक्टर अथवा सब डिवीजनल आफिसर अपने समक्ष विचाराधीन किसी मामले या किसी प्रकार के मामलों को, उनकी सुनवाई करने में सक्षम किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा।

२३८. हाई कोर्ट द्वारा राजस्व अपीलों का अन्तरण :—हाई कोर्ट पर्याप्त कारण बतलाये जाने पर धारा २३९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत किन्हीं अपीलों को, उस सिविल न्यायालय, जिसमें वे प्रस्तुत की गई हों, से, किसी अन्य सिविल न्यायालय को, जो उनकी सुनवाई करने के लिये सक्षम हो, अन्तरित कर सकेगा।

---

1. जेतदान v. बगसा, 1955 R. L. W. (R. S.) 110
2. सुगनसिंह v. स्टेट, 1962 R. L. W. (R. S.) 79: 1962 R. R. D. 191
3. विश्वेसर दयाल, v. माधोसिंह, 1964 R. R. D. 198
4. स्टेट v. मीरा, 1966 R. R. D. 44

\+ रा० अ० ८ सन १९६२ द्वारा विलुप्त।

राजस्व न्यायालयों के समक्ष स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न

२३६. स्वामित्व के अधिकार की दलील प्रस्तुत किये जाने की दशा में कार्य-प्रणाली—(१) यदि, राजस्व न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में, उस भूमि के सम्बन्ध में जो उक्त वाद या कार्यवाही की विषय—वस्तु है, स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उठाया जाय और उस प्रश्न पर निर्णय सक्षम अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा पहिले नहीं किया जा चुका हो तो, उक्त राजस्व न्यायालय स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न पर वाद-पद (तनकी) स्थिर करेगा और रेकार्ड को, केवल उसी वाद—पद के निर्णयार्थ सक्षम सिविल न्यायालय को भेज देगा।

स्पष्टीकरण—[१] स्वामित्व के अधिकार की उक्त दलील, जो स्पष्टतया स्वीकार करने योग्य न हो और केवल राजस्व न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत करने की इच्छा से की गई हो, इस धारा के अर्न्तगत, स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उत्पन्न करने वाली नहीं समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण—[२] स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न मे यह प्रश्न सम्मिलित नहीं है कि क्या भूमि "खुदकाश्त" है।

(२) सिविल न्यायालय यदि आवश्यक हो, तो वाद पद फिर से कायम करने के बाद, केवल उस वाद पद का ही निर्णय करेगा और अभिलेख को तत्सम्बन्धी अपने निर्णीत मत के साथ, उस राजस्व न्यायालय को वापिस कर देगा जिसने उसे भेजा था।

(३) राजस्व न्यायालय तब, भेजे गए वाद पद (issue) के विषय में सिविल न्यायालय के निर्णीत मत को स्वीकार करते हुए, वाद का निर्णय करने के लिये अग्रसर होगा।

(४) राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त वाद, जिसमें स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न का निर्णय उप-धारा (२) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय द्वारा किया गया हो, में दी गई डिक्री की अपील उस सिविल न्यायालय में की जायेगी जो वाद के मूल्यांकन का विचार करते हुए, उस न्यायालय की अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता रखता हो जिसको कि स्वामित्व के अधिकार का वाद पद निर्देशित किया गया था।

(५) उप-धारा (४) के अन्तर्गत सिविल न्यायालय द्वारा अपील में दी गई डिक्री या आज्ञा की दूसरी अपील, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर १९०८ (सेण्ट्रल एक्ट ५, ऑफ १९०८) की धारा १०० में निर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर, हाई कोर्ट में होगी।

टिप्पणी

१. विषय—स्वामित्व विषयक प्रश्नों पर निर्णय देने की अधिकारिता केवल मात्र सिविल न्यायालयों की है।[1] इस धारा को उपधारा (१) तथ उसके स्पष्टीकरण में बताए गए अपवादों के अतिरिक्त इस विषयक उपबन्ध बाध्यकर (Mandatory) है।[2] यदि

1. चारण देवीदान v. राजस्व मंडल, A.I.R. 1955 N.U.C. (1049)

2. रामधाराई v. शिवकुमार, 1947 R.D. 381.

स्वामित्व के अधिकार सम्बन्ध में प्रश्न वास्तव में उत्पन्न होता हो तो अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील में भी उठाया जा सकता है यदि वह ऐसी साक्ष्य पर निर्भर नहीं हो जो रेकर्ड पर नहीं हो।[1]

२. खातेदारी अधिकार—खातेदारी अधिकार स्वामित्व विषयक अधिकार नहीं है क्योंकि खातेदार भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता। यदि कृषि अधिकार (टिनेंसी) सम्बन्धी विवादों में हैसियत अथवा हक (टाइटल) का प्रश्न उठाया जाता है तो राजस्व न्यायालय उसे तय करने के लिए सक्षम है।[2] परन्तु राजस्व बोर्ड ने इस निर्णय से एक महीने पहले ही एक अन्य मुकदमे में यह निर्णय लिया था, कि जहां विवाद ग्रस्त भूमि को वादी अपने खुदकाश्त की भूमि बताता है और प्रतिवादी उसमें खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेना बताता है तो यह समझा जाना चाहिए कि स्वामित्व और अधिकारिता के प्रश्न उद्भूत हो गये हैं चाहे वे पक्षकारों द्वारा नहीं उठाए गए हैं और इसका निर्णय करने के लिए सिविल न्यायालय में निर्देश आवश्यक है।[3] सादर निवेदन है कि श्री नारायण V. मु० गोरन के मुकदमें में दिया गया निर्णय अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है।

३. वास्तविक कब्जा—जहां वास्तविक कब्जे के आधार पर स्वामित्व के अधिकार का दावा किया गया जब कि अपील के स्मरण पत्र में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया तो राजस्व न्यायालय की अधिकारिता छीनने के प्रयास को अस्वीकार किया गया।[4]

४. व्यादेश (हुक्म इम्तनाई) के दावे—जहां स्थायी व्यादेश के दावे में वादी ने अपने को पिछले खातेदार का दत्तक पुत्र होना बताया तो उसकी हैसियत का प्रश्न गौण समझा गया और स्वामित्व के अधिकार से सम्बन्धित न माना जाकर प्रश्न को सिविल न्यायालय में निर्देशित नहीं किया गया।[5]

२४०. धारा २३९ के अन्तर्गत अपीलों के लिये परिसीमा तथा न्यायालय शुल्क—पूर्ववर्ती अन्तिम धारा की उपधारा (४) तथा (५) के अन्तर्गत अपीलों के सम्बन्ध में परिसीमा की अवधि तथा न्यायालय-शुल्क वही होगा जो उन न्यायालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सिविल अपीलों के लिये तत्समय प्रावहित हो।

२४१. स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न के निर्णय-हेतु अभिलेख में सामग्री उपलब्ध न होने की दशा में, अपीलों के बारे में प्रक्रिया—यदि धारा २३९ की उप-धारा (४) तथा (५) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अपील में, अपील न्यायालय के समक्ष स्वामित्व के अधिकार के प्रश्न

---

1. किशन v. राजनार्थसिंह, 1955 R.D. 376.
2. श्रीनारायण v. मु० गोरन, 1965 R.R.D. 349.
3. रामचन्द्र v. गुलाब कंवर, 1965 R.R.D. 250.
4. नारायण v. विशनदास, 1965 R.R,D, 393,
5. श्रीमती गुलाब बाई v. चमनसिंह, 1966 R.R.D. 123.

के निर्णय-हेतु आवश्यक समस्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो तो, वह—

(क) या तो मामले को उस सिविल न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर सकेगा जिसने स्वामित्व के अधिकार के विषय में वाद-पद का निर्णय किया हो, या

(ख) उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में एक नया वाद-पद स्थिर करके उसे विचार हेतु किसी अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को निर्देशित (रेफर) कर देगा ।

सिविल न्यायालय में टिनेंसी के अधिकार का प्रश्न

२४२. सिविल न्यायालय में टिनेंसी के अधिकार की दलील पेश की जाने की दशा में प्रक्रिया—(१) यदि सिविल न्यायालय में कृषि-भूमि के सम्बन्ध में दायर किये गये किसी वाद में टिनेंसी के अधिकार सम्बन्धी कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाय और उस प्रश्न का निर्णय सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पहिले विनिश्चित नहीं किया गया हो तो, उक्त सिविल न्यायालय टिनेंसी के अधिकार की दलील पर एक वाद पद स्थिर करके अभिलेख को, केवल उसी वाद पद के निर्णय हेतु, समुचित राजस्व न्यायालय को प्रेषित कर देगा ।

स्पष्टीकरण—(१) टिनेंसी की उक्त दलील (प्ली) को जो स्पष्टतया स्वीकार करने योग्य न हो और केवल सिविल न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत करने के आशय से दी गई हो, टिनेंसी की दलील (plea) उत्पन्न करने वाली नहीं समझा जायेगा ।

(२) राजस्व न्यायालय यदि आवश्यक हो, वाद पद को पुनः स्थिर करने के बाद केवल उसी वाद पद का निर्णय करके अभिलेख को, अपने निर्णीत मत के साथ उस सिविल न्यायालय को वापिस भेज देगा जिसने उसे प्रेषित किया था ।

(३) सिविल न्यायालय, तब प्रेषित किये गये प्रश्न पर राजस्व न्यायालय के निर्णीत-मत को स्वीकार करते हुए, वाद का निर्णय करने के लिये अग्रसर होगा ।

(४) राजस्व न्यायालय का, उसे प्रेषित किए गए वाद पर निर्णीत-मत, अपील के अभिप्रायों के लिये, सिविल न्यायालय के निर्णीत-मत का अंग समझा जायेगा ।

टिप्पणी

१. विषय—धारा २३९ में वह प्रक्रिया बताई गई थी जो राजस्व न्यायालय में स्वामित्व के अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न होने पर काम में लाई जाती है। इस धारा में वह प्रक्रिया बताई गई है जबकि सिविल न्यायालय में कृषि-अधिकार (टिनेंसी) का प्रश्न उठाया जाय। चूंकि टिनेंसी सम्बन्धी अधिकार का प्रश्न केवल राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में है अतः सिविल न्यायालय को ऐसी सूरत में एक वाद-पद स्थिर करके उसे उचित निर्णय हेतु समुचित राजस्व न्यायालय में भेज देना चाहिए सिवा उन सूरतों के जबकि ऐसा प्रश्न सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा पहले ही तय कर दिया गया हो अथवा जब ऐसा प्रश्न केवल सिविल न्यायालय की अधिकारिता को बहिष्कृत करने के आशय से किया गया हो ।

राजस्व न्यायालय से अभिलेख भेजने से पूर्व सिविल न्यायालय को अपना समाधान इस विषय पर कर लेना चाहिए कि दावा वास्तव में कृषि भूमि से सम्बन्धित है।[1] सिविल न्यायालय को उन मामलों में, जो स्पष्टतः राजस्व न्यायालय की अधिकारिता में हो, कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं है। अतः जहां पर अनुतोष (दादरसी) का कोई अंश राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता हो तो उससे सम्बन्धित अंश को सिविल न्यायालय में पेश किए जाने वाले दावे से निकाल देना चाहिए।[2]

२. टिनेंसी अधिकार—यह प्रश्न कि आया कोई संयुक्त हिन्दू परिवार अथवा उसका कोई सदस्य आसामी है या नहीं—टिनेंसी अधिकार सम्बन्धी प्रश्न है।[3]

३. अपील—सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रश्न के विरुद्ध कोई अपील पेश नही की जा सकती है। इसके पश्चात् एक ही प्रतिकार (Remedy) शेष रह जाता है और वह यह कि सिविल न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री की अपील समुचित अपील न्यायालय में पेश की जाय और तब राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रश्न को चुनौती दी जाए।[4]

अधिकारिता सम्बन्धी विवाद

२४३. अधिकारिता के प्रश्न को हाई कोर्ट में निर्देशित करने की शक्ति—(१) जब किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को यह सन्देह हो कि आया वह किसी वाद, मामले, कार्यवाही, प्रार्थना-पत्र या अपील को ग्रहण करने में सक्षम है, अथवा आया उसे वादी, प्रार्थी या अपीलकर्ता को उस वाद, मामले, कार्यवाही प्रार्थना-पत्र या अपील को दूसरे प्रकार के न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देना चाहिये तो वह न्यायालय अभिलेख को, अपने सन्देह का कारण बतलाते हुए, हाई कोर्ट को प्रेषित कर सकेगा।

(२) जब कोई वाद, मामला, कार्यवाही, प्रार्थना-पत्र या अपील अधिकारिता के अभाव के कारण किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने पर, तत्पश्चात् दूसरे प्रकार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय तो उक्त दूसरे प्रकार का न्यायालय, यदि वह पूर्ववर्ती न्यायालय के निर्णीत मत से असहमत हो, अभिलेख को अपनी असहमति के कारणों का विवरण देते हुए, हाई कोर्ट को प्रेषित कर देगा।

(३) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, यदि न्यायालय कलक्टर के अधीनस्थ कोई राजस्व न्यायालय हो तो, कोई भी निर्देश इस धारा के पूर्वगामी प्राविधानों के अन्तर्गत कलक्टर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायगा।

(४) निर्देश हेतु, इस प्रकार प्रेषण किये जाने पर, हाई कोर्ट उक्त न्यायालय को, या

1. मुहम्मद मेंहदी v. जानकीदास, A.I.R. 1943 Oudh 307.
2. तदैव।
3. रामकरण v. पशनन्दन, 1944 R.D. 58.
4. किशनचंद v. मुकुन्द स्वरूप, A.I.R. 1931 All. 91.

तो मामले में आगे कार्यवाही करने को या उक्त वाद, प्रार्थना-पत्र या अपील को ऐसे अन्य न्यायालय में, जिसे वह उक्त मामले पर विचार के लिये सक्षम घोषित करे, प्रस्तुत करने के लिये लौटा देने की आज्ञा दे सकेगा।

(५) हाई कोर्ट की आज्ञा अन्तिम होगी और उन समस्त न्यायालयों द्वारा मान्य होगी जो हाई कोर्ट अथवा बोर्ड के अधीनस्थ हों।

टिप्पणी

इस अधिनियम के निर्वचन के सिलसिले में अधिकारिता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय को अंतिम प्राधिकार दे दिया गया है। इस धारा के अन्तर्गत किसी विधिक प्रश्न पर उच्च न्यायालय में निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जा सकता परन्तु अभिलेख को इस प्रकार का निदेश (डाइरेक्शन) प्राप्त करने के लिए प्रेषित कर देना चाहिए कि आया न्यायालय को वाद में कार्यवाही जारी रखनी चाहिए अथवा वाद पत्र (प्लेंट) को लौटा देना चाहिए।[1] यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां कि दावा राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकारिता के अभाव के आधार पर अस्वीकार (रिजेक्ट) कर दिया जाए और उसे बाद में सिविल न्यायालय में पेश किया जाए और वह न्यायालय राजस्व न्यायालय के निर्णय से असहमत हो।[2] इस धारा में अन्य न्यायालय में निर्देश (रेफरेंस) के लिए प्रावधान किया गया है न कि मुकदमों के अंतरण के लिए। हाई कोर्ट का काम अधीनस्थ न्यायालयों को सलाह देना नहीं है। जब अधीनस्थ न्यायालय वाद पद (तनकी) बनाने में ही गलती करें तो निर्देश (रेफरेंस) नहीं किया जा सकता।[3] जहां अपील में अतिरिक्त कमिश्नर ने यह तय किया कि दावा सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय था और उस न्यायालय में पेश करने को दावा लौटा दिया तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अतिरिक्त कमिश्नर की आज्ञा उचित नहीं थी और उसको हाई कोर्ट में निर्देश (रेफरेंस) करना चाहिए था।[4]

२४४. अपील में यह दलील(plea)पेश करना कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था—जब सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये गये किसी वाद में, अपील सिविल न्यायालय में होती हो तो यह आपत्ति कि वाद गलत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, अपील न्यायालय द्वारा नहीं सुनी जायेगी जब तक कि वह आपत्ति (objection) प्रथम न्यायालय में ही नहीं उठाई गई हो, और *अपील-न्यायालय, अपील का निर्णय इस प्रकार करेगा* मानो वह वाद सही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

टिप्पणी

इस धारा का विषय केवल उन्हीं वादों तक सीमित है जो कि राजस्व अथवा सिविल

1. परमेश्वरीदास v. ओग्गुनलाल, A.I.R. 1944 All. 81.
2. वीरेन्द्र किशोर v. गोकुल, 1949 A.L.J. 267.
3. कमर v. मुखा, 1960 R.L.W. 395.
4. राजकुमार राजेन्द्रसिंह v. गंगाबिशन, 1964 R.D. 150.

न्यायालय में पेश किए गए हों परन्तु जिनमें अपील केवल किसी सिविल न्यायालय में ही हो सकती हो।[1] अधिकारिता का दोष उन मामलों में नहीं मिटाया जा सकता जहां कि कोई वाद गलत तरीके से सिविल न्यायालय में पेश कर दिया गया हो और अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के पास उस राजस्व न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होती हो जिसके समक्ष कि वह पेश होना चाहिए था।[2] जहां दावा राजस्व न्यायालय में हो पेश किया गया हो तो यह धारा लागू नहीं होगी।[3] इस धारा के अंतर्गत इस प्रकार की उक्ति अपील में पेश करने की अनुमति नहीं दी जायगी कि किसी वाद पद को पहली अदालत द्वारा धारा २४३ (३) के नीचे कलक्टर को निर्देशित किया जाना चाहिए था।[4] इस धारा में अधिकारिता के सम्बन्ध में सीमावर्ती मामलों (border line cases) का निपटारा करने के लिए उत्तम प्रावधान है।[5]

२४५. *आपत्ति प्रथम न्यायालय में उठाई जाने की दशा में कार्य प्रणाली*—(१) यदि किसी ऐसे वाद में आपत्ति प्रथम न्यायालय में ही प्रस्तुत की गई हो और वाद के निर्णय-हेतु समस्त आवश्यक सामग्री अपील न्यायालय के समक्ष विद्यमान हो, तो अपील-न्यायालय अपील का फैसला इस प्रकार करेगा मानो वह वाद उपयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

(२) यदि अपील न्यायालय के समक्ष वैसी समस्त सामग्री विद्यमान न हो और वह मामले को लौटा दे या वाद पद स्थिर करके उन्हें विचार हेतु प्रतिप्रेषित करे या अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने की अपेक्षा करे तो वह अपनी आज्ञा को या तो उस न्यायालय को जिसमें वाद प्रस्तुत किया गया हो अथवा ऐसे न्यायालय को जिसे वह उस वाद पर विचार करने के लिये सक्षम घोषित करे, निर्देशित कर सकेगा।

(३) ऐसी आज्ञा के सम्बन्ध में इस आधार पर कि वह आज्ञा ऐसे न्यायालय को निर्देशित की गई है जो वाद पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है, कोई आपत्ति, अपील में या अन्यथा, न तो स्वीकार की जायगी न उठाई जायगी।

टिप्पणी

१. विषय—इस धारा को इससे पहिले वाली धारा के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह धारा २४४ का ही प्रति-अंश है। इस धारा के उपबन्ध उन दावों पर लागू होंगे जो गलती से सिविल न्यायालय में पेश हो गए हों।[6] यदि कोई दावा सिविल न्यायालय में

1. महादेव प्रसाद v. जोखनराम, A.I.R. 1947 Oudh 133.
2 सुराबत v. बकाती, A.I.R. 1948 Oudh 46.
3. अब्दुलहक v. पटेश्वरी प्रसाद सिंह, A.I.R. 1946 All. 294.
4. बाबूनन्दन सिंह v. घुनेश्वरसिंह, A.I.R. 1937 All. 105.
5. सईस-उन-निसा v. फिदा हुसेन, A.I.R. 1921 All. 112 : और छगनलाल v. सुगलाल, 1962 R.L.W. 349.
6. हामिद हुसेन v. बैलेस, A.I.R. 1944 All. 200.

पेश हो और उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होनी हो और डिस्ट्रिक्ट जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दावा राजस्व न्यायालय में पेश होना चाहिए था तो उसे दावे को खारिज नही करना चाहिए परन्तु अपील को उसी प्रकार निपटाना चाहिए मानो दावा सही न्यायालय में पेश किया गया था।[1]

२. धारा २४४ व २४५ में अन्तर—दोनों धाराओं का उद्देश्य सद्‌भावना पूर्वक की गई गलतियों से उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण करना है। यदि शुरू की प्रदानन में अधिकारिता सम्बन्धी आपत्ति नही उठाई गई हो तो अपील न्यायालय उसे अपील में नहीं उठाने देगा और अपील में निर्णय उसी प्रकार करेगा मानो वाद सही न्यायालय में पेश किया गया था। दूसरी ओर यदि ऐसी आपत्ति पहले ही उठाई गई थी तो अपील न्यायालय इस धारा के नीचे अग्रसर होगा। यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो सिविल एवं राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा पंक्ति में हों।[2]

अध्याय १६

विविध

२४६. राजस्व, लाभ इत्यादि की बकाया :—भूमि के लगान, या उसकी उपज में से लाभ की बकाया के रूप में किसी रकम का हक रखने वाला कोई-व्यक्ति उसे वसूल करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय :—इस धारा में प्रयुक्त शब्द 'कोई व्यक्ति' से अभिप्राय भूमिधारी या ठेकेदार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से है। यदि भू-राजस्व किसी ऐसे व्यक्ति ने भुगतान कर दिया है जो कि एक सहभागी नही है तो उसकी वसूली के लिए इस धारा के अंतर्गत वाद लाया जायगा।

२. प्रक्रिया :—इस धारा के अंतर्गत लाया जाने वाला वाद अनुसूची तृतीय के भाग प्रथम की मद संख्या ११ से शासित होता है। धारा २१७ (२) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसा वाद तहसीलदार के न्यायालय में पेश होगा।

जितनी रकम का दावा किया जाय उसके मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क लगेगा।

जिस दिन बकाया देय हो जाय उस दिन से तीन साल की मियाद होगी।

सहायक कलक्टर द्वारा दी गई डिक्री की पहली अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को और तहसीलदार की डिक्री की पहली अपील कलक्टर के यहां होगी। पहली सूरत मे दूसरी अपील बोर्ड को और दूसरी सूरत में राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां होगी।

---

1. बटाना कौर v. रामलगन, 2 R.D. 31.
2. सईद उलनिसा v फिदाहुसेन, A.I.R, 1921 All. 112.

अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण होगा।

२४७. भुगतान किये हुए राजस्व की बकाया के लिये वाद :—(१) कोई भू-सम्पत्ति-धारक जिसने सहभागी द्वारा देय राजस्व की बकाया का भुगतान किया हो उस भुगतान की रकम के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(२) कोई भी सहभागी जिसने भू-सम्पत्तिधारक या अन्य सहभागी द्वारा देय राजस्व बकाया का भुगतान किया हो इस प्रकार भुगतान की गई रकम के लिये उक्त भू-सम्पत्तिधारक, अथवा सहभागी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी

१. विषय :— इस धारा में सहभागियों द्वारा परस्पर वाद किये जाने का उपबन्ध है। यह सहभागियों को कानूनी अधिकार इस बात का देती है कि यदि किसी ने अपने सहभागियों की ओर से राजस्व की बकाया का भुगतान कर दिया हो अथवा उसे भुगतान करने को बाध्य किया गया हो तो वह अन्य सहभागियों से उस भुगतान की गई रकम की वापिस वसूली के लिए दावा कर सके और उसके इस प्रकार के कानूनी अधिकार पर इस बात का कोई असर नहीं होगा कि उसने लाभों का संग्रह कर लिया हो।[1] उपधारा (१) में बताया गया है कि यदि किसी भू-सम्पत्तिधारक ने अपने सहभागी की ओर से राजस्व का भुगतान कर दिया हो तो वह उस पर दावा कर सकता है और उपधारा (२) में दिया गया है कि यदि किसी सहभागी ने भू-सम्पत्तिधारक अथवा अन्य सहभागी की ओर से भुगतान कर दिया हो तो वह भी यथा स्थिति दावा कर सकता है। किसी सह-आसामी द्वारा दावा भी इसी धारा के अंतर्गत होगा।

२. मुजरा (Set off) का दावा (क्लेम):—इस धारा के नीचे मुजरा (Set off) का अभिवचन (प्ली) उठाया जा सकता है—परन्तु न्यायालय को उस पर विचार करना स्वीकार करने से पूर्व यह स्थापित कर दिया जाना चाहिए कि ऑर्डर ८ नियम ६ सि० प्र० सं० की सब आवश्यकतायें पूरी कर दी गई हैं।

३. प्रक्रिया :—उप धारा (१) व (२) के अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया के रूप में भुगतान की गई रकम की वसूली के लिए दावा अनुसूची तृतीय भाग नियम के मद संख्या १२ के द्वारा शासित होगा तथा धारा २१७ (२) के उपबन्धों के अध्यधीन तहसीलदार के न्यायालय में पेश होगा।

जितनी रकम का दावा किया गया हो उसके मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क लगेगा।

जिस दिन भुगतान किया गया हो उससे तीन साल की मियाद होगी।

अपील एवं पुनरीक्षण पूर्ववर्ती धारा की टिप्पणी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगा।

1. मोतीराम v. श्रीलाल, A. I. R. 1934 All. 634

+[२४८. इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद :—कोई इजारेदार या ठेकेदार, भू-सम्पत्तिधारक या उसके सहभागी या दोनों द्वारा देय राजस्व की बकाया के रूप में अपने द्वारा चुकाई गई किसी रकम की वसूली के लिये वाद दायर कर सकेगा और भू-सम्पत्तिधारक या किसी सहभागी द्वारा उसकी ओर से चुकाई गई किसी रकम की वसूली के लिये उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है ।]

२४९. हिसाब का निपटारा करने के लिये वाद :—कोई भी सहभागी, भू-सम्पत्तिधारक पर या किसी अन्य सहभागी पर हिसाब के निपटारे हेतु तथा लाभ में अपने हिस्से के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

टिप्पणी

१. विषय :—इस धारा के नीचे किया जाने वाला वाद हिसाब के लिए होता है अतः लेखों की जांच के पश्चात् यदि कोई रकम वादी के जिम्मे निकले तो उसके भी विरुद्ध डिक्री दी जा सकती है ।[1] यह वाद हिसाब फहमी के लिए होता है अतः लेखों की जांच के लिए प्रापक (रिसीवर) नियुक्त किया जा सकता है जो वादी व प्रतिवादी से लेखे (accounts) माग सकता है। किसी सहभागी के वारिस (Heir) अपने मृत पिता को देय लाभों के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।[2] इसी प्रकार अभि हस्तांकिती (Assignee) भी इस धारा के नीचे वाद ला सकते हैं।[3]

२. प्रारंभिक (इब्तदाई) डिक्री :—ऐसे वादों में लेखों की जांच के लिए प्रारंभिक डिक्री दी जायगी हालांकि ऐसा न करने पर अन्तिम डिक्री अवैध नही हो जाती यदि उससे पक्षकारो को कोई नुकसान नही हुआ हो ।[4]

३. प्रक्रिया :—इस धारा के अंतर्गत वाद अनुसूची तृतीय के भाग प्रथम के मद संख्या ३४ द्वारा शासित होंगे और धारा २१७ (२) के उपबन्धों के अध्यधीन तहसीलदार के न्यायालय मे पेश होगे। वाद में अनुतोष (दादरसी) का जो मूल्यांकन हो उसी के अनुसार न्यायालय शुल्क लगेगा। जिस दिन से लाभ वितरणीय हों उससे तीन साल की मियाद होगी। अपील और पुनरीक्षण धारा २४६ के अनुसार होंगे।

२५०. कुछ मामलो में पक्षों का संयोजन—धारा २४६ या धारा २४७ या धारा २४८ या धारा २४९ के अन्तर्गत किसी वाद में, वादी, कितने ही व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से वाद कर सकता है और ऐसे मामले की डिक्री मे यह निर्दिष्ट किया जायगा कि उक्त व्यक्तियों मे से प्रत्येक व्यक्ति किस सीमा तक उससे प्रभावित होता है ।

+ राज० अधि० २७ सन् १९५६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. ब्रिजलाल v. राजकुमार, 1944 R. D. 95
2. बीबी अफजल खातून v. मुहम्मद इसमाइलखान, 1942 A. W. R. 147
3. उपरोक्त
4. पांडुरंग v. गुनवंतराव, A. I. R. 1928 Nag. 299

२५१. रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार (ईजमेण्ट) के अधिकार—+[(१) उस दशा में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने उक्त उपभोग में बिना उसकी सहमति के, विधि विहित प्रणाली से भिन्न तरीके से, बाधित किया जाय, तहसीलदार, उक्त रूपेण बाधित भूमिधारी के प्रार्थना-पत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात, बाधा को हटाये जाने की अथवा बंद किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा, दे सकेगा चाहे उक्त रूपेण पुनः उपभोग किये जाने के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाय।]

(२) इस धारा के अन्तर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या सुखाचार को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगी जिसके लिये वह सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत कर के दावा कर सकता हो।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा अधिनियम १२ सन् १९६१ द्वारा बिल्कुल नए रूप से बनाई गई है। पुरानी धारा में एवं इसमें कुछ अन्तर इस प्रकार हैं:—

(१) पहले वाली धारा तो अधिकार के विषय में विवाद होने पर ही काम में लाई जा सकती थी जब कि इसमें वास्तविक बाधा (disturbance) आवश्यक है।

(२) पिछली धारा का लाभ खेतों, बंजड़ भूमि के चरागाह या जल प्रवाह या स्त्रोत तक पहुंचने तक सीमित था, अब वह सब सुखाचारों एवं अधिकारों तक विस्तृत कर दी गई है।

(३) पिछली धारा में मान्यता प्राप्त रास्ते व सड़कें (वे भी जो बन्दोवस्त में दर्ज थे) अपवर्जित (excluded) थे अब उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है।

(४) पहले विवाद का निर्णय पुराने रिवाज और सुविधा के आधार पर किया जाता था अब उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(५) पहले तहसीलदार के लिए मौका देखना कानूनन आवश्यक था अब ऐसी बात नहीं है।

यह धारा भूतलक्षी नहीं है।

२. प्रक्रिया—इस धारा के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुसूची तृतीय के भाग द्वितीय के मद संख्या ८१ द्वारा शासित होंगे और तहसीलदार के सम्मुख पेश होंगे। न्यायालय शुल्क केवल ५० पैसे का होगा। मियाद कुछ नहीं है परन्तु आवेदन पत्र केवल विवाद उत्पन्न होने पर ही पेश होना चाहिए।

इस धारा के नीचे दी गई तहसीलदार की आज्ञा की अपील हो सकेगी। अपील

+ रा० प्र० १२ सन् १९६१ द्वारा प्रतिस्थापित।

कलक्टर के यहां होगी। दूसरी अपील नहीं होगी परन्तु बोर्ड द्वारा आज्ञा का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

३. ग्राम पंचायतों के अधिकार विषयक अधिसूचना—राजस्थान सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ ६ (४१) रे० बी/६० दिनांक १७-६-६१ के द्वारा इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाने का उपबन्ध कर दिया है परन्तु इससे तहसीलदारों की शक्तियां समाप्त नहीं हो गई हैं और अब उनको व ग्राम पंचायतों को इस धारा के सम्बन्ध में समवर्ती अधिकारिता (Concurrent Jurisdiction) है।

४. धारा सब प्रकार के मुआचारों व अधिकारों पर लागू है— अधिकारों के उपयोग में बाधा (disturbance) होने पर यह धारा सब प्रकार के मुआचार व अधिकारों पर लागू होती है। इसका प्रभाव केवल प्रार्थी के कब्जे वाली भूमियों तक ही सीमित नहीं है।[1]

२५२. आसामी, अवैध रूप से ली गई रकमों के लिये प्रतिकर (मुआवजे) का हकदार होगा—यदि कोई व्यक्ति—

(१) जानबूझ कर लगान या सायर की बकाया के रूप में वाजिब रकम या मात्रा से अधिक रकम या उपज वसूल करता है, या

(२) लगान की बकाया पर ब्याज इस अधिनियम द्वारा अनुमत दर से अधिक-दर पर लेता है, या

(३) धारा ३४ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या धारा ३४ और ३५ के उपबन्धो के अन्तर्गत नजराने (प्रीमियम) या उप—कर (cess)के रूप में ऐसी रकम वसूल करता है जो वसूल किये जाने योग्य नहीं है, या

(४) ऐसा लगान वसूल करता है जिसका भुगतान इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार माफ कर दिया गया है या स्थगन-अवधि की समाप्ति के पहिले, ऐसा लगान वसूल करता है जिसका भुगतान, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार स्थगित कर दिया गया है, या

(५) बिना किसी उचित कारण के, लगान या सायर, के खाते में, भुगतान की गई किसी रकम को, इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत जमा करता है,

तो, आसामी उस व्यक्ति से, उक्तरूपेण वसूल की गई, ली गई, अथवा जमा की गई रकम या उपज के मूल्य के अतिरिक्त, ऐसा प्रतिकर (मुआवजा) जो सौ रुपये से अधिक न हो, तथा जिसकी कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, डिक्री पारित करे, वसूल करने का अधिकारी होगा।

टिप्पणी

१. विषय—यह धारा आसामियों के संरक्षण के लिए बनाई गई है और इसके उपबन्ध बाध्यकर हैं। इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'लगान' में 'सायर' भी सम्मिलित है। फिर भी यह धारा अपूर्ण है। वसूली राजस्व न्यायालयों द्वारा करने के लिए स्पष्ट प्रावधान

1. बजेराम v. ओंकार 1965 R.R.D. 24.

होना चाहिए था।

२. प्रक्रिया-इस धारा के नीचे दिया गया प्रतिकार (Remedy) के लिए तहसीलदार के पास आवेदन पत्र देना चाहिए। ऐसा आवेदन पत्र तृतीय अनुसूची के भाग २ के मद संख्या ८२ द्वारा शासित होगा परन्तु यह धारा २१७ (२) के अध्यधीन होगा।

ऐसे आवेदन पत्र पर ५० पैसे न्यायालय शुल्क लगेगा। मियाद कुछ नहीं है।

तहसीलदार, या यथास्थिति, सहायक कलक्टर की आज्ञा के विरुद्ध एक ही अपील दी गई है। अपील में कलक्टर, या यथास्थिति, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध पुनरीक्षण बोर्ड में होगा।

२५३. रसीद देने में विफलता—(१) जब लगान की बकाया-हेतु किसी वाद में, न्यायालय को यह मालूम पड़े, कि राज्य सरकार के सिवाय अन्य किसी भूमिधारी ने, बिना उचित कारण के, धारा १३५ द्वारा निर्धारित तरीके से आसामी को रसीद देने से इन्कार किया है अथवा लापरवाही की है या रसीद तैयार करने या उसकी दूसरी परत (काउण्टर फॉयल) तैयार करने या रखने में लापरवाही की है तो न्यायालय आसामी को ऐसा मुआवजा दिला सकता है जो भुगतान किये हुए लगान की रकम या मूल्य के दुगुने से अधिक न हो एवं जिसके लिये कि वह डिक्री पारित करे।

(२) यदि कोई व्यक्ति, धारा १३५ के उपबन्धों के अनुसार रसीद देने से अभ्यस्ततया मना या लापरवाही करता है तो वह दण्ड न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष होने पर ऐसे जुर्माने का भागी होगा जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं हो।

टिप्पणी

उपधारा (१) में राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य भूमिधारी द्वारा आसामी को रसीद न देने या नियमानुसार आचरण न करने पर आसामी को प्रतिकर (मुआवजा) दिलाये जाने का प्रावधान है और उपधारा (२) में किसी भूमिधारी द्वारा आदतन ऐसा करने पर फौजदारी न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाने का प्रावधान है।

२५४. इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्य का संरक्षण—(१) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत किये गये, अथवा आशयित किसी कार्य के कारण कोई वाद या अन्य, विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(२) इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना से किये गये किसी कार्य या सद्भावना से किसी कार्य को करने का आशय रखने के लिये कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

२५५ खर्चों आदि की वसूली—इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत, राज्य सरकार को देय समस्त स्थानीय कर, खर्चे, ब्याज, चार्ज, फार्से, जुर्माने, शास्तियाँ, मुआवजे, और अन्य रकमें, जब तक उनके विषय में विशेष रूप से अन्यथा उपबन्ध नहीं कर दिया गया

हो, राजस्व की बकाया की तरह वसूल किये जायेंगे।

२५६. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित दशा के अतिरिक्त, इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों से पैदा होने वाले किसी भी मामले जिसके प्रतिकार स्वरूप उससे वाद, प्रार्थना-पत्र, अपील या अन्य रूप में उपबन्धित की हुई है, के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(२) ऊपर बताये गये अनुसार के अतिरिक्त, इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश पर किसी सिविल न्यायालय में, कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

टिप्पणी

१. विषय—धारा २०७ में बताया गया है कि अनुसूची तृतीय में विनिर्दिष्ट वादों व आवेदनों के लिए केवल राजस्व न्यायालय को ही अधिकारिता (Jurisdiction) होगी। इस धारा में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता उन सब मामलों में भी वर्जित कर दी गई है जिनके लिए वाद, आवेदनपत्र, अपील इत्यादि के द्वारा कोई प्रतिकार बताया गया है। इस प्रकार जहा तक अनुसूची तृतीय मे बताए गए मामलो के निर्णय का एक मात्र अधिकार केवल राजस्व न्यायालयों को दिया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग से मना कर दिए जाने पर भी ऐसे मामलों में सिविल न्यायालयों को अधिकारिता नहीं मिल जाती।[1]

२. उपधारा (२)—इस उपधारा में राज्य सरकार, उसके अधिकारियों तथा राजस्व न्यायालयों को संरक्षण प्रदान किया गया है। परन्तु इससे हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि ग्रामा राजस्व न्यायालयों ने अपने कार्य कानून के प्रावधानों के अनुसार किए हैं या नहीं।[2]

२५७ सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धो को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, शासकीय राजपत्र + में अधिसूचना के जरिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त विषयो की या उनमे से किसी के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्

---

1. सुन्दरलाल v. कफायत हुसेन, 1924, 7 R. D. 529
2. मौंगाप्पा का मुकदमा, A. I. R. 1940 रंगून 84

+ रा० अ० २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

[१] इस अधिनियम के अन्तर्गत देय शुल्क (फीस)

[२] × × × ॐ

[३] पट्टों, प्रतिरूपों और इकरारनामों का प्रमाणीकरण,

[४] × × × ॐ

[५] कोई भी विषय जिसको, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके लिये उक्त किसी उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों।

२५८. बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति—(१) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, तथा [शासकीय राजपत्र] + में अधिसूचना के जरिये, इस अधिनियम की तथा धारा २५७ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की संगति में, नियम बना सकती है।

(२) ऐसे नियम विशेषतः तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव हुये बिना निम्नलिखित के लिये उपबन्ध कर सकते हैं—

[१] लगान के निर्धारण, वृद्धि, कमी तथा परिवर्तन करने में अफसरों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

[२] इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों तथा प्रार्थना-पत्रों का निर्णय करने वाले अफसरों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

[३] इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों तथा प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अनुकरणीय प्रणाली के विषय में,

[४] राजस्व न्यायालयों द्वारा मामलों के अन्तरण के विषय में,

[५] जिन व्यक्तियों के समक्ष तथा जिस रीति से शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं और जो मामले शपथ-पत्रों द्वारा साबित किये जा सकते हैं उनके विषय में,

[६] भूमि के जिस भाग से आसामी को बेदखल किया जाना है उसका जिन सिद्धान्तों पर निश्चयन हो सकता है उन सिद्धांतों और वैसे भाग के सीमा-बंधन (*demarcation*) के विषय में,

[७] इस अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अन्तर्गत लगाये गये जुर्मानों, निर्णीत मुआवजा या भुगतान करने के लिये आदेशित रकमों, नुकसानों, अथवा अन्य रकमों की वसूली के लिये,

[८] लगान-दर पदाधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

[९] भूमि में या भूमि के किसी भाग में आसामी के निहित हित के विक्रय द्वारा लगान की बकाया की डिक्री का निष्पादन करने में अफसरों के पथ-प्रदर्शन के लिये,

---

ॐ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा विलुप्त।

\+ राजस्थान अधिनियम संख्या २ सन् १९५८ द्वारा प्रतिस्थापित।

[१०] ऐसे सब मामलों के लिये जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत विहित किये जा सकते हैं या किये जाने अपेक्षित हैं या जिनके लिये ऐसे किसी उपबंध द्वारा, राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा नियम बनाये जा सकते हों या बनाये जाने अपेक्षित हों, और

[११] इस अधिनियम के उपबन्धो तथा धारा २५७ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को सामान्य रूप से कार्य रूप में परिणित करने के लिये।

२५९. नियमों का पूर्व-प्रकाशन की शर्त के अधीन होना— (१) धारा २५७ और २५८ के अन्तर्गत बनाये गये समस्त नियम उनके पूर्व-प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे तथा जनरल क्लॉजेज एक्ट १८९७ (सेण्ट्रल एक्ट १०, सन् १८९७) की धारा २३ के खण्ड (३) के अन्तर्गत निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख व उस तारीख से जिसको प्रस्तावित नियमों का अन्तिम प्रारूप प्रकाशित किया जाय, कम से कम एक माह आगे की होगी।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियम, निर्मित हो जाने के पश्चात्, यथा सम्भव, शीघ्र, किन्तु कम से कम १४ दिन पहिले राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

+[२६०. अपवाद—इस अधिनियम में अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमो में कोई बात किसी रूप में राजस्थान भू-दान एक्ट १९५४ (राजस्थान एक्ट १६, सन् १९५४) के उपबन्धों तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमो मे या उन उपबन्धो के अन्तर्गत या उनके अनुसार की गई या की हुई समझी गई बात को प्रभावित नहीं करेगी।]

टिप्पणी

यह धारा प्रथम संशोधन, १९५६ के द्वारा निविष्ट की गई थी। भूदान अधिनियम अपने विषय पर संपूर्ण कानून है, जिसके बनाने का उद्देश्य भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है। उक्त अधिनियम के द्वारा भूमि का स्वामी अपनी भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड को दान दे सकता है—तत्पश्चात् उस भूमि का स्वामित्व उस बोर्ड में निहित हो जायगा। भूदान यज्ञ बोर्ड ऐसे एकत्रित भूमि को वितरित करने में समर्थ होगा।

+ राज० अधि० संख्या २७ सन् १९५६ द्वारा निविष्ट।

प्रथम अनुसूची

विखण्डित की गई अधिनियमितियों का सूची

[देखिये धारा ३ (१)]

क्रम सं०	अधिनियमिति का संक्षिप्त शीर्षक	विखण्डन की सीमा
१	२	३
१.	बून्दी टिनेंसी एक्ट—सम्पूर्ण	
२.	बीकानेर टिनेंसी एक्ट १९४५ - सम्पूर्ण	
३.	मारवाड़ टिनेंसी एक्ट १९४६—सम्पूर्ण	
४.	जयपुर टिनेंसी एक्ट १९४.—सम्पूर्ण	
५.	जयपुर स्टेट ग्रान्ट्स लेण्ड टेन्योर्स एक्ट १९४७—	पैमायश, रेकार्ड व बन्दोबस्त से सम्बन्धित उपबन्धों के अलावा सम्पूर्ण।
६.	राजस्थान रिमूवल ऑफ ट्रीज (रेग्यूलेशन) आर्डिनेंस १९४९—सम्पूर्ण	
७.	राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेंट्स आर्डिनेंस १९४९—सम्पूर्ण	
८.	राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेंट्स आर्डिनेंस (एमेण्डमेंट) एक्ट १९५२ - सम्पूर्ण	
९.	राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टिनेंट्स) एमेण्डमेण्ट एक्ट १९५४—सम्पूर्ण	
१०.	राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस् (प्रोसीजर एण्ड जुरिसडिक्शन) एक्ट १९५१—	पैमायश, रेकार्ड व बन्दोबस्त से सम्बन्धित उपबन्धों के अलावा सम्पूर्ण।
११.	राजस्थान प्रोड्यूस रेण्टस् रेग्यूलेटिंग एक्ट १९५१—सम्पूर्ण	
१२.	राजस्थान एग्रीकल्चरल रेण्ट्स कन्ट्रोल एक्ट १९५४—सम्पूर्ण	

द्वितीय अनुसूची

जागीर-भूमि के भोगाधिकार

[देखिये धारा ५ का खण्ड (२२)]

क्रम सं०	भोगाधिकार	क्रम सं०	भोगाधिकार
१	२	३	४
१.	जागीर	२.	इस्तमरार
३.	चकोती	४.	तनखा
५.	सूवा	६.	मामला
७	इनाम	८.	लानजी
९.	कांगी	१०.	अलूफा
११.	धौलपुर स्टेट के ठिकाने	१२.	खिदमत
१३.	खानपान	१४	जायदाद सीगह
१५	मुआफी	१६.	टाकेदार
१७.	भौम	१८.	तावाजी
१९.	चाकराना	२०.	पेट रोटी
२१.	राजवी	२२.	ताजीमी
२३.	भोगता	२४.	मुतसद्दी
२५	हजूरी	२६	दासन
२७	खवास पासवान	२८	रिसाला
२९	मर्जीदान	३०.	पट्टे
३१	उदक	३२.	गुजारा
३३	जूना जागीर	३४.	भोमिचारा
३५	पसायता	३६.	वाद
३७.	दुम्बा	३८.	डोली
३९.	मिलक	४०.	पुण्यार्थ
४ .	धर्मादा	४२.	इजारा इस्तमरार
४३.	बापोती	४४.	बख्शीश
४५.	राज्य द्वारा भूमि-अनुदान की कोई अन्य किस्म या भोगाधिकार ।		

तृतीय अनुसूची

अधिनियम के अन्तर्गत दावे, आवेदन-पत्र तथा अपीलें

[देखिये धारायें २०७, २१४, २१५ तथा २१७]

नोटः—इस अनुसूची में कोर्ट फीस एक्ट के निर्देशन केन्द्रीय विधान मंडल के कोर्ट फीस एक्ट १८७०, जैसा कि वह राजस्थान मे अनुकूलित किया गया है, के निर्देशन समझे जायेंगे।

क्रम संख्या	अधिनियम की धारा	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण	परिसीमा (मियाद) की अवधि	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है।	यथोचित न्यायालय शुल्क	न्यायालय अथवा अधिकारी जो निर्णय करने के लिये सक्षम है :
१	२	३	४	५	६	७
			भाग	१—वाद		
१	३२	पट्टा या उसकी प्रतिपरत पाने हेतु वाद	कुछ नही	कुछ नही	५० पैसे	सहायक कलक्टर
२		लोपित किया गया	कुछ नहो	कुछ नहीं	५० पैसे	सहायक कलक्टर
३	५१	भूमि क्षेत्र के विभाजन का वाद			५० पैसे	सहायक कलक्टर
४	५८	समर्पण के नोटिस को अमान्य कराने हेतु वाद	एक महीना	नोटिस मिलने की तारीख		
५	८८	वादी के हक की घोषणा का वाद— १—वतौर आसामी या २—वतौर आसामी खुदकाश्त या ३—वतौर गिरमी आसामी या ४—संयुक्त काश्तकारी में हिस्से के लिये	कुछ नही	कुछ नहीं	५० पैसे	सहायक कलक्टर

७ग	१६८ को ८ वें, १५ वें तथा १६ वें ग्रध्यायो के साथ पढ़ते हुए।	उपवन-धारियों द्वारा या उनके विरुद्ध अधिकारों की घोषणा तथा उन अध्यायो मे उल्लिखित विषयो के लिए वाद।	जैसा खातेदार आसामी,या भूमिधारी यथास्थिति, के सम्बन्ध मे होता है।	जैसा खातेदार आसामी या भूमिधारी यथा-स्थिति, के सम्बन्ध मे होता है।	जैसा खातेदार आसामी या भूमिधारी यथा-स्थिति, के सम्बन्ध मे होता है।	जैसा खातेदार आसामी या भूमिधारी यथा-स्थिति, के सम्बन्ध मे होता है।
८	१९९ को अध्याय ६ तथा १० के साथ पढ़ते हुए।	इजारेदार व ठेकेदारो द्वारा या उनके विरुद्ध धारा १९९ के उपबन्धो के अधीन अध्याय ९ तथा १० मे निर्धारित विषयों के सम्बन्ध मे वाद।	"	"	"	"
	२०२	इजारेदार या ठेकेदार की बेदखली के लिए वाद।	कुछ नही	कुछ नही	५० पैसे	सहायक कलक्टर
	२०३	इजारेदारो या ठेकेदारो द्वारा मुआवजे के लिए वाद।	१ साल	जब वाद का कारण उपस्थित हो।	जैसा कोर्ट फीस एक्ट में है।	"
	२४६	राजस्व लगान या मुनाफा की बकाया के लिए वाद।	३ साल	जब बकाया की रकम देय हुई हो।	"	तहसीलदार
	२४७	(१) सहभागी या (२) भू-सम्पत्ति-धारी के खाते मे राजस्व या लगान की बकाया के रूप में चुकाई गई रकम के लिए वाद।	"	जब भुगतान किया गया हो।	"	"

क्रम संख्या १	अधि-नियम की धारा २	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण ३	परिसीमा (मियाद) की अवधि ४	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है। ५	यथोचित न्यायालय शुल्क ६	न्यायालय अथवा अधिकारी जो निर्णय करने के लिए सक्षम है। ७
३३	२४८	इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध राजस्व या लगान की बकाया के रूप में दी गई रकम की वसूली का वाद।	३ साल	जब भुगतान किया गया हो।	जैसा कोर्ट फीस एक्ट में है।	तहसीलदार "
३४	२४९	हिसाब तय करने और मुनाफे के लिए वाद।	"	जब मुनाफा विभाजन-योग्य हो जाय।	"	"
३५	सामान्य	इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे अन्य मामले के लिए कोई वाद जिसकी इस सूची में अन्यत्र कहीं विशेषतः व्यवस्था न हो।	१ साल	जब दावे का कारण उत्पन्न हो।	५० पैसे	सहायक कलक्टर
		भाग २—	आवेदन-पत्र			
३५ क	१५ (३)	खातेदारी अधिकारों की समाप्ति की घोषणा के लिए आवेदन-पत्र।	३ साल	अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख	२५ पैसे	"
३५ ख	१५क(२)	"	४ साल	"	"	"
३६	१६ (२)	भूमि में खातेदारी अधिकार अवाप्ति की घोषणा के लिए आवेदन-पत्र।	२ साल	राज० टिनेंसी (संशोधन) अधि० १९५६ के प्रारंभ होने की तारीख से।	"	"

३६ का	१६ (४)	खुदकाश्त आसामी या शिकमी आसामी द्वारा आवेदन-पत्र कि वह खातेदारी अधिकार अवाप्त नहीं करना चाहता।	३ साल	राज॰ टिनेंसी (संशोधन अधि॰ १९५६ के प्रारंभ होने की तारीख से।	२५ पैसे	सहायक कलक्टर
३७	१० डा॰	उच्चतम सीमा से अधिक भूमि का समर्पण।	६ महीने	धारा १०३ (१) के अन्तर्गत अधिसूचित तारीख।	कुछ नहीं	तहसीलदार
३८	११	रिहायशी मकान के लिए स्थान मिलने के लिए आवेदन-पत्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२५ पैसे	"
३८ का	३३	पट्टों के प्रमाणीकरण हेतु आवेदन-पत्र।	४ महीने	सम्पादन की तारीख	"	सरकार द्वारा नियुक्त आफिसर या व्यक्ति। सब॰ डिवीजनल आफिसर।
३८ खा	३६ का	नालबट के अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र।	१ मास	राज॰ टिनेंसी (संशोधन) एक्ट १९५६ की प्रारंभ होने की तारीख।	५० पैसे	
३९	४९	चकबन्दी के निमित्त विनिमय हेतु आवेदन-पत्र।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"	सहायक कलक्टर
४०	६१ (१)	परित्याग की उद्घोषणा जारी करने के लिए आवेदन-पत्र।	"	"	"	तहसीलदार
४१	६२ (२)	परित्यक्त मानली गई भूमि पर पुनः कब्जा किए जाने व वापिस सौंपे जाने के लिए आवेदन-पत्र।	१ मास	उद्घोषणा का प्रकाशन की तामील की तारीख।	"	"
४१ का	६३ (२)	मुख्य आसामी के अधिकारों की अवाप्ति के लिए आवेदन-पत्र।	"	मुख्य आसामी के हित के अवसान की तारीख।	"	सब डिवीजनल अधिकारी।

क्रम संख्या १	अधि-नियम की धारा २	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण ३	परिसीमा (मियाद) की अवधि ४	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है। ५	यथोचित न्यायालय शुल्क ६	न्यायालय अथवा अधिकारी जो निर्णय करने के लिये सक्षम है। ७
४२	६७	सुधार करने की स्वीकृति के लिए भूमिधारी द्वारा आवेदन-पत्र।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२५ पैसे	तहसीलदार
४३	६९	आसामी द्वारा ऐसे सुधार जिन्हें भूमिधारी करना चाहता है, करने की इजाजत के लिए आवेदन-पत्र।	"	"	"	"
४३क	७२ का परन्तुक	लगान के अन्तर्वर्तन के लिए आवेदन-पत्र।	"	"	५० पैसे	एस.डी.ओ.
४४	७७	सुधारों की लागत के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन-पत्र।	६ महीने	काम समाप्त होने की तारीख	२५ पैसे	तहसीलदार
४५	७८	धारा ७८ में निर्दिष्ट प्रकार के सुधार सम्बन्धी विवाद के निर्णय हेतु आवेदन-पत्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं	"	सहायक कलक्टर
४६	७९ (२)	वृक्ष लगाने अथवा पहिले से ही लगाये हुए वृक्षों को हटाने का निषेध करने की आज्ञा के लिए आवेदन-पत्र।	"		"	तहसीलदार

४६का	८०	उन वृक्षो के लिए जो इस धारा के अन्तर्गत खातेदार आसामी में निहित हो गये हैं लेकिन जो किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति हैं, के मुआवजे के भुगतान हेतु आवेदन-पत्र ।	६ साल	अधिनियम के आरम्भ की तारीख ।	२५ पैसे	तहसीलदार
४६खा	८१	अनाधिवासित भूमि पर जो वृक्षों के स्वामी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को लगान पर दे दी गई है, खड़े वृक्षों के मुआवजा के लिए आवेदन-पत्र ।	२ साल	,,	,,	,,
४७	८४ (५)	वृक्ष हटाने के लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र ।	कुछ नही	कुछ नहीं	,,	एस.डी ओ.
४८ (१)	८५	धारा ८५ में निर्दिष्ट प्रकार के वृक्षों सम्बन्धी विवाद के निर्णय के लिए आवेदन-पत्र ।	,,	,,	,,	तहसीलदार
४८ (२)	८६	गैर कानूनन वृक्ष हटाने पर दण्ड दिये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट या आवेदन-पत्र ।	३ मास	अपराध की तारीख	,,	सहायक कलक्टर
४८का	१०२	वसूल करली गई अतिरिक्त रकम की वसूली के लिए आवेदन-पत्र ।	,,	वसूली की तारीख	,,	तहसीलदार
४८खा	१०३	लगान को परिवर्तित कराने के लिए आवेदन-पत्र ।	कुछ नही	कुछ नहीं	कुछ नही	,,

४९		× × ×			२५ पैसे	सहायक कलक्टर
५०		× × ×				
५१	११६	आंशिक बेदखली या समर्पण हो जाने पर लगान तय करने के लिए आवेदन-पत्र ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	५० पैसे	तहसीलदार
५२	११७ (१)	किसी फसल की उपज सम्बन्धी झगड़े के निबटारे का आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
५३	११७ (२)	लगान भुगतान करने की रीति सम्बन्धी विवाद के लिए पंच-निर्णय-हेतु आवेदन-पत्र ।	"	"	"	सहायक कलक्टर
५३क	११७ (३)	लगान को अन्तर्तरित करने के लिए आवेदन-पत्र ।	"	"	"	सहायक कलक्टर
५३ख	१२० व १२१	लगान की वृद्धि करने के लिए आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
५३ग	१२० व १२४	लगान में कमी करने के लिए आवेदन-पत्र ।	"	"	२५ पैसे	तहसीलदार
५४	१३९	लगान जमा कराने के लिए आवेदन-पत्र ।	"	"	"	"
५५	१४४ (१)	जमा शुदा रकम की वापिसी के लिए आवेदन-पत्र ।	"	"	"	

क्रम संख्या १	अधि-नियम की धारा २	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण ३	परिसीमा (मियाद) की अवधि ४	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है। ५	यथोचित न्यायालय शुल्क ६	न्यायालय अथवा अधिकारी जो निर्णय करने के लिये सक्षम है : ७
		[१] खण्ड (क) या (घ) के अन्तर्गत				
		(क) धारा ४६ में बताये गये व्यक्तियों में से किसी के द्वारा।	तीन वर्ष	अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख या निर्योग्यता समाप्त होने की तारीख, जो अनुवर्ती हो,	२५ पैसे	सहायक कलक्टर
		(ख) किसी अन्य स्थिति में —	"	अधिनियम लागू होने की तारीख।	"	"
		[२] खण्ड (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत—	१ वर्ष	जब वाद का कारण उत्पन्न हो।	"	"
६८का	१८२ ख	उस भूमि पर जिससे वह बेदखल किया गया है पुनः संस्थापित होने या उसमें खातेदारी अधिकारों के अर्जन हेतु आवेदन-पत्र।	३ वर्ष	वास्तविक बेदखली की तारीख।	५० पैसे	सब डिवीजनल आफिसर
६९	१८९	वापिस संस्थापित किये जाने के लिए आवेदन-पत्र।	३ महीने	अधिनियम के प्रारम्भ होने या अवैध बेदखली या कब्जा-विहीनता की तारीख।	"	सहायक कलक्टर

६९क	१८९	लगान की वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	५० पैसे	सहायक कलक्टर
७०	१९१	ग्राम सेवक द्वारा, आधिपत्य दिलाये जाने या पुनः स्थापित किये जाने के लिए आवेदन-पत्र।	६ महीने	कब्जा विहीन होने की तारीख।	२५ पैसे	तहसीलदार
७१	१९७ अध्याय ९ तथा १० के साथ पढ़ते हुए।	उपवनधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध लगान की वसूली के भुगतान के लिए आवेदन-पत्र।	जैसा खातेदार आसामी, या भूमिधारी यथ स्थिति, के सम्बन्ध में होता है।	जैसा खातेदार आसामी या भूमिधारी यथा-स्थिति, के सम्बन्ध मे होता है।	जैसा खातेदार आसामी या भूमिधारी, यथा-स्थिति, के सम्बन्ध में होता है।	जैसा खातेदार आसामी या भूमिधारी, यथा-स्थिति, के सम्बन्ध में होता है।
७२	विलोपित					
७३	१९५ अध्याय ११ के साथ पढ़ते हुए।	उपवन धारियों द्वारा या इनके विरुद्ध सुधार कार्यों के विषय में आवेदन-पत्र।	"	"	"	"
७४	१९८ अध्याय ११ के साथ पढ़ते हुए।	उपवन धारियों द्वारा या उनके विरुद्ध बेदखली के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र।	"	"	"	"
७४क	१९८का अध्याय८, १५ व १९ के साथ पढ़ते हुए।	उपवन धारियों द्वारा या उनके विरुद्ध अधिकारों की घोषणा तथा उन अध्यायों में उल्लिखित अन्य विषयों के लिए आवेदन-पत्र।	जैसा क्रम सं० २७ का में है।	जैसा क्रम सं० २७ का मे है।	जैसा क्रम सं० २७ का मे है।	जैसा क्रम स० २७ का में है।

क्रम संख्या	अधि-नियम की धारा	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण	परिसीमा (मियाद) की अवधि	वह समय जब से अवधि का आरम्भ होता है।	यथोचित न्यायालय शुल्क	न्यायालय अथवा अधिकारी जो निर्णय करने के लिये सक्षम है।
१	२	३	४	५	६	७
७५	१९९ अध्याय ९ तथा १० के साथ पढ़ते हुए	धारा १९९ के अधीन अध्याय ९ तथा १० में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में इजारेदारों या ठेकेदारों द्वारा या उनके विरुद्ध आवेदन-पत्र।	जैसा भूमिधारी के सम्बन्ध मे होता है।	जैसा भूमिधारी के सम्बन्ध में होता है।	जैसा भूमिधारी के सम्बन्ध में होता है।	जैसा भूमिधारी के सम्बन्ध में होता है।
७६		पुनरावलोकन (नजरसानी) के लिए—	६ महीने	डिक्री या आज्ञा की तारीख	जैसा कोर्ट फीस एक्ट में है।	
		(१) बोर्ड को आवेदन-पत्र। (२) अन्य राजस्व न्यायालयों को आवेदन-पत्र।	"	"	"	
७७		पुनरीक्षण (निगरानी) के लिए बोर्ड को आवेदन-पत्र।	कुछ नही	कुछ नहीं	दो रुपये	
७८		पुनरीक्षण (निगरानी) के लिए उक्त न्यायालय को आवेदन-पत्र।	"	"	"	
७९	[........]	धारा २३२ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग हेतु आवेदन-पत्र।	"	"	५० पैसे	
८०	[........]	हस्तान्तरण के लिए निम्नलिखित को आवेदन-पत्र :—				

		(१) सब डिवीजनल आफिसर को	कुछ नहीं	कुछ नहीं	२५ पैसे	
		(२) कलक्टर को	"	"	"	
		(३) × × ×				
		(४) बोर्ड को, या	"	"	एक रुपया	
		(५) उच्च न्यायालय को	"	"	जैसा कोर्ट फीस एक्ट में है।	
८१	२५१	रास्ते सम्बन्धी अधिकार या अन्य सुखाधिकार (easement) या अधिकार के झगड़ों सम्बन्धी आवेदन-पत्र।	"	"	५० पैसे	तहसीलदार
८२	२५२	अवैध वसूलियों के कारण मुआवजे के लिए आसामी द्वारा आवेदन-पत्र।	"	"	"	"
८३	सामान्य	डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन-पत्र।	जैसा सिविल न्यायालय की डिक्री के सम्बन्ध में होता है।	जैसा सिविल न्यायालय की डिक्री के सम्बन्ध में होता है।	"	न्यायालय जिसने डिक्री दी है।
८४	सामान्य	विचाराधीन वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र जब निम्नलिखित को प्रस्तुत किये जायें:—				

क्रम संख्या १	अधि-नियम की धारा २	वाद, आवेदन-पत्र या अपील का विवरण ३	परिसीमा (मियाद) की अवधि ४	वह समय जब से अवधि का प्रारम्भ होता है। ५	यथोचित न्यायालय शुल्क ६	न्यायालय अथवा अधिकारी जो निर्णय करने के लिये सक्षम है। ७
		(१) उच्च न्यायालय को	कुछ नही	कुछ नहीं	जैसा कोर्ट फीस एक्ट में है।	
		(२) बोर्ड को	"	"	एक रुपया	
		(३) अन्य, न्यायालयों को	"	"	२५ पैसे	
८५	सामान्य	इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र जिसकी इस सूची में अन्यत्र कहीं व्यवस्था नही की गई हो।	तीन साल	जब वाद का कारण उत्पन्न हो।	५० पैसे	सहायक कलक्टर

भाग ३— अपीलें

८६	× ×					
८७	× ×					
८८	× ×	मूल डिक्रियों की अपील निम्न-लिखित को करने के लिए:—				

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक [illegible] जनवरी १९५८ को प्राप्त हुई]

प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य की कतिपय राजस्व विधियों को आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने की व्यवस्था करने हेतु अधिनियम।

चूंकि नये राजस्थान राज्य जैसा कि स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन एक्ट १९५६ (सेण्ट्रल एक्ट सं० ३७ सन् १९५६) की धारा १० द्वारा निर्मित हुआ, की राजस्व विधियों में एकरूपता लाने के लिये यह इष्टकर है कि प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान टिनेंसी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३ सन् १९५५) और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) को नये राजस्थान राज्य के आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये व्यवस्था की जाय और तत्प्रयोजनार्थ तथा अन्य प्रयोजनों के लिये, जो इसमें आगे बताये गये हैं, इनमें उपयुक्त संशोधन किये जायं।

अतः राजस्थान राज्य के विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है—

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–(१) यह अधिनियम राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ कहलायेगा।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आयेगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(यह दिनांक १५-६-१९५८ से प्रभावशील हुआ)

२. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक विषय अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

[१] "नियत दिन" से अभिप्राय धारा १ की उपधारा (२) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिये नियत किये गये दिन से है।

[२] "राजस्थान राजस्व विधियों से अभिप्राय" प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रभावशील राजस्थान टिनेंसी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३, सन् १९५५) तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) से है।

३. राजस्थान राजस्व विधियों का विस्तार—नियत दिन को तथा उससे राजस्थान राजस्व विधियां ऐसी रीति से तथा ऐसी सीमा तक [illegible] धारा ४ तथा अनुसूची १ में उल्लिखित है।

४. राजस्थान राजस्व विधियों में सामान्य संशोधन—राजस्थान राजस्व विधियों में सर्वत्र, जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित हो उसे छोड़कर—

क्रम. संख्या	संहिता के उपबन्ध	परिवर्तन
		का नाम भी दिया जाय जिसमें वह भूमि जिसके सम्बन्ध में वाद या कार्यवाही है स्थित हो और जब तक उस भूमि का उचित रूप से दूसरे तरीके से वर्णन न किया जा सके हर एक खेत की क्रम संख्या भी लिखी जाय। अगर वाद, लगान की बकाया के लिए हो तो वाद-पत्र में हिसाब या ऐसा विवरण दिया जायगा जिसमें हर एक मांग जिसके सम्बन्ध में वाद हो, दिखाया जाय तथा वसूल हो चुकी रकम यदि कोई हो, और दातव्य रकम जिसकी प्रार्थना की गई है भी बताई जाय और अगर दावा या कार्यवाही किसी आसामी की बेदखली के लिए है तो वाद-पत्र या प्रार्थना-पत्र में ऐसा कारण या कारणों को बताया जायगा जिन पर ऐसी बेदखली का दावा किया है या आवेदन किया गया है।
८	आदेश २० रूल ६	लगान की प्रत्येक डिक्री में वह रकम भी ब्याज सहित बताई जायगी जो ऐसे प्रत्येक कृषि-वर्ष के लिए दातव्य हो जिसके बारे में सहायता दी जाय।
९	आदेश २१	डिक्री के किसी अभिहस्तांकिती (Assignee) द्वारा डिक्री की इजराय के लिए उस समय तक कोई प्रार्थना नहीं की जायगी जब तक कि उस भूमि जिसके सम्बन्ध में डिक्री हो, में भी हस्तांतरण-कर्ता का हित ऐसे अभिहस्तांकिती में निहित न हो गया हो अथवा निहित न हो जाय।
९ का	आदेश २१ रूल ११	उपनियम (१) तथा उपनियम (२) के खण्ड (ञ) का उप खण्ड (२) विलोपित किये जायेंगे।
९ खा	आदेश २१ रूल १०	शब्द 'निर्णीत-ऋणी के सिविल जेल में निरोध द्वारा या' तथा शब्द "या दोनों द्वारा" विलोपित किये जायेंगे।
१०	आदेश ४१ रूल १ को आदेश ४२ के साथ पढ़ते हुए।	इस नियम द्वारा अपेक्षित प्रतिलिपियों के अलावा दूसरी अपील के प्रत्येक ज्ञापन (मेमोरेण्डम) के साथ मूल न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि लगाई जायगी।
११		विलोपित किया गया।
१२		विलोपित किया गया।

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

अधिनियम संख्या २ सन् १९५८

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक ७ जनवरी १९५८ को प्राप्त हुई]

प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य की कतिपय राजस्व विधियों को आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने की व्यवस्था करने हेतु अधिनियम।

चूंकि नये राजस्थान राज्य जैसा कि स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन एक्ट १९५६ (केन्द्रीय एक्ट सं० ३७ सन् १९५६) की धारा १० द्वारा निर्मित हुआ, की राजस्व विधियों में एकरूपता लाने के लिये यह इष्टकर है कि प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान टिनेंसी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३ सन् १९५५) और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) को नये राजस्थान राज्य के आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये व्यवस्था की जाय और तत्प्रयोजनार्थ तथा अन्य प्रयोजनों के लिये, जो इसमें आगे बताये गये हैं, इनमें उपयुक्त संशोधन किये जायं।

अतः राजस्थान राज्य के विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है—

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(१) यह अधिनियम राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम १९५७ कहलायेगा।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव में आवेगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(यह दिनांक १५-६-१९५८ से प्रभावशील हुआ)

२. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक विषय अथवा प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

[१] "नियत दिन" से अभिप्राय धारा १ की उपधारा (२) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिये नियत किये गये दिन से है।

[२] "राजस्थान राजस्व विधियों से अभिप्राय" प्राक-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रभावशील राजस्थान टिनेंसी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३, सन् १९५५) तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५, सन् १९५६) से है।

३. राजस्थान राजस्व विधियों का संशोधन—नियत दिन को तथा तत्पश्चात राजस्व विधियां ऐसी रीति से तथा ऐसी सीमा तक संशोधित की जायेंगी जो धारा ४ तथा अनुसूची १ में उल्लिखित हैं।

४. राजस्थान राजस्व विधियों में सामान्य रूप भेद—राजस्थान राजस्व विधियों में सर्वत्र, जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित हो उसे छोड़कर—

मकान के निमित्त आवेदित भूमि ऐसे गांव में स्थित है जहां ग्राम-पंचायत नहीं है और अन्य दशाओं में ग्राम-पंचायत को प्रस्तुत किया जाना चाहिये और उसमें अपेक्षित भूमि तथा वह प्रयोजन जिसके लिये वह भूमि चाही जाती है स्पष्टतः प्रगट किया जाना चाहिये। प्रार्थी को यह भी चाहिये कि वह उस गांव में जिसमें कि वह मकान के निमित्त भूमि चाहता है, अपने भूमि-क्षेत्र का पूरा पूरा विवरण दे और यदि वह एक से अधिक गांवों में भूमि रखता हो तो उसे अपने समस्त भूमि-क्षेत्रों के विवरण देने चाहिये तथा वह गांव बता देना चाहिये जिसमें कि वह इस अधिनियम की धारा ३१ (१) द्वारा अनुमत रियायतों का फायदा उठाना चाहता है। प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र में यह भी स्पष्ट लिखना चाहिये कि जिस गांव में वह मकान के लिये भूमि चाहता है उस गांव की आबादी में उसके कब्जे में कोई मकान नहीं है।

८. क-कृषि-श्रमिक या दस्तकार द्वारा रिहायशी मकान के लिये भूमि स्थल हेतु आवेदन-पत्र—कृषि-श्रमिक अथवा दस्तकार द्वारा अपने रहने के मकान हेतु भूमि-स्थल के लिये आवेदन-पत्र 'प्रपत्र' 'क क' में होगा जो कि धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन होगा।

९. प्राप्त हुआ प्रत्येक प्रार्थना-पत्र एक पृथक मामले के रूप में पंजीयित किया जाना चाहिये और प्रार्थना-पत्र में दिये गये विवरणों की सत्यता तथा आवेदित भूमि के उपलब्ध हो सकने अथवा अन्यथा के बारे में हल्के के पटवारी से रिपोर्ट मांगी जानी चाहिये।

१०. इस तथ्य का कि प्रार्थना-पत्र एक भूमि विशेष के लिये दिया गया है, प्रार्थी के खर्चे पर गांव में ढिंढोरा पिटवा कर अथवा सार्वजनिक घोषणा की जाकर प्रकाशन किया जायगा और प्रपत्र "क" के अनुरूप एक नोटिस गांव के चौपाल पर तथा आवेदित भूमि पर १५ दिन की अवधि के लिये चिपकाया जाना चाहिये। नोटिस की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ ग्राम-पंचायत को भी, यदि कोई हो, भेजी जायगी।

११. पूर्वगामी नियम में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पहिले पटवारी प्रपत्र "ख" के अनुरूप अपनी रिपोर्ट नियम ८ के अधीन आवेदन-पत्र के बारे में तथा प्रपत्र 'क क' के अनुरूप एक रिपोर्ट नियम ८-क के अधीन आवेदन-पत्र के बारे में, मय नोटिस के जैसा कि प्रकाशित किया गया हो तथा उस नोटिस के प्रकाशन के एक प्रमाण-पत्र सहित उस भूमि-स्थल का सही नक्शा व खसरा पेश करेगा जिस पर उसके स्वयं के तथा गांव के पटेल या लम्बरदार के यथाविधि हस्ताक्षर हुए हों।

१२. पटवारी को चाहिये कि मंजूर किये जाने वाले भूमि-स्थल का एक नक्शा तैयार करे जिसमें दिखायें, सन्निकटस्थ भवन तथा ऐसे नाप (लम्बाई आदि) बताए हुए हों जो स्थल को अड़ोस-पड़ोस में स्थित स्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी चिन्हों से सम्पृक्त करते हों। उक्त सभी नाप भूमि-स्थल के रेखा-चित्र में बनाये जाने चाहिये और यह स्पष्टतया प्रगट हो जाना चाहिये कि रेखा-चित्र किस पैमाने पर बनाया गया है। पेंसिल से बने हुए रेखा-चित्र जो किसी पैमाने पर तैयार नहीं किये गये हों, स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए।

१३. (१) यदि कोई आपत्तियां प्राप्त हों तो तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत,

मामिति, को चाहिये कि पहिले उन आपत्तियों को सुनवाई करे और उनका निपटारा करे और यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हो तो तहसीलदार या ग्राम-पंचायत, यथास्थिति, मामले का निपटारा, निर्णय आज्ञा पारित करके, करे।

(२) अधिनियम की धारा ३१ की उप-धारा (२) के तथा नियम ८-क के अधीन प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की दशा में, यह जांच की जानी चाहिये कि क्या आवेदक उस उप-धारा के अन्तर्गत कृषि-श्रमिक अथवा दस्तकार है और उस गांव की आबादी में दस वर्ष अथवा अधिक समय से मुस्तकिल तौर पर रह रहा है।

१४. जो भूमि रेलवे की हद-बंदी से १०० गज की दूरी के भीतर है अथवा सरकार द्वारा संधारित सड़कों से ५० गज की दूरी के भीतर हैं आसामियों को रिहायशी मकानों के निमित्त आवंटित नहीं की जायेंगी। ऐसी भूमियां जो जयपुर सिटी की म्यूनिसिपल सीमाओं से बारह मील के घेरे में अथवा किसी कस्बे की सीमाओं से पांच मील के घेरे में स्थित हैं कमिश्नर की स्वीकृति के बिना आवंटित नहीं की जायेंगी।

१५. मकानों के लिये प्रीमियम (नजराना) मुक्त भूमि-स्थल नीचे लिखे पैमाने के अनुसार मंजूर किये जायेंगे—

(क) आसामी जो वार्षिक लगान १०० रुपया या अधिक अदा करता हो—	२५० वर्ग गज से अधिक न हो
(ख) आसामी जो वार्षिक लगान ५० रुपये से १०० रुपये तक अदा करता हो—	२०० वर्ग गज से अधिक न हो
(ग) आसामी जो वार्षिक लगान ५० रुपये से कम अदा करता हो—	१५० वर्ग गज से अधिक न हो।
(घ) कृषि श्रमिक अथवा दस्तकार को—	१५० वर्ग गज से अधिक न हो।

१६. उस दशा में जब कि आवेदित भूमि में पेड़ खड़े हों, पेड़ों की कीमत जो कि तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत, यथास्थिति, द्वारा नियत की जाय, आवेदक से भूमि का कब्जा देने के पहिले वसूल करली जानी चाहिये।

१७. भूमि-स्थल पर बनी हुई इमारत अथवा कुआ आदि की कीमत भी इसी प्रकार वसूल की जानी चाहिये।

अध्याय ९

अधिनियम की धारा ३२ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियम

१८. पट्टों (लीज) तथा उनकी प्रतिपर्णों के प्रपत्र—[illegible] तथा उनकी प्रतिपर्णें (काउन्टर पार्टस्) प्रपत्र 'ग' के अनुरूप होंगी और उनमें वे सभी विवरण होंगे जो उनमें दिये गये हैं।

वाले अनुमति पत्रों के लिये निम्नलिखित शुल्क होगा।

(१) विशिष्ट अनुमति-पत्र— कुछ शुल्क नहीं

(२) सामान्य अनुमति-पत्र— प्रति कुछ एक आना या प्रति एकड़ चार आने दोनों में से जो भी कम हो।

अध्याय ५--क

धारा ९८, ९९, १०० तथा १०४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम।

९५. क—जहां भू राजस्व निश्चित किया जा चुका हो उस दशा में अधिकतम लगान—नियम २५-ग के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां कहीं भू-राजस्व बन्दोबस्त के जरिये भू-सम्पत्तिधारकों पर नकद में निश्चित कर दिया गया है और उन भू-सम्पत्तिधारकों के आसामियों द्वारा लगान का भुगतान नकद में किया जाता है और ऐसे लगान का सेटिलमेंट द्वारा नकद में पहिले से निर्धारण या किसी सक्षम न्यायालय की डिग्री या आज्ञा द्वारा निश्चयन नहीं किया गया है तो ऐसे भू सम्पत्तिधारकों द्वारा ऐसे आसामियों से वसूल किया जाने वाला लगान ऐसे भू-राजस्व की राशि की दो गुना राशि से अधिक नहीं होगा।

९५. ख—उन क्षेत्रों मे जहां लगान निश्चित कर दिया गया है अधिकतम लगान—नियम ९५-ग के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जहां कहीं आसामियों द्वारा देय लगान बन्दोबस्त के जरिये नकद में निश्चित किया जा चुका है और लगान शिकमी-आसामियों द्वारा नकद में भुगतान-योग्य हो परन्तु ऐसे शिकमी-आसामियों द्वारा मुख्य आसामी (टीनेण्ट-इन-चीफ) को देय नकद लगान सेटिलमेण्ट विभाग द्वारा निर्धारित या किसी सक्षम न्यायालय की डिग्री या आदेश के जरिये अथवा उसके अन्तर्गत नियत नहीं किये गये है तो मुख्य आसामी द्वारा अपने शिकमी-आसामियों से वसूल किया जाने वाला लगान, उक्त रूप से निर्धारित या नियत किये गये लगान की राशि के दुगनी राशि से अधिक नहीं होगा।

२५. ग—कतिपय मामलों में उच्चतर अधिकतम लगान—जहां भू-सम्पत्तिधारक या आसामी जो उप पट्टे पर उठाता है, विधवा, या ऐसा विद्यार्थी हो जो आयु मे २५ वर्ष से कम हो और किसी मान्यता-प्राप्त विद्यालय मे अध्ययन कर रहा हो तो ऐसे भू-सम्पत्तिधारक द्वारा आसामी से या मुख्य आसामी द्वारा शिकमी-आसामी से वसूल किया जाने वाला लगान, भू-सम्पत्तिधारक की दशा मे निर्धारित भू-राजस्व के तीन गुने तक और आसामी जो शिकमी-पट्टे पर उठाता है की दशा में निर्धारित लगान के तीन गुने तक बढ़ाया जा सकता है।

२५. घ—जिन्सी लगान की अधिकतम दर—जहां लगान जिन्स मे देय हो, शिकमी-आसामी द्वारा, अवयस्क को या पागल को या मूर्ख को या ऐसी स्त्री को जो अविवाहिता हो या पति द्वारा तलाक दी हुई हो या पृथक कर दी गई हो अथवा ऐसे व्यक्ति को जो [illegible] या शारीरिक निर्योग्यता या कमजोरी के कारण अपनी भूमि मे काश्त करने में [illegible] ऐसे व्यक्ति को जो आयु में २५ वर्ष से अधिक नहीं है और जो किसी मान्यता

में विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा है, जिन्स में भुगतान किया जाने वाला अधिकतम लगान कुल पैदावार के १/४ तक बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय ६

अधिनियम की धारा १२६ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२६. कृषि सम्बन्धी आपत्तियां दो प्रकार की होती हैं (१) विस्तीर्ण और (२) स्थानीय/दुर्भिक्ष तथा अनावृष्टि व्यापक आपत्ति समझी जाती हैं और तुषारपात, रोली (rust) ओले पड़ना, टिड्डी व बाढ़ सामान्यतया स्थानीय अर्थात ऐसी आपत्तियां हैं जिनका असर सीमित क्षेत्र पर ही पड़ता है। कृषिक-आपत्ति के आपड़ने पर लगान का स्थगन/करके अथवा लगान की छूट करके, सहायता दी जाती है।

२७. क्या लगान-स्थगन की सिफारिश की जानी चाहिये इसका निर्णय करने के लिये सिद्धान्त—ऐसी आपत्ति की दशा में जो कि खरीफ को प्रभावित करे लगान-स्थगन काफी होगा परन्तु जब आपत्ति असाधारण रूप में हानिप्रद हो अथवा पूर्ववर्ती फसलों के नष्ट हो जाने से लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई हो अथवा खरीफ ही मुख्य या असाधारणतया महत्वपूर्ण फसल हो तो लगान की छूट के लिये सिफारिश की जा सकेगी।

जब आपत्तियों का प्रभाव रब्बी पर पड़े तो साधारणतया लगान की छूट का प्रस्ताव रखा जाना चाहिये। खरीफ की फसल को प्रभावित करने वाली कृषिक-आपत्ति के पड़ने पर साधारणतया लगान का स्थगन न कि छूट क्यों मंजूर किया जाता है इसका कारण यह है कि खरीफ की फसल (कपास को छोड़ कर) में साधारणतया लोगों के खाने के अनाज ही पैदा होते हैं जब कि रब्बी में नकद या लगान देने वाली फसलें होती हैं। इसलिये लगान के स्थगन या छूट के रूप में सहायता की मात्रा का निश्चयन करते समय यह आवश्यक है कि खरीफ व रब्बी की उपज के सापेक्ष महत्व पर ध्यान रखा जाय।

२८. शीघ्रता की आवश्यकता—यथासम्भव सहायता किसी व्यक्ति द्वारा उठाये गये नुकसान की अनुरूप होनी चाहिये। लेकिन आज्ञाओं के जारी करने में शीघ्रता का महत्व, नुकसान के अनुमान या हिसाब पूरी २ शुद्धता के साथ लगाने की अपेक्षा, कहीं अधिक है। विशेष रूप से उस दशा में जब कि वह क्षेत्र जिसमें नुकसान हुआ हो बहुत विस्तीर्ण हो तो भिन्न भिन्न फसलों को पहुंचे नुकसान में मामूली फर्क का ध्यान न रखते हुए नुकसान की औसत-दर मान ली जानी चाहिये।

२९. सहायता का पैमाना-लगान के रूप में दी जाने वाली सहायता और भूमि में हुए नुकसान के बीच पारस्परिक सम्बन्ध नीचे लिखी सारिणी से प्रकट होता है—

साधारण उपज को एक रुपया मान कर नुकसान की मात्रा आनों में बताई गई है।	लगान में सहायता प्रति रुपया आनों में बताई गई है।
१. छः आने से कम — —	कुछ नहीं

हुए नुकसान के अनुमान के आधार पर कृषकों को सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है और ऐसा करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता भी नहीं है। नुकसान का अनुमान खेतों के वर्गानुसार लगाया जाना चाहिये न कि अलग अलग खेतों के लिये। इसके लिये खेतों का वर्गीकरण भूमि की किस्म पर आधारित होना चाहिये। ऐसा हो सकता है कि असिंचित खेतों में नुकसान समान हुआ हो और सिंचित खेतों में भी, नुकसान, यदि कोई हो, समान ही हुआ हो तो ऐसी दशा में अनुमान प्रत्येक गांव में समूचे सिंचित खेतों में हुए नुकसान का तथा समूचे असिंचित खेतों में हुए नुकसान का अनुमान लगाया जाय। अन्य सूरतों में फसल के अनुसार नुकसान की मात्रा में अन्तर हो सकता है। यदि ऐसा हो तो प्रत्येक गांव हर फसल के अनुसार नुकसान का अनुमान लगाना होगा। यह भी आवश्यक हो सकता है कि न केवल फसलों में ही विभेद किया जाय बल्कि एक ही फसल के सिंचित व असिंचित खेतों में भी विभेद किया जाना चाहिये। अन्य सूरतों में, जैसे ओले या बाढ़ की दशा में, किसी गांव का एक भाग ही क्षतिग्रस्त हुआ हो अथवा भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग मात्रा में नुकसान हुआ हो। ऐसी दशा में यह आवश्यक होगा कि क्षतिग्रस्त भाग को या उन भागों को जिनमें नुकसान अलग अलग मात्रा में हुआ हो, गांव के नक्शे में चिन्हित कर दिया जाय और ऐसे भाग में या ऐसे प्रत्येक भाग में हुए नुकसान का अनुमान लगाया जाय। इस दशा में यह भी आवश्यक हो सकता है कि प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न फसलों के बीच भी विभेद किया जाय। आपत्ति से प्रभावित प्रत्येक गांव की दशा में कलक्टर द्वारा नुकसान की उस मात्रा के बारे में निश्चित आदेश दिये जाने चाहिये जिससे उस गांव के खेतों को विभाजित किये जाने वाले प्रत्येक वर्ग को नुकसान पहुंचा हो। यदि क्षतिग्रस्त क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हो तो इस प्रयोजन के लिये साधारणतया यह उचित होगा कि गांवों के समूह बनाये जायं। नुकसान का सविस्तार-हिसाब लगाने का प्रयत्न करने के पहिले यह अत्यावश्यक है कि नुकसान का निश्चयन करने के निमित्त वह तरीका निर्धारित कर लिया जाय जिसके अनुसार खेतों का वर्गीकरण किया गया हो। जब एक बार किसी प्राधिकारी द्वारा वर्ग निश्चित कर दिये जाय तो इस प्राधिकारी से नीचे श्रेणी के किसी प्राधिकारी को एक ही वर्ग के खेतों के बीच नुकसान के अनुमान में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(२) अपनाये जाने वाले वर्गीकरण का निश्चयन करते समय कलक्टर को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि नुकसान के आंकड़े केवल अनुमान पर ही लगाये जा सकते हैं और वर्गीकरण में अत्यधिक सावधानी बरतने से वर्गीकरण का उद्देश्य ही विफल हो सकता है क्योंकि ऐसा करने में सहायता सम्बन्धी विवरण-पत्र तैयार करने में असाधारण विलम्ब होगा जिससे कृषकों को कष्ट पहुंचता है।

(३) नुकसान के अनुमान तैयार करने में कलक्टर को यह ध्यान में रखना चाहिये कि सामान्य फसल अर्थात् वह फसल जिसमें मौसम के दौरान मामूली नुकसान हुआ हो और जो अपवाद स्वरूप अच्छी फसल न हो, साधारणतया १२-१३ आना फसल समझी जाती है। केवल उन्हीं वर्षों में फसल १६ आना मानी जाती है जिनमें फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे वर्ष अपवाद-स्वरूप होते हैं न कि सामान्य। फिर भी सामान्य फसल के बारे में हिदायतों के अनुसार यह धारणा की गई है कि सामान्य फसल १६ आना फसल है अर्थात् हिदायतों में नुकसान से तात्पर्य सामान्य नुकसान से है। जब तक कि सावधानी से काम नहीं लिया जाय

इससे नुकसान का अत्यधिक अनुमान लगाये जाने की सम्भावना है, विशेष रूप से उस दशा में जब कि नुकसान बहुत अधिक न हुआ हो।

(४) कलक्टरों को चाहिये कि कृषकों को होने वाले नुकसान का अत्यधिक अनावश्यक सावधानी के साथ अनुमान लगाने की मातहत कर्मचारियों की साधारण प्रवृत्ति को रोकें ताकि दूसरों को कोई उज्र करने का अवसर न मिले। सरकार कलक्टरों का ध्यान इस ओर अच्छी तरह आकर्षित कर देना चाहती है कि नुकसान सम्बन्धी अनुमानों की जांच वरिष्ट अधिकारी वर्ग द्वारा पूरी सावधानी से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि अनुमानों में अनावश्यक वृद्धि कराये जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि न हो।

१४. "सामान्य क्षेत्र"—(१) यदि आपत्ति ऐसी किस्म की हो जिससे बोया हुआ क्षेत्र कम हो जाय जैसा कि काद के मानसून से होने वाली वर्षा में कमी होने के कारण होता है, तो कृषक को हुए नुकसान का हिसाब लगाते समय, इस प्रकार घट गये क्षेत्र के बारे में अवश्य रियायत दी जानी चाहिये। सामान्य सिद्धान्त यह है कि ऐसा क्षेत्र जो बोया नहीं गया हो किन्तु यदि आपत्ति नहीं आती तो बोया जाता, के बारे में यह समझा जाता है कि उसमें १६ आना नुकसान हुआ है। यह निश्चय करना स्पष्टतया अत्यन्त कठिन है कि जो खेत किसी वर्ष में बोये नहीं गये हैं उनमें से कौन-से ऐसे हैं जो, यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो, बोये जाते। यह मालूम करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि प्रत्येक भूमि-खंड के बोये हुए क्षेत्र की तुलना उस भूमि-खंड के किसी सामान्य वर्ष में बोये हुए क्षेत्र से की जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस वर्ष में आपत्ति आई हो उस वर्ष की खतौनी की सामान्य वर्ष की खतौनी से विस्तृत तुलना की जाय जो एक कष्ट साध्य कार्य है और उसमें समय लगता है। बदलती हुई खेती वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। ऐसा तरीका जिसमें अपेक्षाकृत कम परिश्रम की आवश्यकता हो और जो अधिक सीधा हो यह है कि सामान्य वर्ष के साथ तुलना की जाकर सामान्यतः बोये जाने वाले क्षेत्रफल का प्रतिशत निश्चित कर लिया जाय और यह धारणा बनाली जाय कि जिस वर्ष में आपत्ति आई हो उस वर्ष में मौसम के सामान्य होने की दशा में प्रत्येक भूमि-खंड का यही प्रतिशत बोया जाता रहता।

(२) कलक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह निश्चय करे कि आया बोये हुए क्षेत्र में हुई कमी के कारण कोई रियायत दी जानी है और यदि दी जानी है तो यह निश्चय करे कि किस वर्ष को सामान्य वर्ष माना जाना चाहिये। यदि आपत्ति होती हो किन्तु बोये हुये क्षेत्र पर कोई प्रभाव न पड़ा हो अथवा उसका प्रभाव बहुत कम अर्थात् १० या १५ प्रतिशत से कम हो तो, कोई रियायत नहीं दी जायगी।

१५. प्रारम्भिक रिपोर्ट जो कमिश्नर को भेजी जायगी—(१) ज्योंही कलक्टर आपत्ति की किस्म तथा उसकी व्यापकता और उस कार्यवाही के बारे में जो इस सम्बन्ध में उसे करनी है निश्चय करले वह एक प्रारम्भिक रिपोर्ट कमिश्नर को प्रेषित करेगा। रिपोर्ट में स्थिति का दोनों दृष्टियों से, पूर्ण ब्योरा होगा- एक तो यह कि कितना क्षेत्र आपत्ति से प्रभावित हुआ है दूसरे यह कि सहायता का अनुमान लगाने की दृष्टि से वह क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। प्रत्येक वर्ग को पहुंचे नुकसान का अनुमान तथा जिन मामलों में

१० आना नुकसान हुआ है तो इससे यह समझा जायगा कि ½ एकड़ में ऐसी फसल है जिसको कोई हानि नहीं हुई है १½ एकड़ का कुल नुकसान हुआ है। यह १½ एकड़ का क्षेत्र "समवर्ती कुल हानि" का क्षेत्र है। यह सुनिश्चय करने के लिये कि कलक्टर की आज्ञाओं का पूरी तरह पालन किया गया है, इन इन्द्राजों की जाँच पर्याप्त संख्या में भूमि-अभिलेख के निरीक्षकों द्वारा भी जानी चाहिये। यह कार्य साधारणतया खसरे में उपलब्ध सूचना से पूरा किया जा सकेगा, लेकिन, उन मामलों में जिनमें गाँव का कुछ हिस्सा ओले, बाढ़ इत्यादि से हानिग्रस्त हो गया हो, नक्शे से मदद लेना आवश्यक होगा।

१८. निश्चित लगान देने वाले आसामियों के भूमि-क्षेत्रों में सहायता (रिलीफ) की गणना—(१) तत्पश्चात नीचे दिये गये प्रपत्र में रिलीफ खतौनी तैयार की जायेगी-रिलीफ खतौनी का उद्देश्य लगान में रिलीफ दिये जाने का ठीक प्रकार हिसाब लगाना है। इस गणना में सबसे पहिले रिलीफ खतौनी के स्तम्भ ५ में प्रत्येक खेत की समान कुल हानि वाले क्षेत्र का इन्द्राज किया जाय और इस स्तम्भ का मीजान लगाया जाकर प्रतिभूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) समवर्ती कुल हानि का क्षेत्र मालूम किया जाना चाहिये।

भूमि-क्षेत्र के कुल बोये हुए क्षेत्र को मालूम करने के लिये स्तम्भ ४ का भी मीजान लगाया जाना चाहिये। यदि क्षेत्र में कमी के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ हो, तो सम्पूर्ण भूमि-क्षेत्र में हुए नुकसान प्रति रुपया आनों में व्यक्त किया जाता है जिसके लिये 'समवर्ती कुल हानि' वाले क्षेत्र की तुलना भूमि क्षेत्र के उस क्षेत्र के साथ की जायगी जो कि आपत्ति-वर्ष में मौसम पर बोया गया था। इस प्रकार सामान्य उपज या प्रति रुपया आनों में नुकसान प्रकट किया जाता है। नकद लगान की दशा में मौसम पर लगान का समूचा मतालबा स्तम्भ १० में दर्ज किया जाता है और तब उस मौसम पर देय वास्तविक लगान की गणना, पैराग्राफ ३ में बताये गये एवं स्तम्भ ११ में लिखे गये पैमाने के अनुसार की जायगी।

रिलीफ खतौनी

सामान्य खतौनी में क्रम संख्या	कृषक का नाम व उसके पिता का नाम	खसरा नम्बर (खेत का)	क्षेत्र जो बोया गया
१	२	३	४

समान कुल हानि वाला क्षेत्र	मौसम में सामान्य क्षेत्र	क्षेत्र में हुई कमी	क्षेत्र में हुई कुल कमी और "समान कुल हानि" का क्षेत्र
५	६	७	८

मुश्तमान भानों में प्रति रुपया	मौसम पर लगान का मतालबा	मौसम पर देय लगान	विशेष विवरण
९	१०	११	१२

३९. इन्द्राजों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच—यह बड़े महत्व की बात है कि खसरा में "समवर्ती कुल हानि" के इन्द्राज की तथा खतौनी में किये गये इन्द्राज तथा गणना की अच्छी प्रकार पूरी पूरी और मुकम्मिल जांच की जाय; कारण कि उन्हीं पर नकद वास्तविक रिलीफ की मात्रा आधारित है। यद्यपि इन्सपेक्टर लैण्ड रेकार्डस इन्द्राज के सही होने तथा सही हिसाब लगाये जाने के लिये उत्तरदायी होगा तथापि कलक्टर को चाहिये कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा भी जांच करावे और उसके लिये उपयुक्त प्रतिशत निश्चित कर दे। सब-डिवीजनल अफसर यह देखे कि तहसीलदार तथा अन्य मातहत अधिकारियों द्वारा जो जांच की जाय वह वास्तविक तथा प्रभावकारी हो।

४०. एक-सी क्षति होने के कतिपय मामलों में रिलीफ खतौनी का आवश्यक न होना—यदि किसी गांव में सभी फसलों को एक सी ही क्षति पहुँची हो तो निस्सन्देह रिलीफ खतौनी तैयार किया जाना आवश्यक है क्योंकि उस दशा में रिलीफ का हिसाब नियम २९ में दी गई सारिणी के आधार पर लगाया जायेगा। परन्तु, असिंचित क्षेत्रों को छोड़कर, ऐसी स्थिति बहुत ही कम उपस्थित होती है जब तक कि क्षति बाढ़ के कारण न हो।

४१. शिकमी-आसामियों को रिलीफ—यदि शिकमी-आसामियों का क्षेत्र बहुत ही तो उन्हें भी सहायता उसी अनुपात में दी जा सकती है जिस अनुपात में मुख्य-आसामी को दी जाय।

अध्याय ७

अधिनियम की धारा १२७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४२. रसीद बहियां और तहसीलदार का उत्तरदायित्व—तहसीलदार सरकारी मुद्रणालय से भेजी गई रसीद बहियों (प्रपत्र-थ) को मय प्रतिपरतों के सुरक्षित रखने, उन्हें भूमिधारियों को बेचे जाने तथा उनको प्राप्ति व बिक्री का निर्धारित प्रपत्र में हिसाब रखे जाने के लिये उत्तरदायी होगा। वह यह भी देखेगा कि उसके पास हर समय उसकी तहसील की सामान्य आवश्यकता को पूरा करने के लिये रसीद बहियां पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं व यह कि रसीद बहियों के लिये इण्डेण्ट ठीक समय पर भेजे जायें तथा इण्डेण्ट अनुमानित या आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जायें और मुद्रणालय से प्राप्त हुई समस्त रसीद-बहियों और भूमि-धारियों को बेची गई रसीद-बहियों का इन्द्राज तुरन्त उस रजिस्टर में कर दिया जाय जो कि तत्प्रयोजनार्थ रखा गया हो और यह कि प्राप्ति तथा बिक्री सम्बन्धी सब इन्द्राज पर

क्षेत्र के बारे में नहीं होगा जो एक गांव से बड़ा हो। प्रत्येक गांव या गांव के हिस्से के लिये एक अलग प्रार्थना-पत्र होगा।

५२. अनुसूचियां जो प्रार्थना-पत्र के साथ लगाई जायेंगी—प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ दो पड़तों में अनुसूचियां लगाई जायेंगी जिनमें इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र "ब" में स्तम्भ १ से ६ तक अपेक्षित विवरण बताये जायेंगे जो ऐसे प्रत्येक दोषी (defaulter) व्यक्ति के संबंध में होंगे जिसके विरुद्ध आवेदक कार्यवाही कराना चाहता है। यदि दोषी-व्यक्ति एक से अधिक भूमि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में बकाया का देनदार है तो प्रत्येक ऐसा भूमि-क्षेत्र अलग अलग दिखाया जायगा।

५३. प्रार्थना-पत्र के साथ रसीद बही का प्रस्तुत किया जाना—प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ, अधिनियम की धारा १३७ के प्रावधानों के अन्तर्गत मुद्रित एक या अधिक रसीद-बहियां प्रस्तुत करेगा जिनमें बकाया को वसूली करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने के लिये पर्याप्त संख्या में रसीद के फार्म मय प्रतिपर्त होंगे।

५४. प्रार्थना-पत्र का सत्यापन—प्रार्थना-पत्र का सत्यापन सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ (सं० ५, १९०८) के आर्डर ६ के रूल १५ के अनुसरण में वाद-पत्रों (प्लीडिंग) के समान ही किया जायगा।

५५. प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही—पेश किये जाने के पश्चात तुरन्त ही प्रार्थना-पत्र को रखने हेतु एक मिसल (फाइल) खोली जायगी जिसमें विषय-सूची व आदेश-सूची संलग्न होंगे।

५६. अनुसूचि की कलक्टर द्वारा जांच—कलक्टर, भूमिधारी या पटवारी द्वारा लगान की वसूली के सम्बन्ध में रखे गये अभिलेख की जांच करके या किसी अन्य उचित तरीके से अनुसूचियों की जांच करेगा और इस बात से अपने आप को आश्वस्त करेगा कि अभ्यर्थित (claimed) रकम देय है और अनुसूचियों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे। कलक्टर यह भी देखेगा कि स्तम्भ ५ में बताई हुई ब्याज के तौर पर जो रकम चाही गई है उसकी गणना अधिनियम में निर्धारित ब्याज-दर (एक आना प्रति रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज) के अनुसार ठीक की गई है। स्तम्भ ३ से ६ तक में किये हुए इन्द्राज की जांच करने के बाद और उनमें ऐसे परिवर्तन, जिन्हें वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात, कलक्टर स्तम्भ ७ में वह रकम दर्ज करेगा जिसे वसूल किया जाना वह मंजूर करे।

५७. वसूली करने वाले कर्मचारीवर्ग—कलक्टर, तत्पश्चात अनुसूचियों को, रसीद बहियों के साथ, तहसीलदार को भेजेगा। तहसीलदार या तो स्वयं बकाया की वसूली प्रारम्भ करेगा अथवा यह काम किसी अन्य अधिकारी को सौंप देगा जो साधारणतया नायब-तहसीलदार या भू-अभिलेख निरीक्षक होगा। बकाया, राजस्व की बकाया की तरह, वसूल की जायेगी।

५८. अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग—कलक्टर, वसूली के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा।

५९. अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के खर्चे की सीमा—नियुक्त किये गये अतिरिक्त कर्मचारी

उसं की वर्षा साधारणतया मतालबे के ४ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये और किसी भी वर्ष में १ प्रतिशत से नहीं बढ़ना चाहिये।

६०. रसीद दिया जाना—जिस अधिकारी को वसूली का काम सौंपा जाय वह प्रत्येक देनी-व्यक्ति को उस रकम की जो उससे वसूल की गई हो एक रसीद उस बही या बहियों में से देगा जो कि प्रार्थी द्वारा नियम ५३ के अन्तर्गत पेश की गई हो।

६१. वसूल की बकाया की रकम का व्यवस्थापन—जिस तहसीलदार ने वसूली की हो, वह अपने द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत वसूल की गई रकम को, प्रार्थी अथवा उसके अधिकृत एजेन्ट को, यदि वह उपस्थित हो, लिखित रसीद लेकर दे देगा। यदि प्रार्थी या उसका अधिकृत एजेन्ट उपस्थित न हो, या वसूल शुदा रकम को लेना स्वीकार न करे, अथवा वसूली तहसीलदार या नायब तहसीलदार के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई हो तो, वसूल शुदा रकम, तहसीलदार के राजस्व न्यायालय की अमानत के रूप में ट्रेजरी में जमा करा दी जायेगी जो प्रार्थी को देय होगी और चालान फायल में लगा दिया जायगा। प्रार्थी को अन्तिम भुगतान करने के पहिले, वसूली का वह खर्चा जो कलक्टर ने धारा १६० की उप-धारा (५) के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया हो, काट लिया जायेगा और नियम ५२ के अनुसार फार्म "च" में तैयार की हुई डिगरदारी अनुसूचियों मे से एक सूची, जिसके सब स्तम्भों में इन्द्राज हो गये हों, प्रार्थी को दे दी जायगी।

६२. भुगतान की गई रकम का इन्द्राज कैश बुक में किया जाना—जब कभी रकम प्रार्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट को दी जाय या न्यायालय में जमा कराई जाय तो उसका इन्द्राज कैश बुक में किया जायगा जिसमें पाने वाले व्यक्ति का नाम तथा रकम बताई जायगी और उस इन्द्राज पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होंगे।

६३. हिसाब का मिलान—एकाउन्टेन्ट प्रपत्र (ज) में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें समय समय पर वसूल की गई समस्त रकमें दर्ज की जायेंगी, ऐसी सभी वसूलियों की सूचना अकाउन्टेन्ट को दी जायेगी।

६४. रकमों को वसूल करने वाला अधिकारी जब कभी तहसील में आवे या वसूली के पश्चात्, यथा सम्भव, शीघ्र, अपनी कैश बुक के इन्द्राज का मिलान अकाउन्टेन्ट द्वारा रखे गये रजिस्टर में की हुई प्रविष्टियों से किया जायगा

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १८० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियम

६५. खुदकाश्त व गैर खातेदार काश्तकारों अथवा शिकमी काश्तकारों को बेदखल करने की प्रणाली—अधिनियम की धारा १८० के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में, जहां ऐसे काश्तकार या शिकमी-काश्तकार, जिनको बेदखली के लिये भूमिधारी के डिक्री-पत्र दिया हो, एक

की चौपाल पर तथा जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस पर चिपकाया गया था।

हस्ताक्षर — हस्ताक्षर

साक्षी — पटेल या लम्बरदार — पटवारी

तारीख.....................

रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है—

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई आपत्ति पेश नहीं हुई है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास जो आपत्तियां पेश की गई हैं वे भी प्रस्तुत हैं, और नीचे लिखे अनुसार हैं—

तारीख...........१९...........

१—नाम गांव व तहसील

२—नाम आसामी (आवेदक) मय वल्दियत, जाति, उम्र तथा निवास

३—भूमि का विवरण

४—क्या आवेदक के पास गांव की आबादी में पहिले से कोई मकान है या नहीं

५—मोहल्ला (लोकेलिटी) का नाम

६—खसरा नं० तथा सेन/खेतों का नाम

७—भूमि की लम्बाई-चौड़ाई (फीट, इन्चों में)

उत्तर — दक्षिण — पूर्व — पश्चिम

८—कुल क्षेत्रफल (वर्गगज, वर्ग फीट में)

स्थायी चिन्ह — अर्द्ध-स्थायी चिन्ह

९—सीमा के चिन्ह

१०—अभिप्राय जिसके लिए भूमि चाहिए—अर्थात्

पक्का मकान/कच्चा मकान/पाटोड़/इकढालिया/मोहरा/बाड़ा

११—आपत्तियों का विवरण जो प्रस्तुत हुई हों, यदि कोई हों,

या

१२—पटवारी की रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रपत्र—ख-ख

पटवारी की रिपोर्ट

(देखिये नियम ११)

मुकदमा नं०.................१९.............

......आवेदन-पत्र, कृषि-कर्मकार अथवा गांव के दस्तकार द्वारा मकान के लिए भूमि दिये जाने हेतु।

आवेदक का नाम.................. ....

नोटिस दिनांक..............डोंडी पिटवाकर गांव में प्रकाशित किया गया था और गांव के चौपाल पर तथा जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि पर चिपकाया गया था।

तारीख

हस्ताक्षर पटवारी हस्ताक्षर लम्बरदार

रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई आपत्तियां पेश नहीं हुई हैं—

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास जो आवेदन-पत्र पेश हुए हैं वे प्रस्तुत हैं।

पटवारी

तारीख.........

१—नाम गांव व तहसील

२—आवेदक का नाम मय वल्दियत, जाति, उम्र, निवास स्थान

३ आया आवेदक के पास गांव की आबादी में पहिले से कोई मकान है या नहीं

४—आया आवेदक गांव में कृषि कर्मकार/दस्तकार अर्थात् लुहार, कारपेन्टर, मोची, कुम्हार, बुनकर के रूप में काम करता रहा है।

५—आया आवेदक गांव..............में पिछले दस या अधिक वर्षों से स्थायी तौर पर रहता रहा है

६—मोहल्ला (लोकैलिटी) का नाम

७—भूमि की लम्बाई-चौड़ाई (फीट व इन्चों में)

उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम

८—कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)

९ सीमा के चिन्ह—स्थायी

अस्थायी

१०—अभिप्राय जिसके लिए भूमि चाहिए अर्थात्

पक्का मकान/कच्चा मकान/पाटोड़/हकदासिया

११—आपत्तियों का विवरण जो पेश हुई हों, यदि कोई हो

१२—अन्य विवरण

१३—पटवारी की रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रपत्र—ग

(देखिये नियम १८)

पट्टे अथवा प्रतिपर्ण का नमूना

(देखिए धारा ३२)

श्री..............पुत्र श्री..............जाति..............आयु..............निवासी

प्रपत्र ङ

हिसाब का विवरण

राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा १३८ तथा उसके अधीन निर्मित राजस्थान टिनेंसी (सरकारी) नियमों का नियम ४७

आसामी का नाम मय वल्दियत	भूमि या सम्पत्ति का विवरण ताकि पहिचानी जा सके।	वार्षिक लगान या सायर	लगान या सायर की रकम, यदि कोई हो, जो प्रत्येक वर्ष तथा फसल की बाबत निकल रही हो।			ब्याज	विशेष विवरण
			वर्ष तथा फसल	रु०	पैसा		
१	२	३	४	५		६	७
योग................							
कुल योग........							

तारीख........ .. ..

न्यायालय की मुहर

हस्ताक्षर—भूमिधारी या एजेन्ट

प्रपत्र च

(नियम ५२)

क्रम संख्या	दोषी (बाकीदार) व्यक्ति का नाम व पता	बकाया लगान जो काबिल वसूल है।		ब्याज जो दातव्य है	रकम जो वसूल होती है। स्तम्भ ४ व ५ का योग	रकम जिसे वसूल किया जाना कलक्टर ने मंजूर किया	रकम जो वसूल हुई	विशेष विवरण
		वर्ष	रकम	रकम				
१	२	३	४	५	६	७	८	९

नोट—स्तम्भ १ से ६ तक प्रार्थी द्वारा भरे जायेंगे। (२) स्तम्भ ७ से ९ तक कलक्टर द्वारा भरे जायेंगे।

प्रपत्र छ

(नियम ६२)

कैश बुक

क्रम संख्या	काश्तकार का नाम मय क. स. जिस पर उसका नाम फार्म-ब में दर्ज है।	रकम जो वसूल की जानी है अर्थात् रकम जो फार्म ब के स्तम्भ ७ में दर्ज है	रकम जो वसूल हुई	तारीख वसूली	रसीद जो दी गई उसका नम्बर	रकम जो बाकी रही	रकम जो प्रार्थी को या उसके अधिकृत एजेण्ट को दी गई मय तारीख जिसको दी गई		पाने वाले का नाम	रकम जो ट्रेजरी में जमा कराई गई मय तारीख		विशेष विवरण
							तारीख	रकम				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३

प्रपत्र ज

(नियम ६३)

रजिस्टर जिसे एकाउण्टेण्ट रखेगा

क्रम संख्या	जिला	गांव का नाम	नाम थोक व पट्टी	कुल रकम जो वसूल होनी है	रकम जो वसूल हुई	तारीख	रकम जो बाकी रही
१	२	३	४	५	६	७	८

(२) मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र स्वयं भूमिधारी द्वारा या तो सबडिवीजनल अधिकारी को पेश किया जा सकता है या अधिकृत एजेण्ट के जरिये पेश किया जा सकता है या रसीदी रजिस्टर्ड डाक के जरिये भेजा जा सकता है।

५ धारा २० (२) के अन्तर्गत नोटिस का प्रपत्र—आसामी को धारा २० (२) के अन्तर्गत जारी किया जाने वाला नोटिस प्रपत्र 'ञ' में होगा।

६. सुधारों का मूल्य निश्चित करने में अन्य विचारणीय मामले—सबडिवीजनल अधिकारी, सुधारों का मूल्य निश्चित करने में, अधिनियम की धारा २४ में वर्णित मामलों के अतिरिक्त, सुधार किये जाने में आसामी द्वारा दिये गये रुपये व शारीरिक-श्रम के योगदान को भी ध्यान में रखेगा।

७. विलोपित

८. नालबट के अधिकार की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र—(१) धारा ३६-क के अन्तर्गत नालबट के अधिकार को प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र प्रपत्र 'ट' में होगा और आवेदक आवेदन-पत्र की उतनी प्रतियां पेश करेगा जितने व्यक्तियों में नालबट वसूल करने का अधिकार निहित हो।

(२) आवेदन-पत्र सबडिवीजनल अधिकारी को आसामी द्वारा स्वयं या अधिकृत एजेण्ट के जरिये पेश किया जा सकता है अथवा रसीदी रजिस्टर्ड डाक के जरिये भेजा जा सकता है।

६. धारा ३६-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस—धारा ३६-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत नोटिस प्रपत्र "ठ" में होगा और नोटिस की एक प्रति भूमिधारी पर तामील की जायगी।

१०. धारा ३५-क (२) के अन्तर्गत मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र—प्राप्य नालबट वसूल करने का अधिकार जिस व्यक्ति में निहित हो उसे देय मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र प्रपत्र 'ड' में पेश किया जायगा और तीन प्रतियों में होगा।

मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र सबडिवीजनल अधिकारी को या तो स्वयं या अधिकृत एजेण्ट के जरिये दिया जा सकता है अथवा रसीदी रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है।

११. नालबट के अधिकार की अवाप्ति का प्रमाण पत्र प्रपत्र "ढ" में होगा।

अध्याय ३

अधिनियम की धारा ४८-५२ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

१२. आवेदन-पत्र के साथ पेश होने वाले दस्तावेज—अधिनियम की धारा ४६ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण होगा—

(१) जिन भूमि-क्षेत्रों को आवेदक लेना चाहता है तथा जिनमें उसने कृषि की है एवं बदले में देना चाहता है, दोनों के खसरा नं०

(२) जिस खतौनी खाते में उक्त सब भूमिक्षेत्र दिये हुए हों उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

(३) जिस खेवट खाते से वे सब भूमिक्षेत्र सम्बद्ध हों उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

(४) विनिमय (एक्सचेंज) के आधार

(५) एक विवरण-पत्र जिसमें ऐसे किसी पट्टे (लीज), बंधक, या अन्य अधिभार (encumbrance) का ब्योरा जिससे कि आवेदक द्वारा विनिमय में दिया जाने वाला भूमिक्षेत्र भारित हो, तथा पट्टा दाता, बंधक ग्रहीता अथवा अधिभार-स्थापक (encumbrancer) का नाम व पता।

(६) यदि भूमिधारी प्रस्तावित विनिमय में पक्ष न हो तो उसका नाम व पता।

१३. नोटिस जारी किया जाना—उपर्युक्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर, सहायक कलक्टर, प्रतिपक्ष (opposite parties) को तथा भूमिधारी को और, उस दशा में जब कि, अधिनियम की धारा ५१ के प्रावधान लागू होते हों, पट्टा-दाता बंधक ग्रहीता, तथा अधिभार-स्थापक को यह कारण प्रकट करने का अवसर प्रदान करेगा कि क्यों न विनिमय के लिये आदेश दे दिया जाय। ऐसे प्रत्येक नोटिस के साथ उस आवेदन-पत्र की एक प्रतिलिपि लगाई जायेगी जो कि आवेदक ने पेश किया हो।

१४. आपत्तियों का निबटारा तथा आगे की प्रक्रिया—(१) सहायक कलक्टर आपत्तियों की, यदि कोई, हो, सुनवाई करके निबटारा करेगा और ऐसी और जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा यदि वह संतुष्ट न हो जाय कि विनिमय का आदेश दिये जाने के लिये युक्तियुक्त आधार हैं।

(२) यदि सहायक कलक्टर संतुष्ट हो जाय कि विनिमय मंजूर किये जाने के लिये युक्ति युक्त आधार विद्यमान हैं तो वह विनिमय की जाने वाली भूमि का मूल्य मालूम करेगा जिसके निमित्त वह प्रत्येक भूमि-खण्ड के रकबे को उसके वार्षिक लगान—उस भूमि-वर्ग की उस श्रेणी के लगान के अनुसार संगणित किया गया हो—जो धारा २१ के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतिम रूप से निश्चित किया गया हो, से गुणा करेगा। मूल्यांकन पर विचार करने के बाद और उस दशा में जब कि धारा ५१ के प्रावधान लागू होते हों, पट्टे (लीज) बंधक या अन्य भार की शर्तों घारातों (incidents) पर भी विचार करने के पश्चात्, सहायक कलक्टर, आवेदन को पूर्णतया अथवा अंशतः मंजूर कर सकेगा।

१५. लगान का विभाजन—यदि, अधिनियम की धारा ४९ के अन्तर्गत कार्यवाही के परिणाम स्वरूप किसी भूमिक्षेत्र का केवल एक अंश ही विनिमय में मंजूर किया जाय तो, सहायक कलक्टर, उक्त भूमिक्षेत्र के लगान को उक्त अंश तथा अवशिष्ट अंश के बीच विभाजित करेगा।

१६ विनिमय के आदेश देने में पालनीय सिद्धान्त—विनिमय का आदेश देने में, सहायक कलक्टर निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करेगा—

(१) कि वह भूमि जिसे आवेदक दे, मूल्य में तथा किस्म में यथासम्भव उस भूमि के निकटतम तथा समरूप हों जिसे वह प्राप्त करे।

अध्याय ९

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२५. क—धारा ६६ या धारा ६७ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रपत्र—अधिनियम की धारा ६६ के प्रथम परन्तुक के अधीन किसी खातेदार आसामी द्वारा या धारा ६७ के अधीन भूमिधारी द्वारा अपने स्वयं के निवास के लिये एक आवास गृह या पशु-बाड़ा या स्टोर हाउस या कृषि-कार्यों के लिये कोई अन्य निर्माण जो धारा ६६ के प्रथम परन्तुक में वर्णित अर्द्ध-व्यास की दूरी के भीतर स्थित भूमिक्षेत्र पर बनाया जाना या खड़ा किया जाना है, की स्वीकृति के लिये एक आवेदन-पत्र, उस सर्किल के पटवारी की मार्फत तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायगा जिसमें उसका भूमिक्षेत्र स्थित है। आवेदन-पत्र प्रपत्र "घ घ" में होगा और जो विवरण उस प्रपत्र में अपेक्षित हैं वे दिये जायेंगे।

२५. ख—पटवारी की रिपोर्ट—पटवारी, आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र 'घघ' के भाग २ में, अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को पेश करेगा।

२५. ग—नगरपालिका से विचार-विमर्श—तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा प्रपत्र "घघ" में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगरपालिका से यह पूछताछ करेगा कि आया नगरपालिका को, नगरपालिका सीमाओं के भीतर प्रस्तावित निर्माण (जिसके विवरण नगरपालिका को भेजे जाने चाहिए) किये जाने में कोई आपत्ति है और तहसीलदार, नगरपालिका को यह लिखेगा कि यदि एक महीने के भीतर नगरपालिका की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो यह मान लिया जायगा कि नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है।

२५. घ—आवेदन-पत्र का निपटारा - तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा नगर पालिका के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात तथा ऐसी और जाच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् या तो स्वीकृति दे देगा या आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा।

२५. ङ—परिस्थितियां जिनमें स्वीकृति दी जा सकती है—तहसीलदार स्वीकृति देते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान मे रखेगा—

(१) आया प्रस्तावित निर्माण, अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के अर्थ में निश्चित रूप से कोई सुधार होगा।

(२) यदि वह निर्माण जिसके लिये स्वीकृति का आवेदन-पत्र दिया गया है कोई आवास गृह है तो क्या प्रस्तावित आवास गृह भूमि-क्षेत्र पर कृषि-कार्यों के लिये नितान्त आवश्यक है।

(३) आया प्रस्तावित निर्माण उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अभीष्ट है अधिक खर्चीला है।

(४) आया आवेदक के पास पहिले से भूमि-क्षेत्र का सुविधा पूर्वक या लाभप्रद रूप से उपयोग करने या कब्जा रखने के लिये भूमि-क्षेत्र के निकटस्थ कोई मकान है और यदि ऐसा

है तो भूमि-क्षेत्र पर ही आवास गृह रखने में क्या औचित्य है।

(५) क्या गांव की आबादी में आवेदक का कोई आवास गृह है और यदि है तो क्या कृषि-कार्यों के लिये भूमि-क्षेत्र पर ही आवास गृह का निर्माण नितान्त आवश्यक है।

(६) यदि निर्माण, जिसको स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र दिया गया है, कोई पशु-बाड़ा है तो क्या पशु-बाड़ा/बाड़े पहिले से ही मौजूद हैं और यदि है तो क्या और पशु-बाड़े का निर्माण, आवेदक के पशुओं की संख्या को देखते हुए, आवश्यक है और क्या पशु बाड़े में घेरे जाने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है।

(७) यदि वह निर्माण, जिसको स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है, कोई स्टोर हाउस है तो क्या भूमि-क्षेत्र पर पहिले से ही स्टोर हाउस मौजूद था या है और यदि है तो क्या कुल वार्षिक पैदावार, जिसके स्टोर किये जाने के लिये स्थान की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए और स्टोर हाउस का निर्माण आवश्यक है और क्या प्रस्तावित स्टोर हाउस द्वारा घेरे जाने वाला क्षेत्र बहुत अधिक है।

(८) यदि वह निर्माण जिसको स्वीकृति के लिये आवेदन किया गया है, कोई आवास-गृह, पशुबाड़ा, या स्टोर हाउस के अलावा कोई निर्माण है तो तहसीलदार यह विचार करेगा कि क्या ऐसा कोई निर्माण, भूमिक्षेत्र को सुविधापूर्वक या लाभप्रद रूप से उपयोग करने या कब्जे में रखने के लिये आवश्यक है।

(९) उपर्युक्त खण्ड (१) से (८) तक के प्राविधानों के अधीन रहते हुए,

(क) जहां भूमि-क्षेत्र ५० एकड़ से अधिक है तो आवास-गृहों, पशुबाड़ों, स्टोर हाउसों, तथा अन्य निर्माण द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्रफल कुल मिलाकर एक एकड़ से अधिक नहीं होगा और जहां भूमि का क्षेत्रफल पचास एकड़ से अधिक नहीं है तो ऐसे किसी भी सुधारों द्वारा घेरा जाने वाला क्षेत्रफल भूमि के कुल क्षेत्रफल के १/५ से अधिक नहीं होगा, और

(ख) आसामी या भूमिधारी के उपयोग के लिये उसके भूमि-क्षेत्र पर एक से अधिक आवास गृह नहीं होगा।

२५. परिस्थितियां जिनमें आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जायेगा :—आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जायेगा यदि प्रस्तावित निर्माण :—

(१) कोई ऐसा सुधार नहीं है जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है।

(२) उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अभीष्ट है, बहुत अधिक खर्चीला है या

(३) ऐसा सुधार नहीं है जिसे करने का आवेदक हकदार है।

२६. आवेदन-पत्र की विषय-वस्तु :—(१) किसी सुधार पर खर्च की गई रकम का निश्चय कराने के लिये आवेदन-पत्र में सुधार की किस्म तथा ब्योरा दिया जायगा और उसके साथ उस आज्ञा की एक प्रति भी होगी जिसके जरिये सुधार किये जाने की स्वीकृति दी गई हो, तथा खर्च की गई रकम का हिसाब, यथासम्भव वाउचरों के साथ, शामिल किया जायगा।

अध्याय ६

अधिनियम की धारा ७७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

२५. क—धारा ९६ या धारा ९७ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रपत्र—अधिनियम की धारा ९६ के प्रथम परन्तुक के अधीन किसी आसेदार आसामी द्वारा या धारा ९७ के अधीन भूमिधारी द्वारा अपने स्वयं के निवास के लिये एक आवास गृह या पशु-बाड़ा या स्टोर हाउस या कृषि-कार्यों के लिये कोई अन्य निर्माण जो धारा ९६ के प्रथम परन्तुक में वर्णित अर्द्ध-व्यास की दूरी के भीतर स्थित भूमिक्षेत्र पर बनाया जाना या खड़ा किया जाता है, की स्वीकृति के लिये एक आवेदन-पत्र, उस सर्किल के पटवारी की मार्फत तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायगा जिसमें उसका भूमिक्षेत्र स्थित है। आवेदन-पत्र प्रपत्र "प ध" में होगा और जो विवरण उस प्रपत्र में अपेक्षित हैं वे दिये जायेंगे।

२५. ख—पटवारी की रिपोर्ट—पटवारी, आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र 'पध' के भाग २ में, अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार को पेश करेगा।

२५. ग—नगरपालिका से विचार-विमर्श—तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा प्रपत्र "पध" में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित नगरपालिका से यह पूछताछ करेगा कि आया नगरपालिका को, नगरपालिका सीमाओं के भीतर प्रस्तावित निर्माण (जिसके विवरण नगरपालिका को भेजे जाने चाहिए) किये जाने में कोई आपत्ति है और तहसीलदार, नगरपालिका को यह लिखेगा कि यदि एक महीने के भीतर नगरपालिका की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो यह मान लिया जायगा कि नगरपालिका को कोई आपत्ति नहीं है।

२५. घ—आवेदन-पत्र का निपटारा - तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट तथा नगर पालिका के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् या तो स्वीकृति दे देगा या आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर देगा।

२५. ङ—परिस्थितियां जिनमें स्वीकृति दी जा सकती है—तहसीलदार स्वीकृति देते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

(१) आया प्रस्तावित निर्माण, अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के अर्थ में निश्चित रूप से कोई सुधार होगा।

(२) यदि वह निर्माण जिसके लिये स्वीकृति का आवेदन-पत्र दिया गया है कोई आवास गृह है तो क्या प्रस्तावित आवास गृह भूमि-क्षेत्र पर कृषि-कार्यों के लिये नितान्त आवश्यक है।

(३) आया प्रस्तावित निर्माण उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अभीष्ट है अधिक खर्चीला है।

(४) आया आवेदक के पास पहिले से भूमि-क्षेत्र का सुविधा पूर्वक या लाभप्रद रूप से उपयोग करने या कब्जा रखने के लिये भूमि-क्षेत्र के निकटस्थ कोई मकान है और यदि ऐसा

अध्याय ७

धारा ८४ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

३१ लाइसेंस—धारा ८४ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट लाइसेंस 'द' (१) विशेष तथा (२) सामान्य हो सकते हैं जो प्रपत्र में होंगे।

३२. विशेष लाइसेंस—(१) विशेष लाइसेंस वे हैं जो एक महीने से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किये जाते हैं।

(२) कोई भी विशेष लाइसेंस किन्हीं निर्दिष्ट वृक्षों को अथवा वृक्ष-वर्ग को हटाने के लिए मंजूर किया जा सकता है और निम्नलिखित सभी प्रयोजनों के लिए अथवा उनमें से किन्हीं के लिए हो सकता है अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं—

[क] भूमिधारी अथवा आसामी, यथास्थिति, को किन्हीं भी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।

[ख] भूमि अथवा उसकी उपज के प्रसंग में उनमें से किसी की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए।

[ग] गांव वालों द्वारा अथवा उनकी ओर से किए जाने वाले किन्हीं भी निर्माण-कार्यों में सहयोग देने के लिए।

३३. सामान्य लाइसेंस—(१) सामान्य लाइसेंस वे हैं जो एक महीने से अधिक अवधि के लिए जारी किये जाते हैं—

(२) इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिवासित (occupied) अथवा अनधिवासित (unoccupied) भूमि पर खड़े हुए समस्त वृक्षों को अथवा किसी वृक्ष-वर्ग को हटाने के लिए सामान्य लाइसेंस नीचे लिखे मामलों में जारी किया जा सकता है—

(क) अधिवासित भूमि पर खड़े वृक्षों को हटाने के लिए, जब लाइसेंस देने वाले अधिकारी को यह प्रमाणित करके संतुष्ट कर दिया जाय कि उपरोक्त वृक्षों को हटाना भूमिधारी या आसामी की कृषि अथवा कृषि-कार्यों के यथास्थिति विस्तार के लिए आवश्यक है।

(ख) अनधिवासित भूमि पर खड़े वृक्षों को हटाने के लिए, जब कि इस प्रकार वृक्ष हटाना।

[१] कृषि के विस्तार के लिए, अथवा

[२] नये वृक्ष लगाने के लिए, या

[३] फलदार वृक्षों की दशा में, जब कि वे बहुत पुराने, जीर्ण हो गये हों और उनका क्षीण होना आरंभ हो गया हो, या

(४) जब कि ऐसे वृक्ष इतने घने उगे हुए हों कि उनसे भूमि की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता हो अथवा अन्य प्रकार से भूमि अथवा खड़ी फसलों को यदि कोई हो, क्षति पहुँचती हो।

परन्तु खण्ड (२) (३) और (४) की दशा में, डिवीजन के डिवीजनल फॉरेस्ट अधिकारी से इसंब सलाह ली जावेगी और उसकी सलाह के अनुसार ही लाइसेंस जारी किया जायेगा। यदि लाइसेंस देने वाला अधिकारी डिवीजनल फॉरेस्ट अधिकारी की सलाह से सहमत न हो तो, वह इसके अपने कारण लिखते हुए मामले को चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट, राजस्थान को राय के लिए प्रेषित करेगा। लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी चीफ कंजरवेटर फॉरेस्ट की राय से बाध्य होगा और उसकी राय के अनुसरण में ही लाइसेंस जारी किया जायगा।

३४. विलोपित।

३५. लाइसेंस फीस—(१) विशेष लाइसेंस निःशुल्क जारी किया जायेगा और वह जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए होगा अथवा यदि उसमें उससे कम अवधि लिखी हुई है तो उस कम अवधि के लिए और उसके पुनःनवीकरण की अनुमति नहीं होगी।

(२) सामान्य लाइसेंस प्रति वृक्ष एक आना अथवा प्रति एकड़ पांच रुपये जो भी कम हो, फीस देने पर जारी किया जायेगा।

(३) इस नियम की कोई भी बात, उस दशा में जब कि लाइसेन्स समाप्त हो गया हो नया लाइसेन्स जारी किये जाने में रुकावट नहीं डालेगी बशर्ते कि नया लाइसेन्स पूर्णतया इन नियमों के अनुसार जारी किया जाय।

३६. लाइसेन्स जारी करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें—(१) लाइसेन्स स्वीकार करने के पहिले, लाइसेन्स देने वाला अधिकारी उन आधारों की जांच करेगा जिन पर आवेदक लाइसेन्स लेना चाहता है तथा उनकी न्यायोचितता के सम्बन्ध में भी जांच करने और केवल ऐसे वृक्ष या वृक्षों को हटाने की अनुमति देगा जिनका हटाया जाना, दूसरों को हानिप्रद हुए बिना अथवा सामान्य ग्राम अर्थ व्यवस्था को खराब या गड़बड़ किये बिना, आवेदक की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो।

(२) सामान्य लाइसेन्स मंजूर करते समय निम्नलिखित बातें भी ध्यान में रखी जायेंगी—

(क) कि प्रस्तावित वृक्ष को हटाना सामान्य जनता के लिए हितकर तथा लाभप्रद सिद्ध होने वाला हो तथा उनकी ईंधन व लकड़ी की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने वाला हो तथा आवेदक के हित में हो बशर्ते कि उसका हित जन-हित के प्रतिकूल न हो।

(ख) कि प्रस्तावित वृक्षों को हटाये जाने से,

[१] भूमि के अत्यधिक खाली हो जाने की सम्भावना न हो,
[२] भूमि का कटाव होने की सम्भावना न हो,
[३] कृषि अर्थ व्यवस्था के बिगड़ने की सम्भावना न हो,

३७. लाइसेन्स की शर्तें—अधिनियम के अन्तर्गत मंजूर किये गये प्रत्येक लाइसेन्स की एक शर्त यह होगी कि—

(क) वृक्ष लाइसेन्स में दिये हुए समय के भीतर और उसकी शर्तों के अनुसार हटाये जायेंगे,

(ल) वृक्ष, पड़ोसी की भूमि, खड़ी फसलों, घास अथवा वृक्षों, या मकानों को कोई क्षति न पहुंचाते हुए हटाये जायेंगे,

३८. लाइसेन्स का निरीक्षण—इन नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये समस्त लाइसेन्सों का निरीक्षण किसी भी राजस्व अधिकारी, किसी भी फॉरेस्ट अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी जो पद में सब इन्सपेक्टर पुलिस से नीचे पद का न हो, द्वारा किया जा सकेगा और लाइसेन्स की शर्तों का कोई भी उल्लंघन या उसे जारी करने में कोई भी अनियमितता उस अधिकारी द्वारा जिसने उसे पकड़ा है लाइसेन्स मंजूर करने वाले अधिकारी के नोटिस में लाई जायेगी।

३९. लाइसेन्स रद्द किया जाना—वह प्राधिकारी जो अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी करने में सक्षम है, उसे किसी भी समय रद्द कर सकेगा जब कि—

[१] लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स की किन्हीं शर्तों या प्रतिबन्धों का उल्लंघन करता है या नियम ३८ में अपेक्षित रीति से लाइसेन्स को निरीक्षण के लिए पेश करने में असफल रहता है।

[२] बाद में पता लगाता है कि लाइसेन्सधारी ने, लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए, तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत किया है।

४०. लाइसेन्स का समर्पण—(१) लाइसेन्स, उसकी अवधि समाप्त होने के १५ दिन के भीतर, लाईसेन्स मंजूर करने वाले अधिकारी को समर्पण कर दिया जायगा।

२) लाइसेन्स रजिस्टर—लाइसेन्सो का एक रजिस्टर प्रपत्र 'द' में प्रत्येक तहसील में रखा जायगा।

अध्याय ८

अधिनियम की धारा ११४ तथा ११७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४१. लगान की दरों का प्रकाशन—लगान दर अधिकारी, लगान की दरों तथा उसके द्वारा धारा १११ से ११२ तक के अधीन तैयार किए गए रेकार्ड के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों को प्रकाशित करेगा, तत्सम्बन्धी आपत्तियों का निपटारा करेगा तथा अपने प्रस्ताव तथा स्वयं द्वारा तैयार किए गए रेकार्ड को, ऐसे संशोधनों के पश्चात् जिन्हे वह उचित समझे, ऐसी रीति से जो कि राजस्थान सेटिलमेण्ट मेन्युअल (सेटिलमेण्ट आफीसर्स) में ऐसे मामलो के बारे में निर्धारित की जाय, बोर्ड को प्रेषित करेगा।

कुछ मामलों में लगान सम्बन्धी विवाद

४२. तहसीलदार द्वारा जांच—धारा ११७ (२) मे वर्णित आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर, तहसीलदार, आवेदकों की उपस्थिति मे सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा। विरुद्ध

पक्ष पर एक नोटिस तामील करायी जायेगी जिसमें उपस्थिति के लिए समय तथा स्थान व्यक्त होंगे और उस नोटिस के साथ आवेदन की एक प्रतिलिपि होगी। पक्षकारों से ऐसे समूचे साक्ष्य के साथ उपस्थित होने की अपेक्षा की जायगी जिस पर वे भरोसा रखते हों।

४३. उपर्युक्त तारीख पर तहसीलदार विरुद्ध पक्ष से पूछ कर यह निश्चय करेगा कि क्या वह (विरुद्ध पक्ष) दावे को स्वीकार करता है। उस दशा में जब कि विरुद्ध-पक्ष दावे को स्वीकार करले, तहसीलदार तदनुसार अपना निर्णय दे देगा।

जहां विरुद्ध पक्ष इस प्रकार स्वीकार न करे, तहसीलदार दोनों का सबूत लेख बद्ध करेगा, दस्तावेजों तथा मौखिक साक्ष्य को उसके समक्ष पेश की जाय निरीक्षण करेगा तथा राजस्व कागजात में किए हुए इन्द्राज, यदि कोई हों, की भी जांच करेगा और तत्पश्चात अपना निर्णय देगा।

अध्याय ६

धारा १३६–१४० के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

४४. लगान का तहसील में जमा कराना—तहसीलदार एक रजिस्टर रखेगा जिसमें जमा शुदा हर रकम के विषय में नीचे लिखा विवरण होगा—

(१) जमा शुदा रकम की क्रम सं०

(२) तारीख जिसको प्राप्त हुई।

(३) जमा कराने वाले का नाम, वल्दियत, जाति तथा निवास-स्थान।

(४) अधिनियम की धारा १३६ के अन्तर्गत निर्दिष्ट उस व्यक्ति का नाम, वल्दियत, जाति तथा निवास-स्थान जिसके पक्ष में जमा कराई गई है।

(५) रकम जो जमा हुई।

(६) तारीख जिसको ट्रेजरी में जमा हुई तथा चालान का नम्बर।

भुगतान

(७) भुगतान या वापिसी के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की क्रम संख्या।

(८) भुगतान या वापिसी के लिए आवेदन-पत्र की तारीख।

(६) भुगतान या वापिसी की आज्ञा की तारीख।

(१०) नाम, वल्दियत, जाति तथा निवास-स्थान उस व्यक्ति का जिसे भुगतान या वापिसी (रिफंड) की आज्ञा हुई।

(११) रकम जिसके भुगतान की आज्ञा हुई।

(१२) तारीख जिसको ट्रेजरी से भुगतान या वापिसी की गई।

(११) राजस्थान जनरल फाइनेन्शल एण्ड एकाउन्ट्स रूल्स के आर्टीकिल १२८ के प्रन्तर्गत व्यपगत राशियां (Lapsed)।

४५. प्रत्येक जमा शुदा राशि को तहसीलदार यथासम्भव शीघ्र निकटस्थ सरकारी ट्रेजरी में जमा करेगा और ट्रेजरी की रसीद फाइल पर रखी जायेगी।

४६. जब ट्रेजरी में जमा कराये जाने की तारीख रजिस्टर में दर्ज करदी गई हो, तो तहसीलदार रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीक (token) होगा कि रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां सही है।

४७. नियम ४४, ४५ व ४६ के प्रावधानों का पालन हो जाने के बाद तो न्यायालय प्रपत्र "प" मे एक नोटिस जारी करेगा जो नियम ४४ द्वारा निर्धारित रजिस्टर के स्तम्भ ४ मे निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम होगा।

४८. किसी जमा के भुगतान के लिए कोई आज्ञा पारित हो जाने पर, राजस्थान जनरल फाइनेन्शल एण्ड एकाउन्ट्स रूल्स द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक वाउचर उस व्यक्ति को दिया जायगा जिसके पक्ष में भुगतान के लिए आज्ञा दी गई हो।

४९. जो रकम दी जानी हो वह प्रत्येक वाउचर में तथा उसकी प्रतिपर्त (काउण्टर फाइल) में तहसीलदार द्वारा स्वयं अपने हाथ से अ कों मे लिखी जायगी।

५०. वाउचर का न० तथा तारीख, भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र के रेकार्ड मे रखी जायेगी।

५१. यदि कोई वाउचर उस तारीख से जिसको कि लिखा गया हो भुगतान हेतु पेश नहीं किया जाय तो उसका रुपया दिया जाने से इन्कार कर दिया जायगा और एक नया वाउचर (क) मूल वाउचर समर्पित या रद्द किये जाने पर अथवा (ख) यदि वाउचर खो गया हो, ट्रेजरी से उसका रुपया न दिया जाने का प्रमाण-पत्र तहसीलदार को मिलने पर, लिया जाना चाहिये।

५२. रद्द किया हुआ प्रत्येक वाउचर ट्रेजरी को भेजा जायगा और मूल वाउचर की प्रतिपर्त पर एक नोट उसे रद्द किये जाने का लगा दिया जायगा।

५३. जब ट्रेजरी से भुगतान कर दिये जाने की सूचना प्राप्त हो तो, भुगतान की तारीख रजिस्टर मे लिखी जायेगी और तहसीलदार रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इसका प्रतीक होगा कि भुगतान सम्बन्धी इन्द्राज सही हैं।

५४. यदि जमा की हुई रकम को लेने के लिए तीन वर्ष तक कोई दावा न करे तो, तहसीलदार जमा कराने वाले व्यक्ति को तलब करेगा और उससे जमा शुदा रकम की वापिसी के लिए लिखित आवेदन-पत्र पेश करने का निदेश देगा। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, और तहसीलदार द्वारा, उस व्यक्ति की पर्याप्त पहिचान कर लिए जाने के बाद जो तलबी पर उपस्थित होता है, तथा जमा कराने वाला होने का दावा करता है, जो प्रक्रिया होगी वह उसी प्रक्रिया के अनुरूप होगी जो कि भूमिधारियों के आवेदन-पत्रो के सम्बन्ध में होती है।

५५. तहसील का पेशकार, अनध्यर्थित समस्त राशियों का तहसीलदार के नोटिस में लाने के लिए उत्तरदायी होगा; और वह इस प्रयोजनार्थ जनवरी से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक

तिमाही के प्रथम सप्ताह में रजिस्टर को निरीक्षण एवं हस्ताक्षरों के लिए तहसीलदार को पेश करेगा।

५६. टूंपरी के नक्शों में किये हुए इन्द्राज के साथ समय-समय पर आवश्यक मीलान तथा समायोजन किया जायगा।

अध्याय १०

अधिनियम की धारा १४७ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम

५७. फसल काटने के समय बाजार में प्रचलित भावों का एक नक्शा, जैसा कि धारा १४७ मे निर्दिष्ट है, कलक्टर द्वारा, राजस्थान लैण्ड रेकार्डस मैन्युअल के पैरा २४३ में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तहसील से उसे भेजे गये विवरणों के आधार पर तैयार किया जायगा। इस प्रकार तैयार किये गये नक्शे की एक प्रति प्रत्येक सम्बन्धित तहसील में भेजी जायगी जो कि तहसील के नोटिस बोर्ड पर लगाई जायगी।

अध्याय ११

अधिनियम की धारा १६१, १७०, १७४ से १७६ तक, १७७ तथा १८८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम।

आसामियों को बेदखली का नोटिस

५८ आवेदन पत्र की विषय वस्तु—(१) अधिनियम की धारा १६९ के अन्तर्गत तहसीलदार को पेश किये जाने वाले आवेदन-पत्र में नीचे लिखी बातें होंगी—

(क) भूमिधारी का नाम, पिता का नाम, जाति और निवास-स्थान

(ख) आवेदक किस हैसियत से, आसामी को बेदखल किये जाने की मांग करता है अथवा भू-सम्पत्ति धारक के रूप में, या अनुकूल लगान-दर पर अनुदान ग्रहीता के रूप मे, अथवा मुख्य आसामी के रूप में जिसने कि भूमि को शिकमी पट्टे पर उठाया हो जिससे बेदखली चाहता है।

(ग) आसामी का नाम, पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान

(घ) लगान व ब्याज की कुल रकम जिसके लिये दावा किया है मय इस हिसाब के कि प्रत्येक किश्त के सम्बन्ध में कितनी रकम बकाया तथा ब्याज की लगाई गई है।

(ङ) भूमि-क्षेत्र में समाविष्ट प्रत्येक प्लाट का खसरा नं० मय क्षेत्रफल और उस तहसील, जिला, गांव, थोक व पट्टी का नाम जिसमें भूमि स्थित है।

[१] आसामी का नाम, वल्दियत, जाति, तथा निवास-स्थान मय श्रेणी-अर्थात् खुदकाश्त आसामी, गैर मौरूसी आसामी या शिकमी-आसामी।

[२] नाम गाँव, तहसील व जिला

[३] नाम थोक व पट्टी

[४] खेत का खसरा नं० मय क्षेत्रफल

[५] भूमि-क्षेत्र का लगान

[६] आधार जिन पर बेदखली चाही जाती है (धारा १८० के खण्ड (क) से (ग) तक देखिये) तथा

[७] भूमिधारी की निजी-काश्त की भूमि का किस्म-वार कुल क्षेत्रफल

६४. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये जायेंगे—

(१) खतौनी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जिसमें वह भूमि सम्मिलित हो जिससे बेदखली चाही जाती है।

(२) सम्बन्धित लेखट की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि।

(३) धारा १८० के खण्ड (ख) या (ग) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र होने की दशा में उसके साथ उस पट्टे (लीज) या शिकमी-पट्टे (सब-लीज) की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि होगी जो कि धारा ४५ या धारा ४६, यथास्थिति, के अन्तर्गत मंजूर की गई हो।

(४) धारा १८० के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र होने की दशा में, आवेदन-पत्र के साथ, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट समयावधि के बारे में गश्त गिरदावरी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल होगी और उस खण्ड में निर्दिष्ट पट्टे (लीज) या शिकमी-पट्टे की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल की जायगी।

(५) आवेदन-पत्र के साथ आवेदक के खाते खतौनी की एक प्रमाणीकृत प्रतिलिपि भी शामिल होगी जिससे आवेदक की खुदकाश्त की सम्पूर्ण भूमि प्रकट हो सके।

६५. धारा १८० के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता (नं० ५ ऑफ १९०८) के आर्डर ६ के रूल १५ के अनुसार प्लीडिंग्ज की तरह सत्यापित किया जायगा।

६६. ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसे समस्त व्यक्ति पक्ष (पार्टी) बनाये जायेंगे जिनकी भूमि खुदकाश्त के रूप में प्राप्त की जाने वाली हो और आवेदक आवेदन-पत्र के साथ उतनी प्रतिलिपियाँ शामिल करेगा जितने आसामियों को नोटिस दिया जाना हो।

६७. यदि आवेदन-पत्र में नियम ६३-६६ में अपेक्षित समस्त बातें पूरी कर दी गई हों तो असिस्टेंट कलक्टर उक्त भूमि में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को प्रपत्र 'भ' में नोटिस जारी करेगा।

६८. नोटिस की तामील के लिये फीस वही होगी जो कि राजस्व न्यायालय के सम्मनों तथा आदेशिकाओं (प्रोसेस) की तामील के लिये होती है।

६९. नोटिस की तामील अधिनियम की धारा १६७ की उपधारा (९) द्वारा निर्धारित

७०. असिस्टेंट कलक्टर आपत्तियों को, यदि कोई हो, सुनवाई करके उनका निर्णय करेगा और यदि वह संतुष्ट हो जाय कि आवेदन-पत्र मंजूर किया जाना चाहिये तो वह आसामी को उसके द्वारा किये गये किसी सुधार कार्य के लिये भुगतान किया जाने योग्य, मुआवजे की गणना करेगा और आवेदित भूमि से या ऐसे भाग से जिसे वह उचित समझे आसामी को बेदखल किये जाने की आज्ञा देगा जो कि इस शर्त के अधीन होगी कि आसामी को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया गया मुआवजा उस अवधि के अन्दर भुगतान कर दिया जाय जो कि असिस्टेंट कलक्टर नियत करे।

७१. यदि मुआवजा असिस्टेंट कलक्टर द्वारा नियत की गई अवधि में अदा नहीं किया जाय तो आवेदन-पत्र खारिज कर दिया जायगा और आसामी को खर्चा दिया जायगा।

७२. लगान का विभाजन—यदि आसामी उसके भूमिक्षेत्र के केवल एक भाग से ही बेदखल किया जाने को हो तो असिस्टेंट कलक्टर वह लगान निश्चित करेगा जो कि बचे हुए भूमि-भाग के लिये आसामी अदा करेगा। इस प्रकार देय लगान का समूचे भूमि क्षेत्र के लिये पहिले दिये जाने वाले लगान के साथ वही अनुपात होगा जो कि आसामी के कब्जे में रही हुई अवशिष्ट भूमि का मूल्यांकन समूचे भूमि क्षेत्र के क्षेत्रफल के साथ रखता है।

अध्याय १३

अधिनियम की धारा १७६-१८८ के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम

अवैध बेदखली के लिये उपाय (दादरसी)

७३. अधिनियम की धारा १८६ के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में निम्नलिखित बातें होंगी—

(१) आसामी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, तथा निवास-स्थान मय किस्म आसामी ;

(२) नाम गांव, तहसील व जिला;

(३) नाम थोक व पट्टी;

(४) भूमिधारी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान ;

(५) अन्य व्यक्ति जो तासमय कब्जा किये हुए हो, उसका नाम, पिता का नाम, जाति, निवास-स्थान;

(६) खेतों के खसरा नम्बर;

(७) खेतों का क्षेत्रफल;

(८) भूमि का वार्षिक लगान, तथा

(९) बेदखली या कब्जा हटने की तारीख।

७४. आवेदक, आवेदन-पत्र के साथ उसकी उतनी ही प्रतिलिपियां शामिल करेगा जितने भूमिधारी तथा कब्जा रखे हुए अन्य व्यक्तियों पर नोटिस तामील किया जाता हो।

स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न उठाने वाले पक्ष से, सिविल न्यायालय द्वारा उन व्यक्तियों की उपस्थिति के लिये जिनके बीच में उक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ है नोटिस जारी करने के वास्ते पादेशिका-शुल्क दाखिल करने के लिये कहेगा और रेकार्ड को सिविल न्यायालय को प्रेषित करने की आज्ञा में यह दर्ज करेगा कि उक्त पादेशिका-शुल्क वसूल कर लिया गया है। पादेशिका-शुल्क कोर्ट फीस स्टाम्पस के रूप में लिया जायगा।

८८. पक्षों को नोटिस—जहां सिविल न्यायालय में रेकार्ड इस लेख के साथ प्राप्त हो कि पादेशिका शुल्क उस न्यायालय में जमा करा लिया गया है जिसने रेकार्ड भेजा है तो, सिविल न्यायालय दोनों पक्षों को, अपने द्वारा सुनवाई के लिये नियत प्रथम तारीख के लिये बिना शुल्क नोटिस जारी करेगा।

८९. सिविल न्यायालय को प्रेषण—जहां स्वामित्व के अधिकार सम्बन्धी कोई तनकीह अधिनियम की धारा २२९ (१) के अधीन राजस्व न्यायालय द्वारा कायम की जाय तो उक्त न्यायालय मुकदमे के समूचे कागजात को डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगा और डिस्ट्रिक्ट जज तुरन्त ही उसे सक्षम सिविल न्यायालय को उस तनकीह के निर्णयार्थ भेज देगा।

९०. रजिस्टर मुकदमे में इन्द्राज—अहलमद सिविल कोर्ट को कागजात भेजने की तारीख रजिस्टर मुकदमे में लाल स्याही से स्तम्भ "विशेष विवरण" में दर्ज करेगा। जब रेकार्ड सिविल कोर्ट से उक्त तनकीह पर निर्णय के साथ वापिस प्राप्त हो तो, रेकार्ड की वापिसी की तारीख उसी प्रकार रजिस्टर मुकदमे में लाल स्याही से स्तम्भ "विशेष विवरण" में दर्ज की जायगी।

९१. कागजात का नत्थी 'क' और नत्थी 'ख' में वर्गीकरण—रेकार्ड को अभिलेखागार में भेजने के पहिले अहलमद न्यायालय, फाइल के कागजात को जिनमें वे भी शामिल हैं जो सिविल न्यायालय ने बढ़ाये हों, वर्गबद्ध करेगा 'नत्थी क' और नत्थी 'ख' में रखेगा और उस वर्गीकरण के अनुसार सिविल न्यायालय से वापिस प्राप्त हुई फाइल की सामान्य सूची में दर्ज किये हुए प्रत्येक कागज पर नोट करेगा।

९२. सिविल न्यायालय द्वारा प्रेषण—अधिनियम की धारा २४२ के अधीन, टिनेंसी सम्बन्धी प्रश्न के निर्णय के लिये रेकार्ड प्राप्त होने पर, कलक्टर तुरन्त ही उसे उपयुक्त राजस्व न्यायालय को उक्त तनकीह के निर्णयार्थ भेज देगा।

९३. प्रेषण रजिस्टर में इन्द्राज—रेकार्ड प्राप्त होने पर, अहलमद नियम ९४ के अन्तर्गत रखे हुए रजिस्टर में उसका इन्द्राज तुरन्त करेगा और रेकार्ड पर रजिस्टर का क्रमांक लिख देगा। जब रेकार्ड वापिस सिविल न्यायालय को, राजस्व न्यायालय के निर्णय के साथ, भेजा जाय तो रेकार्ड को वापिस भेजे जाने की तारीख उसी प्रकार रजिस्टर के स्तम्भ "विशेष विवरण" में दर्ज की जायगी।

९४. प्रेषण रजिस्टर—अधिनियम की धारा २४२ के अन्तर्गत प्राप्त हुए कागजात के लिए, एक प्रेषण रजिस्टर प्रत्येक सहायक कलक्टर के न्यायालय में रखा जायगा जो कि नीचे लिखे प्रपत्र में होगा—

प्रेषण क्रमांक	सिविल कोर्ट की फाइल पर मुकदमे का नं०	नाम सिविल कोर्ट, जिसने प्रेषण किया है	जिला व गांव	पक्षों के नाम
१	२	३	४	५

नाम मुकदमा मय कानून की धारा	रेकार्ड मय प्रेषण के प्राप्त होने की तारीख	रेकार्ड को मय निर्णय के वापिस भेजने की तारीख	विशेष विवरण
६	७	८	९

९५. प्रेषण फाइल—(क) सिविल कोर्ट के रेकार्ड में, जब कि वह राजस्व न्यायालय में हो, बढ़ाये गये कागजात 'नत्थी क' और 'नत्थी ख' में वर्गीकृत नहीं लिए जायेंगे बल्कि अलग 'प्रेषण फाइल' के रूप में रखे जायेंगे। किन्तु प्रत्येक कागज पर क्रमांक लिख दिया जायगा जब कि उसे पढ़ाई इण्डेक्स में दर्ज किया जाय और प्रेषण फाइल में रखा जाय।

(ख) जब राजस्व न्यायालय अपना निर्णय दे दे तो 'प्रेषण फाइल' तुरन्त ही सिविल न्यायालय के रेकार्ड से जोड़ दी जायगी और इस प्रकार तैयार किया गया रेकार्ड मय निर्णय के, उस सिविल न्यायालय को वापिस कर दिया जायगा जिससे प्रारम्भ में प्राप्त हुआ था।

९६. प्रेषण को माहवारी नक्शों में बताया जाना—सिविल न्यायालयों से प्राप्त हुए प्रेषण, मुकदमों की प्रगति सम्बन्धी माहवारी रिपोर्ट में अलग बताये जायेंगे जो कि राजस्व न्यायालयों द्वारा कलक्टर को भेजी जाती है और मुकदमों के दायर होने तथा निपटारा होने सम्बन्धी विवरण-पत्र में भी बताये जायेंगे।

अध्याय १६

शपथ-पत्र सम्बन्धी नियम

९७. शपथ-पत्र के अनुसार शपथ लेना—किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी के सामने पेश किया जाने वाला प्रत्येक शपथ-पत्र तदर्थ नियुक्त किये गये ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लेने के बाद पेश किया जायगा।

९८. फीस—शपथ-पत्र के सत्यापन के लिये फीस एक रुपया होगी।

९९. व्यक्तियों तथा स्थानों का पूरा विवरण दिया जाना—शपथ-पत्र में उसके अनुसार शपथ लेने वाले व्यक्ति का ऐसा सम्पूर्ण विवरण होगा जिससे उसकी पहिचान भली भांति की जा सके उदाहरणार्थ, उसका नाम, उसके पिता का नाम, धर्म, समाज में उसका दर्जा या पद, पेशा, धंधा, व्यवसाय अथवा व्यापार, और उसका वास्तविक निवास-स्थान शपथ-पत्र में

मेरी यह विवरण सत्य है, इसमें कोई भी बात छुपाई नहीं गई है और इसका कोई भी अंश मिथ्या नहीं है।"

प्रपत्र क्र (जे)

(देखिये नियम ४–रैवेन्यू बोर्ड)

खातेदारी अधिकार के प्रोद्भूत होने तथा सुधार-कार्यों में अधिकारों के लिये मुआवजे के दावे का विवरण-पत्र।

न्यायालय......................सबडिवीजनल अधिकारी......................जिला......................

खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने तथा सुधार-कार्यों में अधिकार होने का दावा।

महोदय,

जैसा कि राजस्थान टिनैंसी अधिनियम १९५५ की धारा २० की उपधारा (१) तथा टिनैंसी (राजस्व मण्डल) नियम ४ द्वारा अपेक्षित है, मैं, अपने मुदकाश्त के आसामी/शिकमी आसामी द्वारा (क) खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत कर लेने तथा (ख) सुधार-कार्यों में अधिकारों के लिये मुझे देय मुआवजे का दावा प्रस्तुत करता हूं।

२—भूमिधारी तथा आसामी का विवरण निम्नलिखित है.—

(१) नाम, वल्दियत, आयु, तथा पूरा पता—भूमिधारी (दावेदार)

(२) नाम, वल्दियत, आयु तथा पूरा पता मुदकाश्त-आसामी/शिकमी आसामी जिसे अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं।

(३) नाम गांव व नाम तहसील

(४) खेवट नं०

(५) खसरा नं० व नाम खेत, यदि कोई हो,

(६) सिंचित या असिंचित

(७) मिट्टी की किस्म

(८) ठीक क्षेत्रफल जिसमें धारा १९ के अधीन अधिकार प्रोद्भूत हुए।

(९) विगत बन्दोबस्त में उसकी स्वीकृत लगान-दर अथवा यदि धारा २३ की उपधारा (१) का खण्ड (ख) लागू होता है तो, विगत बन्दोबस्त में सदृश भूमि के लिये अड़ोस पड़ोस में स्वीकृत लगान-दर।

(१०) खातेदारी अधिकारों के लिये अभ्यर्थित मुआवजे की रकम।

(११) सुधार-कार्यों का ब्यौरा जिनमें आसामी को अधिकार प्रोद्भूत हुए।

(१२) वर्ष जिसमें सुधार-कार्य किया गया।

(१३) जिस समय सुधार-किया गया उस समय उसकी लागत।

(१४) सुधार-कार्य की वर्तमान स्थिति।

(१५) सुधार-कार्य से भूमि को अगले दस वर्षों में किस हद तक लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

(१६) सुधार-कार्यों में अधिकारों के लिये अभ्यर्थित मुआवजे की रकम।

(१७) कुल मुआवजे की रकम जो दोनों के लिये अभ्यर्थित की गई है।

(१८) विशेष विवरण

हस्ताक्षर

प्रपत्र ज (के)

(देखिये नियम ५-रेवेन्यू बोर्ड)

प्रपत्र-नोटिस जो धारा २० की उप-धारा (२) के अधीन होगा।

नोटिस

न्यायालय..........सबडिवीजनल अधिकारी..........जिला..........मुकदमा नं. ....सन् १९६..........

श्री..........पुत्र.......... ....निवासी.......... ....प्रावेदक

बनाम

....विपक्षी

खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो जाने के कारण मुआवजे के दावे का विवरण चूंकि उपरोक्त आवेदक ने, जैसा कि राजस्थान टिनेंसी अधिनियम १९५५ (राज. अधिनियम ३, सन् १९५५) की धारा २० की उप-धारा (१) तथा राजस्थान टिनेंसी (राजस्व मण्डल) नियम १९५५ के नियम ५ द्वारा अपेक्षित है, खातेदारी अधिकार तथा तुम्हारे द्वारा किये गये सुधार-कार्यों में अधिकार प्रोदभूत हो जाने के कारण उसे देय मुआवजे के लिये दावा विवरण सहित पेश किया है, अतः तुमको एतद्द्वारा तलब किया जाता है कि इस न्यायालय में या तो स्वयं व्यक्तिगत या अपने वकील जिसे मुकदमे के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी गई हो, एवं जो इस मुकदमे में सब प्रश्नों का उत्तर दे सके अथवा जिसके साथ ऐसा व्यक्ति हो जो मुकदमे की पूरी जानकारी रखता हो और सब प्रश्नों का उत्तर दे सके, के मार्फत, तारीख..........को हाजिर हो (तारीख ऐसी नियत की जायगी ताकि आसामी को कम से कम तीस दिन मिल जायं जिनमे वह अपनी आपत्तियां पेश कर सके)। साथ में मुआवजे के दावे के विवरण-पत्र की एक प्रतिलिपि शामिल की जाती है और यदि तुम, इस विवरण-पत्र में दिये हुए ब्यौरे को सही नहीं मानते हो तो तुमको, उपर्युक्त तारीख पर, उन समस्त दस्तावेजों को जिन पर तुम अपने दावे के समर्थन हेतु भरोसा रखना चाहते हो, पेश करने का आदेश दिया जाता है।

सूचित हो कि उपर्युक्त तारीख पर तुम्हारे उपस्थित न होने पर, मुकदमा तुम्हारी अनुपस्थिति में सुना जाकर उसका निर्णय कर दिया जायगा।

प्रपत्र ह (एन)

(देखिये नियम १०-रेवेन्यू बोर्ड)

अधिनियम की धारा १६-क के अन्तर्गत नोटिस का उत्तर।

न्यायालय............एस. डी. ओ.................जिला

मुकदमा नं ....सन् १९६

श्री................बल्द.............. ...आवेदक

बनाम

श्री.................बल्द..................विपक्षी

नालबट अधिकार की प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र

महोदय,

आपके नोटिस दिनांक.......के उत्तर में, मैं एतद्द्वारा निवेदन करता हूं कि मैं आवेदन-पत्र का नीचे लिखे आधारों पर प्रतिवाद नहीं करना चाहता हूं:—

(आधार बतलाये जायें)

मैं मुआवजे का दावा करता हूं और जिसका विवरण नीचे दिया जाता है।

धारा १६-क के अन्तर्गत नालबट प्राप्त करने हेतु मुआवजे का दावा।

१-दावेदार अर्थात् उस व्यक्ति का जो भूमिधारी से भिन्न है और जिसमें नालबट अधिकार निहित है, नाम............वल्दियत............जाति............उम्र........ तथा निवास स्थान................।

२-आवेदक (नालबट की प्राप्ति के लिये) का नाम...... ....वल्दियत............ जाति............उम्र ....तथा निवास स्थान....... ....

३-भूमिधारी का नाम............वल्दियत............जाति............उम्र............तथा निवास स्थान................

४-उस भूमि का विवरण जिसमे आवेदक अपना खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो जाने का दावा करता है-नाम गांव, थोक व पट्टी, नाम तहसील, सबडिवीजन तथा जिला, खसरा नं०, खेत/खेतों का नाम, यदि कोई हो तथा क्षेत्रफल (बीघो) मे।

५-यदि नालबट नकद में वसूल किया जाता हो तो रकम जो पिछले पांच वर्षों मे अदा की गई।

६-यदि नालबट जिन्स में वसूल की जाती है तो उपज की मात्रा जो पिछले २० वर्षों मे नालबट के रुप मे दी गई।

७-कुल अवधि जिसके दौरान आवेदक को उस कुए में नालबट प्रोद्भूत हुआ है जिसके बारे में दावा किया गया है।

८-कुए का ब्यौरा-अर्थात्

[१] नाम कुआ, खसरा नं. जिसमें स्थित है।

[२] निर्माण का समय

[३] वर्तमान स्थिति

[४] क्षेत्रफल जो सामान्य वर्ष में सिंचित होता है (बीघों/एकड़ों में)

[५] ऐसे कुए की वर्तमान निर्माण-लागत औसत।

[६] कुए की उपयोगिता की आगामी सम्भावित अवधि।

९-विशेष विवरण।

हस्ताक्षर·········वल्द··········जाति··········निवास स्थान·········· (दावेदार)

प्रपत्र ढ (ओ)

(देखिये नियम ११-रेवेन्यू बोर्ड)

धारा ३६-ए के अन्तर्गत मालबट के हस्तान्तरण का प्रमाण-पत्र··············के न्यायालय में।

मुकदमा नं.············सन् १९६

···············पुत्र·············आवेदक

बनाम

···············पुत्र············प्रतिपक्ष।

यह प्रमाणित किया जाता है कि—

(१) श्री············पुत्र············जाति············आयु·· ·· निवासी············तहसील ············जिला············ने तारीख·······से नीचे वर्णित कुए के संबंध में मालबट का अधिकार प्राप्त किया है।

(२) यह कि उक्त आसामी एक मुश्त राशि ······ ····किस्तों में जो······रु. की होगी तथा प्रत्येक··········तारीख को देय होगी, मुआवजे के रुप में·······रु. (शब्दों में) ···· ····रुपये को मालबट के अधिकार के स्वामी को देने के लिये जिम्मेवार होगा।

(३) यह कि मुआवजे की पूरी रकम का भुगतान कर दिया गया है आसामी, मुआवजे की रकम का किस्तों में, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, भुगतान करने को सहमत हो गया है और उक्त मुआवजा, भूमिक्षेत्र तथा लगान पर, लगान तथा राजस्व के पश्चात् प्रभार (charge) रहेगा। आसामी तब तक भूमि-क्षेत्र को हस्तान्तरित करने के लिये सक्षम नहीं होगा जब तक कि मुआवजे की उपरोक्त कुल रकम का पूरा भुगतान न कर दिया गया हो।

कुए का विवरण

१-थोक या पट्टी सहित गांव का नाम

घोषणा दिनांक............के प्रसंग में नीचे लिखे अनुसार निवेदन है,

(१) कि मैं नीचे वर्णित भूमि का खातेदार आसामी / मुंदरावत का आसामी/गैर खातेदार आसामी / शिकमी आसामी था और मेरे अधिवास की अवधि............वर्ष थी।

(२) कि मैं इस भूमि को राज्य सरकार/............(भूमिधारी) से लेकर धारण करता हूं।

(३) कि उस इलाके में वर्ष............में भयंकर सूखा/अकाल............(नाम विपत्ति) पड़ा था। अथवा कि मुझे............कारणों से गांव छोड़ना पड़ा था तथा अपने कुटुम्ब तथा मवेशी आदि को साथ लेकर............(स्थान) को जाना पड़ा था।

(४) कि जब मुझे मालूम हुआ कि विपत्ति का समय निकल चुका है और सामान्य स्थिति पैदा हो गई है मैं अपने गांव को तारीख............को या आसपास की तारीख को वापिस आ गया।

(५) कि गांव से बाहर जाने की मेरी तारीख अनुमानित............थी।

(६) कि यह आवेदन-पत्र घोषणा की तामील / प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर है।

(७) कि मेरी इस धारणा के समर्थन में कि मैंने गांव पड़ौस पड़ौस ऊपर खण्ड (३) में वर्णित व्यापक विपत्ति/कारणों से छोड़ा था, मैं निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं और तारीख सुनवाई को अपने गवाह पेश करूंगा।

दस्तावेजी साक्ष्य का विवरण

अतः प्रार्थना है कि मुझे पुनर्स्थापित किया जाकर भूमि मुझे वापिस दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय। जो कि तारीख वापिसी तक मुझसे काबिल वसूल लगान की बकाया रकम, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, परित्या-गअवधि को शामिल करते हुए, अदा करने की शर्त होगी।

भूमि का विवरण

१-नाम गांव मय नाम थोक व पट्टी

तहसील..................जिला............

२-खसरा नं. तथा खेत/खेतों के नाम

३-क्षेत्रफल बीघों/एकड़ों में

४-वार्षिक लगान

तारीख............

हस्ताक्षर............

आसामी

प्रपत्र-क क (आर. आर.)

(देखिये नियम २५-क)

भाग–१

राजस्थान टिनेंसी अधिनियम १९५५ की धारा-६६-६७ के अन्तर्गत अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के उप-खण्ड (क) में वर्णित सुधार कार्य करने की मंजूरी।

सेवा में,

तहसीलदार

तहसील·····

(पटवारी सर्किल न०··········के मार्फत)

श्रीमान्,

मैं जैसा कि राजस्थान टिनेंसी अधिनियम १९५५ की धारा ६६ के प्रथम परन्तुक तथा राज. टिनेंसी (रेवेन्यू बोर्ड) नियम १९५५ के नियम २५–क द्वारा अपेक्षित है, एतद्वारा, सुधार-कार्य जिसका विवरण नीचे दिया गया है, करने की मंजूरी प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करता हूं :—

१. नाम आवेदक, मय वल्दियत व पता

२. स्थिति (खातेदार आसामी/भूमिधारी/जागीरदार/जमींदार/बिस्वेदार··········

३. भूमि का विवरण

(क) नाम गांव (ख) खसरा नं० (ग) क्षेत्रफल (एकड़)

४. भूमि की शहर ··········या कस्बा··········की नगरपालिका सीमाओं से दूरी

५. सुधार-कार्य जिसके लिये मंजूरी चाही जाती है, का विवरण—

(क) खसरा नं०··········जिसमें सुधार कार्य किया जाता है।

(ख) सुधार कार्य का ठीक किस्म रहने का मकान/पशुबाड़ा/स्टोर हाउस/अन्य निर्माण

(ग) विवरण, क्षेत्रफल जिसमें सुधार कार्य होगा, लम्बाई, चौड़ाई

(घ) सुधार कार्य की अनुमानित लागत

६. अधिनियम की धारा ५ के खण्ड (१९) के उप-खण्ड (क) में वर्णित किस्म के विद्यमान सुधार का नम्बर तथा विवरण।

७. यदि भूमि में रहने का मकान बनाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र है तो

(क) आया आवेदक के पास गांव की आबादी में रहने का मकान है, यदि ऐसा है तो आबादी से उस खसरा नं० की दूरी जिसमें रहने का मकान बनाने का विचार है—

(ख) गांव की आबादी को छोड़कर, भूमि के आसपास क्या आवेदक की कोई इमारत—

या निर्माण मौजूद है (अधिनियम की धारा ५ के भाग (१६) के उपखण्ड (ख) की मद सं० (४))

(ग) क्या उस मकान में जिसे बनाने का विचार है वह स्वयं रहेगा।

८. यदि भूमि में पशुबाड़ा बनाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र है तो...... ....

(क) मौजूदा पशुबाड़ों, यदि कोई हो, की संख्या व विवरण

(ख) आवेदक के पास कुल मवेशी कितनी है संख्या.... ....

९. यदि भूमि में स्टोर हाउस बनाने का विचार है तो............

(क) मौजूदा स्टोर हाऊसों की संख्या व विवरण

(ख) भूमि की पिछले तीन वर्षों में हुई कुल उपज

(ग) मौजूदा समय में उपज कहां और कैसे रखी जाती है तथा

(घ) क्षेत्रफल जिसमें स्टोर बनाया जायगा

हस्ताक्षर............................

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैंने सत्य बात कही है और किसी भी तथ्य को दबाया या छुपाया नहीं है।

हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ....

भाग २

पटवारी की रिपोर्ट

यह आवेदन-पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता (नाम)..... .... पटवारी सर्किल.........................को दिनांक .. .. को प्राप्त हुई थी।

२. ऊपर भाग १ में दिये गये विवरणों की जांच खसरा सम्वत................ ..... को खरीफ रबी के इन्द्राज से और जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत..... .. ..से करली गई है और सही पाई गई है अथवा अमुक बातें सही नहीं हैं।

३. आवेदक खातेदार आसामी/भूमिधारी/जागीरदार/जमींनदार/बिस्वेदार है और भाग १ की क्रम सं० ३ में बतलाई गई भूमि में कृषि करता है या उस भूमि में खेती नहीं करता है किन्तु .... के द्वारा खेती की जा रही है।

४. उसके पास भूमि-क्षेत्र (होल्डिंग) में निवास-गृह है जिसमें..................भूमि घिरी हुई है और वह भूमि कुल भूमि क्षेत्र (होल्डिंग) के..................भाग के बराबर है।

५. उसका गांव की आबादी में निवास गृह है जो भूमि क्षेत्र से..................की दूरी पर है या उसका गांव की आबादी में कोई निवास गृह नहीं है।

६. उसके पास अपनी भूमि (होल्डिंग) को सुविधापूर्वक/लाभप्रद तरीके से उपयोग या अभिधारण में लाने के लिये अपनी भूमि के पास, गांव की आबादी को छोड़कर, मकान है/कोई मकान नहीं है।

७. वहां पर..................पशुवाड़े हैं जिनका कुल क्षेत्रफल..................है जो भूमि का..................भाग है अथवा भूमिक्षेत्र में कोई पशुवाड़ा नहीं है।

८. रजिस्टर माल शुमारी के अनुसार आवेदक के पास कुल..................पशु हैं।

९. (क) भूमि में.................. स्टोर हाउस हैं जिनका क्षेत्रफल..................है जो भूमि के..................भाग के बराबर है या भूमि में कोई स्टोर हाउस नहीं है।

(ख) जिसवारों, मिलान खसरों तथा अन्य रेकार्ड के अनुसार आवेदक की भूमि की अनुमानित वार्षिक उपज.................. मन है जिसके लिये स्टोर हाउस की आवश्यकता है।

तहसीलदार को प्रस्तुत है।

तारीख..................

हस्ताक्षर
पटवारी सर्किल

प्रपत्र स (एस)

(देखिये नियम ३१)

अधिनियम की धारा ८४ (५) के अन्तर्गत लाइसेन्स

क्रमांक	तारीख	सामान्य या विशेष	लाइसेन्सधारी का नाम मय पूरा पता
१	२	३	४

अवधि	पेड़ जिन्हें हटाये जाने की या भूमि जिसे साफ किये जाने की अनुमति दी गई		विशेष विवरण विशिष्ट परिस्थिति
	संख्या या क्षेत्रफल	किस्म या सीमाएं	
५	६	७	८

१—उपर्युक्त लाईसेंसधारी को, उपरोक्त पेड़ों को उपरोक्त अवधि में तथा ऊपर वर्णित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए तथा राजस्थान टिम्बर्स अधिनियम १९५५ (अधिनियम नं० १, सन् १९५५) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि गिराने या हटाने में भूमि, खड़ी हुई फसलों, घास या पेड़ों या पड़ोसियों के मकानों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जायगी, गिराने तथा हटाने की अनुमति दी जाती है।

२—यह लाइसेन्स, राजस्व अधिकारी, फॉरेस्ट अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो सब-इन्सपेक्टर पुलिस से नीचे पद का न हो, द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिये पेश किया जाना चाहिए।

३—लाइसेन्स का उल्लंघन करते हुए पेड़ों को हटाने पर कानून के अनुसार भारी शास्तियां आरोपित की जाती हैं जिनमें जुर्माना, लाइसेन्स का रद्द किया जाना, तथा लकड़ी की जब्ती भी शामिल है।

४—यह लाइसेन्स, अवधि पूरी होने पर १५ दिन के भीतर उस अधिकारी को समर्पित कर दिया जाना चाहिए जिसने जारी किया हो।

मुहर दिनांक लाइसेन्स देने वाला अधिकारी

प्रपत्र म (टी)

(देखिये नियम ४७ रेवेन्यू बोर्ड)

लगान जमा कराने का धारा १३६ के अन्तर्गत नोटिस

न्यायालय तहसीलदार ....तहसील ....जिला....................मुकदमा नं०........ ....सन् १९६

श्री.............. (विवरण व पता).............आसामी

बनाम

श्री..............(विवरण व पता) ....भूमिधारी

सेवा में,

श्री..............नाम, विवरण निवास स्थान .... भूमिधारी

चूंकि श्री...... ....पुत्र.... ....जाति.............निवासी ....ने जो नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में तुम्हारा आसामी होने का दावा करता है मेरे न्यायालय मे, आवेदन देने को तारीख को लगान की बकाया को नीचे वर्णित किश्तों/किश्त की चढ़ी हुई रकम, जमा करादी है, तुमको रकम जमा हो जाने की सूचना दी जाती है और तुम्हें आदेश दिया जाता है कि..............तारीख..............को न्यायालय में उपस्थित होकर रकम पाने का अपना हक साबित करो।

भूमि का विवरण

नाम गाँव	नाम थोक व पट्टी	खसरा नं० खेतों का	क्षेत्रफल (बीघों/एकड़ों में
१	२	३	४

जमा की हुई रकम का ब्यौरा

वर्ष जिसकी किश्तें/चढ़ी हुई रकम है।	रकम	तारीख जिसको जमा की गई

तारीख.............. तहसीलदार.............. तहसील..............

प्रपत्र म (यू)

(देखिये नियम ६० रेवेन्यू बोर्ड)

धारा १९९ के अन्तर्गत (भूमिधारी द्वारा) आसामी को नोटिस—बाबत लगान का भुगतान करने अथवा भुगतान न करने पर बेदखल किये जाने।

न्यायालय तहसीलदार..............तहसील..............जिला..............

मुकदमा नं०..............सन् १९६

श्री..............(विवरण व निवास स्थान)..............आवेदक (भूमिधारी)

बनाम

श्री..............(विवरण व निवास स्थान)..............विपक्षी

सेवा में,

(नाम, विवरण व निवास स्थान)..............आसामी

चूंकि उपरोक्त व्यक्ति ने जो कि स्वयं को आपका भूमिधारी कहता है, एक आवेदन-पत्र इस न्यायालय में पेश किया है जिसमें नीचे वर्णित लगान की बकाया के भुगतान के लिये और भुगतान न करने पर बेदखल किये जाने का नोटिस आपको दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

और चूंकि नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में लगान की बकाया के रु०..............आप के जिम्मे उपरोक्त भूमिधारी को काबिल भुगतान बताये जाते हैं, अतः आपको नोटिस दिया जाता है कि, इस नोटिस की तामील से तीस दिन के अन्दर, लगान की बकाया के रुपये अदा करो या हाजिर होकर उस दावे को स्वीकार करो अथवा उसका प्रतिवाद करो। ऐसा न करने की दशा में, आवेदन-पत्र की, आपकी अनुपस्थिति में, सुनवाई की जाकर उसका निर्णय किया जायगा।

१—उपर्युक्त लाईसेंसधारी को, उपरोक्त पेड़ों को उपरोक्त अवधि में तथा ऊपर वर्णित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए तथा राजस्थान टिनेंसी अधिनियम १९५५ (अधिनियम सं० ३, सन् १९५५) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि गिराने या हटाने में भूमि, खड़ी हुई फसलों, घास या पेड़ों या पड़ौसियों के मकानों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जायगी, गिराने तथा हटाने की अनुमति दी जाती है।

२—यह लाइसेन्स, राजस्व अधिकारी, फॉरेस्ट अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो सब-इन्सपेक्टर पुलिस से नीचे पद का न हो, द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिये पेश किया जाना चाहिए।

३—लाइसेन्स का उल्लंघन करते हुए पेड़ों को हटाने पर कानून के अनुसार भारी शास्तियां आरोपित की जाती हैं जिनमें जुर्माना, लाइसेन्स का रद्द किया जाना, तथा लकड़ी की जब्ती भी शामिल है।

४—यह लाइसेन्स, अवधि पूरी होने पर १५ दिन के भीतर उस अधिकारी को समर्पित कर दिया जाना चाहिए जिसने जारी किया हो।

मुहर दिनांक लाइसेन्स देने वाला अधिकारी

प्रपत्र म (टी)

(देखिये नियम ४७ रेवेन्यू बोर्ड)

लगान जमा कराने का धारा १११ के अन्तर्गत नोटिस

न्यायालय तहसीलदार ··· ··· ··········तहसील ··············जिला ··················मुकदमा नं०····· ··· ·······सन् १९६

श्री ··············· (विवरण व पता) ······ ···· ···आसामी

बनाम

श्री··············· (विवरण व पता)········ ··· ···भूमिधारी

सेवा में,

श्री···············नाम, विवरण निवास स्थान··········· ··भूमिधारी

चूंकि श्री······ ···············पुत्र ···· ············जाति ·················निवासी ·················ने जो नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में तुम्हारा आसामी होने का दावा करता है मेरे न्यायालय में, आवेदन देने की तारीख को लगान की बकाया को नीचे वर्णित किश्तों/किश्त की चढ़ी हुई रकम, जमा करादी है, तुमको रकम जमा हो जाने की सूचना दी जाती है और तुम्हें आदेश दिया जाता है कि··················तारीख·················को न्यायालय में उपस्थित होकर रकम पाने का म [हक साबित करो।

न्यायालय.................तहसीलदार..................तहसील..................जिला..................

मुकदमा नं०...........सन् १९६...

सरकार बनाम..................विवरण व निवास स्थान..................विपक्षी

सेवा से,

नाम, विवरण व निवास स्थान..................(यासामी)

चूंकि नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में लगान की बकाया के तुम्हारे जिम्मे रु०.............. सरकार को भुगतान योग्य हैं, तुमको, इस नोटिस की तामील से तीस दिन के अन्दर बकाया की रकम अदा करने का अथवा उपस्थित होकर उसको स्वीकार करने या उसका प्रतिवाद करने का नोटिस दिया जाता है। ऐसा न करने की दशा में आवेदन-पत्र की सुनवाई तथा निर्णय तुम्हारी अनुपस्थिति में किया जायगा।

हिसाब का ब्यौरा

वर्ष तथा किस्त	खसरा नं०	लगान काबिल भुगतान	लगान जो दे दिया गया है	बकाया	ब्याज	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७

योग.............. कुल योग..............

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	गांव	थोक व पट्टी	खसरा नं० खेत नं०	क्षेत्रफल बीघा/एकड़
१	२	३	४	५	६

खेतों की संख्या.............. कुल क्षेत्रफल..............

भूमि के सम्बन्ध में लगान की किश्तें, जो भविष्य में आपको अदा करनी हैं, इस प्रकार है—

भूमि का लगान जो भविष्य में अदा किया जायगा। खरीफ की किश्त

रबी की किश्त

आज दिनांक..................सन्..................को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय की मुहर

(तहसीलदार)

तारीख..............सन् १९६

प्रपत्र प–(पी)

(देखिये नियम १० रेवे. बोर्ड)

लगान की बकाया के निमित्त किसी डिग्री के अन्तर्गत देय रकम के भुगतान के लिये या भुगतान न करने की दशा में बेदखली का आसामी को धारा १७४ के अधीन

नोटिस

न्यायालय..................(स्थान)............ मुकदमा नं०................सन् १९६.......

श्री..................(विवरण व पता)................डिग्रीदार (भूमिधारी)

बनाम

श्री............(विवरण व पता)................निर्णीत ऋणी (आसामी)

सेवा में—

(नाम, विवरण तथा निवास स्थान)

चूंकि उपरोक्त व्यक्ति ने, जो स्वयं को तुम्हारा भूमिधारी बताता है, इस न्यायालय में लगान की बकाया के निमित्त एक डिग्री का निष्पादन कराने का आवेदन-पत्र पेश किया है जिसमें तुम्हारे नाम एक नोटिस तुम्हारे जिम्मे बाकी निकल रही रकम को भुगतान करने या भुगतान न करने की दशा में तुम्हें बेदखल किये जाने की प्रार्थना की है।

और चूंकि नीचे वर्णित भूमि के सम्बन्ध में लगान की बकाया तथा नीचे दिये गये खर्चे के रु०............तुम्हारे द्वारा उपर्युक्त भूमिधारी को देय होने का दावा किया गया है, एतद्द्वारा तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि, नोटिस की तामील से दो महीने के अन्दर, उपरोक्त रकम न्यायालय में जमा करो अथवा रकम जमा न करने की दशा में कारण बताओ कि तुम्हें तुम्हारी भूमि से क्यों न बेदखल कर दिया जाय और यह भी बताओ कि यदि तुम्हारी बेदखली का आदेश जारी कर दिया जाय तो क्या तुम्हारे द्वारा किये गये किसी सुधार-कार्य के लिये तुम कोई मुआवजे का दावा करते हो। ऐसा न करने की दशा में तुम्हें नीचे वर्णित भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश जारी किया जायगा,—

हिसाब का विवरण

वर्ष व किश्त	लगान जो देना है	लगान जो दे दिया गया	बकाया	ब्याज	डिक्री द्वारा स्वीकृत खर्चे	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७

योग

कुल योग

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	गांव	थोक व पट्टी	खसरा नं० (खेत)	क्षेत्रफल (खेत) बीघा/एकड़
१	२	३	४	५	६

खेतों की संख्या..........

कुल क्षेत्र फल..........

आज दिनांक..............सन् १९६....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर..............

दिनांक.... .. ..सन् १९६ ....पद

न्यायालय की मुहर

प्रपत्र–र–(डबल्यू)

(देखिये नियम ६० रेवे० बोर्ड)

अवैध हस्तान्तरण अथवा शिकमी-पट्टे पर देने के कारण बेदखली के विरुद्ध कारण बतलाने का आसामी को धारा १७५ के अन्तर्गत

नोटिस

..............के न्यायालय..........(स्थान)..............मुकदमा नं.......सन्....१९६

श्री...... ......(विवरण व पता)..............आवेदक (भूमिधारी)

बनाम

श्री..............(विवरण व पता)..............आसामी

और

श्री..............(नाम, विवरण तथा निवास स्थान).............. [illegible]

सेवामें,

(नाम विवरण, निवास स्थान).............. [illegible]

चूंकि उपर्युक्त व्यक्ति ने, जो स्वयं को तुम्हारा भूमि[illegible] [illegible] राजस्थान टिनेंसी अधिनियम १९५५ की धारा १७५ के [illegible]

खेतों की कुल संख्या······

कुल क्षेत्रफल······

आज दिनांक······ सन् १९६······को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तारीख······ मुहर न्यायालय हस्ताक्षर······

पद······

प्रपत्र—य (वाई)

(देखिये नियम ६७-रेपे, ओबे)

अधिनियम की धारा १८१ के अन्तर्गत मुरब्बादन के आसामी/गैर खातेदार आसामी/गैकमी-आसामी को बेदखली का नोटिस

न्यायालय सहायक कलक्टर······ ······जिला······ ······मुकदमा नं······१९६

श्री······(नाम, विवरण व पता)—आवेदक (भूमिधारी)

सेवा मे,

(नाम, विवरण व पता) ······आसामी

चूंकि उपर्युक्त भूमिधारी ने राजस्थान टिनेंसी अधिनियम, १९५५ की धारा १८० के अन्तर्गत नीचे दिये गये आधारों पर, तुम्हे तुम्हारी नीचे वर्णित भूमि से बेदखल किये जाने का प्रावेदन-पत्र पेश किया है, यह नोटिस बेदखली तुम्हारे नाम अधिनियम की धारा १८१ की उपधारा (३) के प्रावधानो के अनुसरण में जारी किया जाता है। तुम्हे इसके जरिये सूचित किया जाता है कि—

(क) यदि तुम बेदखली का विरोध करना चाहते हो तो तुम, इस नोटिस की तुम पर तामील होने से तीस दिन के अन्दर, इसका प्रतिवाद करो, और

(ख) यदि इस नोटिस की तामील से तीस दिन के अन्दर तुम उपस्थित होकर बेदखली के दायित्व को स्वीकार कर लेते हो तो तुम पर किसी खर्चे का भार नही होगा। सूचित हो कि, उपर्युक्त अवधि के अन्दर उपस्थित न होने की दशा में, बेदखली का आदेश तुम्हारे खिलाफ पारित किया जायगा।

बेदखली के आधार

१······ २······

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	गांव	थोक व पट्टी	खसरा नं० खेत	क्षेत्रफल (खेत) बीघा/एकड़	भूमि का लगान
१	२	३	४	५	६	७

खेतों की कुल सं. ________

कुल क्षेत्रफल ________

आज दिनांक.............. सन् १९६.......को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया

तारीख ....

हस्ताक्षर ....

पद ....

.. मुहर न्यायालय

प्रपत्र स. (जेड़) (देखिये नियम ७८ रेवे. बोर्ड)

अधिनियम की धारा १८६ के अन्तर्गत नोटिस

न्यायालय सहायक कलक्टर.............. जिला.......... मुकदमा नं०..... .....सन् १९६.......

श्री .... (नाम, विवरण व पता) .... आवेदक (आसामी)

बनाम

श्री .... (नाम, विवरण व पता).......................... विपक्षी (भूमिधारी)

और

श्री .... (नाम, विवरण व पता)............ .... विपक्षी (व्यक्ति जो अब कब्जा किये हुए है)

सेवा में—

(नाम ,विवरण तथा पता)........................ विपक्षी

चूंकि उपरोक्त व्यक्ति ने, जो स्वयं को श्री.......................का आसामी बताता है, इस न्यायालय में धारा १८६ के अन्तर्गत पुनर्स्थापित किये जाने का इस आधार पर आवेदन-पत्र पेश किया है कि उसे नीचे वर्णित भूमि से बेदखल/कब्जा विहीन

(क) अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विधि विहित रीति के प्रतिकूल, या

(ख) अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात, उसके प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए,

कर दिया गया है, अतः यह नोटिस तुम को अधिनियम की उपर्युक्त धारा की उपधारा (२)